

राष्ट्र-जागृतिमाला

पुस्तक ७

मूल्य २)

“सस्ता-मंडल अजमेर ने हिन्दी की उच्चकोटि की पुस्तकें सस्ती निकाल कर हिन्दी की बड़ी सेवा की है। सर्व साधारण को इस संस्था की पुस्तकें लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए।”

मदनमोहन मालवीय

मुद्रक और प्रकाशक

जीतमल लूणिया

सस्ता-साहित्य-प्रेस, अजमेर

एक अदृष्ट हाथ विश्व को अपने चक्र पर रखकर सहज लीला से घुमा रहा है। कभी यहाँ रात आती है, कभी दिन। कभी सूर्योदय होता है, कभी सूर्यास्त। कभी मध्याह्न का प्रखर सूर्य तपता है, तो कभी घोर काली-कल्लुटी रात। हम आँखें फाड़-फाड़कर देखते हैं, मगर प्रकाश की रेखा तक नहीं दिखाई देती। जीवन और जागृति का कोई चिह्न नहीं। हम बीच बस्ती में खड़े होते हैं, मगर रात ऐसी विजन और सूनी मालूम होती है, मानो हम वन में कहीं अकेले फँग गये हैं। पर वह अंधकार निकल गया। प्रभात की सुखद वायु हमारे गात्रों को स्पर्श करने लगी। जाड़े की रात में सिकुड़ कर बैठे हुए दीन बटोही की तरह खड़े वृक्षों की शाखायें हिलने लगीं, और पत्ती कलरव करने

लगे । प्राची प्रसन्न हुई । एक मंगल शक्ति का उदय हुआ । अंधकार-प्रसन्न संसार को प्रकाश-पुंज मिला । अट्टामी हजार ऋषियों की तपस्या सफल हुई । सूर्योदय हुआ ! सत्याग्रह आया !

यह सत्याग्रह का युग है । अब तक हम भारतवर्ष में चम्पारन, खेड़ा, गुरु का बाग, नागपुर, बोरसद, और पेटलाद में सत्याग्रह के क्रमिक उत्कर्ष का दर्शन कर चुके । शीत ऋतु के बाल-रवि की तरह वह प्रबल आशाप्रद और निश्चित आश्वासन-दायक तो था । मगर वह हमारे जाड़े को नहीं भगा सकता था । अब उसकी किरणें जरा तीक्ष्ण होती चली । बारडोली का सत्याग्रह अभय का वरदान नहीं प्रत्यक्ष अभ्युदायरु है । इस सत्याग्रह ने दुर्बल किसानों के हृदय से राजभय को संपूर्णतया नष्ट कर दिया । बारडोली में जनता की जो अद्भुत विजय हुई और सरकार को जितनी जबरदस्त शिकस्त खानी पड़ी है, वह हमारे स्वाधीनता के संग्राम में चिरस्मरणीय रहेगी । मुझे तो विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय इतिहास में इस सत्याग्रह-संग्राम का महत्व राम-रावण युद्ध और महाभारत से भी बढ़ जाय तो आश्चर्य नहीं । राम-रावण-युद्ध का पुनीत इतिहास आद्य कवि वाल्मीकि ने लिखा है दूसरे की कथा-सरित् महर्षि व्यास की पावन लेखनी से निस्सृत हुई है । कहाँ व्यास-वाल्मीकि और कहाँ मैं ? तथापि अपनी-

अल्पता को जानते हुए भी यह अनधिकार चेष्टा करने के लिए मैं क्रुद्ध ही तो पड़ा। इसके लिए जिम्मेवार है यह युवक-हृदय और इस पावन इतिहास को जितनी जल्दी हो सके, देश के कोने कोने तक पहुँचाने की उत्कट अभिलाषा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह अल्प "रचना" कम से कम हमारे इस युग के किसी व्यास-वाल्मीकि की अमल कृति के लिए तो संसार को तैयार करे।

इस इतिहास या सत्याग्रह-कथा की रचना मैंने नीचे लिखे साधनों के आधाग पर की है।

बारडोली की सेटलमेण्ट रिपोर्ट।

'बारडोलीना खेडूनो'—(ले० श्री नरहरि द्वा० परीख)

'बारडोली सत्याग्रह खबर पत्र,'—(दैनिक) की फाइल

'यंग इण्डिया'

'नवजीवन'

'प्रताप' (सूरत. साप्ताहिक) विशेषांक

'प्रस्थान' (अहमदाबाद, मासिक) ,,

'इण्डियन नैशनल हेल्ड' (बम्बई, दैनिक) ,,

सरकार की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को समझने के लिए मुझे एक दो अन्य ग्रंथ भी देखने पड़े हैं।

बारडोली सत्याग्रह-प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष श्री जुगताराम भाई दवे तथा पू० महात्माजी के सेक्रेटरी श्री महादेव भाई देसाई का मैं विशेष रूप से अनुगृहीत

हूँ। श्री जुगताराम भाई ने बड़े प्रेम-पूर्वक मुझे वह सब सहायता, सामग्री और अनुकूलता दी, जिसकी मुझे समय समय पर जरूरत पड़ी। श्री महादेव भाई के 'दंगइगिडया' तथा 'नवजीवन' में प्रकाशित लेखों से मुझे जो सहायता मिली है उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। पर मैं उनका विशेष रूप से भी कृतज्ञ हूँ। अपनी पुस्तक लिख लेने पर मेरी यह बहुत भारी इच्छा थी कि इस संग्राम के अंतरंग को जानने वाले किसी सज्जन को पुस्तक दिखा दूँ। श्रीजुगताराम भाई ने बड़ी कृपा-पूर्वक यह काम स्वीकार कर लिया। मैंने पुस्तक उनके पास भेज दी। वे हृदय से चाहते थे कि वे पुस्तक देख जायँ। पर उसी समय बारडोली में पुनः जाँच का काम शुरू हो जाने के कारण पुस्तक के अधिकांश को वे नहीं देख पाये। श्री महादेवभाई देसाई इसी समय बारडोली सत्याग्रह पर अंगरेजी में एक पुस्तक लिख रहे थे। तब मैंने चाहा कि उनकी यह पुस्तक ही देख लूँ। यदि अपनी पुस्तक में कोई त्रुटि रह गई होगी तो इसके देख लेने पर मैं उसे आसानी से दूर कर सकूँगा। उनकी पुस्तक समाप्त होने पर यह सुयोग मुझे वर्धा में मिल गया, जिसके लिए मैं श्री महादेव भाई का अत्यंत ऋणी हूँ। उनकी पुस्तक ने मेरा बड़ा उपकार किया। उसके देखने पर मुझे अपनी पुस्तक की प्रामाण्यता तथा रचना के विषय में जो निम्नक थी वह दूर हो

गई। जहाँ कहीं मुझे आवश्यक जँचा, यह पुस्तक देखने पर, अपनी पुस्तक में मैंने आवश्यक संशोधन भी कर लिया। 'सत्यमेव जयते' वाले अध्याय को, यह पुस्तक पढ़ने पर मैंने दूसरीबार लिखा, और 'विजय के बाद' वाले अध्याय का पहला हिस्साॐ उनकी पुस्तक से ज्यो का ल्यो ले लिया है। और भी कुछ स्थानों पर छोटे बड़े संशोधन किये हैं। उन सब के लिए मैं श्री महादेव भाई का अत्यन्त ऋणी हूँ।

किसानों का पक्ष समझने में श्री नरहरि भाई परीख लिखित 'बारडोलीना खेडूतो', वैध आन्दोलन को समझने में 'प्रताप' तथा 'इण्डियन नैशनल हेरल्ड' का विशेषांक और सरकार के पक्ष को समझने में 'बारडोली सेटलमेन्ट की रिपोर्ट' से मुझे विशेष सहायता मिली है। अतएव मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ।

प्रायः प्रत्येक अध्याय के अन्त में मैंने एक एक गीत भी दे दिया है। ये गीत बारडोली के लोक-हृदय के एक तरह से दर्पण हैं। किसी महान आन्दोलन या जागृति के साथ साथ लोक-साहित्य में भी कैसी स्पृहणीय क्रान्ति हो जाती है, इसके वे उदाहरण हैं। प्रायः सभी गीतों की भाषा सरल है, इसलिए उनके अनुवाद नहीं दिये।

ॐ प्रूफ रीडर की गलती से पृ० ४२९ के प्रारम्भ में १ और पृ० ४३४ लाइन १५ के नीचे '२' का अंक डालना रह गया।

ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है सत्याग्रह-सूर्य की रश्मियाँ कठोर होती जा रही हैं। देश के कोने-कोने से बारडोली की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। किसानों में स्त्रियों में और मजूरों में नवीन प्राणों का संचार हो रहा है। यह जागृति एक महान् शक्ति है। एक मामूली बांस की किमची से प्रबल धनुष्य बनाया जा सकता है। भारत का अपार मानव बल, जो सुत्तावस्था में पड़ा हुआ था, अब जाग रहा है। यह बारूद है। नहीं, विद्युत् का अनन्त भाण्डार है। वह सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। इसका सदुपयोग करनेवाले वीर बल्लभभाई जैसे अनेक कुशल सेना नायकों की जरूरत है।

बारडोली के अपढ़ परन्तु वीर किसानों के सत्याग्रह की यह कथा हमारे दिल में बल और आत्म-विश्वास उत्पन्न करे और देश में अनेक बारडोली निर्माण करने के लिए प्रेरणा करे। वस यही कामना है।

विषय-सूची

सरदार वल्लभ भाई (जीवन-चरित्र)

क

१—पुराय दर्शन

नवीन शक्ति का उदय; आश्चर्यजनक संयोग;
विशाल उद्यान; कौन हैं वे वीर ? अरे, यहां यह क्या
है ! काली परज से रानी परज; साहूकारों का जाल;
अद्वुत्त शक्ति का प्रादुर्भाव, रानी परज में चर्खा;
ध्यापार और शिक्षा, जागृत रानी परज ।

१२

२—तव-प्रकाश

खून चूसने की विधि; अकाल का कारण; सिर
पर लटकती हुई तलवार; जमीन का मालिक कौन है ?
नया बन्दोबस्त; लगान-वृद्धि का इतिहास ।

४१

३—ज्वाला !

पार्लमेंटरी कमेटी, किसानों की बात; लगान वृद्धि
के कारण, सरकारी दलीलों का जवाब ।

७१

४—यज्ञ-देवता का आवाहन

क्या सत्याग्रह हो सकता है ? प्रथम रेखा, लगान-
नीति के दुष्परिणाम; झूठा भविष्य-कथन; गलत
तरीका; सबसे बड़ी विपरीतता ।

६६

५—यज्ञारम्भ

वायुमंडल; सावधान,—अपने बल पर; जटिल नीति; राज्य का आधार किसान, शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जायँ; सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ।

१०७

६—व्यूह-रचना

मानव हृदय की विलक्षणता, सरकार क्या करेगी ? हरएक गांव फौजी छावनी हो; आओ, जरा मजा चखा दें; खुफिया स्वयं-सेवक; संचालन; अनुशासन, सत्याग्रही दुर्ग ।

१२१

७—नवजीवन (पहला महीना)

तहसीलदार दंग; विश्वासघात; शुभ प्रसंग, बार-डोली का यशोगान ।

१४१

८—प्रह्लाद-प्रतिज्ञा (दूसरा महीना)

व्यर्थ की दौड़-धूप; पावन अग्नि; वीर पूजा; वीर वैश्य बहन, दुबला या प्रबल; भाग्यशाली वैश्य, नेक सलाह; “प्याज चोर”; सच्चा किसान, अलौकिक तेज ।

१५६

९—बलिदान का श्रीगणेश (तीसरा महीना)

दिल दहला देनेवाला शोर; राष्ट्र-पुरुष का शरीर; स्वराज्य का सच्चा अर्थ; लोक-जागृति का अवलोकन; अन्धा-धुन्ध, महिषी हरण; मद्य-प्रकरण, कौन पूछता है ! भयंकर अपराध; रविशंकर भाई; वालोड़ के वीर युवक; आदर्श माता, शील-संतोष ।

१६१

१०—पठान राज्य (चौथा महीना)

“मोहाक कुब”; अनुकरणीय बर्ताव; लुटेरापन; जो हाथ लगे वही सही; घृणित व्यवहार; सतीत्व पर आक्रमण, ऐसा है अंग्रेजी राज; शांति-प्रिय और उपद्रवी; प्रजा-पालन का ढकोसला; “छाती फाटी छे” । २२५

११—विराटरूप दर्शन (चौथा महीना)

जहरीला प्रचार; अहो रूपम् ! अहो ध्वनि; मर्म-
न्तिक बाण; मर्यादा की रक्षा, सूर्य को कौन छिपा
सकता है; सूरत जिला परिषद्; सच्चे लोक-प्रतिनिधि;
संगठन का जवाब संगठन; डर जालिम सरकार का
या निहत्थे किसानों का; पटेल इस्तिफा पेग करते हैं;
पटवारी नौकरी नहीं चाहते; किसानो की गिरफ्तारी । २४७

१२—दया (पांचवां महीना)

सजीव महाकाव्य; नौद टूटी; बड़ों की दया,
कवि-हृदय की व्यथा; निष्पक्ष प्रमाण-पत्र; सम्राट
की सत्ता का अपमान ? मेघराज का राज; आवकारी
विभाग से सहयोग न करो; पट-परिवर्तन । २७६

१३—समझौते का असफल प्रयत्न (छठा महीना)

तूफान के पहले की शांति; महामृत्युंजय का मंत्र;
सुलह की बातचीत, सरकार की शर्तें; किसानों की
शर्तें । ३०६

१४—खूनी पञ्जा (छठा महीना)

पिष्ट-पेषण; सरकार और क्या बर सकती थी ?
अखिल भारतीय प्रश्न; अटल और अनिवार्य शर्तें;

कानून हमारा देवता है; सद्गुण दुर्गण हो जाते हैं;
परमात्मा वचाए ऐसे मित्रों से, राक्षसी मनोरचना । ३२६

१५—सत्यमेव जयते (सुलह)

भक्तों में खलबली; किसानों के हितैषी, श्री मुन्शी
की निराशा; साबरमती-पूना-बारडोली ! अजीब
मसविदा; सुलह पर दस्तखत, सरकार की घोपणा । ३४६

१६—विजयोत्सव

वालड का भाषण, सत्याग्रहो वृत्ति; अधूरी
प्रतिज्ञा; सत्याग्रह का प्रताप, सोलह आने जीन;
सफाई और आरोग्य, विजय का सच्चा उपयोग;
हमारा नाप । ३७१

१७—विजयोत्सव (२)

धन्यवाद के पात्र, हृदय का पलटा, पंचायतो को
पुनर्जीवित करो; सूरत का स्वागत, स्वर्ग तुच्छ है । ३६६

१८—विजय के बाद

सिविल सर्विस की मनोवृत्ति; फिर गडबड़; गव-
र्नर शान्ति के लिए उत्सुक थे; सरदार की शर्तें;
प्रगति के शत्रु । ४२६-४८६

१९—परिशिष्ट

चित्र-सूची

१	सरदार वल्लभभाई पटेल	...	क-
२	प्रतिद्वन्द्वी सर लेस्ली विल्सन	...	९
३	पूज्य कस्तूर वा गांधी	...	१२
४	प्रेरक प्राण	...	१५
५	बारडोली (पुष्पाकार नक्षा)	...	१६
६	राष्ट्र-ध्वज	११
७	रानी परज के पुरुष	...	११
८	रानी परज की स्त्रियां	१७-
९	रा० सा० दादूभाई देसाई	..	१६
१०	रा० बा० भीमभाई नाईरु	११
११	श्री हरिभाई अमीन	११
१२	श्री शिवनासानी	११
१३	डॉ० दीक्षिन	..	११
१४	श्री दयालजी भाई	११
१५	श्री कल्याणजी भाई	११
१६	डॉ० सुमन्त मेहता	१७
१७	डॉ० चन्द्रूलाल देसाई	११२-
१८	श्री नर्मदाशंकर पंड्या	११
१९	श्री चिम्मनलालजी चिनाई	११३
२०	दरबार श्री गोपालदास भाई	.. .	१२८

२१	श्री मोहनलाल कामेश्वर पण्ड्या
२२	डॉ० घीया
२३	श्री केशव भाई	.	..
२४	श्री अब्बास तैय्यबजी और श्री फूलचंद भाई शाह		१२९
२५	कवि श्री फूलचंद भाई	...	१४४
२६	श्रीमती मीठूबेन पेटिट	...	१४५
२७	श्रीमती रानी भक्तिलक्ष्मी देसाई
२८	श्रीमती गुणवन्ती बेन घीया
२९	कुमारी मणीबेन पटेल—सरदार साइब की पुत्री		..
३०	वीर वणिक श्री वीरचंद चेनाजी	...	१६०
३१	हमारा पोस्मन	...	१६१
३२	बारढोली की एक सभा	...	१७६
३३	सावधान—डंका और शंख	...	१७७
३४	गांवों में हड़ताल
३५	निठुर पहरा	...	१९२
३६	कैद में	...	१९३
३७	वालोट के दो मुसलमान	...	२०८
३८	मि० कोठावाला—खास पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट		२०९
३९	मि० सदरी—सभाओं की रिपोर्ट लेनेवाले
४०	“अनुकरणीय बर्नाव” वाले पठान
४१	मूक बलिदान	...	२२४
४२	ग़हीद भैंस की मालकिन		..
४३	श्रीमती शारदाबेन मेहता	.	..
४४	पठान और तलाट

४२	वालोड के वीर युवक	२२५
४६	युवकों को बिदा	२४०
४७	वांकातेर के कैदी	२४१
४८	निष्पक्ष दर्शक—श्री कुंजरू, श्री ठक्कर और श्री वझे			२५६
४९	व्यथित कवि—श्री कन्हैयालाल मुंशी	२५७
५०	मुंशी—कमिटि के सभ्य	२७२
५१	श्री नरसिंह चितामण केलकर और सरदार साहब			२७३
५२	स्वामी भानन्द	३५२
५३	महात्माजी एक सभा में	३५३
५४	श्री लालजी नारण जी	३६८
५५	सर चुन्नीलाल मेहता	३६९
५६	महात्माजी वालको में	.	..	४०३
५७	गुरु-शिष्य की जोड़ी	४०३
५८	स्वर्गीय लाला जी	४३४
५९	महर्षि टात्तराय	४३५

गीत-सूची

१	गुणवंती गुजरात	१०
२	कर्म-भूमि	११
३	जागृत रानी परज का गीत	४०
४	रानी परज का गीत	७०
५	परदेशी सूत्रा	९०
६	मधुरो अवसर	१९०
७	वारडोलीना गशोगान		...	१५७
८	सखी रे भाजे ते प्रभुजी पधारिया		...	१८४
९	पाडोशीनो धर्म		...	१८४
१०	धन्य बारडोली	१९०
११	शील संतोष ना बख्तर	२२४
१२	छातीये छातीये छातीये रे	२७५
१३	सत्ता बळे छे	.		२७७
१४	कोण आव्यो ? टवे आव्यो	३०७
१५	विजयी प्रजा	३२८
१६	अन्यायी राजा	३४८
१७	लाज राखी	.		३६९
१८	हाक वागी		...	३८२



श्रीमती पू० कस्तूर बा गांधी

विजयी बारडोली

सरदार

Ev'n to the dullest peasant standing by
Who fasten'd still on him a wondering eye,
He seemed the master-spirit of the land

Jonna Barthe

“एक वीर और बहादुर सरदार अपने हजारों दुश्मनों को कल्ल करने की अपेक्षा एक नागरिक की रक्षा करना अपना धर्म समझता है; अतः एक सच्चा सेना-नायक हलकें दिल से कभी लड़ाई नहीं छोड़ता और न बिना अनिवार्य कारणों के युद्ध-घोषणा करता है। सच्चे सिपाही और सरदार बड़ बड़कर बातें कभी नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो काम फतेह ही समझिए।” महात्मा लूथर के ये शब्द वारडोली के वीर सरदार वल्लभ भाई और उनके सिपाहियों के गुण का सचमुच थोड़े में अच्छा परिचय कराते हैं। वारडोली के अतुल संग्राम की कथा इस पुस्तक का विषय है। परन्तु पाठक यदि इस संग्राम के संचालक के जीवन-चरित का थोड़ा सा परिचय प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक शायद वे उसकी सफलता के रहस्य को भी भली भांति न समझ सकें।

माता-पिता, जन्म और शिक्षा

वल्लभ भाई के माता पिता देहात् में रहते और खेती करते थे। गुजरात के पेटलाद ताल्लुका में करमसद नामक एक गाँव में इनका घर था। वहीं खेती की ज़मीन भी थी। वल्लभभाई के पिता श्री क्ष्वेरभाई बड़े साहसी, संयमी और वीर पुरुष थे। सन् १८५७ के गदर में उन्होंने भाग लिया था और झांसी की वीर महारानी लक्ष्मीबाई के प्रान्त में खूब घूमे थे। उन दिनों तीन साल तक घर वालों को उनका पता न चला।

श्री क्ष्वेरभाई स्वामी नारायण के भक्त थे। ५५ वर्ष की उम्र से वह उनकी सेवा करने लगे थे। घर पर केवल एक बार भोजन करने आते, शेष दिन-रात स्वामी जी की सेवा में ही रहते थे। उस समय के साधुओं का जीवन पवित्र होता था, लेकिन साम्प्रदायिकता से वे भी बचे हुए न थे। श्री क्ष्वेरभाई भी एक बार साम्प्रदायिकता के चक्र में पड़ गये थे। उनका स्वास्थ्य और शारीरिक सम्पत्ति बहुत अच्छी थी। अपने अन्तिम समय तक वह प्रतिदिन सुठ्ठी भर कच्चे चावल और बाजरा चबाया करते थे। श्री क्ष्वेरभाई ९२ वर्ष की लम्बी उम्र तक जीये। श्री वल्लभभाई की माता भी उनके पिता के समान संयमी, धर्म-शीला, कष्ट सहिष्णु और देशभक्त हैं। ८० वर्ष की उम्र में भी दिन-दिन भर चर्खा चलाती रहतीं और भगवद् भजन करती रहती हैं।

अपने माता-पिता के इन गुणों का वल्लभभाई के जीवन पर खासा असर पड़ा है। संयम, साहस, लगन, कष्ट-सहिष्णुता, दृढ़ता और निर्भोक्ता आदि वल्लभभाई को अपने माता-पिता से

ही विरासत में मिले है। बचपन से वल्लभभाई में ये गुण पाये गये हैं और अब तक बराबर विकसित होते रहे हैं।

वल्लभ भाई का बचपन अपने माता पिता के साथ देहात में बीता। इनकी जन्मतिथि का कोई पता नहीं चलता। पिता को शिक्षा का शौक था, इसलिए वह बालक वल्लभ को रोज सबेरे अपने साथ खेत पर ले जाते और रास्ते में आते जाते पहाड़े याद करवाते। वल्लभभाई का विद्यार्थी जीवन मनोरंजक घटनाओं से भरा हुआ है। उनकी प्राथमिक पढ़ाई कुछ तो अपने ही गाँव में और कुछ पेटलाद में हुई। माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें पहले नडियाद और बाद में बड़ौदा जाना पड़ा था। नडियाद के एक शिक्षक स्कूली पुस्तकों का व्यापार करते थे। वल्लभभाई ने उनसे पुस्तकें खरीदने के विरुद्ध आन्दोलन उठाया। उत्तेजना-फैली लड़कों ने हड़ताल कर दी। पाठशाला छः दिन तक बन्द रही और अन्त में शिक्षक को झुकना पड़ा ! दूसरा प्रसंग बड़ौदे का है। संस्कृत में रुचि न होने के कारण मैट्रिक में उन्होंने गुजराती ली। गुजराती-शिक्षक श्री छोटालाल नामक एक सज्जन थे। वह गुजराती तो पढ़ाते थे, लेकिन संस्कृत छोड़कर गुजराती पढ़ने वाले विद्यार्थी से उन्हें कुछ चिढ़ सी रहती थी। जब वल्लभभाई उनके वर्ग में पहुँचे तो श्री छोटालाल ने उनका स्वागत करते हुए कहा 'भाइए महापुरुष, कहाँ से पढ़ारे ? आप संस्कृत छोड़कर गुजराती लेते तो हैं, लेकिन क्या आपको यह याद है कि बिना संस्कृत के गुजराती अच्छी नहीं आती।' इस पर विद्यार्थी वल्लभ धीरे से बोले ! 'पर साहब, अगर हम सभी संस्कृत पढ़ने लग जायेंगे तो आप किसे पढ़ावेंगे ?' इस पर शिक्षक और विद्यार्थी में मनो-

मालिन्य पैदा हो गया और कुछ दिनों में झगड़ा बढ़ने बढ़ते प्रधानाध्यापक के पास पहुँचा। उनके पूछने पर विद्यार्थी वल्लभ ने कहा—‘यह मुझ से पहाड़े लिखवाते हैं। यह भी कोई सजा है? पाठ्य पुस्तक से कुछ लिखायें तो मुझे लाभ भी हो। इस पहली पुस्तक के एक-दो के पहाड़े से तो किसी का भी लाभ नहीं हो सकता, उल्टे इन पहाड़ों को लिखते देखकर लोग मुझे मूर्ख कहेंगे।’ मुख्याध्यापक ने विद्यार्थी को बिना कुछ कहे छोड़ दिया। इसके दो महीने बाद ही दूसरे शिक्षक से झगड़ा हो जाने के कारण वल्लभभाई बड़ौदा के हाईस्कूल से निकाल दिये गये। फिर वे नड़ियाद आये और मैट्रिक पास की। क्या विद्यार्थी जीवन की इसी दुर्दमनीयता में तो भावी सरदार नहीं छिपा हुआ था ?

वकालत और पत्नी-वियोग

वल्लभ भाई के माता पिता साधारण हैसियत के थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। अतः वल्लभ भाई ने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने का मोह छोड़ दिया। सच पूछा जाय तो उन्हें सांहित्यिक उच्च शिक्षा का मोह था ही नहीं, और न वह चार पाँच वर्ष तक धैर्य धारण करके बैठे रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जिला वकालत की परीक्षा पास की और गोधरा में वकालत करने लगे। उस समय श्री विठ्ठलभाई पटेल बोरसद में वकालत करते थे। लोकमान्य तिलक की भाँति वल्लभ भाई ने अपने जीवन का ध्येय लोक-सेवा नहीं बना रक्खा था। वह तो छोटी उम्र से ही विलायत जाने और बैरिस्टर बनकर आने के स्वप्न देखा करते थे। इसी स्वप्न को सच्चा करने के लिए उन्होंने वकालत भी शुरू

की थी। वल्लभभाई के पास फ़ौजदारी नामले अधिक आते थे। अपनी चातुरी एवं कुशाग्र बुद्धि के कारण थोड़े ही समय में ज़िले भर में वे प्रख्यात हो गये। वल्लभभाई के पास खून, झूठे दस्तावेज, डाकेजनी आदि के मामले अधिक आते थे। उन दिनों फ़ौजदारी अदालतों के अधिकारियों और पुलिस आदि महकमों के अन्य हाकिमों पर वल्लभ भाई का बड़ा रौब था। अधिकारी उन्हें देखकर कांपते थे। हस्त्रण्ड नामक एक अंग्रेज़ मैजिस्ट्रेट जवान का बड़ा हलका था। एक खून के मामले में वल्लभ भाई ने इन साहब बहादुर को बड़ा ही परेशान किया था। वह बात याद आते ही आज भी वे खूब हँसते और हँसाते हैं। अपने वकालत के दिनों में उन्होंने इस तरह कई मैजिस्ट्रेटों और क्लर्कों को छकाया था। वल्लभ भाई की वकालत की सफलता का कारण उनका गंभीर-कानून-ज्ञान नहीं था। अपनी व्यवहार-कुशलता, मानव-स्वभाव की परीक्षा, जिरह करने की खूबी और प्रमाणों की छान चीन करने की अद्भुत शक्ति के बल पर ही वह हमेशा सफल होते रहे। दीवानी मामलों को वह बहुत कम हाथ में लेते थे।

एक बार गोधरा में भयकर प्लेग हुआ। अदालत के नाज़िर का लड़का बीमार पड़ा। वल्लभभाई ने उसकी सेवा-शुश्रूषा की, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाये। स्मशान से लौटते ही स्वयं बीमार पड़े। गाँठ भी हो गई। लेकिन वे जरा भी घबराये नहीं। गाड़ी में बैठकर पत्नी के साथ आनन्द आये और पत्नी से कहा 'तुम कामसद जाओ, मैं नडियाद जाता हूँ, वहाँ चंगा हो जाऊँगा। ऐसी हालत में किस पत्नी को पति का साथ छोड़ने की हिम्मत हो सकती है ! लेकिन वल्लभभाई ने आग्रह-पूर्वक उन्हें विदा दी,

और इधर आप नडियाद चले गये और चंगे भी हो गये ! एक बार पत्नी को 'ऑपरेशन' के लिए बम्बई रख आये । यों तो 'ऑपरेशन' के बाद प्रति दिन उनके समाचार मिलते रहते थे, पर कुछ दिन बाद एकाएक तबीअत बिगड़ गई । एक दिन वल्लभभाई अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे कि तार से पत्नी की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला । तार को पढ़कर उन्होंने मेजपर रख दिया । जब काम समाप्त हुआ तब बाहर आकर मित्रों से जिक्र किया ।

विदेश-यात्रा और वैरिस्टरी

पहले कहा जा चुका है कि वल्लभभाई इंग्लैण्ड जाने की तैयारी कर रहे थे । जिस कम्पनी से विलायत-यात्रा के लिए पत्र-व्यवहार चल रहा था उसकी अन्तिम चिट्ठी वल्लभभाई के बड़े भाई श्री विठ्ठलभाई पटेल के हाथ लग गई । अंग्रेजी में दोनों के नाम वी० जे० पटेल होने से यह गड़बड़ हुई थी । फल-स्वरूप बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा 'मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे इंग्लैण्ड हो आने दो । मेरे लौट आने पर तुम्हें जाने का मौका मिल सकेगा, परन्तु तुम्हारे लौट आने पर मेरा जाना न हो सकेगा ।' इस बात चीत के पन्द्रह दिन बाद विठ्ठल भाई इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो गये । उनके लौट आने पर तीन वर्ष बाद फिर वल्लभभाई इंग्लैण्ड पहुँचे ।

इस समय तक तो वल्लभभाई काफी बड़े हो चुके थे और उम्र के साथ-साथ उनका व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव भी बहुत कुछ बढ़ चुका था । अतः इंग्लैण्ड जाने वाले अन्य नौजवानों की भाँति उनके पथ-भ्रष्ट होने की संभावना नहीं थी । वल्लभभाई

तो जाते ही जी-जान से पढ़ाई में लग गये वे वचपन में जितने नट-खट थे, अब उतने ही एकाग्र और सौम्य विद्यार्थी बन गये। जहाँ रहते थे, वहाँ से मिडल टेम्पल का पुस्तकालय ११ मील दूर था। वल्लभभाई सबेरे उठकर पुस्तकालय पहुँचते। वहीं बैठकर दूध रोटी खाते थे और दिन भर पुस्तकों के पढ़ने में गढ़े रहते। जब शाम पड़ती और सब लोग चले जाते, तब पुस्तकालय के कर्मचारी द्वारा याद दिलाने पर स्वयं भी उठते और घर लौट आते। इन दिनों उन्होंने सत्रह-सत्रह घण्टों तक पढ़ा, अध्ययन और मनन किया। फल भी वैसा ही उज्ज्वल और गौरवेशाली निपजा। वे प्रथम श्रेणी में प्रथम भाये, ५० पौण्ड की छात्रवृत्ति मिली और चार टर्म की फ्रीस माफ़ हुई। वल्लभभाई के उत्तरो को पढ़कर उनके परीक्षकों को बड़ा आश्चर्य हुआ था और उनमें से एक ने चीफ़ जस्टिस स्कॉट के नाम वल्लभ भाई को क पत्र लिख दिया था, जिसमें लिखा था कि वल्लभभाई जैसे आदमी को न्याय-विभाग की ऊँची से ऊँची जगह दी जानी चाहिए! इस तरह परीक्षा पास करके दूसरे ही दिन वल्लभभाई भारत आने वाले एक जहाज़ पर सवार होकर स्वदेश लौट आये! इंग्लैण्ड की सैर करने के लिए दो चार-दिन भी वहाँ नहीं ठहरे!

पाप-पुराय का बँटवारा

स्वदेश लौटते ही बैरिस्टर वल्लभभाई का धन्धा अहमदाबाद में धड़ाके से चलने लगा। खेड़ा जिला के कई भवकिल वर्षों से आशा लगाये बैठे ही थे। श्री विठ्ठल भाई की बैरिस्टरी बम्बई में चल निकली थी, लेकिन उनका ज्यादातर समय लोक-सेवा में

चातने लगा । दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि देश की स्वतन्त्रता के लिए संन्यासियों की आवश्यकता है, स्वार्थत्याग-पूर्वक सेवा करने वालों की जरूरत है । अतः दो में से एक देश-सेवा करे और दूसरा कुटुम्ब का भरण-पोषण । वल्लभ भाई ने दूसरी जिम्मेदारी अपने सर उठा ली । लेकिन प्रपंच अधिक समय तक उनके भाग्य में बदा नहीं था । ईश्वर की इच्छा तो कुछ समय के बाद उन्हें भी संन्यासी बनाने की थी । वह महात्माजी के सम्पर्क में आये और धीरे-धीरे उनके विचारों में परिवर्तन होने लगा ।

गांधीजी का सम्पर्क और संन्यास

जब शुरू-शुरू महात्माजी अहमदाबाद आये तब बैरिस्टर वल्लभभाई का धंधा अच्छी तरह चल रहा था । महात्माजी ने आकर कइयों की शान्ति भंग की । आरंभ में तो महात्माजी वल्लभभाई का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न कर सके । उल्टे 'गुजरात क्लब', में बैठे-बैठे अपने मित्रों के साथ 'ब्रिज' खेलते हुए उन्होंने एकबार कहा था—“गांधी क्यों इन लोगों के सामने ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं? यह तो भैंस के सामने भागवत कहने जैसा है ।” मतलब-यह कि शुरू-शुरू महात्माजी वल्लभ भाई की दृष्टि में व्यवहार-ज्ञान-शून्य से जूंचे होंगे । लेकिन जब महात्माजी गुजरात के राजनैतिक कार्यों में भाग लेने लगे, तब वल्लभभाई को कुछ आशा बंधी । उन्हें विश्वास हुआ कि अब प्रान्त के लिए विधायक एवं ठोस कार्य का मार्ग खुलेगा । इस बीच महात्माजी की अध्यक्षता में गोधरा में एक प्रान्तीय परिषद् हुई । इस परिषद् में रचनात्मक कार्य का जो खाका खींचा गया था, उसे मूर्त रूप देने के लिए

एक मण्डल स्थापित हुआ। वल्लभभाई उसके मंत्री बने। महात्माजी तो बेगार बन्द करने का कार्यक्रम निश्चित करके चम्पारन चले गये थे। वल्लभभाई अपने साथियों के साथ गुजरात में रहे और उन्होंने कमिश्नर प्रैट से बेगार के सन्बन्ध में पत्र-व्यवहार आरंभ कर दिया। उत्तर न मिलने पर उन्होंने कमिश्नर के नाम ७ दिन की मीयाद की एक याद-दिहानी नोटिस भेजी और लिखा कि उत्तर न मिलने की हालत में हाईकोर्ट के फर्लॉ फ़ैसले के आधार पर बेगार को ग़ैर कानूनी ठहराने और प्रान्तभर में लोगों को बेगार न करने की सूचना दे दी जायगी। मीयाद पूरी होने के एक दिन पहले ही कमिश्नर ने वल्लभभाई को बुलाकर सब बात स्पष्ट समझा दी। महात्माजी इस बातपर बड़े प्रसन्न हुए और अब से वल्लभभाई उनके अद्विक सम्पर्क में आने लगे।

खेड़ा-सत्याग्रह

खेड़ा-सत्याग्रह-का समय निकट आया। महात्माजी ने पूछा 'मेरे साथ खेड़ा चलने के लिए कौन तैयार है?' उत्तर में महात्माजी को पहला नाम वल्लभभाई का मिला। उस दिन से वह रण-क्षेत्र में कूदे सो कूदे। उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ, काया पलट गई, लेकिन उस पुरुष-सिंह ने न तो पीछे लौटने का नाम लिया, न फिर कर देखने का ही। उन्हे विश्वास हो गया कि महात्माजी के आगमन से प्रान्त के पाखण्ड-पूर्ण राजनैतिक जीवन में सत्य ने पदार्पण किया है। वे जी-जान से महात्माजी की सहायता करने और उनके बताये कामों को तत्परता एवं पटुता-पूर्वक पार लगाने लगे। खेड़ा-सत्याग्रह के समय वल्लभभाई गाँव-गाँव

महात्माजी के साथ घूमे । और इस सत्याग्रह की समाप्ति के बाद जब महात्माजी ने रँगरूटों की भर्ती का काम हाथ में लिया तब भी वल्लभ भाई का नाम रँगरूटों में सर्व प्रथम था । थोड़े समय बाद महात्माजी सख्त बीमार पड़े और युद्ध बन्द हो जाने के कारण रँगरूटों की भर्ती का काम भी बन्द हो गया ।

इसके बाद वल्लभभाई ने मुम्बिकल से एकाध वर्ष वकालत की होगी कि रॉल्ट्-एक्ट-सत्याग्रह छिड़ा । अहमदाबाद में उपद्रव हुआ । वल्लभभाई के दर्वाजे पर कड़ा पहरा बैठ गया । इन दिनों उन्हें कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा । भयंकर तूफान के बीच भी वह शान्त चित्त से काम करते और लोगों के मुकदमे लड़ते रहे । उनके इस साहस एवं धैर्य का तत्कालीन पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट मि० हेली पर बड़ा असर पड़ा । बारडोली की गत लड़ाई के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने वल्लभ भाई को बारडोली के शान्त अहिंसात्मक सत्याग्रह का सारा श्रेय सौंपा ।

असहयोग

इसके बाद असहयोग का जमाना आया । वल्लभभाई बैरिस्टरी तो नाम-मात्र की करते थे । पर अब तो उन्होंने उसे भी तिलाञ्जलि दे दी । वे अपने लड़के और लड़की को एक समय विलायत भेजकर उच्चशिक्षा दिलाना चाहते थे । पर अब उन दोनों को उन्होंने सरकारी पाठशाला से हटा लिया और कट्टर असहयोगी बन गये । महात्माजी के गिरफ्तार हो जाने पर वल्लभ भाई उन्हें जेल तक पहुँचा आये और उनके काम को अपने हाथों में ले

लिया। उस समय वल्लभभाई राष्ट्रीय गुजरात के सच्चे सूबा बन गये थे। इन्हीं दिनों में गुजरात महाविद्यालय के लिए ब्रह्मदेश तक प्रवास किया और उसके लिए १० लाख रुपये एकत्र किये।

नागपुर का सत्याग्रह

वल्लभभाई में सच्चे नेता का एक गुण बहुत पहले से विकसित हो रहा था। वह था, अपनी निज की मर्यादा का भान। इस मर्यादा का भान जितना वल्लभभाई में पाया जाता है, उतना बहुत थोड़े नेताओं में मिलता है। उनके साहस और हिम्मत का परिचय तो पाठकों को मिल ही चुका है। वकालत के दिनों में उन्होंने काफ़ी व्यवहार-ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब गांधीजी के सम्पर्क से सत्य और अहिंसा में उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ हुई और, इन्हीं गुणों से अपने सत्याग्रह संग्रामों में शत्रुओं का काम लेकर वह एक के बाद एक संग्राम में विजय संपादन करते गये। नागपुर का सत्याग्रह आरम्भ होते ही वल्लभभाई गुजरात से सैनिक भेजने लगे। श्री जमनालाल बजाज के गिरफ्तार होकर जेल जाने पर महासभा ने वल्लभभाई के हाथों में सत्याग्रह का नेतृत्व सौंपा। इसके बाद भी गुजरात से अनेक सैनिक नागपुर पहुँचे। नागपुर के गवर्नर ने सत्याग्रह को एक दम ग़ैर क़ानूनी और अराजक बताया था। लेकिन वल्लभभाई के नागपुर पहुँचने के थोड़े समय बाद ही गवर्नर ने उन्हें अपने पास बुलाया। कुछ बात चीत हुई और फलतः १०—१५ दिन में तो जनता की सारी माँगें स्वीकृत हो गईं। समस्त (हजार से अधिक) क़ैदी छोड़ दिये गये और वल्लभभाई विजय का झण्डा फहराते हुए गुजरात लौट आये।

बोरसद का सत्याग्रह

बोरसद के सत्याग्रह का आरम्भ हुआ। इस सत्याग्रह जैसी स्वच्छ और तत्काल विजय दिखाने वाली लड़ाई तो अभी तक हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं लड़ी गई है। सरकार ने बोरसद की प्रजा पर राज्य की रक्षा से वंचित अराजक और विगड़े दिमाग जरायमपेशा लोगों को आश्रय देने, उन्हें पकड़वाने में सहायता न करने का आरोप रखा था और अधिक पुलिस की नियुक्ति कर के उसके खर्चे के लिए २, ४०, ०००) का दण्डरूप कर जनता के मथे मढ़ा था। इन में से एक भी आरोप सच्चा न था। वल्लभभाई ने इन आरोपों को सच्चा सिद्ध करने के लिए सरकार-को चुनौती दी और खुद उसी को दोषी ठहराया। अगर सरकार अपने आरोप सिद्ध कर देती तो वल्लभभाई को एक वर्ष के लिए जेल जाना पड़ता। लेकिन सरकार तो स्वयं अपराधी थी और डाकुओं के साथ मिलकर अपराधों—खून आदि की संख्या बढ़ा रही थी। वल्लभभाई लगातार एक महीने तक गाँव-गाँव घूमे और सरकार की करतूतों की पोल खोलते रहे। लोगों को बराबर डर था कि वल्लभभाई अब पकड़े जायँ, तब पकड़े जायँ। लेकिन इतने में तो, सवा महीने के भीतर, सरकार ने अपने होम मेम्बर को जाँच के लिए भेजा और दण्ड माफ कर दिया। सत्याग्रह समाप्त हुआ और वल्लभभाई ने अपने अन्तिम भाषण में दोनों पक्षों को इस विजय पर बधाई दी। इसवार का बोरसद ताल्लुके का संगठन अद्भुत और लोगों को आश्चर्य चकित करने वाला था। सरकार पर भी इस संग्राम का बड़ा गहरा असर पड़ा।

उसका नमूना यह है 'आनन्द ताल्लुके' के कई एक गाँवों पर इसी तरह का दण्ड लादा था। पर उसे उसने जनता की केवल एक अर्जी पर माफ़ कर दिया !

रचनात्मक कार्य

जब महात्माजी जेल से छूट कर आये तो उनकी सान्त्वना के लिए इन विजयों के सुन्दर परिणाम मौजूद थे ही। महात्माजी के आ जाने पर वल्लभभाई स्वतंत्र हुए और उन्होंने अहमदाबाद में रहकर रचनात्मक कार्य शुरू किया। वह नगर म्युनिसिपैलिटी के सभापति चुने गये और लगातार पाँच वर्षों तक नगर-सुधार का उत्तम काम करते रहे। इन पाँच वर्षों में वल्लभभाई ने अहमदाबाद शहर की खूब सेवा की, उसकी गन्दगी, दूर की और जनता में भाषणों द्वारा जागृति पैदा की। अधिकांश लोग सफ़ाई, स्वास्थ्य और नागरिकता के अधिकारों का महत्व समझने लगे। पर वल्लभभाई के रचनात्मक कार्य का उत्तम नमूना तो अभी अभी मिला, जब उन्होंने गुजरात के पिछले जल-प्रलय के अवसर पर उसकी सेवा की थी। उस मौके पर उन्होंने अपने अद्भुत साहस और संगठन-शक्ति का परिचय दिया। जब सरकार सिर पर हाथ लगाये बैठी थी, वल्लभभाई के स्वयं-सेवक बाढ-पीड़ित-भागों में पहुँच कर लोगों की सहायता करने में जुटे हुए थे। गुजरात-प्रान्तीय प्रलय-निवारक मण्डल ने वल्लभभाई के निरीक्षण में जनता की जो सेवा की, उसकी व्यवस्था, कमखर्ची, कार्य-दक्षता आदि देख कर सरकार भी हैरान हो गई। जब वल्लभभाई ने सरकारी अकाल-क्रोध में से प्रलय-पीड़ितों की सहायता के लिए

उससे एक करोड़ रुपया माँगा तो उसे इतनी बड़ी रकम भी चुपचाप उन के हाथों में सौंप देना पड़ी । इससे वल्लभभाई की शक्ति, महत्ता और उनके कार्य की उपयोगिता का पूरा-पूरा पता चलता है । जल-प्रलय के अवसर पर की गई सेवाओं के कारण जहाँ सरकार की दृष्टि में वल्लभभाई की कार्य-दक्षता ऊँची ठहरी और उसने उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की, तहाँ गुजरात की जनता की दृष्टि में तो वल्लभभाई हमेशा के लिए 'गुजरात वल्लभ' बन गये । गुजरात की जनता के हृदय पर उनका अमिट अधिकार हो गया ।

पर इन लड़ाइयों ने इतना व्यापक रूप धारण नहीं किया था इसलिए देश को वल्लभभाई के अद्भुत गुणों का परिचय नहीं मिल पाया था । वारडोली में इसकी पूर्ति हो गई । वल्लभभाई ने वारडोली में जो भाषण दिये उनमें आश्चर्यकारक ईश्वर-श्रद्धा और उल्लास था । बोलते समय उनकी आँखों में असाधारण तेज चमकता था । उनके भाषण बिलकुल स्वाभाविक, सरल और जोरदार होते थे। वे सीधे लोगों के हृदय में जाकर पैठ जाते । उनकी उपमायें और विनोद ठेठ देहाती रँग में ढले होते हैं, उनमें साहित्यिक कृत्रिमता की अपेक्षा स्वाभाविक सौंदर्य अधिक होता है । अपने भाषणों के लिए उन्हें पूर्व-तैयारी नहीं करनी पड़ती । जब बोलने लगते हैं एकसी वाग्धारा बहती है, जो श्रोतृ-समुदाय को भोज, गांभीर्य विनोद और वात्सल्य के भावों से एक साथ आप्लावित कर तन्मय कर देती है ।

वल्लभ भाई स्वभाव से मित-भाषी हैं । ऊपर से सौम्य और शान्त दीखते हुए भी, मौ० शौकतअली के शब्दों में, वह वफ़ से ढके हुए ज्वालामुखी हैं । गांधीजी के सत्य की भाँति वल्लभ

भाई की निर्भयता और उनका साहस उनके जीवन के पन्ने पन्ने में झलकता है। वल्लभभाई योद्धा हैं, सुधारक, साधक और शिक्षक नहीं। उनमें वीरोचित क्षमा तो है, लेकिन सत्याग्रही की शून्यता के आदर्श से वह दूर हैं। वल्लभ भाई का ध्येय वाक्य है 'शूर सग्राम को देख भागे नहीं।' बल्कि यों कहे तो अत्युक्ति न होगी कि युद्ध उनका स्वभाव है। जब तक युद्ध होता रहता है, वे मग्न मालूम होते हैं, पर समझौते के समय वह स्थिर नहीं रह सकते, कई बार उलझन में पड़ जाते हैं। वल्लभभाई युद्ध में यों रहते हैं मानों पानी में मछली।

वल्लभ भाई की उदारता अपरिमित है। शत्रु और मित्र दोनों उससे लाभ उठाते हैं। महात्माजी के समान ही वल्लभभाई भी अपने साथियों, सहकारियों और आश्रितों पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं और इसी कारण उन्होंने कभी अपने कार्य में किसी से धोखा नहीं खाया। विनोद उनकी सबसे भारी विशेषता है। गंभीर से गंभीर अवसरों को उनके विनोद ने सजीव बना दिया है। इस विनोद के कारण वे अपने साथियों और सैनिकों को हमेशा आशावादी और प्रफुल्ल रख सके हैं।

एक बात और। सरदार वल्लभभाई सरकार के विरोध में छोटी-बड़ी कई लड़ाइयों में सफलता पूर्वक लड़े हैं और समय-समय पर उसके सर भयंकर आरोप भी मढ़े। लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि वह अब तक सरकार के मेहमान नहीं बने। उनकी युद्धपटुता का यह एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। यह बात नहीं है कि वह जेल जाने या गोली खाने से डरते हो। पर, उनकी

यशोरेखा ही कुछ ऐसी विचित्र है कि युद्ध के अग्रभाग में रहते हुए भी वह अब तक साफ बच गये हैं !

हम आशा करें कि गुजरात का यह वीर और सफल सेनापति देश के भावी स्वातन्त्र्य-संग्राम में अपना जौहर दिखलायेगा और मातृभूमि को पारतन्त्र्य की कठोर शृंखलाओं से मुक्त करने में अग्रगण्य भाग लेकर संसार में उसकी यशः पताका दशो दिशाओं में फहरावेगा । परमात्मनः, गर्वी गुजरात का यह गर्वीला सरदार चिरायु हो और इसके हाथों और भी महान् देश सेवा हो । ❀

काशीनाथ नारायण त्रिवेदी

* श्री महादेव भाई देसाई लिखित वीर वल्लभ भाई नामक पुस्तिका के आधार पर ।



“प्रतिद्वन्द्वी”
बम्बई के गवर्नर
सर लेस्ली विल्सन

विजयी वारडोस्की
३

पवित्रतम कर्तव्य

“प्रत्येक मनुष्य कुछ ऐसे अधिकारों को लेकर जन्म लेता है, जो उससे कभी छीने नहीं जा सकते, नष्ट नहीं किये जा सकते। वे क्या हैं? विचार-स्वातन्त्र्य, जीवन और आत्म-सम्मान की रक्षा, शारीरिक स्वतन्त्रता, सुख-प्राप्ति का प्रयत्न और अत्याचार का प्रतिकार। जब राष्ट्र के इन स्वाभाविक अधिकारों पर सरकार आक्रमण करती है, तब बलवा उस राष्ट्र का पवित्रतम कर्तव्य हो जाता है। जो किसी जाति की प्रगति में बाधा डालने के लिए उससे युद्ध करते हैं, उन पर सभी दृष्ट पड़ें—मामूली दुश्मनों की भाँति नहीं, बल्कि उन्हें ससार की अधिष्ठात्री-मानवजाति के विद्रोही शत्रु समझ कर!”

रोमां रोलां

गुर्जर-गीत

गुणवंती गुजरात, अमारी गुणवंती गुजरात,
नमीए नमीए मात, अमारी गुणवंती गुजरात ।
मोघेरा तुज मणि-मंडपमां झूकी रद्दा अम शीश;
मात मीठी तुज चरण पडीने, मांगीए शुभ आशीष । अमा०
मीठी मनोहर वाडी आ तारी नःनवन शी अमोल,
रस फूलडां वीणतां वीणतां त्यां करीए नित्य कल्लोल । अमा०
संत महंत अनंत वीरोनी बहाली अमारी मात,
जयजय करवा तारी जगत मां अर्पण करीए जात । अमा०
कंडा घोर अरण्य विशे के सुन्दर उपवन मांय,
देश विदेश अहोनिश अंतर एकज तारी छांय । अमा०
सर-सरिता रसभर अमी झरणां रन्नाकर भरपूर;
पुण्यभूमि फल फूल झझूमो मात रमे अम उर । अमा०
हिन्दु मुसलमिन पारसि सर्वे मात अमे तुज बाळ;
अंग उमंग भरी नवरंगे करीए सेवा बहु काळ । अमा०
उर-अमात सभा अजवाळी, टाळी दे अंधकार;
एऊ स्वरे सहु गगन गजवतो करीए जय जयकार । अमा०

कर्म-भूमि

कर्म-भूमि पूजवाने जइए रे,
हो ब्हेनिओ !

कर्म-भूमि पूजवाने जइए रे ।
शंखनाद जोर थी फुंकाय छे,
हो ब्हेनिओ !

कर्म-भूमि पूजवाने जइए रे ।
जुल्मनी लगाम सामे
धैर्यथी भभूमता
वीर ए खेडूतने
बधाविए रे, हो ब्हेनिओ !

कर्म-भूमि पूजवाने जइए ।
संत्य टेक पाळवा
रणे चढी उभा रह्या,
निरखीने त्याग,
धन्य थइए, रे हो ब्हेनिओ !

कर्म-भूमि पूजवाने जइए ।

शौर्य ने उदारतानी

भाव-भोळी मूर्ति शी

नारीओने नंहे

नमन करीए रे, हो ब्हेनिओ !

कर्म-भूमि पूजवाने जइए ।

लोभ, ब्हीक, मृत्युने

जरीय ना पिछानती,

पुण्य-भूमि ने सहु

प्रणामीए, हो ब्हेनिओ !

कर्म-भूमि पूजवाने जइए

अयोत्सना शुक्ल





श्रीमती पू० कस्तूर बा गांधी

विजयी वारडोली

विजयी वार डोली

निर्वल के वल राम

“धर्म-युद्ध में स्वयं परमात्मा भाग लेते हैं। वे चढ़ा-इयों के कार्यक्रम बनाते हैं और लड़ाई का संचालन स्वयं करते हैं। धर्म-युद्ध में कोई दवाव छिपाव की बात नहीं होती, छल-कपट के लिए कोई स्थान नहीं होता, और न असत्य के लिए कोई गुञ्जाइश होती है। ऐसे युद्ध अपने-आप आते हैं। उन्हें ढूँढ़ने की नहीं जाना पड़ता, और एक धार्मिक पुरुष सदा उनका स्वागत करने को तैयार रहता है। धर्म-युद्ध तो परमात्मा के नाम पर ही छेड़ा जा सकता है— और परमात्मा उसकी सहायता तभी करते हैं जब सत्याग्रही अपने आपको बिल्कुल असहाय पाता है, वह अपना सारा वल आजमा लेता है, उसकी असहाय आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जब वह अपने आपको चरणों के नीचे की रज से भी अधिक नम्र समझने लगता है।”

—गांधीजी



“मेरेक प्राण”

विजयी नारडोली

?

पुराय-दर्शन

नवीन शक्ति का उदय


सन् १९२१ के पहिले, सूरत जिले के लोगों के सिवा, कदाचित ही किसी ने बारडोली का नाम सुना हो । पर उसी अज्ञात् बारडोली का नाम—उसकी कीर्ति आज केवल देश भर मे ही नहीं, दशों दिशाओं में फैल गई है । आज उसने देश में नयी आशा और नवजीवन का संचार कर, हतोत्साह अगुआओं के हृदयों में नवीन उत्साह भर दिया है । केवल स्त्रियों, किसानो और पिछड़ी हुई जातियो के बल पर देश में आज तक कोई इतना बड़ा आन्दोलन नहीं उठाया गया था । न स्वयं उन्होंने ही कभी देश के राजनैतिक आन्दोलनों मे इतना भाग लिया था । बारडोली ने इस सोई हुई शक्ति को जगाकर देश को उसका अनुभव करा दिया है । अभी तक हम ग्राम-संगठन की केवल बातें ही किया करते थे । किन्तु बारडोली ने हमें दिखा दिया है कि यदि ग्राम-संगठन अच्छी तरह किया जाय तो किस प्रकार उसकी सहायता से असम्भव बात भी सम्भव करके

विजयी बारडोली

दिखाई जा सकता है। देश में अभी तक सरकार की सत्ता अजेय समझी जाती थी। बारडोली ने अपने सत्य, बल और दृढ़ता से उसी अजेय सत्ता को पराजित कर, देश के— नहीं, संसार के सामने एक नया आदर्श उपस्थित कर दिया है। किसी जाति या देश के स्वाधीनता-प्राप्ति के मार्ग में यदि कोई सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा विघ्न है, तो वह है शासक-सत्ता का भय—उसका आतङ्क। बारडोली ने अपने आत्म-बल से उस भय की निस्सारता प्रकट कर यह सिद्ध कर दिया है कि देश यदि अपने इस मिथ्या भय को दूर कर अपने अधिकारों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए निर्भयता-पूर्वक उठकर खड़ा हो जाय, तो संसार की बड़ी में बड़ी और शक्तिशाली से शक्तिशाली सरकार भी उसे अपने उद्देश्य की सिद्धि से रोक नहीं सकती।


आश्चर्य-जनक संयोग

निस्सन्देह यह एक बड़ा विचित्र और अत्यन्त आश्चर्य-जनक संयोग कहा जायगा कि जिस जगह से अंग्रेजों ने सबसे पहिले भारत में पदार्पण किया, सबसे पहिले वहीं से उनके पैर उखड़ें। देश की राजनैतिक गति-विधि पर सजग दृष्टि रखने वालों से छिपा न होगा कि जिस समय सन् १९२१ में महात्मा जी सत्याग्रह की घोषणा करने वाले थे, उस



विजयी बारडोली

बारडोली—पुष्पाकार नक्षी




राष्ट्र-ध्वज
(सत्याग्रही प्रतिज्ञाएँ ले रहे हैं ।)

विजयी वारडोली



रानी परज के पुरुष

विजयी बारडोली



रानी परज की खियाँ

विजयी बाराडीली
५

समय इसके लिए दो ताल्लुके अप्रसर थे—खेड़ा का आणन्द और सूरत का बारडोली ताल्लुका । दोनों में प्रतिद्वन्द्विता होनेपर जब त्रयोवृद्ध अन्वास तैयबजी आणन्द ताल्लुके में सबसे पहिले सत्याग्रह आरम्भ करने के पक्ष में अपनी सब दलीलें दे चुके, तब श्री कल्याणजी भाई देसाई ने अपने बारडोली ताल्लुके के पक्ष में सबसे ज़बर्दस्त यही दलील दी थी । उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि “अंग्रेजों ने, भारत में सबसे पहिले सूरत के द्वार से प्रवेश किया था, वहीं सबसे पहिले अपनी कोठी स्थापित की और फिर शनैः शनैः वहीं से उनकी सत्ता सारे देश में फैली थी । ऐसी दशा में अब, जब कि देश से उनकी इस सत्ता के मिटाने का अवसर आया है, तो वह सम्मान भी सबसे पहिले सूरत को ही मिलना चाहिए । सूरत ने उन्हें अपने देश में घुसने का मार्ग देकर पाप किया है । अतः उसी मार्ग से उन्हें बिदाकर उसका प्रायश्चित्त करने—उस पाप को धोने के लिए भी सबसे पहिले यह अवसर सूरत को ही दिया जाना चाहिए ।” कल्याणजी भाई की यह दलील काम कर गई और फैसला बारडोली के पक्ष में लिखा गया । सत्याग्रह का शंखनाद हुआ, वाइसराय को अन्तिम चुनौती दी गई और बारडोली अपनी चतुरंगिणी लिये सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा में आगे आ खड़ा हुआ । किन्तु चौरीचौरा ने सब कुछ

विजयी बारडोली

चौपट कर दिया। सेनापति ने युद्ध रोक दिया; बारडोली को सहमकर चुप हो जाना पड़ा। किन्तु मालूम होता है, बारडोली के हृदय में सच्ची लगन थी। वह अपने जिले के सिर से उक्त कलङ्क को घोने के लिए हृदय से उत्सुक था। इसी प्रकार मालूम होता है उधर ताप्ती नदी के तीर पर खड़ी हुई अंग्रेजों की वह पुगनी कोठी भी उनके यश, वैभव और सत्ता के अनेक दृश्य देख चुकने के बाद, भारत की 'सूरत' पर लगी हुई इस कलङ्क-कालिमा के धुलने की प्रतीक्षा में उत्सुक दृष्टि लगाये अभी तक इसीलिए खड़ी जी रही है।

विशाल उद्यान

सूरत से रेल में बैठ कर जब हम ताप्ती बेली रेलवे में सफर करते हैं तो मालूम होता है कि हम किसी विशाल उद्यान की सैर कर रहे हैं। प्रदेश बड़ा ही रमणीय है। गुजरात भारत का उद्यान है तो सूरत उसकी एक मनोहर वाटिका और बारडोली उस रम्य वाटिका का खिला हुआ गुलाब है। कोसों तक टीले-टेकरियों का नाम नहीं। दोनों तरफ हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं और स्थान-स्थान पर आम्र वृक्षों के झुण्ड खड़े हुए हैं। कहीं-कहीं बड़े-बड़े वृक्षों की कतार-की-कतार टेढ़ी-मेढ़ी चली गई है। उन पर

बेले - चढी हुई हैं, और आस-पास अगणित छोटे-छोटेवन्य वृक्षों के पौधे खड़े हैं । इन्हे देख कर सहसा यह अनुमान होने लगता है कि मानो तामी या नर्मदा की कोई प्यारी सखी अपनी भेंट लिए उनसे मिलने के लिए आतुर हो दौड़ी जा रही है । मानो वन के देवी-देवता लता-वृक्षों का रूप धारण कर उसके मार्ग पर खड़े हो मुक कर यह कौतुक देख रहे हैं. और अपनी श्रद्धा के अनुसार स्वयं भी उसके अंचल में भगवान् रत्नाकर की पूजा के लिए पत्र-पुष्प डाल रहे हैं ।

एक ओर जहाँ इस स्वर्गीय सौंदर्य को देख कर हम मस्त हो जाते हैं वहाँ दूसरी ओर एका-एक इन्जिन का धुँआ हमारा दम घोटने लगता है । हम मृत्युलोक में लौट आते हैं । मुँह खिड़की के भीतर कर लेते हैं । और वहाँ क्या देखते हैं ? चौदहवीं और पंद्रहवीं सदी की वीरांगनाओं का नया संस्करण । वे बारडोली की किसान स्त्रियाँ हैं । पर्दे के किलों को तोड़ फोड़ कर यहाँ शुद्ध निर्दोष सौंदर्य अपने तेज और पवित्रता से पुरुष-हृदय के विकारों को अपने एक स्वैर-कटाक्ष मात्र से लज्जित और हृदय-प्रवेश से बहिष्कृत कर देते हैं । हमेशा परदे के वायु-मण्डल में रहनेवाले उत्तर भारत के निवासी की आँखें इन स्वतन्त्र

देवियों को देख कर नीचे झुक जाती हैं । पर वहाँ संकोच नहीं । और

चिया गोम जवाना व्हाई ?

“भाई आप किस गाँव जा रहे हैं ?” यह सवाल उनके मुँह से सुनते ही उसे आश्चर्य होता है । संकोच भी भाग जाता है । वह अपनी अज्ञात बहनो के दर्शन करता है । और एक दूसरे की भाषा अच्छी तरह न समझने पर भी यह जानने में उन दोनों को देरी नहीं लगती कि यह कोई राम और कृष्ण के प्रदेश का भाई हमारे यहाँ यज्ञ-देवता के दर्शन करने आया है ।

कच्छ लगे हुए हैं, पाँव घुटने से उपर तक खुले हैं । साड़ी वगैरा पहनने में भी, शरीर ढाँकने के अतिरिक्त अधिक नाज नखरा नहीं है । जोर जोर से बातें कर रही हैं । स्पष्ट ही उनकी बातचीत का विषय सत्याग्रह के सिवा और क्या हो सकता है ? उनके तेज, स्वाभिमान, निर्भयता पवित्रता को देख कर मेरे चित्त में एक अननुभूत आनन्द का स्रोत उमड़ आया । अहा ! वह पुराय भूमि कैसी होगी ?

पर यह कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पुराय है वहाँ सुख और समृद्धि भी है । इन बहनो को अपनी बातों में छोड़ कर हम इधर-उधर नजर दौड़ाते हैं तो मूर्तिमान दुःख तथा दारिद्र्य का दर्शन करते हैं । किसी के बदन पर कपड़ा

है तो बांह का पता नहीं और बाँह है तो पीठ हवा खा रही है। शरीर तो हड्डियों का ढांचा मात्र है। आँखें धँसी हुई—गहरीं, मुँह सूखा और पेट कमान बन रहा है। अरे ! ऐसी स्वर्गीय भूमि के निवासी इतने दरिद्र ! ऐसे भूखे ॥ पर उन गहरी धँसी हुई आँखों में भी एक तेज है। मानों दुःख के परदों में से सुख मांकता हो, मानो पत्थरों की राशी में दबा हुआ रत्न अपनी दोषि फैला रहा हो। वह अंतर्ज्योति अपने बाह्य स्वरूप पर एक सौम्य प्रकाश डालते हुए संसार को कह रही थी कि सच्चा सुख कोई दूसरी वस्तु है।

बारडोली ताल्लुका बीस मील लम्बा और लगभग उतना ही चौड़ा भी है। कहीं कम है तो कहीं ज्यादा। मीलो में ताल्लुके का रकबा २२२ मील के करीब है। तामी, मिढोला और पूर्णा इन तीन बड़ी-बड़ी नदियों के प्रतिरिक्त और भी कई छोटी-छोटी नदियाँ इसकी उर्वर भूमि को सींच रही हैं। उत्तर में ताप्ती बहती है। पूर्व और पश्चिम में बड़ौदा के महाराजा और दक्षिण में कुछ गायकवाड़ी राज्य हैं और कुछ जलालपुर ताल्लुके का हिस्सा है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी हिस्से की जमीनें अधिक अच्छी हैं। सीमापर कुछ जंगल भी आ गये हैं। पूर्व के गांव, जंगली पहाड़ी, और दरिद्र हैं। वर्षा भी

विजयी बारडोली

कुछ कम रहती है, पश्चिमी हिस्से की जमीन बड़िया काली है, जिसमे ज्वार, कपास, चावल आदि कई प्रकार की फसलें पैदा होती हैं ।

कौन हैं वे वीर

बारडोली का प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है । और इस नन्हें से ताल्लुके का इतिहास ही क्या होगा ? संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि इम समय यहाँ की जनता दो मदान हिस्सो मे बँटी हुई है—एक उजली परज और दूसरी काली परज, जिसे आजकल रानी परज भी कहा जाता है । ताल्लुक में छोटे-मोटे कुल १३२ आबाद गाँव हैं, जिनमे लगभग ८७००० से कुछ अधिक स्त्री-पुरुष और बालक रहते हैं । जो नीचे लिखी जातियो मे इम प्रकार बँटे हुए हैं ।

उजली परज ३२,०००

कणबी भथवा पाटीदार २०,०००

अनाविल ब्राह्मण ६०००

मुसलमान ४०००

महाजन ३०००

रसी ५००

जपूत, कोली वगैरः ४५००

पुण्य-दर्शन

रानी परज ४६,०००

ढोडिया, गामीत, चौधरी ११,०००

दुबला २८,०००

इस तरह ताल्लुके में यों तो बहुत सी जातियाँ रहती हैं, परन्तु प्राधान्य तो वहाँ कणवी जाति का ही है। कणवी—कुणवो कूर्मी क्षत्रियों की एक शाखा है। यह बड़ी परिश्रमी और आन वालो जाति है। अपनी दृढ़ आन के कारण सन् १९२१ से यह जाति महात्माजी से बचनबद्ध होकर असहयोग के मैदान में कूद पड़ी थी और इस बार भी इसीने भी वल्लभ भाई के नेतृत्व में यह जोखिम भरी लड़ाई छेड़ी थी। वैसे साधारण दृष्टि से देखने पर किसी के चित्त पर इस जाति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। न इसकी आंखों में युद्ध की वह चमक दिखाई देती है न वाणी में विशेष उत्साह। बाहु भी कोई बहुत पीन नहीं। बातचीत सादी। उसमें न विशेष बुद्धि दिखाई देती है न कोई चतुराई।

बहुत से किमान सन १९२१ से गांधी टोपी पहनते हैं। कहा जाता है कि वे उस जमाने में खूब कातते भी थे, पर अब तो उन्होंने सब छोड़-छाड़ दिया है। हां, गांधी टोपी अभी नहीं छोड़ी है। भले घुरे दिखने की वे विशेष पर्वा नहीं करते। उनकी विचित्र पगड़ियां, ऊँची-ऊँची दिवाल्लों

विजयीं बारबोली

वाली टोपियां और धोती बांधने का अजीब ढंग देख कर आप अपनी हंसी को शायद ही रोक सकें ।

‘जब कोई काम नहीं होता, तब ये लोग चौपाल में जा बैठते हैं और तमाखू के धूँए के बादल आकाश में उड़ते हैं । चिलम अथवा बनी-बनायी बीड़ियों का उपयोग वे कम करते हैं । अपनी जेब में तमाखू और टेन्टू की सूखी पत्तियां रखते हैं । उधर मुँह से बात-चीत होती रहती है, इधर इन पत्तों में तमाखू रख कर उनके हाथ अच्छी मोटी बीड़ी बनाते रहते हैं । शिक्षा का सर्वथा अभाव नहीं, तो उसकी महान् कमी अवश्य है । मैट्रिक पास कएगी तो कदाचित ही उंगलियों पर गिने जा सकने जितने भी निकलें । किन्तु कार्य और दृढ़ता में यह जाति जितनी सजग और अटल है, वह अब किसी से छिपा नहीं है ।

कएगी ही पाटीदार भी कहलाते हैं । उनके दो मुख्य भेद हैं कड़वा और लेवा । मतिया और उदा इनके दो उपभेद हैं, और दोनो कबीर के भक्त हैं । पर उदा पाटीदारों पर मुस्लिम-संस्कृति का असर अधिक पाया जाता है । ऐसा मालूम होता है कि पुराने ज़माने में किसी बादशाह या मुस्लिम धर्म प्रचारक साधु के प्रभाव में आ जाने से ऐसा हुआ है । वे अपने धर्म-गुरु को महन्त कहते हैं ।

अन्य जातियों के प्रभाव से उनमें कन्या-विक्रय कही-कही होता देखा गया है। उत्तर हिन्दुस्तान तथा महाराष्ट्र में जो वर-विक्रय होता है, वह यहां नहीं पाया जाता। उदा-पाटीदारों की लगन-विधि बड़ी सरल है। महन्त आता है, वर-वधू का हथ-लेवा (पाणि-ग्रहण) करा देता है, कुछ कबीर के भजन गाये जाते हैं, और लोग हलवा खा लेते हैं कि हो गया विवाह। इसी प्रकार मरण-मृत्यु-सम्बन्धी रिवाज भी बड़े कम खर्चीले हैं।

कड़वा और लेवा पाटीदार पावागढ़ वाली 'माताजी' के बड़े भक्त हैं। कण्ठी जाति के इस फिर्के के लोगो की मध्य-भारत के नेमाड़ तथा मालव-प्रदेश में भी काफी आबादी है। लेखक को कई बार उनके संसर्ग में आने का अवसर मिला है। वहां उसे खास कर इनके विवाह-विधि के सम्बन्ध में कई विचित्र बातें मालूम हुईं। सब से पहिली बात तो यह है कि इन लोगो में बारह वर्ष में एक बार विवाह होता है। कहा जाता है कि पहिले समय में उसकी अवधि इनकी उपास्य देवी 'माताजी' निश्चित करती थी। पावागढ़ पर माता जी का जो मन्दिर है, उसका पुजारी बारहवें वर्ष एक दिन मन्दिर में दवात-कलम और कागज रख पट बन्द कर देता। दूसरे दिन पट खुलने पर कागज पर विवाह-तिथियो की अवधि लिखी मिलती। लोग यह विश्वास करते थे, कि यह

अवधि माताजी ने स्वयं लिखी है। तदनुसार उसी अवधि के अन्दर जाति भर के लोग अपने अपने लड़के लड़कियों के विवाह की तिथि निश्चित कर सम्बन्ध कर देते थं। इस प्रकार बारह वर्ष में एक बार अवसर आने से विवाह-शादियों की इतनी धूम हो जाती कि बहिन भाई की शादी में और एक भाई दूसरे भाई के विवाह में मुश्किल से शरीक हो पाते थे। अवश्य ही इससे कई बार पैसे की बरबादी तो बहुत कुछ रुक जाती थी। कपड़े गहने के खर्च के सिवा ५०—६० रुपये में बड़े मजे में विवाह-कार्य सम्पन्न हो जाता था। किन्तु इसके कारण उनमें बालविवाह की एक बड़ी जबरदस्त बुराई घर कर गयी। बारह वर्ष की लम्बी अवधि में एक बार अवसर मिलने से, वे धैर्य्य न रख सके और मोह में आकर पलने में झूलने वाले ४—६ मास के नन्हे-नन्हें बच्चों तक का विवाह करने लग गये। इससे समाज में बड़ा दुराचार फैल गया है। फिर भी वहां यह प्रथा अभी जारी है। किन्तु मालूम होता है, बारडोली की ओर यह रिवाज नहीं है। अब वहां १४ वर्ष से पहिले लड़की और १८ वर्ष की आयु से पहिले लड़के का विवाह न करने का नियम बन रहा है और विवाह का एक समय निश्चित करने तथा खर्च को नियमित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कणबी जाति में एक खास विशेषता और है। वह है, उनके रहन-सहन के नियमों की एकता एवम् उनका 'जूथ-बल'। मकान देखिए, तो सबके एक नमूने के। सबमें वही एक से बड़े-बड़े कमरे, वही एकसी छत; एकसी तस्वीरें, और ता क्या, घर में बनी हुई मिट्टी की कोठियों का नमूना भी सब जगह एकसा और जानवर बांधने की भी वही व्यवस्था। ❀ सारांश इन लोगो ने जिस किसी बात को पकड़ा, सबने एकसा पकड़ा और जब एक बार पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं जानते, चाहे उसके लिए उन्हें बरबाद ही क्यों न हो जाना पड़े। यदि इन लोगों में इतनी एकता और ऐसी दृढ़ता न होती तो क्या ये दक्षिण अफ्रिका तक के लम्बे-लम्बे सफर कर सकते और ऐसी जोखिम भरी लड़ाइयों में अपने प्राणों की बाजी लगा सकते थे ?

कहा जाता है कि आज से कोई चार सौ वर्ष पूर्व इस ताल्लुके में केवल जंगल ही जंगल थे। खेड़ा और सिद्धपुर

❀ ये लोग जानवरों को अपने साथ घर में रखते हैं। घर को दो बड़े हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक हिस्से में जानवर रहते हैं, दूसरे में वे स्वयम्। इससे जानवरों का जीवन कुछ मनुष्यों का सा हो जाता है, तहां मनुष्यों का जीवन भी कुछ पशुओं का सा हो जाता है।

विजयी बारडोली

की तरफ से आज के कणबियो के पूर्व-पुरुषों ने आकर इस ताल्लुके को आबाद किया है और यहां की आदिम निवासी दुबली आदि जातियो को अपने वश मे कर जंगल में मंगल कर दिया और इस प्रदेश को खेती तथा रहने लायक बना दिया ।

उजली परज की जन-संख्या समस्त ताल्लुके मे लगभग ३८००० है । इनमे संख्या के लिहाज से उपर्युक्त कणबी ही सब से अधिक हैं ।

बारडोली के इन कणबी पाटीदारो की स्त्रियां खेती के काम में बड़ी मज्दूत और दक्ष हैं । कुछ लिखी पढ़ी भी हैं, जिससे हिसाब-किताब का काम काज भी थोड़ा बहुत कर लेती हैं । जब कभी पति या घर के पुरुष कही अधिक समय के लिए बाहर चले जाते हैं, तो खेती आदि का काम रुका नहीं रहता । फलतः किसानो का जीवन बड़ा सुखी है ।

मानव-इतिहास एवं चरित्र से परिचित व्यक्तियो से यह छिपा नहीं कि केवल स्त्रियो के आँसुओ ने ही कितनी वीरात्माओ को कायर बना दिया है ? केवल उनकी चिन्ता ने कितने वीर पुरुषो को अपने कर्तव्य से पराङ्मुख कर दिया है ? इसके विपरीत दृढ़ निश्चयी, पढ़ी-लिखी तथा अपने पैरो पर खड़े रहने की

हिम्मतनाली स्त्रियां पुरुषों को उनके कार्य में, किस प्रकार दूना बल देती हैं। बारडोली की पाटीदार बहनों ने भी यही किया। उन्होंने पुरुषों को अपनी तरफ से निश्चिन्त कर कह दिया कि 'जाओ, हमारी चिन्ता न करो, अधिकार-रक्षा के इस युद्ध में सुख से लड़ो और विजय सम्पादन करके ही घर में पैर रखो।' बड़ी धारा सभा के अध्यक्ष श्री विठ्ठलभाई पटेल, तथा बारडोली सत्याग्रह संग्राम के अधिनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी जाति के रत्न हैं।

“अनाविल” इधर के ब्राह्मणों की एक शाखा है। यह जाति सुशिक्षित और अग्रगामी भी है। इस जाति ने भी देश को कई रत्न अर्पण किये हैं। पू० महात्माजी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीमहादेव भाई देसाई इसी जाति के भूषण हैं।

उजली परज की शेष जातियों में महाजन (वैश्य) और पारसी व्यापार में लगे हुए हैं। महाजन लेन-देन का और कपास का व्यापार करते हैं और पारसी प्रायः कपास और शराब का। मुसलमान न शिक्षा में बढ़े-चढ़े हैं, न व्यापार में।

अरे, यहा यह क्या है ?

रानी परज में कई जातियां हैं। उनकी कुल संख्या

विजयी बार्डोली

गुजरात में चार लाख के करीब है। दुबला इन्हीं में से एक जाति है। उसकी संख्या बारडोली में सब से अधिक अर्थात् लगभग ३८,००० है। दुबलाओं का जीवन बड़ा कठोर एवं दुःख-मय है। उनके न कहीं जमीन है, न कोई जायदाद। वे तो खरीदे हुए गुलामों की भांति किसानों के यहां नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्र रूप से रोजाना पैसे लेकर नौकरी करने वाले कोई हजार में एक दो दुबले भले ही हो। उनकी मजदूरी की प्रथा नीचे लिखे अनुसार है।

दुबलाओं का लड़का सात आठ साल का हुआ कि वह ढोर चराने का काम शुरू कर देता है, इसके बदले में उसे सुबह खाने के लिए रोटी मिलती है, और इसके सिवा पहनने को साधारण कपड़े, जूते, तथा सालाना छः से लेकर बारह रुपये तनखाह मिलती है। यह लड़का जब १८-२० वर्ष का होता है, तब वह अपनी शादी के उद्योग में लगता है। दुबला के लिए शादी करना १५०-२००) का नुस्खा है। ये रुपये वह प्रायः उसी किसान से लेता है, जिसके यहां वह जानवर चराता है। रुपये देने पर किसान दुबले का “धणियामा” कहलाने लगता है। अब कर्जदार दुबला इस किसान को छोड़ कर और किसी के यहां नौकरी नहीं कर सकता। हां, उसकी स्त्री कहने

के लिए जरूर स्वतंत्र होती है। पर सुबह गायों का गोबर निकालने, उपले बनाने तथा झाड़ने बुहारने के लिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति के धणियामा के यहां जाना पड़ता है। इससे स्त्री का सुबह का प्रायः सारा समय इसीमें लग जाता है। बदले में उसे कुछ खाने के लिए, एक साड़ी तथा ऊपर से दो तीन रुपये—इस तरह वर्ष में कोई १०-१२) का औसत पड़ जाता है। इस प्रकार पति तो खाने कपड़े का गुलाम होता है। स्त्री भी एक प्रकार से अर्द्ध गुलाम सी रहती है। यह प्रथा दुबला और किसान दोनों के लिए हानिकर है। दुबला के तो सारे जीवन की गति ही कुण्ठित हो जाती है और किसान को ऐसे नौकर से कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसका दिल काम में न हो। और जब महज खाने कपड़े पर ही रहना है, तो दुबला भी जी-जान से मिहनत क्यों करना चाहेगा? उसके लिए तो नफा और नुकसान एक सा है। और खर्च तो पूरे एक आदमी का किसान को लगता ही है।

इस घृणित प्रथा को मिटाने की तरफ अब गुजरात के नेताओं का ध्यान आकर्षित हो चुका है और यह आशा की जा सकती है कि वह बहुत शीघ्र उठा दी जायगी।

काली परज से रानी परज

चौधरी, ढोडिया, गामीत वगैरा काली परज की शेष जातियो का नाम है। इनकी संख्या लगभग ११००० के है। ये भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। परम्परागत रूढ़ि के अनुसार बच्चे के पैदा होते ही उसके मुँह में शराब की बूँदें डाली जाती हैं। यह एक धार्मिक विधि है, और बड़ा भारी शकुन समझा जाता है। संसार में आते ही जिसका प्रथम संस्कार शराब से हो, यदि वह जीवन भर शराब के नशे में ही मस्त रहे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? पर यहां तो आदमी के मरने पर भी उसकी लाश पर शराब का “पवित्र” मिचन होता है।

साहूकारों का जाल

ताल्लुक के इस पश्चिमी जंगली हिस्से की जमीन जिसमें कि ये जातियां बसी हुई हैं, घटिया है। यहां की आबो-हवा (जल-वायु) भी अच्छी नहीं रहती। मले-रिया का उपद्रव प्रायः बना ही रहता है। जमीन घटिया होने के कारण उपज भी कम होती है। फिर भी इन जातियो की रहन-सहन सादी होने के कारण वे किसी तरह अपना जीवन-निर्वाह कर लेती । किन्तु उपर्युक्त एक बुराई—शराब खोरी—के कारण उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। यह इन्हे साहूकारों के जाल में फँसा देती है।

जाल भी ऐसा वैसा नहीं, उसके बन्धन दिन-दिन कठोर ही होते जाते हैं। एक बार फंसने पर कालीपरज का गरीब आदमी उसमें से निकल नहीं सकता। पहले तो ब्याज का दर भारी, फिर यह शर्त कि कर्जदार रुपये चाहे एक महीने में अदा करे या पांच दिन में, ब्याज तो वही पूरे एक वर्ष का देना पड़ेगा। इससे लोगो की यह परिस्थिति हो गई है कि अकाल के वर्ष में तो कर्जदार को खाने तक को नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वह कर्ज कहां से चुकाए? साहूकार तब कर्ज के बदले कर्जदार की जायदाद कम-से-कम कीमत में ले लेता है। इसी तरह जब वह कर्जदार से माल लेता है तब भी उसे उस भाव से जमा करता है, जो साल भर में कम से कम होता है। इसके विपरीत उसे खाने को नाज या बोनो के लिए बीज देते समय साल भर में जो महंगे से महंगा भाव रहा हो, वही लगाया जाता है। इस तरह अनेक प्रकार से कर्जदार को बिलकुल दर-दर का भिखारी करके छोड़ दिया जाता है। नहीं, इतने पर भी वह सर्वथा छुटकारा नहीं पाता। भला साहूकार को ऐसा सस्ता दूसरा नौकर कहां मिल सकता है? वह उससे जमीन छीन कर फिर उसीको आधे हिस्से पर जोतने के लिए देता है, और फसल के हिस्से करते समय भी तरह-तरह से उसे लूटता ही रहता है।

विजयी बारडोली

अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव

सन् १९२२-२३ में काली परज में अकस्मात् एक भारी जागृति की लहर उठ खड़ी हुई। छोटी-छोटी लड़कियों के शरीर में किसी अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा, जिससे वे लोगो में शराब छोड़ देने और चरखा चलाने का प्रचार करने लग गईं। स्त्री-पुरुषो के चित्त पर इसका बड़ा ज़बर्दस्त असर पड़ा। सैकड़ो नही, हजारो स्त्री-पुरुषो ने शराब, ताड़ी तथा मरी-मांस छोड़ दिया और वे शुद्ध-जीवन व्यतीत करने लग गये। परन्तु उस समय इस विशाल-जागृति से उत्पन्न होने वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए काफी संगठन नही था। इसलिए लोग अपनी प्रतिज्ञायें तोड़-तोड़ कर फिर शराब पीने लग गये। फिर भी सैकड़ों लोग अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ भी रहे। इसका कारण था चरखा। १९२१ का सत्याग्रह स्थगित होने पर भी बारडोली में कुछ कार्यकर्ताओ ने स्थायी रूप से खादी का काम शुरू कर दिया था। वे कार्यकर्ता जितने काली परज के भाई बहनो के पास पहुँच सके, वे फिर शराब के पंजे में नहीं फंसे।

सन् १९२१ में बारडोली की जनता ने महात्माजी के सामने दो प्रतिज्ञायें की थी। एक तो यह कि बाहर से कोई कपड़ा नहीं मँगावेंगे, दूसरे यह कि अंत्यजों को हर तरह से अपनावेंगे। सत्याग्रह स्थगित हो जाने पर चरखा-प्रचार के

इस काम में जनता की सहायता करने के लिए महात्माजी ने स्व० मगनलाल भाई गांधी को बारडोली भेजा और बारडोली, सरभोण, वांकानेर, वराड, बालोड में आश्रम खोलकर कताई-बुनाई सिखाने का प्रबन्ध किया गया। शनैःशनैः इस काम का विकास होता गया, और बेड़छी में श्री० चुन्नीलाल मेहता नामक कुशल और एकनिष्ठ कार्यकर्ता के आधिपत्य में आश्रम खुलने पर उजली पर की अपेक्षा काली परज में रचनात्मक कार्य खूब तेजी से होने लगा।

तब से काली परज में बराबर काम बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिवर्ष इनकी परिषदे और प्रदर्शनियां होने लगीं। अन्त में सन् १९२६ में जब खानपुर में पूज्य महात्माजी की अध्यक्षता में कालीपरज जाति की एक विराट-परिषद् हुई, उसमें इस जाति को काली परज के बजाय रानी परज का नाम अर्पण कर दिया। तब से श्री० चुन्नीलाल मेहता तथा उनकी वीर पत्नी के प्रयत्न से रानी परज की आर्थिक दशा बहुत कुछ सुधरती जा रही है। श्री० लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम और श्री० जुगताराम दवे द्वारा इस जाति के लिए एक स्कूल भी खोल दिया गया है। इस स्कूल ने रानी परज जाति के लिए कई उत्तमोत्तम सेवक निर्माण किये हैं और जाति को सुसंगठित करके एक सूत्र में बांध दिया है। चरखा और खादी के साथ-साथ और भी कितने ही सामाजिक सुधारों

विजयी बारडोली

का काम इस जाति में बड़े जोरों से चल रहा है।

रानी परज में चरखा

डॉ० चन्द्रलाल देसाई, जो इस सत्याग्रह संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। पहले चरखे में विश्वास नहीं करते थे। पर इस बार जब बल्लभभाई के सेनापतित्व में सत्याग्रह-संचालन के लिए बारडोली गये तो वे चरखे का प्रभाव देखकर दंग रह गये और तब से इसके भक्त बन गये। यहां तक कि अब वे कहते हैं कि “समाज सेवक मॅजिक लॅण्डर्न और सीनेमा के जरिये शराब बन्दी का उद्योग करते हैं, जिसमें हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर भी उनसे जो काम नहीं होता, वह चरखा अनायास कर गुजरता है। मैं स्वयं चरखे को ढकोसला समझता था। परन्तु बारडोली की “रानी परज” में चरखे ने जो अद्भुत शुद्धि का काम किया है, उसने उसके प्रति मेरे दिल में केवल श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं कर दी, बल्कि मुझे उसका भक्त और प्रचारक बना दिया है। चरखा जहां भी कही गया है, शराब वहां से बिदा हो गई है। यही नहीं, चरखा तो सर्वाङ्गीण शुद्धि का प्रचारक हो रहा है। उसने इस पिछड़ी हुई जाति के सैकड़ों परिवारोंके समस्त जीवन को ही बदल दिया है। वह रानी परज के भाई बहनो की गंदगी, असत्य तथा दारिद्र्य को दूर करके उन्हें साफ-सुथरे, सच्चे, ऋणमुक्त और सुखी बना देता है,

और अन्त में अज्ञान के आवरण को दूर करके कातनेवाले को चुपचाप राम-नाम की भी शिजा देता है ।” रानी परज जाति को चरखे का संदेश सुनाने के लिए आज बारडोली में कई आश्रम खुल गये हैं । जिनकी बदौलत छः साल पहले की रानी परज जाति में और आजकल के सत्याग्रही रानी परज भाई-बहनो में जमीन आस्मान का अंतर हो गया है ।

व्यापार और शिजा

बारडोली में व्यापार तो केवल कपास का ही होता है, जो महाजनो (वैश्यो) और पारसियो के हाथों में है । सूरत की कपास देश भर में विख्यात है । बारडोली, मढ़ी, वालोड, बाजीपुरा और बुहारी इस व्यापार के केन्द्र हैं । इनमें से प्रत्येक स्थान में काफी जीनघर तथा प्रेस हैं । व्यापार के सहारे महाजनो ने अपने पास जमीनें भी खूब कर ली हैं । यहाँ की जनता में परदे के सिवा उत्तर भारत की प्रायः सभी कुरीतियाँ मौजूद हैं । फिजूल-खर्ची तथा मिथ्याभिमान की मात्रा भी कम नहीं है । एक के देखा-देखी दूसरा भी मूठी प्रतिष्ठा के ख्याल से अपना शक्ति से अधिक खर्च कर डालता है और अपने सिरपर कर्ज का बोझ बढ़ा लेता है ।

पारसियो की संख्या है तो बहुत कम, पर यह जाति स्वभावतः व्यापार-कुशल है । हर कस्बे में पारसियो की एक दो अच्छी सी दूकानें जरूर दिखाई देती हैं । इन्हीं लोगोने

विजयी बारडोली

शराब का ठेका भी ले रक्खा है, और इसके जरिये वे रानी परज की तमाम जमीनो पर अधिकार करते चले जा रहे हैं।

शिक्षा

बारडोली में शिक्षा की अवस्था वही है जो देश में अन्यत्र है। वालोड बारडोली का एक महाल है।

लड़कों की शालायें (प्राथमिक)

	१९०८		१९१६		१९२४	
	शा० औसतवि०	शा० औसतवि०	शा० औसतवि०	शा० औसतवि०	शा० औसतवि०	
बारडोली	२४	११६३	३४	२१४०	२८	१८७२
वालोड	६८	६३१	६८	८४३	२१	८७७

अंगरेजी शालायें—

बारडोली	२	२७	३	९५	२	७९
वालोड	१	६	१	९	X	X

कन्या-शालायें—

बारडोली	५	१६२	७	३९१	६	३४१
वालोड	२	७९	४	१४९	२	७०

विशेष लाभ

बारडोली के बम्बई जैसे सुधरे हुए और प्रगतिशील इलाके में होने के कारण तथा बम्बई शहर से यहां के निवासियों का निकट सम्बन्ध होने के कारण देश में समय-समय पर होने वाले राजनैतिक आन्दोलनों का असर इस

ताल्लुके पर बराबर पड़ता रहा है, जिससे वह देश के साथ-साथ आगे कदम बढ़ाने का प्रयत्न करता रहा है। इतनाही नहीं, पहिले ही से बारडोली को एक सत्रसे बड़ा लाभ मिला हुआ था, जो गुजरात के एक दो ताल्लुको को छोड़ कर बहुत कम स्थानों को प्राप्त है, और वह है महात्माजी की युद्ध-नीति का परिचय। यहां के कुछ साहसी लोग, जो दक्षिण आफ्रिका गये थे, महात्माजी के नेतृत्व में वहां सत्याग्रह में भाग ले चुके हैं। इस लिए उनकी नीति तथा युद्ध-शैली से वे अन्य भारतीयों की अपेक्षा अधिक परिचित हैं। उनके संसर्ग और सत्संग का लाभ उनके सगे-सम्बन्धियों तथा पड़ोसियों को भी बराबर मिलता रहा जो भारत में रहते थे। इसी लिए भीषण कष्ट और निराशा के समय भी, जब कि मामूली आदमी की श्रद्धा निर्बल हो जाती है, वे और भी आशान्वित हो रहे थे और यह जानकर जोरों से लड़ रहे थे कि अब जुल्मों का अन्त हुआ ही चाहता है। आइए अब हम इस महान् युद्ध के कारण और प्रगति का अवलोकन करें।

जागृत रानी परज का गीत



बनीने वीर आमा जगे चालुं हुं
 म अहुं का मा आहुं एकुज हेय विचार—बनीने०
 मेदानमांय येई तुमा आयी जायारा
 जार कलांहां हेय तीं देखाडा आयी—बनीने०
 भूडाई कादीने भलाई लीयां हुं
 भलभला दुश्मन हटाडो काडुं हु—बनीने०
 जुगामांय चांद जेहे उदी नीगेहे
 तेहेंज आमा चमकी उठुं हु—बनीने०
 मोत भले येमने आजे का आयी
 मार गोळी खुशी थी हांभी हेय छाती—बनीने०
 जात माटे जीव बी दाहुं खुशी थी
 दुनियामांय डंको वजाडी जाहु—बनीने०

भावार्थ—संसार में हम वीर बन कर रहेंगे अपने अंगीकृत कार्य को पूरा करेंगे या मर मिटेंगे। बस यही एक विचार है। अब आप मैदान में आजाहए और अपनी पूरी शक्ति दिखा दीजिए। हमने अपनी तमाम बुराई को धो डाला है। बड़े-बड़े दुश्मनों को पराजित करके हम भलाई की स्थापना करेंगे। संसार में जिस तरह चन्द्र की प्रभा फैलती है, उस तरह हम भी अपना प्रकाश फैलावेंगे। अगर मृत्यु आ रही है तो भले ही अभी आ जाय। (हे ज़ालिम) तेरी कातिल गोली छोड, हम छाती खोल कर खड़े हैं। जाति के लिए हसते-हंसते अपना जीवन अर्पण कर संसार में हम अपने यश का ढका बजा कर जावेंगे।

नव-प्रकाश

“The Grinding extortions of the English have effected the impoverishment of the country and people to an extent almost unparalleled Had the welfare of the people been our object, a very different course would have been adopted and very different results would have followed-”

FREDERICK JOHN SHORE, (1837.)

“There is no more pathetic figure in the British Empire than the Indian peasant His masters have ever been unjust to him He is ground until everything has been extracted except the marrow of his bones.”

HERBERT COMPTON, (INDIA LIFE, 1904)

खून चूसने की विधि

तीस वर्ष पहले एक वृद्ध तपस्वी इंग्लैंड की एक सभा में इस देश के निवासियों की दशा और यहां पढ़ने वाले अकालो का कारण समझाते हुए कह रहा था “आप लोग समझते होंगे कि हम लोगों पर भारत में बहुत कम कर है। क्योंकि आप तो इंग्लैंड में फी आदमी प्रतिवर्ष १५ शिलिंग तक कर देते हैं और हम भारत में प्रतिवर्ष फी आदमी केवल ४ ही शिलिंग देते हैं। आपका यह भ्रम स्वाभाविक

विजयी बारडोली

है। पर कर के हलके या भारीपन का अन्दाज केवल कर की रकम पर से ही नहीं लगाया जा सकता। इसका विचार करते समय तो हमें उस देश की अवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम कर वसूल करते हैं। यदि वह गरीब है, तो उसके लिए थोड़ा कर भी भारी हो जाता है। पर एक बात और है। एक बार भारी कर भी सह लिया जा सकता है, यदि कर की पहली और अत्यावश्यक शर्त पूरी हो जाय। वह शर्त क्या है? यही कि जिस राष्ट्र से कर लिया जाय, उसकी राय से उसीके लाभ के लिए और वहीं उसका व्यय भी हो। आपको सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब से आपका शासन भारत में हुआ है ऐसा नहीं होता। भारत के किसानों पर एक तो उनकी हैसियत से कहीं अधिक कर का बोझा है, और दूसरे जो कुछ रुपया वहां से कर तथा अन्य रूपों में चसा जाता है, वह फिर उन किसानों के पास लौट कर नहीं जाता। इसलिए सारा देश गरीब और निःसत्व होता जा रहा है। इस तरह तो भारत क्या, सागर भी सूख जाय, यदि सूर्य की गरमी द्वारा ऊपर खींचा हुआ जल वर्षा और नदियों के पानी के रूप में फिर उसके पास न लौट आवे। भारत के किसानों से करोड़ों रुपये वसूल किये जाते हैं, जिनका कोई सीधा मुआवजा उन्हें नहीं मिलता। देश की संपत्ति का और

करों का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के किनारों को छोड़ कर चला जाता है। यह धन का प्रवाह नहीं राष्ट्र के खून का प्रवाह है। सौ-सौ वर्ष से यह जखम इसी तरह बढ़ता आया है आज भी वैसा ही बढ़ रहा है।

दूसरे, भारत में आपका साम्राज्य बनाने में जितना रुपया खर्च हुआ, वह सब कौड़ी कौड़ी भारत से ही लिया गया। यहां जितने भी छोटे बड़े युद्ध हुए, उनके लिए एक पाई भी इंग्लैंड से नहीं आई। फिर साम्राज्य की जब स्थापना हो गई, तब उसके बनाये रखने के लिए अगणित धन-प्रवाह (पेन्शनों, बड़ी बड़ी तनस्त्राहे, फौजी सामान, मशीनरी आदि के रूप में) इंग्लैंड को जाने लगा। साम्राज्य की स्थापना हो जाने पर भी अपने घाव की मरहम पट्टी करने के लिए बेचारे किसान को दम मारने की फुरसत तक नहीं मिली। उसका घाव ज्यों का त्यों बढ़ता रहा-बढ़ रहा है। क्या आप आश्चर्य करेंगे यदि ऐसी परिस्थिति में भारत का किसान दीन-दुबला हो—वहां बार-बार इतने अकाल पड़ें ? आप यह न समझें कि अकाल का राज्य-कर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अकाल का कारण

कारण मैं बताऊँ। भारत बड़ा उर्वर देश है। वहां खूब नाज होता है। जब वहां से धन और धान्य बाहर के देशों

विजयी बारडोली

मे न जाता था, तब भारतीय किसानों के घर पर नाज के कोठे भरे रहते थे। यदि भाग्यवश किसी वर्ष अकाल पड़ता तो वे उसका सामना कर सकते थे। अब तो देश की लूट के कारण अपने करो को चुकाने के लिए किसानों को दानादाना बेच देना पड़ता है। किसान दरिद्र हो गये हैं ! उनके पास न अच्छे पशु हैं न जमीन में खाद डालने के लिए धन। जमीन की पैदा करने की शक्ति घट गई है। इसलिए अकालों का सामना करने के लिए किसानों के पास कुछ नहीं रह जाता। फलतः अच्छे वर्षों में भी किसानों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। फिर अकाल में तो वे कैसे जी सकते हैं ? फाकेकशी और भूखों मरना तो उनकी मामूली हालत है।”

अभी तक ज्यों की त्यों

उन्नीसवीं सदी के अन्त में भारत में जो भीषण अकाल पड़ रहे थे उनके लिए इंग्लैंड में चन्दा एकत्र करते हुए स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी ने जो व्याख्यान दिये थे, उनका यह सार है। ❀ आज से ३०। ३५ वर्ष पहले देश की जो अवस्था थी, उसका वह अस्पष्ट-चित्र है। रक्त चूसने की जिस

* भारत की तत्कालीन अवस्था का और अंगरेजों की खून चूसने वाली नीति का चित्र देखना हो, तो मंडल से प्रकाशित 'जब अंगरेज नहीं आये थे' नामक पुस्तिका मंगा कर पढ़िए।

क्रिया का वर्णन वे ऊपर करते हैं, वह अभी तक बन्द नहीं हुई, उसी तरह जारी है, बल्कि उससे भी अधिक सफाई के साथ काम कर रही है। और विशेषता यह, कि जनता को समृद्ध बता बता कर उस पर लगान और करों का बोझ दिन बदिन बढ़ाया जा रहा है। भारत का किसान संसार भर में सबसे अधिक परिश्रमी समझा जाता है। पर आज वह संसार में सबसे अधिक दीन, दुर्बल और कंगाल है।

सिर पर लटकती हुई तलवार

हम हमेशा कहते और सुनते आये हैं कि भारत की आत्मा उसके साढ़े सात लाख गांवों में निवास करती है। पर गांवों के किसानों के प्रश्नों को वास्तविक रीति से हम में से कितनों ने समझा है, अथवा समझने की चेष्टा की है? हम कहते हैं कि चरखा किसान की आय को दूनी कर देता है। ठीक है। पर क्या हम यह जानते हैं कि उसकी वह आय भी, जिसे चरखा दूनी करने का आश्वासन देता है, सरकार की दिन दिन बढ़ती हुई आक्रामक लगान-नीति का शिकार हो रही है। किसान की गर्दन पर लटकती हुई वह तलवार दिन-ब-दिन प्रतिक्षण नीचे नीचे आ रही है। स्पेनिश इन्क्वेजिशन के कोप के शिकार बने हुए अभागों के कैदखानों की दीवारों के समान इसकी कैद की दीवारों भी एक एक दो-दो इञ्च एक दूसरे के नजदीक

विजयी बारडोली

आती जा रही हैं और किसी बुरे दिन वे उसे मृत्यु के उस गहरे कूँ में निश्चय ही गिरा देंगी ।

जमीन का मालिक कौन है ?

भारत के किसानों के सिर पर मँड़रानेवाले इस भीषण भविष्य की सूचना बारडोली के किसानों ने अग्रणीत आपत्तियों का आह्वान करके समस्त देश के किसानों को देदी है । यदि उनके बुद्धि है, अपने भावी की चिन्ता है, उनकी गोद में खेलने वाले भोले भाते बालकों के कल्याण की कामना है, तो वे सावधान हो जायँ, और इस प्रश्न का निपंटारा कर ले कि इस देश की जमीन पर, इन ऊँचे-ऊँचे पर्वतों पर और इन विपुल-वाहिनी नदियों पर, इन रमणीय वनों पर और उन दुर्गम सीमा-प्रदेशों पर वास्तव में किनका स्वामित्व होना चाहिए, कौन उनका स्वामी है !

विख्यात और अनुभवी सिविलियन मि० वेडन पोवेल ने तो इस बात को स्वीकार किया है कि जमीन किसान की है और सरकार जो लगान लेती है, वह जमीन का किराया नहीं, किसान की जमीन की उपज पर कर मात्र है ।^१ पर भारत सरकार की जो अब तक नीति

1 "The Land Revenue cannot then be considered as a rent, not even in Ryotwari lands, where the law happens to call the holder of land an 'occupant' and not a

चली आई है; उससे यह बात अब अँधेरे में नहीं रह जाती कि जमीन सरकार की ही है। अभी अभी (१९२४ मार्च) बम्बई गवर्नमेन्ट के अर्थ-सचिव ने कहा था—कि 'इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जमीन सरकार की ही है' ।२

पश्चिम के देशों ने तो इस प्रश्न का कभी से निबटारा कर लिया है। वहाँ की सरकारें प्रातिनिधीक हैं। जमीन पर किसानों का स्वामित्व है और उनके प्रतिनिधियों की राय लेकर उस पर लगान लगाया जाता है। पर यहाँ का तो सारा खेल न्यारा है। सरकार अपने आपको जमीन का मालिक बताती है, और जत्र जितना चाहती है लगान बढ़ा देती है।

proprietor . If we cannot be content to speak of Land Revenue and must further define, I should be inclined to regard the charge as more in the nature of a tax on agricultural income "

BADEN POWELL.

2 "It can-not be denied that the land belongs to the state and that its possession forms one of the most valuable assets, from the proceeds of which the administration is carried on "

**FINANCE MEMBER OF THE GOVT OF BOMBAY,
MARCH 1924**

उन्नीसवीं सदी के मध्य में इस प्रश्नपर गम्भीरता-पूर्वक विचार हो रहा था कि जमीन का लगान एक बारगी हमेशा के लिए क्यों न तय कर किया जाय, और लॉर्ड कैनिंग तथा लॉर्ड लारेन्स जैसे वाइसरायों ने सरकार तथा प्रजा के हित की दृष्टि से यह अभीष्ट बताया था कि लगान अवश्य ही स्थायी रूप से निश्चित कर लिया जाय। पर बाद में जो बड़े बड़े लाट आये, उन्होंने कभी उन सिफारिशों को कागज से काम में लाने का कष्ट नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि लगान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। सेटलमेन्ट ऑफिसर ने सिफारिशें कीं, उन्हें थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया, और लगान बढ़ा दिया। उसकी वास्तविक न्यायान्यायता बहुत कम देखी जाती है। सन् १८७३ में लम्बई की हाईकोर्ट में कही ऐसे बन्दोबस्त के सम्बन्ध में एक मामला चलाया गया था। हाईकोर्ट ने उस पर सेटलमेन्ट आफिसर के विरुद्ध अपना फैसला दे दिया। इस पर विरोध का एक तूफान खड़ा हो गया और उसमें से 'बाम्बेरेवेन्यू ज्यूरिस्टिक्शन नामक' एक कानून निर्माण हो गया, जिससे बन्दोबस्त सम्बन्धी मामलों को न्यायालयों की कक्षा के बाहर रख दिया गया और सेटलमेन्ट आफिसरों को बिलकुल निरंकुश कर दिया। सुधारों से तो किसानों की दशा और भी इस मामले में बिगड़

गई है। मि० चिकोदी बारडोलो प्रश्न पर लिखे अपने एक लेख में लिखते हैं :—

“जहाँ तक जमीन के लगान का सम्बन्ध है, नये सुधार तो शाप-रूप सिद्ध हुए हैं। कानून ने इस विषय में किसानों के लिए न्यायालयों के दरवाजो पर ताले लगा दिये हैं। यह विभाग प्रान्तीय सरकारों का सुरक्षित (Reserved) विभाग बना दिया गया, और यद्यपि प्रान्तीय सरकारों के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो भारत सरकार को है, परन्तु जहाँ तक हो सके उनकी स्वाधीनता में बाधक न हाने की नीति ने भारत सरकार के हस्तक्षेप को बहुत मर्यादित कर दिया है। इसलिए प्रान्तीय सरकारें इस मामले में प्रायः स्वतन्त्र सी हैं।” किसान को कोई पूछता तक नहीं। न दाद न फर्याद सरकारका लगान-नीति तो न्यायालय और धारा सभाओं से भी परे है। सरकार मन चाहा लगान बढ़ा देती है, और धारा-सभा के सभ्य बेचारे गिड़गिड़ा कर हाथ मलते रह जाते हैं। सरकार करे सो न्याय ! सेठ साहु-कारों के लिए तो इतनी रिश्नायत कि जब तक उनकी आय २०००) से आगे नहीं बढ़ जाती, उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। पर किसान चाहे कितना ही गरीब हो, छोटे से छोटे जमीन के टुकड़े पर भी उससे तो लगान वसूल किया ही

अटल-संकट

जाता है। और नये बन्दोबस्त का नाम सुनते ही किसान के रहे रखाये प्राण भी सूख जाते हैं। इसके मानी वह केवल यही समझता है कि लगान बढ़ेगा। एक दैवी आपत्ति की तरह वह बन्दोबस्त को एक अटल और अनिवार्य संकट समझता है। यद्यपि कहने भर को बन्दोबस्त के नियमों में यह बताया गया है कि लगान उसी हालत में बढ़ाया जाय, जब प्रजा समृद्ध हो गई हो। पर किस सेटलमेंट में ऐसे नियमों का पालन किया गया ? नियम तो भङ्ग करने के लिए ही बनते हैं। बन्दोबस्त किसान की बरबादी का मानी एक दौरा है, जो समय-समय पर निश्चित रूप से किसान का खून चूसने के लिए आता है।

‘सर्वे सेटलमेंट ‘मन्युअल’ नामक एक छोटासा कानून है, जिसके अनुसार, कहा जाता है, ये बन्दोबस्त अथवा जमाबन्दियाँ होती हैं। मुझे खेद है कि मैं उसे न देख सका। परन्तु अन्य साधनों से जहाँ तक मैंने इस प्रणाली का अध्ययन किया है, वह इस प्रकार है:—

नया बन्दोबस्त

जहाँ नया सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट आफिसर उस प्रान्त, प्रदेश या ताल्लुके की आर्थिक जांच करता है, यह देखने की गरज से कि ताल्लुके के काश्तकारों की

आर्थिक अवस्था इस बीच सुधरी है या बिगड़ी है। दूसरी तरफ सरकार का सर्वे-विभाग काश्तकारों के खेतों की फिर पैमाइश करके जमीन की किस्म निश्चित करता है और प्रत्येक काश्तकार के अधीन जमीन की हद और हकूकत को नोट करता है। समस्त ताल्लुके के गांवों की जमीनों के नये नक्शे बनते हैं; उनमें प्रत्येक काश्तकार की जमीन अलग-अलग दिखाई जाती है, और उनमें क्रमशः यह बताया जाता है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दरजे की जमीनें कितनी हैं। जब यह तैयार हो जाता है तो इनके आधार पर फिर ताल्लुके के गांवों का जमीन की किस्म आदि के अनुसार वर्गीकरण होता है, जिनमें सब में बढ़िया जमीन और सुविधायें होती हैं उन गांवों को पहले उससे उतरते गांवों को दूसरे वर्ग में इस तरह कई वर्गों में उन्हें बांट दिया जाता है। इस क्रिया को 'ग्रूपिंग' कहते हैं।

अब सेटलमेन्ट आफिसर काश्तकारों की समृद्धि का हिसाब किस तरह लगाता है सो देखें। समृद्धि का अनुमान लगाने के लिए कई प्रकार के अंक इकट्ठे किये जाते हैं। जैसे—

- (१) जमीन की कीमते बढ़ी या घटीं ।
- (२) माल के भाव चढ़े या उतरे ।
- (३) शिकमी लगान अर्थात् ठेके पर जमीन काश्त करने को देने के भाव बढ़े या घटे ।

(४) अन्य साधन, जैसे:—मवेशी, मकान, नियमित वर्षा, अकालो की कमी, खेती की उपज को बेचने के लिए बाहर ले जाने के साधन—जैसे रेलवे, सड़कें, उनकी अवस्था, खेती की उपज बढ़ाने के साधन, जैसे तालाब नहरो आदि की दशा ।

पहले और दूसरे मद्धे के अंक रेकार्ड ऑफ राइट्स नामक एक रजिस्टर से एकत्र किये जाते हैं, जिसमें किसानों के बीच जमीन, मकान आदि स्थावर संपत्ति सम्बन्धी होने वाले लेन-देन के व्यवहारों को रजिस्टर किया जाता है। दूसरे और चौथे मद्धे के अंक भी महाल के रेकार्ड से मिल जाते हैं । पर सेटलमेंट आफिसर का कर्तव्य यह है कि वह केवल इन्ही अंको पर विश्वास न रखे । क्योंकि जमीन की कीमतेँ और किराया बढ़ने के कृत्रिम कारण भी हो सकते हैं । अतः सेटलमेंट आफिसर गांव-गांव घूम कर जनता से बातचीत करके उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगावे और सच्चे अंक एकत्र करे । इन अंको का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी । कानून में तो साफ-साफ बताया गया है कि फलां-फलां हालत में कृत्रिम रीति से जमीन की कीमतेँ और ठेके के भाव बढ़े हों, तो उनको जनता की समृद्धि का लक्षण न समझा जाय । उसी प्रकार असाधारण परिस्थिति

माल के भाव बढ़ जाने से उनको भी जनता की समृद्धि का लक्षण न समझा जाय, क्योंकि उसी भाव के आधार पर लगान कूतने से किसानों के साथ अन्याय होने की सम्भावना है। इसी कानून की १०७ धारा में यह स्पष्ट लिखा है कि जमीन की फसल पर किसान को जो असल बचत हो उसके आधार पर लगान निश्चित किया जाय।

सरकार यदि अपने बनाये कानून पर भी अमल करती रहे, तो किसानों को जमीन का लगान-वृद्धि के सम्बन्ध में उतनी शिकायत न रहे। पर यहां तो वह भी नहीं होता। उपर्युक्त अंको को खास ढंग से एकत्र करके उनको अपने ढंग से रख दिया जाता है और ख्वाहमख्वाह यह कह कर कि जनता समृद्ध हो गई है, लगान हर बन्दोबस्त में बढ़ा दिया जाता है।* यदि किसान को होनेवाली बचत पर ही लगान निश्चय किया जाय, तो सरकार को लगान बढ़ाने के बजाय शायद घटाना ही पड़े।

* सन् १८५७ के पहले जो भी कुछ लगान बढ़ा सो बढ़ा, पर उसके बाद का इतिहास यह है—

वर्ष	लगान
१८५७	१७,३०,००,०००
१८७१	१९,९०,००,०००

विजयी बारडोली

बारडोली की लगान-वृद्धि का इतिहास

जमीन के लगान के सम्बन्ध में हर जगह यही हाल होता है, और वही बारडोली के साथ भी हुआ। पर यदि अधिक ध्यान देकर देखा जाय तो कहना होगा कि इस विषय में बारडोली ताल्लुका शुरू से कम नसीब रहा है। बारडोली में नये अंग्रेजी कानून के अनुसार पहला बन्दो-बस्त सन १८६५ में हुआ। उस समय अमेरिका में युद्ध चल रहा था। इस लिए कपास वगैरा के भावों में असाधारण वृद्धि हो गई थी। अच्छी जमीन और बढ़े हुए भावों को देख कर तत्कालीन सेटलमेन्ट आफिसर कॅप्टन प्रेस्कोट ने सोचा कि जनता की स्थिति बड़ी अच्छी है। उन्होंने बढ़िया मालेटी (Dryland) जमीन का फी एकड़ रु० ६) लगान निश्चित किया। क्यारी की जमीन में पीयत के आकार के १०) और बढ़ा दिये, इस तरह १६) फी एकड़ लगान कर दिया। उन्होंने जमीन को १४ वर्गों में बांटा था और जरायत (मालेटी) के तीन रुपये से लेकर छः रुपये

१८८१	२१,९०,००,०००
१८९१	२४,००,००,०००
१९०१	२६,२०,००,०००
१९११	३१,७०,००,०००
१९२१	३५,१०,००,०००

तक तथा क्यारी (चावल की जमीन) के ७॥॥) से लेकर १६ तक लगान निश्चित किया था। परन्तु सरकार ने इन १४ वर्गोंको नामंजूर करके केवल सात वर्ग ही मंजूर किये। और सन १८९६ में तो इन सात के चार वर्ग कर दिये और पानी के दर कुछ घटा दिये। वे दर यो हैं:—

वर्ग	जरायत	क्यारी
१	६	६ + ६)
२	५	५ + ५॥)
३	४	४ + ५)
४	३	३ + ४॥)

इस तरह कॅप्टन प्रेस्कॉट के द्वारा मुकर्रर किये गये पानी के दरों में सन १८९५-९६ मे काफी कमी कर दी गई।

परन्तु प्रेस्कॉट एक चाल खूब चल गये। जब उन्होंने सर्वे किया तब ताल्लुके में लगभग २९००० एकड़ जमीन घास के लिए रक्खी गई थी जिसका लगान फी एकड़ १) किसानों को देना पड़ता था। इन जमीनो का लगान खास कर इसी लिए कम रक्खा गया था, कि उसमें लोग मवेशी के लिए घास पैदा करें। पर कॅप्टन प्रेस्कॉट ने इन दरों को बढ़ाकर उन जमीनो को जरायत (मालेटी) में शामिल कर

❁ कुल जमीन १,४२,००० एकड़ है।

दिया। गोचर-भूमि रखने के लिए लोगों को जो लालच था उसे सरकार ने हटा लिया। अब तो लोग इस जमीन को भी हॉक हॉक कर उसमें कपास बोनने लग गये। इधर कई वर्षों से कपास के भाव भी अच्छे आ रहे हैं, इसलिए शायद लोगो ने भी समझ लिया कि इससे हमारी कोई हानि नहीं हुई। परन्तु घांस खरीद कर जानवर रखना बहुत महंगा पड़ता है। और इसलिए खेती में नुकसान पहुँचता है इस तरह जरा लम्बी नजर से देखा जाय तो यह फेरफार अनिष्ट ही कहा जायगा।

सन १८६४-६५ में ताल्लुके का लगान लगभग सवा तीन लाख रुपये था। कॅप्टन प्रेस्कॉट ने इसे बढ़ा कर चार लाख के करीब पहुँचा दिया। इसके बाद सन १८९५-९६ में दूसरा बन्दोबस्त हुआ। उस समय यद्यपि मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि पानी के दर भी घटा दिये गये, तथापि कुछ गांवों को नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिया, इस लिए स्वभावतः ताल्लुके के कुल लगानमें फी सदी साढ़े दस की वृद्धि हो गई। इस लगान-वृद्धि के समय भी सेटलमेन्ट आफिसर मि० फर्नाण्डिज ने कॅप्टन प्रेस्कॉट की भांति यही कहा था कि ताल्लुका अब इन तीस वर्षों में बहुत अधिक समृद्ध हो गया है। तथापि वत्कालीन सूरत के जिला कलेक्टर मि० फ्रेडरिक लेली ने

सेटलमेन्ट आफिसर की रायसे अपनी नाइतिफाकी जाहिर की थी। उनकी रिपोर्ट पर मि० लेली ने अपना अभिप्राय इन शब्दों में प्रकट किया था:—

“यदि लोगों की रहन-सहन में कुछ सुधार हो जाय, तथा उनके रहने के मकान अधिक अच्छे दिखाई दें, तो इस पर से हम यह अनुमान तो नहीं निकाल सकते कि प्रजा समृद्ध हो गई। हमें यह देखना चाहिए कि लोगों के मिर पर कर्ज कितना है।”

तत्कालीन मामलतदार ने ताल्लुक के कर्ज का अनुमान करके यह बताया था कि ताल्लुक की प्रजा पर लगभग ३३,७६,०००) का बोझा है। उन्होंने यह भी बताया था कि इसके कारण फी सैकड़ा बारह रुपये वार्षिक सूद के हिसाब से जनता पर प्रति वर्ष चार लाख का बोझ बढ़ता जाता है। इस अधिकारी का ख्याल था कि शायद ही कोई खातेदार (काश्तकार) कर्ज से मुक्त हो। जनता को यह स्थिति होते हुए जो प्रत्येक बन्दोबस्त के समय किसी न किसी चहाने सरकार लगान में वृद्धि करती ही चली जा रही है। या तो लगान का दर बढ़ जाता है, या जमीन के वर्गीकरण में फेरफार कर दिया जाता है, या परती की जमीन को चालू जमीन में शामिल कर लिया जाता है।

विजयी वारडोली

विगत ६० वर्षों में वारडोली में लगान किस तरह बढ़ता गया, इसकी कल्पना नीचे लिखे कोष्टक से पाठकों को भली भांति हो सकती है ।

वर्ष	लगान, जो वसूल किया गया
१८६४-६५	३,१८,१६२)
१८६६-६७ (नया बन्दोबस्त)	४,००,९३९)
१८६४-६५	४,३१,५६४)
१८९७-९८ (नया ,,)	४,५८,३१७)
१९२३-२४ (इस बन्दोबस्त से पहले)	४,९५,५०९)
बढ़ाया हुआ नया लगान	६,७५,०००)

वारडोली और चोर्यासी ताल्लुके की ३० वर्ष की लगान की मीयाद सन १९२७-२८ में पूरी होती थी । इस लिए सरकार ने तत्कालीन उत्तर-विभाग के डिस्ट्रिक्ट डे० कलेक्टर श्री० एम० एस० जयकर को १९२४ में असिस्टेन्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर के स्थान पर नियुक्त करके भेजा । उन्होंने १९२४-२५ में रिविजन शुरू किया और यद्यपि रिपोर्ट पर तारीख तो ३० जून १९२५ की लगी है, तथापि वह दर असल ११ नवम्बर सन १९२५ के पहले सरकार को पेश नहीं की जा सकी । इसका कारण श्री० जयकर स्वयं लिखते हैं । “रिपोर्ट का मसविदा पहले कमिश्नर को पेश किया था और बाद में उनकी सूचनाओं के

अनुसार रहन, शिकमी लगान विक्री आदि के कोष्टकों का संशोधन करके फिर उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया। अब उन्होंने अपनी स्वीकृति सहित उचित रीति से पेश करने के लिए रिपोर्ट लौटा दिया है।” मि० जयकर ने अपनी रिपोर्ट में २५ प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है, परन्तु गांवों के वर्गीकरण में २३ गांवों को ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिया, जिससे कुल वृद्धि लगभग ३० प्रतिशत तक बढ़ गई। उन्होंने अपने प्रस्ताव की पुष्टि में नीचे लिखे परम्परागत “पेटन्ट” कारण अपनी तरफ से साधार बनाकर पेश किये हैं—

(१) जमीनों की कीमतें बढ़ गईं

“वर्ग”

“क्यारी”

(चावल की जमीनें)

	१९१०-११	१९१८-१९२५
१	२२२) फी एकड़	७९५)
२	१९४) ”	३९०)
३	३४) ”	३५०)
४	८६) ”	२१०)

“जरायत” (मालेटी)

(अन्य जमीनें जिनमें चावल नहीं होते)

१	१०७)	३६८)
२	९०)	३५८)
३	६७)	२०४)
४	४०)	१०३)

विजयी बारडोली

(२) माल के भाव चढ़ गये ।

सन १८९५ से लेकर १९०४ तक के भावों की औसत

	जुवार	चावल	कपास
१८९५-१९०४—१)=३३। सेर	१)=३५॥	१ मण=३।)	
१९१४-१९२५—१)=१६॥ „	१)=२७॥	१ मण=८)	

(३) शिकमी लगान (Rental Value) बढ़ गया ।

फी एकड़ लगान रु० फी एकड़ किराया (Rent)

जरायत	{ १	४ ४१	१५ २४
	{ २	३.५३	११ ३७
	{ ३	२ ८९	९ ९७
	{ ४	२.५	८.४२
क्यारी	{ १	१०.७५	२९.१०
	{ २	८.५३	२३.७८
	{ ३	५.९४	१९.५८
	{ ४	४.३५	१५ १५

इसके अतिरिक्त नीचे लिखे शेष कारण भी बताये हैं ।

- ४ खेती के साधन हल, गाड़ी, आदि बढ़ गये ।
- ५ गाय, भैस आदि दुधार जानवरोंको संख्या बढ़ गई ।
- ६ ताल्लुके में पक्के मकानों की संख्या भी बढ़ गई ।
- ७ जनसंख्या में भी ३८०० की वृद्धि हो गई है ।
- ८ नियमित वर्षा हुई और कहत के वर्षों की कमी रही ।
- ९ काली परज जाति में सुधार और शराब-बन्दी हो गई ।

- १० ताप्ती-चैली रेलवे तथा कुछ नई सड़कें बंध गईं, जिससे माल के लाने लेजाने की सुविधायें बढ़ गईं ।
- ११ लोगों को जमीन का लगान चुकाना मुश्किल नहीं मालूम होता, क्योंकि चौथाई* के नोटिस बहुत कम देने की नौबत आई है, इससे स्पष्ट है कि लोग समृद्ध हो गये हैं ।
- १२ मि० जयकर ने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया है कि पिछले बन्दोबस्त की अपेक्षा इस बार जमीन की उपज की कीमत में रु० १५,०८,०७७ की वृद्धि हो गई है ।

प्रत्येक कारण के आधार-स्वरूप उन्होंने परिशिष्ट में अंकों के कोष्टक भी दिये हैं ।

इस तरह अपनी रिपोर्ट तैयार करके मि० जयकर ने उसे कलेक्टर के पास जाँच के लिए भेज दिया । कलेक्टर मि० ए० एम० मॅकमिलन, उन दिनों छुट्टी लेकर इंग्लैंड गये हुए थे । उस समय सूरत के कार्य-वाहक कलेक्टर श्री० जयकर ही थे ।

फिर भी उन्होंने रिपोर्ट को तो मि० मॅकमिलन के पास भेज ही दिया । मि० मॅकमिलन ने शुरू से लेकर अंत तक

❖ चौथाई—समय पर लगान प्यदा न करने वाले काश्तकार को इस आशय की नोटिस दी जाती है कि फला तारीख तक वह लगान जमा नहीं कराएगा तो उसमें सवाया लगान लिया जायगा । अर्थात् लगान का चौथा हिस्सा दब-स्वरूप अधिक देना पड़ेगा ।

उसकी अच्छी तरह जांच की, मि० जयकर द्वारा भेजे गये कितने ही अंकों तथा पिछले बन्दोबस्त के समय के अंको की सचाई में भी संदेह प्रकट करते हुए लिखा कि यहां (इंग्लैंड में) मेरे पास गांवों की फसल के, बिक्री के तथा जमीन की असली कीमत के अंक होते तो मैं इन सब को और भी अच्छी तरह जांच कर लेता । पर उनके अभाव में मैं मान लेता हूँ कि आपने जो अंक पेश किये हैं वे आपके प्रस्तावों को न्याय-युक्त सिद्ध कर सकते हैं । इसलिए मैं अधिक तफसील में उतरने की कोई जरूरत नहीं देखता, इत्यादि अपना अभिप्राय लिख कर मि० मॅकमिलन ने रिपोर्ट लौटा दी ।

इसके बाद मि० जयकर ने कार्य-वाहक कलेक्टर की हैसियत से सेटलमेन्ट कमिश्नर (मि० ऐंगडरसन) के पास मि० मॅकमिलन की टिप्पणियों सहित रिपोर्ट भेजी, ताकि वे अपने अभिप्राय सहित उसे उत्तर-विभाग के कमिश्नर के पास रवाना कर दें ।

मि० ऐंगडरसन ने मि० जयकर की रिपोर्ट की खासी खबर ली । इस टीका से खुद उनके विचारों और सिफारिशों तथा श्री जयकर की रिपोर्ट के महत्त्व का भी पता चल जाता है । इस लिए उसका सार यहां दे देना मैं परम आवश्यक समझता हूँ ।

“श्री जयकर ने लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में जो सूचनाएं पेश की हैं, उन पर विचार करें। मुझे दुख है कि उन्होंने अपनी सिफारिशों का सारा आधार प्रधानतया इसी बात पर रक्खा है कि जमीनो की उपज बढ़ती जा रही है। ताल्लुके की सामान्य अवस्था का दिग्दर्शन कराते हुए ५७ वे पैराग्राफ में जमीन की कीमत और किराये के बढ़ने का केवल एक ही उदाहरण उन्होंने दिया है और लिखा है कि किराये की तुलना में लगान-वृद्धि बहुत कम है। पर इसके लिए उन्होंने कोई विशेष आधार नहीं पेश किया। और बिना आधार के कहीं कोई इमारत खड़ी की जा सकती है ? भला, ऐसे कहीं सेटलमेन्ट रिपोर्ट लिखे जाते हैं ? इसके बाद पूरे दो पृष्ठ उन्होंने केवल यह सिद्ध करने में लगा दिये हैं कि सरकार यदि रूपयों के बदले केवल नाज ही लगान में वसूल करती रहती तो वह कितना बढ़ जाता ! मानो इसमें कोई बड़ी बात वे कह गये हों ! वे बताते हैं कि ताल्लुके की कुल आय में १५ लाख की वृद्धि हुई है। पर यह कह जाने के बाद उनके दिमाग में प्रकाश पड़ा कि असल प्रश्न के साथ इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि इस तरह तो यदि खेती का खर्च भी १५ लाख बढ़ गया हो, तब तो लगान बढ़ाने की सिफारिश के लिए कोई आधार ही नहीं रह जाता।

खैर, यही हो तब भी कोई बिगडी नहीं। पर यदि खेती का खर्च १५ लाख के बजाय १७ लाख हो गया हो तब तो लगान बढ़ाने के बजाय उलटे घटाना पड़े न ? अब मि० जयकर किस तरह सिद्ध करेंगे कि आय के साथ-साथ खर्च नहीं बढ़ा है ? इसके विषय में तो वे केवल एक ही लाइन लिखते हैं—“हमें यह भी न भूलना चाहिए कि शायद खेती के खर्च भी बढ़ गये हों।” इस तरह किले का मुख्य दरवाजा तो उन्होंने खुला ही छोड़ दिया। अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि खेती के खर्च बढ़ गये हैं, तो मि० जयकर के पास कोई जवाब नहीं रह जाता। इतना सब जान लेने पर ही किसी की समझ में यह आ सकता है कि लगान-निर्याय का आधार खेती की उपज और माल के भाव नहीं, जमीन का किराया ही बनाया जाय। श्री जयकर की रिपोर्ट के ५७ से ६५ तक पैरा-ग्राफ तो बिलकुल व्यर्थ कहे जा सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने लगान बढ़ाने की जो सूचनार्ये की हैं, उनका समर्थन करना तो दूर, उन्हीं पैरों में से उलटे उनके विरोध में दूसरे को कुछ दलीलें अनायास मिल सकती हैं। इसलिए वास्तव में वे भयंकर हो हैं।...

इस तरह खेती के खर्च की अगर गिन्ती न की जाय, बल्कि केवल उसकी उपज की ही गिन्ती लगा कर लगान

बढ़ा दिया जाय; तब तो हमे आँधे मुँह ही पड़ना होगा । यह करते हुए मनुष्य की क्या स्थिति होती है, यह तो ६५वें पैराग्राफ को देखने से ज्ञात हो सकता है । ६६वें पैराग्राफ में लगान-वृद्धि की सूचना करते हुए श्री जयकर की यही दशा हुई है ! उन्हें यही कहना पड़ा है, कि खर्च बाद नहीं किया गया, फिर भी उपज तो इतनी बढ़ गई है कि प्रतिशत ३३ लगान जरूर बढ़ाया जा सकता है । पर साथ ही वे यह भी जानते हैं कि शायद यही बाजार भाव आगे कायम न रहें । यदि ऐसा ही हुआ तो उन पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि लगान बहुत बढ़ा दिया । इसलिए उन्होंने डरते-डरते और बिना कोई कारण बताये यह सिफारिश की है, कि फीसैकड़ा २५ लगान उचित और न्याययुक्त होगा । अगर सरकार लगान बढ़ाने की हद ७५ प्रतिशत कायम कर देती, तो शायद श्री जयकर प्रतिशत ६५ लगान-वृद्धि को भी उचित और न्याय युक्त कह कर किसानों पर ६५ प्रतिशत लगान बढ़ाने की सिफारिश कर देते ।

इस तरह मि० जयकर की रिपोर्ट के तो धुर्रे-धुर्रे उड़ा दिये गये । अब एण्डरसन साहब को अपने खडे रहने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए न ? इसलिए उन्होंने जमीन के शिकमी लगान को ही सच्चा आधार और

विजयी बारडोली

दिशादर्शक बनाया। उनका कहना यह है कि जमीन का खर्च चाहे कितना ही बढ़ जाय; पर अगर लोगों को खेती से कोई लाभ न होगा तो उसका किराया नहीं बढ़ सकता। अगर बढ़े हुए किराये पर लोग जमीनें उठाते हैं तो इसके मानी तो यही हुए कि लोग इसमें गुआइश देखते हैं। पर मि० ऐण्डरसन का यह आधार भी उतना ही कच्चा है। (इन बातों के उत्तर अगले परिच्छेद में हैं)

मिस्टर ऐण्डरसन जयकर की रिपोर्ट के परिशिष्टों को बड़े अच्छे बताते हैं, क्योंकि आगे चल कर उन्हीं पर उन्हें अपने नये 'दिशादर्शक' की रचना करनी है। तथापि वे परिशिष्ट "G" को अधूरा ही बताते हैं और "H" को जिसमें किराये के भाव हैं, उपर्युक्त कारण से आंखें मूँद कर स्वीकार कर लेते हैं।

परिशिष्ट का कुछ नमूना देखिए। कई गांवों में शिकमी लगान पर (किराये) दी गई जमीन के अंक कुल जमीन से ब्यादह बता दिये गये हैं, उदाहरणार्थ—

गाव का नाम	कुल जमीन	किराये पर दी गई जमीन जो बताई है
अमरोली	६८०	७८७
उत्तरा	१३१७	२६८२
मोता	४८२५	४०९५

बघावा	७८४	१२३३
मियांवाडी	१०५७	१२०३
भैंसुदला	७५१	९६३

इस तरह मि० जयकर ने ४२,९२३ एकड़ जमीन किराये पर दी हुई बताई है जो कि कुल-१,२६,९८२ एकड़ खेती योग्य जमीन के करीब तिहाई है। पर इसमें सामे पर दी गई जमीनें शामिल करके ऐण्डरसन साहब मान लेते हैं कि किराये पर दी हुई कुल जमीन जमीन की करीब-करीब आधी हो जाती है। पर वास्तव में रंगत कुछ और ही है। सरदार वल्लभ भाई के कार्यकर्ताओं की जांच से यह पता चलता है कि ताल्लुके में किराये पर दी गई कुल जमीन ६००० एकड़ से अर्थात् प्रतिशत ५ से अधिक न होगी। ४२,९२३ एकड़ तो किराये पर दी गई जमीन को सात वर्षों की मीजान है।

जहां इतनी थोड़ी जमीन किराये पर दी जा रही है उसके लिए, थोड़े से दिवालिये लोगों के दोष के लिए सारी जमीन पर कर बढ़ाना तो दर असल अनुचित है। फिर इस रिपोर्ट में ऐण्डरसन साहब ने इस किराये को वास्तविक से कहीं अधिक महत्व दे दिया है।

अस्तु, इस तरह उनकी रिपोर्ट की खासी खबर लेकर तथा मतलब के कोष्टको का समर्थन करके मि० ऐण्डरसन ने

२९ प्रतिशत वृद्धि की सूचना करके रिपोर्ट को उत्तरविभाग के कमिश्नर मि० चेटफील्ड के पास भेज दिया। मिस्टर ऐण्डरसन पहले सूरत के कलेक्टर रह चुके थे; अतः स्थान स्थान पर अपने पुराने अनुभव का उल्लेख करके उपर्युक्त सारी भूलों के होते हुए भी रिपोर्ट को उन्होंने खूब अधिकार-पूर्ण बनाने की कोशिश की

मि० चेटफील्ड ने इस रिपोर्ट पर लिखा—“मुझे बारडोली सम्बन्धी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। तथापि मैं देखता हूँ कि मि० ऐण्डरसन ने थोड़े किराये (रेण्ट) वाले गांवों को ऊँचे वर्ग के गांवों में शामिल कर दिया है। पर उनके लिए कोई चारा नहीं था।” मि० ऐण्डरसन के द्वारा बदले गये गांवों के वर्गीकरण और क्यारी के लगान में की गई वृद्धि को भी उन्होंने मंजूर कर लिया, इसलिए कि मि० ऐण्डरसन ताल्लुके की विशेष जानकारी रखते थे।

पर इस बन्दोबस्त में जिन बातों को प्रमाण-स्वरूप मान कर जनता को समृद्ध बताया गया वे गलत थीं और लगान वृद्धि भी अन्याय्य थी। बारडोली के लोगों ने उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० चेटफील्ड को इस आशय की कई दरखास्तें भेजीं कि लगान गलत आधार पर कूता गया है। परन्तु मि० चेटफील्ड ने उन सब को निरर्थक बता कर

नव-प्रकाश

रही की टोकरी में फेंक दिया । और सेटलमेंट कमिश्नर की सिफारिशो का २९.०३ वृद्धि का समर्थन करते हुए मामले को बम्बई सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भेज दिया ।

पर बारडोली के किसान यो चुपचाप बैठनेवाले नहीं थे । १९२१ में नव-प्रकाश उनमे फैल चुका था । उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखीं ।

रानी परज का गीत



न्याय ।

जोगडाला गोयलो मंजी
जोगडालां गोयलो रा;
जोगडां नाय यलां मजी
जोगडां नाय देयलां रा-
शारकार ना बोय्यो मंजी
शारकार ना बोय्यो रा;
मान क्यां डोगरां दहलां मंजी
कोयलाडी अहल्यो मजी
कोयलाडी आहल्यो रा ।

यह गीत बहुत पुराना है । इस पर उच्च विचार और परिष्कृत भाषा का संस्कार नहीं पड़ पाया है । तथापि सरकारी नौकरों की परम्परा का वर्णन यह बड़े अच्छे ढंग से सरलतापूर्वक करता है । आज भी गहरे वन-प्रान्त के तहसीलदार आदि अधिकारियों को ये गरीब लोग सरकार के नाम से ही संबोधित करते हैं । गीत का भावार्थ यह है ।

“मंजी नामक एक शख्स न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत गया । पर वहाँ उसे न्याय न मिला । न्याय तो दूर, अधिकारी ने उससे बात तक न की । आखिर उसने अपने बैल उसे दिये उन्हें भी बिगाड़ कर उसने मंजी को लौटा दिया पर न्याय नहीं किया ।”

ज्वाला

“He has little doubt that despite the increase of assessment now to be levied the History of the Taluka in the course of the next settlement will be one of continually increasing prosperity”

GOVT. RESOL 10 TH JULY, 1927.

असन्तोष की आग धीरे धीरे ज्वाला का रूप धारण करने लगी। नये बन्दोबस्त के सम्बन्ध में सेटलमेंट आफिसर जब आर्थिक जाँच कर चुकता है, और अपने प्रस्ताव ऊपर के अधिकारियों के पास भेजता है, तब लगान-वृद्धि के कारण तथा प्रस्तावों आदि सहित सरकार उस रिपोर्ट को कार्तकारों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; अर्थात् जनता को उस पर अपनी अर्जियाँ, दरखास्तें, शिकायतें, आपत्तियाँ आदि पेश करने का मौका देती है। और जब जनता की तरफ से सब शिकायतें सुन लेती है, तब उनका यथायोग्य उत्तर अथवा उचित कार्यवाही करके जितना लगान-घटाना बढ़ाना हो वह घटा-बढ़ा कर उसे कानून का रूप दे देती है। यह कानूनन कार्यवाही है। मगर जनता

विजयी बारडोली

को यही शिकायत है कि उसका पूर्णतया पालन न हुआ । न सेटलमेन्ट ऑफिसर ने पूरी तरह आर्थिक जाँच की, और न रिपोर्ट तैयार हो जाने पर उस पर अपने उजर पेश करने का मौका उसे दिया गया । पहली बात के विषय में बम्बई सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर स्मिथ का कहना है कि श्री० जयकर दस महीने तक ताल्लुके में गाँव गाँव घूमे, खेत खेत गये, और उन्होंने किसानों से प्रत्यक्ष मिल कर उनकी आर्थिक अवस्था की कानून के अनुसार यथायोग्य जाँच करके उसके आधार पर ही अपनी रिपोर्ट लिखी है । परन्तु जनता के प्रतिनिधियों ने जब जाँच की तो लोगों ने कहा कि “हमें तो उनके दर्शन तक न हुए” । स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ता० ८ अप्रैल सन् १९२८ को कलेक्टर को भेजे अपने एक पत्र में लिखते हैं—“जाँच करते समय किसानों को खबर तक नहीं भेजी । बस, सर्कल इन्स्पेक्टर को अपने साथ मे लेकर प्रत्येक गाँव में दो दो मिनिट ठहर कर जन्म-मरण के रजिस्टरो पर दस्तखत किया और चल दिये । इस तरह एक एक दिन में चार-चार पाँच-पाँच गाँवों में वे घूम लिये । कई बार तो पटेलो को उपर्युक्त रजिस्टर लेकर अपने मुकाम पर बुलवा कर उन पर वे अपने दस्तखत कर देते और नाम मात्र को पूछताछ कर लेते । इस विषय मे कितने ही जिम्मेदार

कार्य-कर्ताओं ने गाँव गाँव घूम कर तहकीकात की है, पटेलों से पूछा है, गाँव के मुखियाओं से बातचीत करके तलाश किया है और सब जगह से यही उत्तर मिला है कि सेटलमेन्ट ऑफिसर ने ठीक ठीक जाँच नहीं की है। यही क्यों, आपके दफ्तर में उस समय का उनका लिखा रोजनामचा होगा उसे निकाल कर देख लें। आजकल ओलपाड और चिखली में भी नये बन्दोबस्त का काम चल रहा है। वहाँ भी आर्थिक जाँच चल रही है। वहाँ के सेटलमेंट ऑफिसरों के रोजनामचों से श्री० जयधर के रोजनामचे की तुलना करके देखिएगा; आपको फौरन मालूम हो जायगा कि इन दोनों जाँचों में कितना भारी अन्तर है।”

दूसरा दावा ।

खैर, सरकार का दूसरा दावा यह है कि रिपोर्ट पर लोगों को अपने उत्तर पेश करने का मौका दिया जाता है। इसका तरीका भी पिछले वर्ष श्रीशिवदासानी ने अपना अनुभव सुनाते हुए धारा सभा में कहा था—

“इस विषय में रिपोर्ट को प्रकाश में नहीं लाया जाता। लोगों को इस रिपोर्ट की नकल ही कहाँ मिलती है ? ताल्लुके के प्रधान दफ्तर में रिपोर्ट की एक अगरेजी प्रति रख दी जाती है। और किसानों से यह आशा की जाती

विजयी वारडोली

है कि वे उमे पढ़ कर अपनी शिकायतें भेजें । एक बार तो मैंने यह भी सुना था कि एक मामलतदार ने किसानों को रिपोर्ट दिखाने तक से इनकार कर दिया था । पर खैर यदि हम मान लें कि उसने दिखाई भी हो तो क्या यह न्याय्य और कानून से भी सम्मत है कि किसानों के हित से इतना गहरा सम्बन्ध रखनेवाली रिपोर्ट को ताल्लुके के दफ्तर मे रक्खा जाय और १०० गाँवों के लोगों से कह दिया जाय कि वे उमे पढ़ लें, क्या इसे प्रकाशित करना कहते हैं ?”

इसी पर श्री महादेव भाई नवजीवन में लिखते हैं “वारडोली में तो इससे भी अधिक दुर्दशा हुई । सेटलमेंट अफिसर अपना रिपोर्ट कलेक्टर को भेजता है, कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर की हैसियत से उसकी जाँच करता है, और उसे आगे भेज देता है । यहाँ तो स्वयं सेटलमेंट ऑफिसर ही कलेक्टर भी था; फिर उसकी जाँच और कौन करता ? रिपोर्ट आगे बढ़ी । सेटलमेंट कमिश्नर ने उसकी खूब छीछालेदर की, और ‘लगभग नई रिपोर्ट लिखी ।’ इस पहली रिपोर्ट का क्या हाल हुआ सो तो भगवान ही जानें । लोगो को तो वह हरगिज नहीं दिखाई गई । अरे, धारा सभा के सभ्यो को भी रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया गया । हमारा तो ख्याल है कि उस रिपोर्ट को

निकम्मा समझ कर फेंक दिया गया । और दूसरी रिपोर्ट लिखी गई । ' लगभग नई रिपोर्ट लिखी ' यह तो शिष्ट प्रयोग जान पड़ता है । और ऐसा अनुमान करने के लिए हमारे पास कारण भी है । उनमें से एक तो यही है कि रिपोर्ट खानगी न होने पर भी उसको प्रकाशित करने की सरकार को हिम्मत हां नहीं हो रही है । धारा सभा के सभ्यो को भी इससे वंचित रक्खा गया है ।"†

पार्लेमेन्टरी कमेटी

सन १९१९ में भारतीय शासन-तंत्र में नये सुधार करते समय एक पार्लेमेन्टरी कमेटी नियुक्त की गई थी । उसने सिफारिश की थी—“ जितनी जल्दी हो सके धारा-सभा को जमीन का लगान बढ़ाने सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार मिल जाना चाहिए ।” कहां तो पार्लेमेन्टरी कमेटी की‡ यह सिफारिश और कहां सरकार की यह नीति

It was "exhaustively dealt with by the commissioner of settlements, himself a former collector of the district, and in fact has been practically rewritten by him" Government Reselution on the Revision settlement

† ज्ञात हुआ है कि बाद में धारा-सभा के सभ्यों को रिपोर्ट की कोरी नकलें भेज दी थीं । उसमें से मि० मॅकमिलन और मि० वेण्डरसन की टीका टिप्पणियों की नकल निकाल ली थीं ।

‡ परिशिष्ट देखिए ।

विजयी बारडोली

कि धारा-सभा के सभ्यों को सेटलमेण्ट रिपोर्ट भी समग्र पर न दी जाय ।

पर अब तक जनता को यह मालूम हो चुका था कि इस बार २५-३० फी सैकडा लगान की वृद्धि की सिफारिश की गई है । इस पर सारा तात्लुका क्षुब्ध हो गया । बारडोली खराज्य आश्रम की तरफ से श्री नरहरि भाई पारख तथा गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक मलकानी आदि ने जांच पढ़ताल करके अपनी जांच के फल प्रकाशित कर दिये थे । यह भी जाहिर कर दिया था कि सेटलमेण्ट ऑफिसर ने आर्थिक जांच बन्दोबस्त के कानून के अनुसार नहीं की है ।

रिपोर्ट प्रकाशित हुई

जब मामला यहां तक पहुँच चुका तब कही धीरे से सेटलमेण्ट रिपोर्ट प्रकाशित की गई । प्रकाशित होने के मानी क्या है, सो तो पाठक ऊपर पढ़ ही चुके हैं । प्रत्येक सरकार का आधार किसान हैं । उपर्युक्त लगान निश्चय करने की प्रणाली से यह पता चलना मुश्किल नहीं है कि सरकार अपने राज्य के प्राण-स्वरूप इन किसानों के हितों का कितना ख्याल रखती है । सौभाग्यवश अब धीरे-धीरे लोगों पर सरकार का असली स्वरूप प्रकट होता जा रहा है और उनकी सहायता के लिए कार्यकर्ता भी तैयार होते

जा रहे हैं। गुजरात और वारडोली में भी ऐसे कितने ही स्वार्थ-त्यागी और सुशिक्षित कार्यकर्ता हैं, जिनकी बदौलत इतनी असुविधा होने पर भी लगान-वृद्धि के प्रति अपना घोर असंतोष प्रकट करने के लिए किसानों की तरफ से कई अर्जियां भेजी गईं। वारडोली ताल्लुके के खेडूत-मंडल (किसान-मंडल) ने भी इस प्रश्न को हाथ में ले लिया। उसके द्वारा सारे ताल्लुके में कई सभायें की गईं। और उनमें इस बन्दोबस्त के प्रति विरोध प्रकट करने वाले कई प्रस्ताव भी पास किये गये। सरकार से यह प्रार्थना भी की गई कि वह इस वृद्धि को रद्द कर दे। अनेक सभाओं में तो धारा-सभाओं के कुछ सभ्य भी उपस्थित थे। इनमें से उन सभ्यों ने कि जो सूरत जिले की तरफ से धारा-सभा के प्रतिनिधि हैं, धारा-सभा में भी इस प्रश्न को कई बार उठाया और वहां उस पर खूब चर्चा हुई। अन्त में तारीख ३० जनवरी १९२७ के दिन एक सभा में यह तय पाया कि वारडोली के खास-खास काश्तकारों का एक शिष्ट-मंडल (डेप्युटेशन) श्री० भीमभाई नाईक और श्री० दादूभाई देसाई के नेतृत्व में महकमा बन्दोबस्त के सभ्य मि० रियू से मिले और उनसे लगान-वृद्धि रोकने के लिए प्रार्थना करे। तदनुसार ता० २९ मार्च १९२७ को यह शिष्ट-मंडल मि० रियू से मिला। इसके साथ ही साथ चौर्यासी ताल्लुका का

शिष्ट-मंडल भी था। वहां पर इस रिजिजन के प्रश्न पर खूब चर्चा हुई। उस समय श्री भीमभाई नाईक ने उनसे निवेदन किया कि पैदाइश में अब बहुत घटी हो गई है, जमीनों का किराया (Rent) तथा जमीन की कीमतें भी कम हो गई हैं साथ ही मजदूरी तथा खेती के अन्य खर्च बहुत बढ़ गये हैं और तालुके पर कर्ज भी काफी हो गया है। उन्होंने मि० रियू से यह भी कहा कि इन सब बातों को वे स-प्रमाण सिद्ध भी कर सकते हैं। परन्तु मि० रियू ने कहा “इस तरह सर्व-साधारण तौर से की गई शिकायतों पर मैं विचार नहीं कर सकता। यदि किसान स्वयं अपनी दरखास्तें भेजें और प्रत्येक बात को तफसीलवार मेरे सामने रखें तब मैं उन पर विचार कर सकूँगा।” तब श्री० भीमभाई नाईक ने उपर्युक्त निवेदन की सारी बातों को किसानों की अर्जी का रूप देकर वह मि० रियू को दे दी। इसके बाद तारीख २८ मई सन् १९२७ को जिले के दोनो प्रतिनिधियों ने एक अर्ज गवर्नर इन काउन्सिल के नाम भी भेज दिया। उसमें भी इस लगान-वृद्धि का विरोध किया गया था तथा उसे रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

किसानों की बात

इन सब निवेदनों, शिष्ट-मण्डलो आदि में किसानों की तरफ से नीचे लिखी दलीलें पेश की गई थी—

सेटलमेंट आफिसर ने लगान बढ़ाने की सिफारिश करते हुए यह बताया है कि जनता समृद्ध हो गई है। और इसका सबसे पहला सबूत यह बताया है कि जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। पर जमीनों की कीमतों में यह वृद्धि तो महायुद्ध के बाद (१९१४-२५) में हुई है। उस समय कपास के भाव इस तरह आस्मान पर चढ़ गये थे कि लोगो को खेती बड़ा फायदेमन्द धन्धा दिखाई देने लग गया। फिर जो लोग विदेशों से धन कमा करके लाते, उन्हें जमीनें खरीदने की बड़ी इच्छा होती, क्योंकि देश में तो वही आदमी आबरूदार समझा जाता है, जिसके पास जमीन होती है। कपास के बढ़े-चढ़े भाव और यह आबरू की भावना जमीनों की कीमतें बढ़ने के खास कारण हैं। संभव है, अधिकारियों के दिमाग में यह बात नहीं समाती होगी कि यदि जमीन से काफी उपज नहीं हो सकती, तो लोग क्यों इतनी कीमतें देकर खरीदते हैं, बैंको में अपने रुपये क्यों नहीं रखते ? पर मानव-हृदय अर्थशास्त्रों के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। यदि एक किसान के ५०,०००) किसी बक में जमा हैं, पर उसके कोई जमीन बगैरा नहीं है, और एक दूसरे किसान के पास नकद रुपया तो उतना नहीं मगर ५० एकड़ जमीन जरूर है, तो जनता की नजर में यह जमीनदार किसान

विजयी बाराहोली

अधिक प्रतिष्ठित है। बैंक और रुपये का क्या भरोसा ? आज है, कल नहीं। फिर ताल्लुके में जांच करने पर यह पता चलता है कि जमीनो के खरीदने वालों में अधिकांश लोग विदेश से लौटे हुए हैं। पर सेटलमेंट ऑफिसर अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी नहीं करते। इस तरह जमीनो के भाव असाधारण परिस्थिति में बढ़े हैं।

माल के भाव

सेटलमेंट ऑफिसर ने जनता की समृद्धि का दूसरा सबूत यह पेश किया है कि माल के भाव खूब बढ़ गये हैं। पर उनके बढ़ने का कारण भी महायुद्ध ही है। सेटलमेंट ऑफिसर की रिपोर्ट की स्याही सूखने के पहले तो वे भाव गिर गये और तब से बराबर गिरते ही जा रहे हैं। आज कपाल के भावों में कितनी घटी हो गई है ? इससे स्पष्ट है कि ऐसे अपवाद रूप बढ़े हुए भावों के आधार पर ३० वर्ष के लिए लगान बढ़ा देना अन्याय पूर्ण है। फिर माल के साथ-साथ खेती के खर्च और मजदूरी के भाव भी तो बढ़ गये हैं। सेटलमेंट ऑफिसर इस बात का तो उल्लेख भी नहीं करते। जो बैल—जोड़ी पचीस-तीस वर्ष पहले सौ रुपये में मिलती थी, आज बैसी जोड़ी के चार-पांच सौ रुपये लग जाते हैं। जो 'दुबला' पहले तीस रुपये में किसान



किसानों के अथक मित्र
रा० सा० दादूभाई देसाई
रा० व० भीमभाई नाईक



मिजयी वारडोली



श्री० हरिभाई अमीन

धारासभा के दो अन्य सहृदय सभ्य

जिन्होंने सत्याग्रह के पहले
किसानों के लिए खूब वैध
आन्दोलन किया



श्री० शिवदासानी

विजयी बारडोली

के यहाँ वर्ष पर काम करता था, आज उसपर किसान को दो तीन सौ रुपये लग जाते हैं ।

जमीन का किराया

अब जमीन के किराये (Rental Value) पर विचार करें । यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी अधिकारी इसे ही खेती का नफा नुकसान बतानेवाला अपना विश्वसनीय मार्ग-दर्शक समझते हैं । अतः उनका ख्याल है कि लगान के दर इसी के आधार पर कायम करना सबसे आसान और न्याययुक्त तरीका है । यह तरीका आसान भले ही हो, पर न्याययुक्त तो नहीं कहा जा सकता । अहमदनगर के कलेक्टर मि० स्मार्ट ने लैंड रेवेन्यू असेसमेंट कमिटी के सामने, जिसकी नियुक्ति सन १९२४ में हुई थी, जवानी देते हुए इस प्रश्न को बड़ी अच्छी तरह रक्खा है वे कहते हैं कि "Rental Value" अर्थात् किराये को लगान निश्चित करने का एक मात्र साधन कभी समझा नहीं जा सकता । फिर भी यदि इसी के आधार पर जमी का लगान निश्चित करना हो, तो नीचे लिखी बातों पर संपूर्ण विचार होना जरूरी है:—

“जांच के लिए ऐसा एक मामूली गांव चुना जाय, जो न तो बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा । वह कल कारखानों वाले शहर से बहुत नजदीक न हो । वहाँ पर जिन-

जमीनों को किराये या मुनाफे पर दिया गया हो, उनका पिछले षांच वर्ष का इतिहास जांच लेना चाहिए। इस इतिहास में यदि यह पाया जाय कि जमीन का मौजूदा किरायेदार पहिले जमीन का मालिक था तो ऐसी जमीनों को हमारे हिसाब मे शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगो को अपनी पुरानी जमीन से प्यार होता है। वपौती की भावना भी होती है। वे चाहते हैं कि उनकी जमीन को और कोई न जोते। साहूकार उनकी इस भावना का अनुचित लाभ उठा कर अधिक किराया मांगता है और हर साल बढ़ाता जाता है। इसी प्रकार परती की जमीन जो पहले पहल किराये पर दी गई हो उसे भी हमारे हिसाब में शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी जमीनों में पहले-पहल खूब पैदायश होती है इस लिए उनका भी किराया अधिक होता है। कई बार किरायेदार और जमीन के मालिक के बीच कर्जदार और साहूकार का सम्बन्ध होता है। इस लिए उसके किराये में साहूकार के दिये कर्ज का सुद भी शामिल रहता है। ऐसी समस्त बातों को छोड़ने के बाद ही जमीन के सच्चे किराये के दर हमें मिल सकते हैं।”

जमीन का किराया बढ़ने का एक कारण और है। कभी कभी किसान के पास जमीन थोड़ी १०-१५ बीघे होती है। फिर भी उसके लिए एक बैल जोड़ी तो रखना

ही पड़ती है। पर एक बैल जोड़ी से वह तो पचीस तीस बीघा जमीन भी जोत सकता है। इसलिए वह अपनी बैल जोड़ी तथा “दुबला” को भी काफी काम मिल जाय इस खयाल से भारी किराया देकर भी थोड़ी-बहुत दूसरे की जमीन भी जोतने के लिए किराये पर ले लेता है।

फिर यह किराये पर लगान निश्चय करने का सिद्धांत तो तब लगाया जा सकता है, जब ताल्लुके में किराये पर ही अधिकांश जमीन दी जाती है। बारडोली में सो भी नहीं है। क्योंकि समस्त ताल्लुके में जमीन नीचे लिखे अनुसार बँटी हुई है।

ताल्लुके में कुल १,४२,०००, एकड़ जमीन है।

इसमें १७,००० एकड़ तो जंगल तथा टेकडियो के कारण खेती के लिए निरुपयोगी है। शेष १,२५,००० एकड़ जमीन नीचे लिखे अनुसार किसानों में बँटी हुई है।

१ से ५ एकड़ तक जिसके पास है ऐसे खातेदारों की संख्या	१०,३४९
६ से २५ „ „ „ „ „	५,९३६
२६ से १०० „ „ „ „ „	८२९
१०० से ५०० „ „ „ „ „	४०

इस तरह बारडोली में कुल १७१८४ खातेदारों में १६, ३१५ ऐसे हैं जिनके पास २५ एकड़ से अधिक जमीन नहीं। १०,३७९ खातेदारों के पास तो केवल १ से पाँच

एकड़ जमीन ही है। ऐसी हालत में कितनी जमीन किराये पर दी जा सकती है ? जिनके पास २५ एकड़ से अधिक जमीन है वही किराये पर दे सकते हैं। इस तरह हिसाब किया जाय तो फी सैकड़ पाँच के अधिक जमीन किराये पर नहीं उठाई जाती। फिर जिन परिस्थितियों में ये जमीनें किराये पर उठाई जाती हैं उनका भी अगर विचार किया जाय, तो किराये का लगान-वृद्धि का आधार मानना मरा-सर अन्याययुक्त मालूम होगा।

शेष दलीलों का जवाब

सेटलमेन्ट ऑफिसर की शेष दलीले विलकुल श्रेथी हैं। हल, बैल-जोड़ी, गाड़ी वगैरह का संख्या बढ़ना समृद्धि का लक्षण नहीं समझा जा सकता क्योंकि जैसे जैसे किसानों के कुटुम्ब विभक्त होते जावेंगे, उनके लिए अलग अलग हल, बैल जोड़ा तथा गाड़ी वगैरह रखना जरूरी है। फिर भी मि० जयकर स्वयं कबूल करते हैं कि खेती के उपयोगी जानवरों की संख्या बढ़ी नहीं बल्कि उलटी घट गई है। यद्यपि खेती की जमीन बढ़ गई है।

दुधार जानवरों की संख्या बढ़ने का खास कारण तो यह है कि महज खेती से लोगों का पेट नहीं भरता इसलिए दूध घी बेच कर अपनी गुज़र करने के लिए उन्हें गाय, भैंस रखनी पड़ती है।

ताप्री वेलो रेलवे को तो कई वर्ष हो गये। इसके बजेट वगैरा पिछले बन्दोबस्त के समय ही तैयार हो गये थे। अतः इससे लोगो को जो जो लाभ होने की आशा थी उनका हिसाब पिछले लगान-वृद्धि के साथ ही सेटलमेन्ट आफिसर मि० फरनांडिज ने लगा लिया था। उसे इस बार जनता की समृद्धि को बढ़ाने वाले माधनो मे फिर गिनना अनुचित है। जो नई सड़कें बनी हैं, उनमे से अधिकांश स्थानीय कोश से बनी हैं, और बहुत कम अच्छी हालत में रहती हैं। कर्नल प्रेस्कोट उनके विषय मे लिखते हैं "वे आदमी और जानवरो की जान लेने के लिए काफी हैं" और उनका जो उस समय हाल था वही अब भी है।

नियमित वर्षा होना और अकालो का कम हो जाना क्या बेचारे किसानो का अपराध है ? इसके लिए लगान वृद्धि करके उन्हे लूटना क्या ब्रिटिश न्याय के अनुकूल है ? यदि अकाल नही आते तो क्या कर अधिक बढ़ने चाहिए ? जनता के पास दो पैसे भी नही रहने पावें ?

जन-संख्या की वृद्धि वाली दलील तो बिलकुल थोथी है। तीस वर्ष मे ३८०० की वृद्धि तो व्यापार के केन्द्र माने जाने वाले ४-५ कस्बो मे हुई है। शेप'ताल्लुके की जनसंख्या तो उलटी घटती हुई प्रतीत होता है।

पक्के मकानो का बनना तथा त्रिना चौथाई की नोटिस

के लगान का वसूल हो जाना भी जनता की समृद्धि के कारणों में शुमार किया जाता है। पहिले तो ये बातें यह सिद्ध नहीं करती कि जनता समृद्धि हो गई है। पक्के मकान दर्शित आफ्रिका से लौटे हुए लोगो ने बनवाये हैं। जमीन के समान ही पक्के मकानों का होना भी आवरुदार आदमी का लक्षण वारडोली में किसी तरह समझा जाने लगा है। इसलिए लोग कर्ज करके भी पक्के मकान बनवाते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उन्हें डर रहता है कि उनके बच्चे अविवाहित ही रह जायं, अथवा अच्छे ऊंचे वर्ग के समधी उन्हें न मिलें। ताल्लुके में जितने पक्के मकान हैं, उनमें से आधे से अधिक तो आफ्रिका से लौटे हुए लोगो के हैं, और शेष पक्के मकानों के मालिक कर्जदार हैं।

वही हाल शादी तथा मृत्यु-भोज आदि का है। एक धनिक आदमी शौक के खातिर अधिक पैसा खर्च कर देता है। लोग उसको तारीफ करते हैं। दूसरो को भी यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा हांती है। वे भी ऐसा ही करते हैं। और शनैः शनैः वह एक रिवाज बन जाता है। उसे तोड़ने की हिम्मत किसे हो सकती है? लोग आर्जे मूँदकर फिजूल खर्ची करते चले जाते हैं और कर्ज में डूबते जाते हैं। इन बातों को जनता की समृद्धि का साधन समझना भूल है।

लोग लगान समय पर देते हैं यह उनकी समृद्धि को अपेक्षा दण्ड-भीरुता का लक्षण भले ही कहा जा सकता है।

काली परज जाति में सुधार हो रहे हैं उनमें शिक्षा बढ़ती जाती है और शराब-खोरी तथा खर्चीली प्रथाएँ घटती जाती हैं इस लिए उन पर लगान बढ़ाने की नीति के लिए 'कुटिल' के सिवा कोई उपयोगी शब्द नहीं मिलता। क्या यह कुटिलता नहीं कि जब कालीपरज जाति में खर्चीली प्रथाएँ हों, शराब-खोरी हो, शिक्षा का अभाव हो तब यह कह कर उन पर अधिक कर लगाया जाता है कि वे और और बातों में खर्च कर डालते हैं इस लिए कर ही बढ़ा देना ठीक है। अब जब कि उन्होंने शराब छोड़ दी और दूमरी बातों में भी सुधरते जा रहे हैं तब यह कहा जाता है कि अब तो ये सुधरते जा रहे हैं, उनकी कमाई में बचत भी होती होगी इसलिए अब तो उन पर लगान अवश्य बढ़ाना चाहिए। फिर भी यदि कालीपरज की दशा सचमुच अच्छी होती तब भी बात समझ में आ सकती थी। इस समय तो वे अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाते हैं। फिर कर वृद्धि की यह ज्यादाती क्यों ?

वास्तव में जनता की हालत तो पहले की अपेक्षा कहीं खराब हो गई है। पिछले बन्दोबस्त के समय तीस वर्ष पहले बारडोली ताल्लुके पर ३३ लाख का कर्ज था। आज

विजयी बारडोली

वह एक करोड़ से भी अधिक है। प्रति वर्ष बारडोली में २८,९०,५४८) का माल खेती से पैदा होता है। परन्तु इसे पैदा करने में ३२,००,०००) खर्च हो जाता है। एक करोड़ का कर्ज, उसका सूद और तिस पर यह चार लाख की सालाना घटी इन सब बातों पर सरकार को ख्याल करना चाहिए। अन्यथा प्रजा बरबाद हो जायगी। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा गया था कि—

- १ खेती के माल के खासकर कपास के भाव बहुत गिर गये हैं और अब मजदूरी के भाव इनने बढ़ गये हैं कि किसानों को कोई बचत नहीं रहती।
- २ से० आफिसर ने जमीनों की कीमतें तथा माल के भावों का ख्याल करते समय असाधारण वर्ष गिन लिये हैं।
- ३ जमीनों की कीमतें बढ़ने का कारण उपज नहीं दक्षिण अफ्रीका में पैदा किया हुआ धन है।
- ४ विनिमय के भाव बढ़ने के कारण भी किसानों को बड़ी हानि उठानी पड़ी है।
- ५ किसान कर्जदार है, जमीन में उन्हें विशेष लाभ नहीं होता।
- ६ Rental Values का हिसाब गलत है।

जले पर नमक

पर इन सारी बातों के चल चलाऊ जवाब देकर सरकार ने ता० १९ जुलाई १९२७ के दिन एक प्रस्ताव द्वारा लगान २९.०३ से घटा कर २१.९७ कर दिया और यह

जाहिर कर दिया कि इस चन्दोत्रस्त के विरोध में जितनी भी दलीलें पेश की गई हैं “गवर्नर इन कौन्सिल ने” उनपर खूब अच्छी तरह विचार कर लिया और वे इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि लोगो द्वारा पेश की गई सारी दलीले भ्रम-मूलक हैं। अगुआओं की यह भविष्य-वाणी गलत होगी कि जनता बरबाद हो जायगी। इसके विपरीत गवर्नर और उनकी कौन्सिल को इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि लगान में इतनी वृद्धि हो जाने पर भी पारडोलों का आगामी तीस वर्षों का इतिहास उसकी समृद्धि का ही इतिहास होगा।”

इस प्रस्ताव और जवाब ने तो जले पर नमक का काम किया। सारे ताहुके भर में असन्तोष और लोभ की आग फैल गई। एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है।

यद्यपि साधारणतया सरकार के इस प्रस्ताव द्वारा लगान कुछ घटा था तथापि गांवों के वर्गीकरण में फिर परिवर्तन किया गया था। इसके फल-स्वरूप कई नीचे के वर्ग के गांव ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिये गये थे। इस लिए उन पर दोबारा लगान बढ़ गया। एक तो ऊपर के वर्ग का लगान बढ़ा और दूसरे सर्व-साधारण के साथ उस पर २२ प्रतिशत भी बढ़ा। ये गांव खास कर रानी परज के ही हैं। उनपर ५० से लेकर ६६ प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई थी। अतः असन्तोष की लहर रानी परज में और भी ज्यादा बढ़ गई।

परदेशी सूवा



परदेशी सूवा, कीसनो वधारो न्होनो रे नाखवो,
 कीस वधारी भारी करी तें भूल—परदेशी०
 भ्रगणुं देवुं थयु छ लोकने
 कीसव धारो दाइया ने दीघा डाम रे—परदेशी०
 तारो धंधो प्रजाने चूमवी
 हाडकां माळो भले प्रजा थई जाय रे—परदेशी०
 पापी धंधो तारो नहीं चालशे,
 न्यायी प्रजानो ईश्वर तारण हार रे—परदेशी०
 सूं तो भूख्यो घरायो ना कदी
 राकड़ी रैयत तारो रुटो खारोक रे—परदेशी०
 पहादुर वनी छे रैयत रांकड़ो,
 गुरु मळयो छे खूटयो तारो खारोक रे—परदेशी०
 जुठूं नभतुं नथी संसारमां
 सन्यनी सामे जूठना, चूग थाय रे—परदेश०
 जुल्मी पोताना जुल्म थी मुआ
 सती सीताए रोळयू रावण राउय रे—परदेशी०
 बगडी बाजी बगाडोश जो हजी
 बारडोली मां ताहें राळोशे राज रे—परदेशी०

यज्ञ-देवता का आवाहन

पौ फटी

प्रार्थना और 'भिक्षां देहि' वाली नीति का जब इस तरह अंत देख लिया। तो जनता को महात्माजी के बताये अंतिम शस्त्र की सचाई का भान हुआ। शनैः शनैः उसे यह निश्चय होने लगा कि अब उसके पास सिवा सत्याग्रह के अपने दुःखों को भिटाने के लिए दूसरा उपाय ही नहीं है। अन्त में ता० ६ सितम्बर सन् १९२७ को चारडोली में ताल्लुका के समस्त किसानों की एक परिषद् की गई। श्री दादू-भाई देसाई अध्यक्ष थे। श्री भीमभाई नाईक तथा श्री दीक्षित के जोशीले व्याख्यान हुए। उनके दिल चोट खाये हुए थे। वैध आन्दोलन की निःसारता वे देख चुके थे। रवेन्यू मेम्बर, गवर्नर आदि जिन जिनसे खानगी तौर से तथा प्रकट रूप से प्रार्थना करनी थी वे कर चुके थे। पर जहाँ सरकार का स्वार्थ होता है, अंगरेज अधिकारी किसी का नहीं सुनते। अतः धारा-सभा के सभ्यो ने कहा "हमसे जितना भी कुछ प्रयत्न हो सका, हम कर चुके। अब तो यदि आपके अन्दर सत्याग्रह करने और उससे होने वाले कष्ट सहने

की शक्ति हो, तो आप इस अमोघ-शस्त्र का उपयोग करें ।
और श्रीवल्लभभाई से इस आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण
करने के लिए प्रार्थना करें । उस दिन जनता ने बड़ा हुआ
लगान सरकार को देने से इन्कार करने का प्रस्ताव किया ।
और सभा विसर्जित हुई ।

क्या सत्याग्रह हो सकता है ?

इसके बाद बारडोली के खास-खास लोग इस बात
की जाँच करने लगे कि सत्याग्रह की दृष्टि से तालुका
तैयार है या नहीं । इस बीच ता० ११ दिसम्बर रान् १८२७
को वालोड महाल के लोगो की एक परिषद हुई । अध्यक्ष
धारा-सभा के सभ्य श्री शिवदासानी थे । यहां पर भी सभा
ने बड़ा हुआ लगान सरकार को न देने का प्रस्ताव स्वीकृत
किया । तब तक सूरत के (दयालजी भाई आदि कुछ लोग
सरदार वल्लभभाई से सत्याग्रह का नेतृत्व ग्रहण करनेकी
प्रार्थना करने के लिए गये । श्री वल्लभभाई ने इसके बाद
का हाल अपने वांकानेर के (ता० १२-२-२५ के) भाषण
में स्वयं इस तरह कहा है—

“दयालजी भाई आप लोगों से मिलकर मेरे पास लौट
आये । उन्होंने कहा कि लोग तो सिर्फ उतना लगान भरने
से इन्कार करने के लिए तैयार हैं, जो अभी बढ़ाया गया
है । मैंने देखा कि ऐसी लड़ाई लड़ना तो पाखंड है । यह

तो साफ साफ कायरता है। इसमें सत्य का लवलेश भी नहीं। शायद आप ने सोचा होगा कि जमीनें खालसा होने की अथवा कोई भारी जोखिम नहीं उठानी पड़े इस विचार से पुराना लगान तो सरकार को दे दें, और वड़ा हुआ लगान न दें, और इससे सरकार पर जरूर कुछ असर होगा। पर आप विश्वास रखिए यह सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। सत्याग्रह तो एक अमोघ उपाय है। यदि आप साढ़े चार लाख रुपये तो सरकार को दे दें और एक लाख न दें तो इससे सरकार का क्या बिगड़ सकता है? वह तो धीरे-धीरे सब वसूल कर लेगी। यह जो आपको सावधानी के साथ, बिना कोई जोखिम उठाये लड़ने के लिए कहा जा रहा है, इससे कुछ फल नहीं निकल सकता। इससे न बारडोली का भला हो सकता है न हिन्दुस्तान का। मेरा यह संदेश लेकर दयालजी भाई लौटे, पर वे बीमार हो गये। फिर एक दिन, मेरे पोर बंदर जाने में पहले, भाई कल्याण जी तथा खुशालभाई मुझसे मिले और उन्होंने कहा “बारडोली के लोग बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही उन्हें कोई रास्ता बताइए।” मैंने उनसे कहा “आप बारडोली जाइए, गांव-गांव घूमकर देखिए कि लोग लड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर वे लड़ना न चाहते हों, तो मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं लड़ा सकता।

यदि वे यह समझ चुके हों कि इस समय तो सरकार से लड़ना ही धर्म है, तो किस तरह लड़ना चाहिए यह बताना मेरे जिम्मे आया। यदि उनकी इच्छा हो कि नेता मिले तो लड़ें तो मेरा धर्म है कि मैं उनका साथ दूँ।” वे दोनों बारडोली में घूमे परिस्थिति का अध्ययन किया और उन्होने मुझसे आकर कहा कि “लोग इस बात को समझते जा रहे हैं कि सत्याग्रह ही लड़ने का एक मात्र और सबसे बढ़िया मार्ग है। और बहुत से लोग इस तरह लड़ने को तैयार भी हैं।” तब मैंने उनसे कहा कि “अब आप जाइए और समस्त ताल्लुके के किसानों को बारडोली में किसी दिन एकत्र कीजिए और मुझे इसकी खबर कर दीजिए। एक बार मैं स्वयं लोगो से रोवरू बातचीत करके जान लेना चाहता हूँ कि उनके दिल में क्या क्या है।”

प्रथम रेखा

तारीख ४ फरवरी सन् १९२८ को बारडोली में समस्त ताल्लुके के किसानों की एक प्रातिनिधिक सभा हुई अग्र्यक्ष स्थान को सरदार वल्लभभाई सुशोभित कर रहे थे। इस परिषद में धारा-सभा के तीन सभ्य-श्री भीमभाई नाईक श्री दादूभाई देसाई, तथा श्री दान्ति भी उपस्थित थे। वे तो अपनी तरफ से सब कुछ कर गुजरे थे। आज लोगो से उन्होने फिर कहा कि “अब बाजी हमारे हाथ से चली

गई। अब तो वल्लभ भाई जैसे सत्याग्रही ही आपकी सहायता कर सकते हैं इसलिए अब इनका आश्रय लीजिए।”

श्री वल्लभ भाई ने सबसे पहले कार्य-कर्ताओं की अच्छी तरह जांच की, और यह जान किया कि वे सत्याग्रह के अर्थ और गंभीरता को अच्छी तरह समझे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने गांवों के प्रतिनिधियों को बुलाया। ७५ गांव के लोग उस दिन हाजिर थे। ताल्लुके में खेती करने वाली जितनी भी जातियां हैं, उन सबके प्रतिनिधि इनमें थे सब अपनी-अपनी जिम्मेदारी को थोड़ी बहुत समझते थे। इनमेंसे बहुत से लोगोंने जोरों के साथ कहा कि बढ़ाया हुआ लगान अन्याय पूर्ण है, अतः उसे कदापि नहीं भरना चाहिए श्री वल्लभभाई ने एक-एक आदमी से अलग-अलग पूछना शुरू किया पांच गांव के लोग ऐसे थे, जिन्होंने कहा “हम पुराना लगान जमा करा देगे और नया लगान वसूल करने के लिए अपनी शक्ति आजमाने का सरकार को चुनौती देगे।” शेष राव लोगो ने एक स्वर से कहा कि जब तक सरकार नहीं मुकेगी या केवल पुराना लगान ही लेने के लिए तैयार न होगी, तब तक उसे हम कुछ न देंगे।” सब अपने-अपने दिल की बातें कह रहे थे। संकोच का नाम न था। जो जिसे सूझती, अपने दिल के भाव प्रकट कर देता था। एक रानी परज के किसान ने कहा “अड़े तो

रहेगे, पर सरकार का जुल्म सहना जरा मुश्किल मालूम होता है।” किसी दूसरे ने कहा “सरकार जी चाहे सो करे, दूसरों का कुछ भी होता रहे, मैं तो कभी लगान न दूँगा।” कोई अपने गांव की मजदूती का वर्णन करता, तो कोई कमजोरी का हाल प्रकट करता। किसीने कहा “यदि चार आदमी भी सच्चे बने रहें तो समस्त ताल्लुके को बे संभाल लेंगे।” “पर चार कौन” ? “चार अगुआ।” इनमें आप भी तो शामिल हैं न ?” “जी नहीं, मैं तो उन चारों के कदम ब कदम चलने वाला हूँ। तब वल्लभ भाई ने पूछा “यदि आपके अंदर कोई ऐसे चार आदमी हों तो खड़े हो जाइए, जो लगान वृद्धि के इस अन्याय के विरोध में लड़ते-लड़ते अपना सर्वस्व गंवाने के लिए भी तैयार हों।” यह सुनते ही सभा में से एकाएक चार आदमी खड़े हो गये।

इस तरह खूब अच्छी तरह लोगों की मनोदशा की जांच करने के बाद श्रीवल्लभभाई ने लोगों को सत्याग्रह में होने वाले कष्टों का ख्याल दिलाया। सरकार की असाधारण सत्ता की भी याद दिलाई और कहा जो कुछ करना हो खूब सोच-समझकर करना। मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे काम में नहीं पड़ता जिसमें कोई खतरा या जोखिम न हो। जिसे संकटों को निम-



डॉ० दीक्षित



श्री दयालजी भाई
विजयी नारडोर्ला



श्री कल्याणजी भाई



डॉ० सुमन्त

विजयी वारडोली

१२

न्द्रण देना हो, उसकी सहायता के लिए मैं सर्वदा तैयार हूँ।”

लोग सत्याग्रह की प्रतिज्ञा लेकर युद्ध की घोषणा करने के लिए अधीर हो रहे थे। श्री वल्लभभाई ने उन्हें समझा-बुझाकर इस महान् प्रश्न पर आठ दिन और विचार करने के लिए दे दिये। और यह भी कहा कि इस बीच मैं सरकार को एकवार इस मामले में न्याय करने के लिए फिर समझा कर देख लेता हूँ। इसके बाद आठ दिन में फिर सम्मिलित होने का निश्चय करके सब अपने-अपने घर गये।

सरकार को भी एक बार अपनी तरफ से समझा कर देख लेना सत्याग्रही की हैसियत से उनका धर्म था। यदि वह न समझे तो अन्तिम चेतावनी देना तो जरूरी था ही। तदनुसार उन्होंने बम्बई के गर्वनर सर लेस्ली विलसन को यह पत्र लिखा—

सरदार वल्लभभाई का पत्र

अहमदाबाद ६ फरवरी १९२८

श्रीमन्,

आज यह पत्र आपको मैं जिस विषय के सम्बन्ध में लिख रहा हूँ, उसमें एक लाख किसानों के हित का प्रश्न है। मैं यह पत्र आपको बड़े संकोच के साथ लिख रहा हूँ।

चिजयी बारडोली

“और इसमें मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है। फिर मैं यह पत्र स्वयं आपही को इसलिए लिखने की आज्ञा चाहता हूँ कि यह मामला बहुत जरूरी है, और लोगों तथा शायद सरकार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है।

सूरत जिले के बारडोली ताल्लुका की जो नई जांच हुई है उसमें फी सैकड़ा २२ लगान वृद्धि की गई है। ता० १९ जुलाई सन् १९२७ के सरकारी निर्णय नं: ७२५९ २४ के अनुसार उसपर इसी वर्ष से अमल भी होने वाला है। इसलिए जनता बड़ी उत्तेजित हो गई है। वह मानती है कि उसके साथ भारी अन्याय हुआ है। न्याय प्राप्त करने के तमाम मामूली उपायों को लोगों ने आजमा कर देख लिया। अन्त में यह सोचने के लिए कि लगान-वृद्धि का जो कि किसानों की दृष्टि में एक-तर्फी, अन्यायी और अत्याचार पूर्ण है, विरोध किस तरह किया जाय, बारडोली में ताल्लुका के किसानों की एक परिषद् हुई थी। इस परिषद् का अध्यक्ष-स्थान ग्रहण करने के लिए किसानों ने मुझ से प्रार्थना की थी। गत पन्द्रह दिनों में ताल्लुका के गांवों से मेरे पास इस विषय पर अर्जियां आई थीं।

परिषद् का काम शुरू करने के पहले ७५ से भी अधिक गांवों के प्रतिनिधियों से मैं मिला। किसी भी गांव का एक भी प्रतिनिधि ऐसा न था जो इस लगान-वृद्धि को

1 अन्यायपूर्ण न समझता हो । पांच गांवों के प्रतिनिधियों ने लगान में जो नवीन वृद्धि हुई है उसे ही भरने से इन्कार करने की बात कही । परन्तु उनको छोड़कर शेष ७० से भी अधिक गांवों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से यही निर्णय जाहिर किया कि जबतक उन्हें न्याय न मिले तबतक सारा लगान ही न दिया जाय । इस तरह अधिकांश गांवों की राय देखकर पूर्वोक्त पांच गांवों के प्रतिनिधियों ने भी अपना निर्णय बदल दिया । मैंने लोगों को खूब समझाया कि उनके इस निर्णय के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं । सम्भव है लड़ाई जल्दी खतम न हो । अनेक संकट आयेंगे । जमीन से भी शायद हाथ धोने पड़ें । इत्यादि मैंने कहा । परन्तु लोग तो अपने निर्णय पर मुझे दृढ़ दिखाई दिये । परन्तु जहां तक हो सके, मेरी इच्छा है कि वर्तमान परिस्थिति में सरकार के साथ बहुत बड़ी लड़ाई न छेड़ी जाय, इसलिए लोगों से मैंने कहा कि अपने निर्णय पर खूब विचार कर लो । और अन्तिम निर्णय करने के पहले आप साहब को भी एक पत्र लिख करके मैं देख लेता हूँ इत्यादि कहा । उन्होंने मेरी यह बात मान ली, और यह तय हुआ कि एक सप्ताह तक आपके उत्तर की राह देखी जाय तथा तबतक इस निर्णय पर पुनर्विचार करके ता० १२ को फिर वही सब लोग सम्मिलित हों । इस मामले पर

विचार करने के लिए इससे अधिक समय मिल सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती। परन्तु यह अशक्य था। क्योंकि लगान अदा करने की १५ दिन की मियाद ता० २० (फरवरी) को समाप्त हो रही है।

लगान-नीति के दुष्परिणाम

सरकार की लगान सम्बन्धी नीति के कारण अभागे गुजरात को बहुत सहना पड़ा है। इसके परिणाम अहमदाबाद और खेड़ा जिला के कितने ही ताल्लुको में तो साफ-साफ दिखाई देते हैं। सूरत की दशा भी उनसे अच्छी नहीं होती। किन्तु वहां के वारडोली तथा अन्य ताल्लुको में कपास की खाली निपज होती है और इस गत महायुद्ध के कारण कपास के भाव असधारणतया चढ़ गये हैं। खेड़ा जिले का मातर ताल्लुका, जो कि एक समय बड़ा मालदार समझा जाता था, आजकल ऐसा बरबाद हो रहा है कि कभी इस बरबादी से उठने, का उसे आशा ही नहीं है। उसी जिले के अहमदाबाद तथा अन्य कितनों ही ताल्लुको की यही दशा हुई जा रही है। अहमदाबाद के धोलका तथा पुंघुम का ताल्लुके का भविष्य भी इनकी अपेक्षा अधिक-आशाप्रद नहीं है। यह सब सरकार की जमीन सम्बन्धी लगान की नीति के कारण हुआ है, और यह सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब मैंने ता० १९ जुलाई

यज्ञ-देवता का भावाहन

सन् १९२७ का रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट का सरकारी रेजोल्यूशन (निर्णय) नं ७२५९ । २४ का नीचे लिखा अन्तिम वाक्य पढ़ा तब मुझे दुख और आश्चर्य भी हुआ ।

भूटा भविष्य कथन

“इसके विपरीत गवर्नर और उसकी कौन्सिल को तो इस बात में जरा भी सन्देह नहीं कि यद्यपि जमीन के लगान में वृद्धि की गई है फिर भी आगामी तीस वर्ष में ताल्लुकेका इतिहास यही बतावेगा कि ताल्लुका दिन ब दिन समृद्ध ही होता गया है ।”

मैं तो सिर्फ इसके बाद यही कह देना चाहता हूँ कि गुजरात के अन्य भागों के सम्बन्ध में किये गये ऐसे भविष्य कथन हमेशा भूटे साबित हुए हैं ।

सरकार तुल गर् है

सरकार के उपर्युक्त निर्णय-रेजोल्यूशन का ग्यारहवां पैरा पढ़ते हुए भी दुख होता है । लोगो ने अपनी अर्जियों और दरखास्तों में सरकार के सामने जो दलीलें और आपत्तियां पेश की हैं, उन सब पर एक कलम मार कर इस पैरा में हड़ताल फेर दी गई है । वे दलीलें गम्भीर और परिणाम जनक हैं । फिर भी सरकार ने उन्हें जिस तरह ऊपर-ऊपर उड़ा दिया है, उससे यही स्पष्ट है कि सरकार

तो हर किसी तरह बढ़ा हुआ लगान वसूल करने पर ही तुली हुई है ।

चन्दोवस्तन का यह तरीका गलत है

लगान की पुनः जांच या वृद्धि का मामला बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें सरकार का यह कर्तव्य था कि वह अपने अधिकारियों को इस आशय की हिदायतें दे कि जिन लोगों से लगान वसूल किया जाता है उन्हें उसकी खबर कर दी जाय । सेटलमेन्ट ऑफिसर प्रत्येक गांव के प्रतिनिधियों के साथ पूरी तरह बातचीत करे, और उनकी राय को पूर्ण महत्व दे । इसके बिना किसी प्रकार की सिफारिशें वह न करें । पर मालूम होता है, सरकारी अधिकारियों ने यह कुछ नहीं किया । उन्होंने तो शिकमी लगान के कागजों पर ही अपनी सारी इमारत खड़ी की है । साथ ही मुझे यहां पर यह भी कह देना चाहिए कि जमीन लगान के इतिहास में लगान निश्चित करने के इस सिद्धान्त को पहली ही बार इस ताल्लुके में अखतियार किया गया है । सेटलमेन्ट आफिसर ने न लोगों से बातचीत की न उनकी राय को कोई महत्व ही दिया । खैर इस बात को यदि छोड़ दिया जाय तो भी जमीन का लगान निश्चित करने का यह सिद्धान्त ही आपत्ति-जनक है, और किसानों के लिए बड़ा हानिकार है ।

पर यदि क्षणभर यह भी मान लें कि यह सिद्धान्त अनुचित नहीं, फिर भी अपनी ही उद्धोषित नीति के, (उदाहरणार्थ १९२७ के मार्च में धारा-सभा की एक बैठक में रेवेन्यू मेम्बर ने जो बात कही थी उसने) खिलाफ तो बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के सरकार कदापि नहीं जा सकती। रेवेन्यू मेम्बर के कथन के विपरीत इस साल के सारे बन्दोबस्त का आधार असाधारण वर्षों में बढ़ी हुई जमीन की कीमतें और माल के भावों पर ही रक्खा गया है।

और भी कई कारणों से यह लगान-वृद्धि दूषित है उनकी तरफ भी मैं श्रामान का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं।

सेटलमेन्ट आफिसर ने अपनी रिपोर्ट लगान-निर्णय की प्रचलित प्रथा के आधार पर बनाई है, जिसमें किराये को गौण स्थान दिया जाता है। इसलिए लोगो ने जब अपनी तरफ से आपत्तियां पेश की तो उन्होंने भी किराया (Lease) को विशेष महत्व नहीं दिया। परन्तु इसके बाद सेटलमेन्ट कमिश्नर ने लगान-निर्णय का एक त्रिलकुल नवीन सिद्धांत प्रहण किया। यही नहीं, बल्कि सेटलमेन्ट आफिसर ने गांवों के जो वर्ग बनाये थे, उनको भी कमिश्नर ने उलट दिया और अपनी तरफ से भिन्न वर्गीकरण किया। ऐसी सिफारिशों को मंजूर करके सरकार ने लगान-निर्णय में

एक बिलकुल नयी पाठ शुरू कर दी है। इस नवीन वर्गीकरण में कई गांव ऊपर के वर्ग में चढ़ाये गये हैं। इसलिए उनपर तो ऊपर के वर्ग का ऊंचा दर और बढ़ाया हुआ लगान भी इस तरह ५०-६० फी सैकड़ा लगान बढ़ गया है। अंतिम हुक्म देने के पहले इस बात की लोगों को खबर तक नहीं दी गई। सरकार ने तो सेटलमेन्ट कमिश्नर का वर्गीकरण स्वीकार कर लिया और १९ जुलाई १९२७ को अन्तिम हुक्म जारी कर दिये। इसी वर्ष यदि नये सेटलमेन्ट पर अमल करना है, तो अगस्त की पहली तारीख के पहले इसकी घोषणा हो जाना आवश्यक था।

सब से बड़ी विपरीता

पर जो बात सब से अधिक नियमों के विपरीत थी, वह तो यह है कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में ३१ गांवों को नोटिसें दी गई कि इस वर्गीकरण पर जिन्हे आपत्ति हो वे अपनी दलीलें दो महीने के अन्दर पेश करें। इस प्रकार संतो १९ जुलाई १९२७ का लगान वृद्धिवाला सरकार का रेजोल्यूशन अंतिम नहीं रहा। और अन्तिम हुक्म देने के पहले जनता के द्वारा पेश की गई आपत्तियों का विचार करने के लिए सरकार बैठी हुई है। दूसरे, छः महीने की नोटिस दिये बिना इसी वर्ष सरकार लगान-वृद्धि वाले हुक्म पर अमल नहीं कर सकती।

परन्तु ताल्लुके के साथ जो प्रकट अन्याय हुआ है उसके विषय में अधिक लिखना नहीं चाहता । मेरी तो सिर्फ यही विनय है कि लोगों के प्रति न्यायकरने के लिए सरकार कम-से-कम नये बन्दोबस्त के अनुसार लगान बसूल करना अभी मुलतवी रखे और इस सारे मामले की फिर एक बार शुरू से जांच कर ले । इस जांच के अन्दर लोगों को अपनी बातें पेश करने का मौका दिया जाय, और यह बचन दिया जाय कि उनकी बातों को संपूर्ण आवश्यक बजन दिया जायगा ।

अत्यंत नम्रता पूर्वक से श्रीमान से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बहुत संभव है, यह मामला तीव्र स्वरूप धारण कर ले । अतः इसे रोकना श्रीमान के हाथ की बात है । इसलिए मैं आदर पूर्वक श्रीमान से अनुरोध करता हूँ कि लोगों को अपना पक्ष ऐसी निष्पक्षपंथ के समक्ष पेश करने का श्रीमान अवसर द, जिसे इस मामले में संपूर्ण अधिकार भी हो ।

यदि इस विषय में रोब्रह्म बातचीत करने की आवश्यकता श्रीमान को दिखाई दे, तो निमन्त्रण पाते ही मैं उपस्थित होने के लिए उद्यत हूँ ।

आपका नम्र सेवक

वल्लभभाई भद्रेर भाई पटेल

विद्ययी वारंडोली

उपर्युक्त सभा के दूसरे ही दिन लगान वसूलों की शुरु चारीख थो । तलाटियों ने वेठियाओं द्वारा लगान भर देने की जुगगी गांव-गांव पिटवा दी । परन्तु ता० १२-२-२८ तक तहसील में लगान की एक कौड़ी भी नहीं पहुँची ।

इस बीच सरदार वल्लभभाई को उपर्युक्त पत्र का बम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन के प्राइवेट सेक्रेटरी से उन्हें यह उत्तर मिला—

गवर्नमेन्ट हाउस

बम्बई ८ फरवरी १९२८

श्रीयुक्त पटेल,

वारंडोली तालुका के नये बन्दोस्त सम्बन्धी आपका ता० ६ का लिखा पत्र माननीय गवर्नर साहब के सामने पेश किया गया था । अब उसपर विचार करके उस पर उचित कार्यवाही करने के लिए आपका पत्र रेवेन्यू डिपार्ट-मेन्ट की तरफ भेज दिया गया है ।

आपका

जे० के०

प्राइवेट सेक्रेटरी

(५)

यज्ञारंभ

वायुमण्डल

बारहोली के लिए तारीख ४ से १२ फरवरी तक के सात दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे । ताल्लुका एक महान युद्ध छेड़ने जा रहा था युद्ध-घोषणा के बाद मनुष्य को सिवा लड़ने के और कुछ नहीं सूझता । किन्तु इस घोषणा के पहले का समय अत्यन्त चिन्तामय होता है । बारहोली का वायुमण्डल भी चिन्तातुर तो था ही । यदि इस बार सिर नीचा करके बड़े हुए लगान को वह सह लेता तो आगे चल कर और किसी न किसी तरह सरकार उसे दवाती ही चली जाती, और इस तरह आखिर दबाते कब तक जायँ ? वैध आन्दोलनों में हजार दौड़-धूप करने पर भी जो असफलता मिली थी वह उनके रोष को बढ़ा रही थी, तहाँ प्रत्याग्रह के फल-स्वरूप आनेवाले संकटों का भी पूर्वरूप उनके अन्दर कुछ भीति उत्पन्न कर रहा था । पर प्रत्येक देश में जन-साधारण से ऊपर उठ जाने वाले कुछ व्यक्ति रहते हैं । बारहोली में तो ऐसे कई थे । वे गांव-गाँव घूम कर एक प्रतिज्ञा-पत्र पर लोगों के दस्तखत ले-लेकर उन्हें इस अनिश्चित अवस्था में से पार निकलने में बराबर सहा-

बता देते रहे थे। एक के बाद एक गाँव तैयार होने लगे— सरदार बल्लभभाई को तो केवल सौ ऐसे आदिमियों की जरूरत थी जो मरने को भी तैयार हों। पर सात दिन में तो सारे ताल्लुके की सूरत बदल गई। जैसा कि पहले निश्चय हो चुका था, ता० १२ फरवरी के दिन फिर बारडोली में समस्त ताल्लुके के किसानों की एक विराट सभा हुई। इस बार भी गाँवों के प्रतिनिधियों से श्री बल्लभभाई ने पहले अलग बात-चीत की। इस बार का बातचीत का रंग कुछ और ही था। प्रतिनिधियों के जवाब सचाई दृढ़ता और तेजस्विता प्रकट करते थे।

सावधान, अपने बल पर !

इसके बाद श्री बल्लभभाई ने उन्हें यों संमन्नाया—
 “पहले तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कोई जोखिम हो, पर यदि करना ही पड़े तो उसे मुकाम पर पहुँचा देना चाहिए याद रखिए, यह लड़ाई छेड़कर के आप कहीं हार गये तो सारे देश की नाक नीची होगी; और यदि कहीं जीत गये तो सारे संसार में उसका मस्तक गौरव के साथ उठ जायगा। चलो, बल्लभभाई जैसे नेता मिल गये, इसलिए लड़ ले यह समझ कर कहीं अखाड़ों में कदम मत रखना। क्योंकि यह खूब अच्छी तरह समझ लेना कि तुम्हें अपनी ही ताकत के बल पर लड़ना है। मैं तो

खाली राह दिखाने वाला हूँ। इस बार कहीं मुझे या हिम्मत हारे तो निश्चय-पूर्वक समझ लेना कि आगामी सौ वर्ष तक तुम न संभल सकोगे। आज हमें जो प्रस्ताव करना है उसे आपही लोगो को पेश भी करना होगा। हम कुछ न करेंगे उस पर भाषण भी न देंगे। जो कुछ करना हो सोच-समझ कर आपही को करना होगा।

इसके बाद श्री बल्लभभाई भरो सभा में गये। और वहां पर इसी बातको अधिक विस्तार पूर्वक कहा। उनके भाषण का सार यों है:—

सोच समझकर

“पिछले सप्ताह में जब हम यहां एकत्र हुए थे, तब यह निर्णय करके गये थे कि इस लगान के प्रश्न पर एक सप्ताह और विचार करलें और उसके बाद कुछ निर्णय करें। तबतक सरकार को भी एक पत्र लिखकर अंतिम प्रयत्न करके देख लेना चाहिए। तदनुसार मैंने गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा भी। किन्तु उनका जो जवाब आया उसमें कोई जान नहीं। जवाब की तो मैंने उनसे आशा भी नहीं की थी। आशा तो आपके निर्णय की मुझे थी। इसलिए आज मैं जो बातें आपसे कहूँगा, उन्हें ध्यान-पूर्वक सुनकर उनपर खूब विचार-कीजिएगा और तब कोई निर्णय कीजिए।”

विजयी बारडोली

जटिल नीति

“सरकार की लगान-नीति बड़ी जटिल है। उसे कोई समझ नहीं सकता। सरकार के कोई भी दो अधिकारी इस विषयपर एक मत नहीं है। कलेक्टर कमिश्नर सब के मत अलग-अलग हैं। फिर यह बात किसानों की समझ में कैसे आ सकती है? यह कानून इसी तरह बनाया गया है कि सरकार जैसा चाहे मनमाना अर्थ लगा सकती है। जमीन के लगान का जो कानून इस समय प्रचलित है, उसकी धारा १०७ के अनुसार लगान लगाया जाता है। उसका तत्त्व यही है कि जमान उत्पन्न पर किसान को जो फायदा हो उसके अनुसार लगान कायम किया जाय।

अर्थात् इस बार सरकार ने बारडोली पर जो लगान बढ़ाया है वह लगान जमीन के इस कानून के विपरीत है।” इसके बाद सेटलमेन्ट अफीसर की रिपोर्ट जिस तरह तैयार हुई, उसपर की गई टीका, सिफारिशें तथा सरकार के लगान-वृद्धि सम्बन्धी अंतिम प्रस्ताव की कहानी सुनाकर आपने आगे कहा।

एक मार्ग

“अब यह आशा करना व्यर्थ है कि हमारी कहीं सुनवाई होगी। अब तो सिर्फ एक मार्ग हमारे लिए खुला है और प्रत्येक जाति के लिए भी वही है। वह है शक्ति का


सामना शक्ति से करना । सरकार के पास तो हुकूमत है, तोप है, बन्दूकें हैं । पर आपके पास सत्य का बल है, दुःख सहने की शक्ति है । अब इन दो शक्तियों का सामना है । अगर आपको यह निश्चय हो कि आपकी बात सच्ची है, यदि आपको यह निश्चय हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, और उसका सामना करना हमारा धर्म है, अगर आपकी अंतरात्मा भी यही बात कह रही हो, तो सरकार की समस्त शक्ति आपके सामने घांसका तिनका है । वह कुछ नहीं कर सकती । आप लगान दोगे तभी वह ले सकेगी जब तक आप अपने हाथ से उठाकर उसे लगान न देंगे तब तक वह कुछ नहीं ले सकती । जालिम से जालिम सत्ता भी उस प्रजाके सामने नहीं टिक सकती जिसमें एकता है । यदि आपके अन्दर सचमुच ऐसी एकता हो तो मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि सरकार के पास ऐसा एक भी साधन नहीं जिससे आपके निश्चय और एकता को वह तोड़ सके । परन्तु जैसा कि श्री भीमभाई नाईक अपने पत्र में लिखते हैं, यह निश्चय करना आपका काम है इस युद्ध में अपना सर्वस्व होम देने की अगर आपके अन्दर शक्ति हो, तो इस मामले को उठाइए ।”

“इस युद्ध में जो जोखिम है उसका पूरा ख्याल कर लीजिए । जिस काम में जितनी भारी जोखिम होती है

वह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण और विशाल परिणाम निपजाता है। जरा कहीं सख्ती की गई और आपने अपना कदम उठाकर पीछे हटा लिया कि केवल गुजरात ही का नहीं, सारे देश को आप हानि पहुँचावेंगे इस लिए जा कुछ भी निश्चय करें, ईश्वर को साक्षी रखकर करें और उस पर दृढ़ रहें। जिससे बाद में कोई आपकी तरफ उंगली तक न उठा सके। यदि कहीं आप का यह ख्याल हो कि मोम का हाकिम तो नाको दम कर डालता है, तो इतनी बड़ी सरकार का हम सामना कैसे करेंगे ? तो इस डर को दिल से हटा दीजिएगा। आप तो यह सोचिए कि इस समय लड़ना हमारा धर्म है या नहीं। यदि आप को यह दिखाई दे कि जब राज्य किसी प्रकार इन्साफ करना नहीं चाहता, तो उसके साथ न लड़ना, चुपचाप पैसे भर देना अपनी तथा अपने बच्चों की घरबादी है, यही नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान को भी चोट पहुँचती है, तो आप यह युद्ध छेड़ सकते हैं।

राज्य का आधार किसान


यह कोई लाख सवालाल का या ३० वर्ष के ३५ लाख रुपये का ही सवाल नहीं, यह तो सत्य और असत्य का सवाल है, स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न है, इस राज्य में किसानों की कोई सुनंता ही नहीं, इस प्रथा को तोड़ने का सवाल है। सारे राज्य का दारोमदार



डॉ० चन्द्रलाल देसाई

भड़ौच के लोकप्रिय नेता और
वालोज के वीर सेनापति

प्रियजी नारडेली
१३



श्री नर्मदाशंकर पंड्या



विजयी वारडोली

श्री चिम्नलालजी चिनाई

किसानों पर निर्भर है। फिर भी उसकी कहीं कोई पूछ ही नहीं ! वह कहे सो सब भूठ। ऐसी परिस्थिति का विरोध करना आपका धर्म है। पर यह विरोध इस तरह का हो कि यदि कहीं आपको परमात्मा के सामने इस बात का जवाब देना पड़े तो कहीं सर नीचे न झुकाना पड़े। अपने दिल पर काबू करके, सत्य पर अटल रहकर, संयम-पूर्वक सरकार से आपको जूझना है। अभी धफसर आवेंगे, आपको खूब सतावेंगे, उकसावेंगे, मनमानी गंदी भाषा का उपयोग करेंगे, और जितनी भी आपकी कमजोरियां उन्हें दिखाई देंगी, उनपर प्रहार करके आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तथापि आप अपनी टेक न छोड़िएगा। अहिंसा को ज़णभर भी न भूलिएगा। सरकार जमियां करे, जमीनें खालसा करे, खेत पर जावे, चीलाम की बोलियां लगावे, जो कुछ भी सरकार के अधिकारियों को सूझे जबरदस्ती से करें। वह आप से कोई पैसा काम न ले सके जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो बस यही इस युद्ध की चावी है। यदि इतना आप कर सके तो मुझे निश्चय है कि हमारी जीत होगी क्योंकि इस का आधार सत्य है।”

इसके बाद लगान वृद्धि का अन्याय, उसकी असंगतता तथा कानूनी गलतियां (जो कि गवर्नर को भेजे अपने पत्र

में श्री वल्लभभाई लिख चुके हैं) बताकर सरदार साहब बोले

“मले ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जायँ” -

आपको सरकार की इन तमाम गलतियों और -पोलो को मैदान में लाकर उसका भण्डाफोड करना चाहिए और जबतक आपके साथ इन्साफ नहीं होता, आप लगान देनेसे साफ इन्कार कर दें। सरकार से कहिए कि एक नष्पत्त जांच-समिति के सामने इस मामले को वह रक्खे। वह अपनी बातें पेश करे और हम हमारी। जब तक यह नहीं होगा काम न चलेगा। यदि इतना भी हमसे न बन पड़ा, यदि सरकार की मनमानी हम हमेशा इसी तरह सहते रहेंगे तो हम मनुष्य नहीं जानवर हैं। पर यह बात आप को खुद समझ जानी चाहिए। यदि मैं आप के स्थान पर होता तो मैं तो साफ साफ कह देता कि इस शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जायँ पर मैं तो ऐसे लगान की एक पाई भी नहीं दूँगा।

सरकार तो अपनी मनमानी कर गुजरेगी। पर आप वह सब सह लेने का निश्चय कर ले। मुझे तो विश्वास है कि बारडोली के वे किसान जिनपर एक समय सारे देश की आंखें लगी हुई थी, इस बार अपनी कीर्ति की शोभा देने योग्य बहादुरी जरूर बतावेंगे और एकवार फिर देश

की दृष्टि अपनी तरफ कर अपने आपको सारे देशकी बधाई के पात्र बनावेंगे ।

मैं आपको फिर एकबार सावधान किये देता हूँ कि मुझ पर या मेरे साथियो पर नहीं अपने ही बलपर विश्वास करके अपना निर्णय आप करें । यदि आपका निश्चय सच्चा होगा, मर मिटने तक की प्रतिज्ञा लेंगे और उसे पालन करनेका दृढ़ संकल्प करेंगे तो निश्चय ही आपका जीत होगी ।

ऐसा निर्णय कीजिए जिसमें आपकी टेक रहे, धर्म की रक्षा हो इज्जत बढे और आगे जो कुछ भी हो कभी आप अपने प्रण से न टर्लें । यह सब ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताव करें । यह प्रस्ताव मुझे अथवा मेरे साथियो को नहीं, आप में से किसानों को ही उपस्थित करना पड़ेगा । हम तो आप की सहायता के लिए बगल में खड़े रहेंगे । प्रस्ताव का समर्थन करने वाले भी आप के अन्दर से ही निकलने चाहिए । यदि आप उस पर भाषण न दे सकें तो इसकी जरा भी परवा न कीजिएगा । बस धर्म-पूर्वक अपने दिल के भाव प्रकट कर दें । भले ही सरकार आपके नाम लिखले, भले ही आपके घर पर सब से पहले चली आवे । बस इसी से बारडोली के किसानों की इज्जत बढेगी ।”

सन्याग्रह की प्रतिज्ञा

इसके बाद नीचे लिखा प्रस्ताव पूणी वाले श्री भीम-भाई खंडुभाई नाईक ने उपस्थित किया—

“वारडोली ताल्लुका के काश्तकारों की यह परिपद प्रस्ताव करती है कि हमारे ताल्लुका के लगान में सरकार ने जो वृद्धि जाहिर की है वह अनुचित, अन्याय्य और अत्याचार पूर्ण है। ऐसा हम मानते हैं। इसलिए जबतक सरकार वर्तमान लगान की ही सम्पूर्ण लगान के बतौर लेने अथवा निष्पक्ष समिति के द्वारा इस लगान वृद्धि के मामले की जांच फिर से कराने के लिए तैयार न हो, तबतक हम सरकार को लगान विलकुल न दें। सरकार हम से जबरदस्ती लगान वसूल करने के लिए जर्सी, खलसा वगैरा जिन-जिन उपायों का अवलम्बन करे उनसे होने वाले कष्टों का शान्ति-पूर्वक हम सहन करें।

वढ़ाये हुए लगान को छोड़ कर पुराने लगान को ही सम्पूर्ण लगान समझ कर सरकार लेना चाहे तो हम उसे फौरन भर दें।”

ताल्लुका के भिन्न-भिन्न गांवों से आये हुए प्रतिनिधियों में से नीचे लिखे किसान भाइयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

नाम	गाँव
दयालजी भाई प्रभुभाई पटेल	अकोटी
मोरारभाई नथुभाई पटेल	तरभण
इब्राहिम अहमद भाई पटेल	बारडोली
नाराण भाई माधव भाई भक्त	मळक पोर
कानाभाई हीराभाई पटेल	बाँकानेर
फिरोजशा फरामजी	सुराळी
रणछोडजी गोपालजी नायक	सुपा
सन्मुखलाल गोरधनदास	वालोट
मकन भाई नथु भाई पटेल	वाजीपुरा
मणिलाल रणछोडजी देशाई	मोता
सुलतानखां अलावतखां	बाळोट
रणछोडजी गुलाब भाई देसाई	सुहारी

इसके बाद प्रस्ताव पर मत लेने के पहले श्री वल्लभभाई ने कहा “भाई सुलतान खां ने अभी प्रस्ताव का समर्थन करते समय कहा था कि “बारडोली का नाम सुनते ही बंगाल में लोग हमारी चरण रज लेने लग गये थे।” यह सत्य है। बारडोली के पीछे एक बार सारा हिन्दुस्तान पागल हो रहा था। वही बारडोली यदि आवरू गंवा दे तो हम कहा जावेगे ? इसलिए ईश्वर को याद करके इस प्रस्ताव को मंजूर कीजिएगा। आज हम जो महान कार्य करने जा रहे हैं वह इतना भयंकर है, इतना उत्तर दायित्वपूर्ण है कि

परमेश्वर हमें भक्ति अर्पण करे तभी हम अपनी आबरू के साथ सही सलामत पार निकल सकते हैं। इसलिए यदि आप ईश्वर को याद करके इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, तो मुझे विश्वास है ईश्वर हमारी नैया जरूर पार लगा देंगे।

इसके बाद प्रस्ताव पर मत लिये गये। वह सर्वानुमति से मंजूर हुआ।

साबरमती आश्रम के इमामसाहब अब्दुलकादिर बाबजीद खड़े हुए और गम्भीर धैर्य-भाव पूर्वक कुरान शरीफ से आयतें सुनाकर आपने खुदा की इबादत की। इस शुभ काम में उस पाक परवर दिगार की इम्दाद मांगी। उनके बैठ जाने पर श्री महादेव भाई देसाई खड़े हुए और उन्होंने कबीर का नीचे लिखा गीत सुनाया।

दूर सग्राम को देख भागे नहीं

देख भागे सोई दूरगार्ह—शूर०

काम धरु छोध धरु लोभ से जूझना,

मंडा धमासान तहं खेल मांहीं—शूर०

शक्ति धरु शौच सन्तोष साथी भये

नाम समशेर तहं खूष बाजे—शूर०

कहत कबीर काक जूझि है सूरमां,

बागर भी भडे तहं तुरत भाजे—शूर०

सभा विसर्जित हुई और संसार की एक बड़ी से बड़ी सल्तनत को अपनी सारी ताकत आजमाने का आह्वान देकर बारडोली के मुट्ठीभर सत्याग्रही निश्चय-गम्भीर प्रसन्नता के साथ वहां से अपने अपने घर खाना हो गये । किसी को कल्पना नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है ? सब की नजर केवल उस अन्याय पर थी । सब के दिल में एक चोट थी । यह निश्चय था कि जो कुछ भी हो अब इस अपमान को नहीं सहेंगे ।

मधुरो अक्षर



जगनी सेवन नो मधु मधुरो अक्षर

क्यां मळे रे, जगजीव्युं फळे रे ॥

नवनिधि लाडे निशिदिन झुलवे

उर हीर पाती हैये हुलवे

अल्प साटुं पण अमीत भारजुं

क्या वळे रे—जननी०

दिन कर उग्यो पूर्वनां, थयो दिवस मटी रात

हिन्द तणां उत्कर्ष मां रहो हृदय रळीयात

त्यागी निद्रा परहितमां सहु परचरो रे—जननी०

खाधुं पीधुं मोज थी, खेल्या खेल अनेक,

समय कटोकट आवियो, करो काम कईं नेक

अराम मानव वंधुना जे दुखडा देखी दिळडुं दाक्षे

किस्मत क्यां थी भारती हित काया पडे रे—जननी०

व्यूह-रचना

मानव-हृदय की विलक्षणता

मानव-हृदय एक अद्भुत वस्तु है। कभी तो वह बिल्ली की आँख को देखकर भी भागने लगता है, और कभी छाती खोलकर तोप के सामने खड़ा हो जाता है। शरीर तो उसका गुलाम मात्र है। हृदय में जो भाव जिस समय प्रबल रहता है, उनकी छाया मात्र शरीर पर हमें दिखाई देती है। एक सम्राट् कभी लाखों सैनिकों के दिलों को अपनी गर्जना से वहला देता है, करोड़ों प्रजा-जनों के जीवन-मरण को वह अपना खेल समझता है, और कभी एक परिचारक ही जब आँख उठाकर उसका सामना करने पर तुल जाता है, तो वह पैर पटक कर रह जाता है। यदि कहीं वह उसकी जान लेने पर तुल गया तब तो एक मामूली भिखारी की तरह राजा को गिड़-गिड़ाकर अपने प्राणों की भिन्ना उस तुच्छ नौकर से माँगनी पड़ती है। वही सेवक जो अभी तक राजा की जूतियां उठाता था, आज उसकी छाती पर चढ़ा हुआ है और राजा उसके चरणों में हाथ जोड़े आंसुओं से उसकी जूतियां गीली करता हुआ पड़ा है। यह सब हृदय के परिवर्तन का खेल है।

किसान जो एक मामूनी चपरासी या पुलिस के सिपाही का देखकर कांपने लग जाता है, आज सत्य और न्याय के लिए साम्राज्य-सत्ता को अपने दिल के सारे अरमान पूरे करने की चुनौती देकर निश्चिन्त हृदय से घर को लौट रहा है। उसके पास न तलवार है न तोप। एक स्वतंत्र हृदय है, जिसमें स्वाभिमान पुनः आकर बस गया है, एक निर्मल हृदय है जिसमें सत्य निवास करता है। एक पवित्र घड़कन है जो परमात्मा की सांस है। उसे कौन मुका सकता है ? उसे कौन कुचल सकता है ?

बारडोली सभा में इस यश-देवता को प्रज्वलित कर सरदार वल्लभभाई उसी रात को सीधे वांकांनेर गये। अब उन्हें चैन कैसे पड़ सकती थी ? सारे ताल्लुके में इसी थल्ल-देवता को प्रज्वलित करना था न ? वांकांनेर में आस-पास के १५-२० गांव से करीब २००० पुरुष एकत्र हुए थे। सरदार साहब ने उन्हें देखकर कहा—

चहने भी युद्ध में शामिल हों

“बारडोली में मैं आज एक नवीन स्थिति को देख रहा हूँ। वे पिछले दिन मुझे याद हैं। उन दिनों ऐसी सभाओं में पुरुषों के साथ कितनी ही बहनें भी थीं। अब तो आप केवल पुरुष ही पुरुष गाड़ियां जोतकर सभाओं में आते हैं। मालूम हाता है, बड़े-बूढ़ों के खातिर आप शायद

ऐसा करते हैं। पर मैं कहता हूँ कि यदि हमारी बहनों, माताओं तथा स्त्रियों को भी हम साथ में न रक्खेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कज़ ही से जव्तियां शुरू होगी जव्ती हाकिम हमारी चीजें, बर्तन, गाय, बैल आदि लेने के लिए आवेंगे। यदि हमारी बहनों को हम इस युद्ध से परिचित नहीं रक्खेंगे उन्हें भी अपने साथ-साथ तैयार नहीं कर लेंगे, यदि वे भी पुरुषों के समान ही इस युद्ध में दिल चस्पी नहीं लेने लगेंगी, तो वे उस समय क्या करेंगी? खेड़ा जिले में मैंने अनुभव किया है कि जिन स्त्रियों को इस युद्ध की शिक्षा नहीं दी गई, उन्हें उस समय बड़ी चोट पहुँची है, जब उनके यहां से जव्ती हाकिम जानवर छोड़कर ले गये। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बहनों को भी युद्ध में आप बराबर अपने साथ रक्खे।

चाहे कितनी ही मुसीबतें आवें, कितने ही कष्ट मेलने पड़े। फिर भी ऐसी लड़ाइयां तो लड़नी ही चाहिए। सरकार भले ही हमारी जमीनें खालसा करने के हुक्म जारी करे, हम तो अपने हाथ से उसे एक पाई भी उठाकर नहीं देंगे। बस यही निश्चय कर लीजिए। अपने अन्दर लड़ने की शक्ति को बढ़ाइए और एकता को मजबूत कीजिए। केवल ऊपरी शोर से कुछ न होगा। सरकार आपकी पूर्ण परोक्षा लेगी। और उसे यह करने का हक है। यदि उससे

लड़ना है, और इस लड़ाई को आदर्श लड़ाई बना देना है तो सारे तालुके को हमें जगा देना पड़ेगा। सारे वायुमण्डल को बदल देना होगा। आप ये शादियां लेकर बैठे हैं इन्हें जल्दी समाप्त करना होगा। जहां लड़ाई छिड़ गई है वहां शादियों आदि बातों के लिए कहीं समय होता है ? कल सुबह से लेकर शाम तक मकानों को ताले लगाकर खेतों में घूमते रहना पड़ेगा। लड़ाई में लड़ने वाले सिपाहियों का सा सावधान जीवन बिताना होगा। बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब समय को समझ लें। अमीर-गरीब सब एक हो जावे, और इस तरह काम करें जैसे एक शरीर हो। रात पड़े ही सब घर पर लौटें। जच्चिगां करने के लिए सरकार को गांव या तालुके से आदमी तो लाने पड़ते हैं न ? ठीक है तो आप सारे तालुके में ऐसा हवा बहा दीजिए कि सरकार को इन कामों के लिए एक भी आदमी न मिलने पावे। मैंने अब तक ऐसा जव्ती आफिसर तो नहीं देखा जो अपने सिर पर जव्ती के बरतन उठाकर ले जा सके। सरकारी अधिकारी तो पंगु होते हैं। पटेल, मुखिया बहिवाट दार, तलाटा कोई सरकार की सहायता न करें। साफ-साफ सुना दें कि मेरे गांव तथा तालुके की इज्जत के साथ मेरी भी इज्जत आवरु है। जिसके कारण तालुके की आवरु जाय वह मुखिया कैसा ? उसीके हित में मेरा

भी भला है। इस तरह हम सारे तालुकों में ऐसी हवा बहा दें जिससे चारों तरफ स्वराज्य की ही सुगंध फैल जाय। प्रत्येक आदमी के चेहरे पर सरकार के साथ लड़ने का तेजस्वी निश्चय हो।

मर मिटें या पूरी तरह खुली हों

मैं आपको यह चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि अब मौज शौक में एक बड़ा भी कोई व्यर्थ न गंवाये। वारडोली की कीर्ति सारे भूमण्डल पर फैल गई। अब तो हम मर मिटना हैं या पूरी तरह सुखी होना है। अब तो गमबाण छूट गये हैं। हम गिरे तो सारा देश गिर जावेगा। और डटे रहे तो बेडा पार हो जावेगा और देशको एक पदार्थ पाठ मिल जायगा। आप ही के तालुक ने महात्माजी को आशा दिलाई थी कि स्वराज्य-संग्राम की नींव यहां से डाली जाय। वह परीक्षा तो अब गई। फिर भी वारडोली का डंका तो देश देशान्तर में बज ही गया। आज फिर आपकी परीक्षा का मोका आया है।

सरकार क्या करेगी ?

वारडोली की परिषद समाप्त करके आज मैं फिर आपके पास इसलिए आया कि अब तालुका के जितने भाई-बहन मिलें उन्हें मैं अपना संदेश सुना देना चाहता हूँ। अब सब सावधान रहें कोई गाफिल न रहे। सरकार आपको गिराने में कोई बात उठा नहीं रखेगी।

विजयी बारडोली

आपके अन्दर वह फूट पैदा करने की कोशिश करेगी, आपसी झगड़े पैदा करेगी और भी कई तरह के फतूर करेगी; पर आप तो अपने सारे व्यक्तिगत झगड़ों को तब तक कूए में फेंक दीजिए जब तक लड़ाई खतम नहीं हो जाती। बापदादा के समय की दुश्मनियों को भी भूल जाइए। जीवन भर जिससे आप कभी न बोले हों उससे आज बोलना शुरू कर दीजिए। आज गुजरात की इज्जत हमारे हाथ में है, उसे सुरक्षित रखिएगा।

खालसा के मानी ?

कितने ही लोगों को यह डर है कि हमारी जमाने खालसा हो जावेगी। पर मैं पूछता हूँ खालसा के माना क्या है ? क्या कोई आपकी जमीनों को सरपर उठाकर सूरत या विलायत ले जायगा ? जमीनों को कोई खालसा या जो चाहे करे। जो कुछ होगा सरकार के कागजों में फेरफार होगा। पर यदि आपके अन्दर एका होगा तो आपकी जमीन में कोई दूसरा आदमी हल नहीं डालने पावे यह बन्दोबस्त करना तालुका के लोगों का काम है। खालसा का डर छोड़ दो। जिस दिन आप अपनी जमीनें खालसा कराने को तैयार हो जावेगे उस दिन तो निश्चय ही सारा गुजरात आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इतना नाच तो कोई नहीं, जिसे खालसा जमीन को लेने की ज़रत हो। यह श्रद्धा अगर आप

के अन्दर भी जागी हो तो आप निश्चिन्त रहेंगे । उस जमीन को कौन ले सकता है ? जमीन का जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक निश्चय-पूर्वक समझिए कि हम वेबर-बार के निर्वासित हैं । ईर्ष्या को अपने दिलमें कभी स्थान न दीजिएगा । एक को बिगड़ते देखकर जहां दूसरा खुश होता है उस देश का कभी भला नहीं हो सकता । यदि एक गांव को भी पूरी तरह मजबूत हम कर लेंगे तो सारे ताल्लुके को हम दृढ़ कर सकेंगे ।

हर एक गांव फौजी छावनी हो

युद्ध घोषणा हो चुकी है । अब हर एक गांव को फौजी छावनी समझिएगा । प्रत्येक गांव के समाचार, अब रोज ताल्लुके के केन्द्र में पहुँच जाने चाहिए और वहां से जो हुक्म छूटें वे उसी दिन गांव-गांव पहुँच जाने चाहिए । हमारा अनुशासन ही जीत की चाबी है । सरकार के तो हर गांव में सिर्फ एक या दो ही आदमी—एक तलाठी और एक पटेल—होते हैं । हमारे पक्ष में तो संपूर्ण गांव है ।

आश्चा, जरा मज़ा चखा दें

सरकार ने हमें लड़ने पर मजबूर ही किया है तो आश्चा उसे भी जरा लड़के दिखा दें । यहाँ अमर-पद को लेकर कौन आया है । ज़र ज़मीन सब जहाँ का तहाँ रक्खा रह जायगा । अकेला नाम रह जायगा । लाख सवा लाख

रुपये की बात नहीं। हरकोई तक्रलीफ उठाकर भी वह तो दे दिया जा सकता है। जहां इतना खर्च होता है तहां थोड़ा और सही। पर यहां तो आपको भूठे कहकर सरकार लेना चाहती है। सरकार कहती है तुम लोग सुखी हो, बड़े-बड़े मकान है, खेती आबाद है। पैसे देना नहीं चाहते इसलिए बदमाशी करते हो। तुम्हारे अगुआ भूठे हैं; मैं तो कहता हूँ ऐसे अपमान सहकर रुपये देने की अपेक्षा तो मर जाना भला है। मैं उस बात को नहीं सह सकता कि सरकार गुजरात के किसानों को बदमाश कहे। जबतक सरकार इस भाषा को भूल नहीं जाती तब तक आपको लड़ना है। जरूरत हो तो मर मिटे। सरकार से कहिए कि सचाई का दावा करती है तो आ देखे, सिद्ध करके दिखादे। ढंडापन तो तू कर रही है। भूठी हैं तेरी बातें। हिम्मत हो तो ले आ; हम सिद्ध करके दिखा देते हैं। हमारे युवक इन बातों को समझ लें और गांव-गांव घूम-घूमकर अपने भाइयों और वहनों को समझावें”।

इस तरह चारडोली से बांक्रानेर, वराड, बड़ेकुआ, बालोड फडोद आदि गांव सत्याग्रह की आग सुलगाने के लिए सरदार साहब दौड़ने लगे। उनके शरीर में अपूर्व स्फूर्ति आ गई थी और आँखों से मानो चिनगारियाँ निकलने लग गई थीं।



श्री अट्वास तैयवजी
श्री फूलचह शाह

विजयी व.रडोली

१५



दरबार श्री गोपालदास भाई



श्री मोहनलाल पंड्या



।डॉ० घीया



श्री केशव भाई

व्यूह-रचना

व्यूह-रचना

सारे ताल्लुके मे नवीन चैतन्य आ गया प्रत्येक गांव सैनिकों का एक दल बन गया। अब तक वारडोली ताल्लुके में कुल चार आश्रम थे। वारडोली, वेडछी सरभण और बुहारी। अब ८ नयी छात्रनियां और खुल गईं। सारे ताल्लुके को पांच मुख्य विभागो मे बांट दिया और उसपर एक-एक विभाग पति कायम कर दिया गया। प्रत्येक विभाग पति का देख-भाल में नीचे लिखे अनुसार गांव थे।

सेना-नायक श्रीचङ्गमभाई पटेल

सत्याग्रह छावनी का नाम	विभाग पति	गांवों की संख्या
१ वराद	श्री मोहनलाल पंड्या	१६
२ वालदा	श्री अम्बालाल घाजी देसाई	७
३ प्राकानेर	श्री भाई लालभाई अमीन	७
४ स्यादला	{ श्री फूलचन्द बापूजी शाह श्री अठ्ठ्यास तैयथजी	८
५ वारडोली	{ श्री डॉ० घिया श्री चीमाई	४
६ मोता	श्री बलवंत राय	२
७ बाजीपुरा	श्री नर्मदाशंकर पंड्या	४
८ सीकेर	श्री कल्याणजी बालजी	७
९ भाफवा	श्री रतनजी भगाभाई पटेल	६

विजयी बारडोली

१० बुहारी	श्री नारणभाई पटेल	४
११ सरभग	{ श्री रविशंकर व्यास श्री सुमत महता	३१
१२ दा रणी	श्री दरवार गोपालदास भाई देसाई	१७
१३ वालोड	डॉ चन्दुलाल देसाई	२९

सत्याग्रह की घोषणा होते ही बारडोली में एक प्रकाशन विभाग तथा सत्याग्रह कार्यालय की स्थापना हो गई। अपने अधीन प्रत्येक गांव की खबरें विभाग-पति मुख्य कार्यालय में भेजने लगे। और मुख्य कार्यालय से जो आज्ञायें, हिदायतें, सूचनायें आदि भेजी जाती, वे रोज गांव-गांव पहुँचने लगीं। स्वयं-सेवक घूम-घूम कर सत्याग्रह की प्रतिज्ञाओं पर किसानों के हस्ताक्षर कराने लगे। ताल्लुके में सत्याग्रह किस तरह फैलता जा रहा है, कौन-कौन कम-जोर है, किसने क्या वीरता और त्याग किया, सरकार के अधिकारी कैसी-कैसी भूठी अफवाहे फैलाकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं, इत्यादि बातें गांव-गांव फैलाकर जनता को सचेत और उत्साहित करने के लिए बारडोली के प्रकाशन विभाग से सत्याग्रह खबर-पत्र अर्थात् "सत्याग्रह-समाचार" नाम का एक छोटा-सा दैनिक भी प्रकाशित होने लगा। वह जनता में मुफ्त बांटा जाता। अपने गांव के किसानों को एकत्र करके स्वयं-सेवक इन समाचार-पत्रों

को पढ़कर सुनाने लगे । सरदार साहब तथा मुख्य-मुख्य विभाग-पति भी गाँव-गाँव जाकर जनता को समझाने लगे ये भाषण बड़े उत्साह-प्रद और "स्फूर्तिजनक" होते । प्रकाशन विभाग से ये पृथक "सत्याग्रह पत्रिका" नानक पुस्तिका के रूप में समय-समय पर प्रकाशित होते रहते । आरंभ में तो केवल स्थानीय स्वयंसेवक ही थे किन्तु ज्यो-ज्यो युद्ध बढ़ता गया बाहर से भी स्वयं-सेवक आते गये । आखिर में बाहर के सुशिक्षित स्वयं-सेवकों की संख्या करीब २५० तक पहुँच गई थी । इनमें के अधिकांश प्रायः सरकारी तथा राष्ट्रीय शालाओं एवं कालेजों के युवक विद्यार्थी ही थे । इनके अतिरिक्त स्थानीय स्वयं-सेवकों की निश्चित—संख्या का अनुमान लगाना कठिन है । प्रत्येक गाँव में प्रतिदिन १५-२० युवक पाली-पाली से पहरा देते रहते थे, दौड़-धूप का काम करते थे और अपने नायकों की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते थे ।

खुफिया स्वयंसेवक

खुफिया स्वयंसेवकों का भी एक दल था । वे शक्तिवृत्तिवाले नागरिकों तथा सरकारी अधिकारियों की हलचलो पर बड़ी नजर रखते । सरकार के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जातीं उन्हें आकर अपने विभाग-पति से कह देते । यदि कोई अज्ञान-द्रोही नागरिक कुछ कुकर्म करने को तैयार

विजयी बारडोली

होता, तो इससे पहले कि सरकार उससे फायदा उठा सकती, विभाग-पति के पास खबर पहुँचा कर उसका भण्डा-फोड कर दिया जाता। सरकारी अधिकारी भी शर्मिन्दा हो जाते और वे कमजोर नागरिक भी।

संचालन

बारडोली ताल्लुके में सडकें काफी हैं। बारडोली नूपा-रोड पश्चिम के मुख्य-मुख्य गांवों से प्रधान कार्यालय को संलग्न करता है। वही रोड आगे उत्तर पूर्व में सीधा मांडवी तक चला गया है जिससे घराड तथा कडोद के विभाग भी बारडोली से सम्बन्धित हो जाते हैं। ताम्नी-बेली रेल्वे पूर्व के समस्त मुख्य-मुख्य गांवों को बारडोली से जोड़ती है, तो बारडोली-वालोड रोड, मदी बुहारी रोड तथा मदी बाजी-पुरा रोड दक्षिण-पूर्व के मुख्य-मुख्य गांवों को जोड़ देते हैं। सत्याग्रह दफ्तर को कुछ धनिक भिन्नों ने अपनी मोटरें दे रखी थीं, जो इन सडकों से घूम-घूम कर सत्याग्रहियों, स्वयंसेवकों तथा नेताओं को जल्दी से जल्दी बारडोली तथा वाडोली से इन गांवों में पहुँचा देती थीं। दैनिक ढाक तथा सत्याग्रह समाचार-पत्र भी यही मोटरें नियम से पहुँचाती थीं।

प्रत्येक गांव में आवश्यकतानुसार दो, तीन, चार सुशिक्षित स्वयंसेवक रहते और आठ-आठ, दस-दस स्था-

नीय। वे गांवों में घूम-घूम कर जनता का समझाने, लोगों से बात-चीत करके गांव के भावों और हलचलों की जानकारी प्राप्त करते, और अपने दैनिक कार्य तथा अपने गांव की विशेष खबरों की रिपोर्ट शाम को विभाग-पति के पास भेजते। विभाग-पति रात को सारे गांवों की रिपोर्ट पढ़कर उनपर विचार करते। अपने अधिकाधीन घातों पर तथा खुद से सुलभाने योग्य मामलों पर उसी रातच आझायें लिख देते। शेष अधिक महत्वपूर्ण खबरें अपने अभिप्राय सहित प्रधान कार्यालय को सुबह भेज देते। प्रधान कार्यालय में समाचार पहुँचते ही वे सरदार साहब की पेशी में जाते। प्रकाशन योग्य खबरें शाम को छपने के लिए सूत्र भेज दी जातीं। जवाब देने योग्य बातों का उत्तर, सरदार साहब की आझायें तथा सत्याग्रह समाचार-पत्र, जो रात को छपने के लिए भेजे थे इत्यादि सब को लेकर सुबह मोटरों भिन्न-भिन्न विभागों की ओर चल देती और दिन के बारह बजे के लगभग प्रत्येक विभाग-पति के पास पहुँच जाती। इस तरह चौबीस घंटे के अन्दर प्रत्येक आवश्यक बात पर सरदार साहब का हुक्म विभाग-पति के पास पहुँच कर उसपर अमल भी होने लग जाता। जहाँ मोटरें नहीं पहुँच पाती, उन गांवों में डाक तथा सत्याग्रह समाचार स्वयं-सेवक पहुँचा देते।

और ऐसे गांव सड़क से अधिक लम्बे नहीं होते थे। प्रत्येक केन्द्र पर यह भी इत्तजान था कि किसी भी गांव में विशेष परिस्थिति खड़ी होने पर उसकी त्वर प्रायः दो-तीन घंटे के अन्दर हा प्रवान कार्यालय में पहुँच जाती। ऐसे समय स्पेशल मोटर छोड़ी जाती। कमी-कमी सरकारी वार-धरों का भी उपयोग किया जाता। सत्याग्रही मोटरों के अतिरिक्त खानगी तथा अन्य कम्पनियों की भी मोटरें ठाल्लुके में किराये पर चल रही हैं। वे भी पत्रिकाएं लेने के लिए स्टेशनों पर तैयार खतीं और अपने रुतबे पर के गांवों में खुशी खुशी समाचार-पत्र तथा जहरी डांक पहुँचा देतीं।

अनुशासन

सारे संगठन में कठोर अनुशासन से काम लिया जाण। कोई स्वयं-सेवक अपने नायक या विभाग-गति से यह न पूछता कि यह काम क्यों करना चाहिए, या फलां काम इतने डेर में लुन्ध से न हो जब लुन्धे क्या करना चाहिए। जिस किसी स्वयं-सेवक के आचरण में क्षियितता पाई जाती, उसे औरत अयोग्य कहकर लौटा दिया जाता। क्योंकि यदि सांकेत में एक भी कमजोर कड़ी होती है तो वह सारी कड़ियों की सजबूती को निरर्थक कर देती है। अनुशासन का यही कड़ितन युद्ध के अविनायक सरदार इन्द्रमर्ही और उनके साथी विभाग-गतियों के बीच भी था।

त्रिभागपति

डॉ० सुमन्त मेहता, श्री रविशंकर भाई व्यास, डॉ० चन्द्रूलाल, वृद्ध अज्यास तैयबजी, डसा के दरबार साहब श्री गोपालदास भाई, इमाम साहब, श्री मोहनलाल कामेश्वर पंड्या इत्यादि नाम ऐसे हैं जिनके उच्चारण मात्र से प्रत्येक गुजराती का हृदय श्रद्धा और आदर से मुक जाता है। प्रत्येक नाम की एक कहानी है जिसमें देश-सेवा, त्याग, सच्च संस्कार, तपस्या और न जाने कितने ही अन्य भाव भरे हैं। यदि प्रत्येक का पूर्ण परिचय यहां लिखा जाय तो एक नयी पुस्तक तैयार हो जाय। उनके विषय में यहां पर तो केवल यही कह देना काफी होगा कि वे एक एक जिले के अनभिषिक्त राजा से हैं, जो अपने जिले में स्वतन्त्र लोक-सेवक संस्थाएँ खोले बैठे हैं, जिन्हें अब धन, मान, पद और प्रतिष्ठा की कोई अभिलाषा नहीं रह गई है, जिनके लिए ये सब चीजें उच्छिष्ट सी हैं, जिनकी वृद्धि और संस्कार इतने ऊँचे हैं कि किसी भी देश को ऐसे नागरिकों पर अभिमान हो सकता है। उन्हें देखकर मस्तक श्रद्धा से मुक जाता है, इन वृद्ध और अनुभवी पुरुषों को देखकर मालूम होता है कहीं राजर्षियों का फुएह राज्य छोड़-छाड़ कर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा है। इनमें से कई सचमुच अपने राजोचित वैभव को छोड़-छाड़कर अब

केवल भाषणों से नहीं, गुजरात के किसानों में उन्हीं की तरह रहकर उनके सुख-दुखों को अपने सुख-दुख समझकर अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। और जहाँ ऐसे सेवक हैं वह प्रान्त या उसकी जनता क्यों न संसार में धन्य होगी ? जहाँ ऐसे अनुभवी, बुद्धिमान विभाग-पति थे वहाँ सरकारी अधिकारी क्यों न फीके पड़े। इनके रौब और तेज के सामने वे ऐसे निस्तेज हो जाते मानो शीतल चन्द्र के सामने धूँआ फेकने वाली टिम-टिमाती हुई मिट्टी के तेल की छिन्नी। वे हजार कोशिश करते पर जनता उन्हें साफ साफ जवाब सुना देती। सत्याग्रह की इच्छा करने वाले प्रत्येक जबतक ऐसे निस्पृह, तेजस्वी, अनुभवी तथा बुद्धिमान लोक-नायक नहीं होंगे तब तक सत्याग्रह जैसे शान्त आन्दोलन में वह कैसे सफल हो सकता है ? जहाँ न सत्ता है, न शस्त्र है वहाँ प्रतिपक्षी अथवा जनता के दिल पर असर डालने वाली वाणी, चरित्र, प्रेम और तपस्या की जरूरत है। और किसी जन समूह को सुधार ने के लिए यही सब से कारगर उपाय है। जहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, नेतृत्व की महत्वाकांक्षा है, कीर्ति की लालसा है, प्रातण्डा का लोभ है, वहाँ कोई सार्वजनिक सेवा का काम फल-फूल नहीं सकता। हम हजार लेखक भ्रातृ उनसे कोई होना जाना नहीं। अपने वाणी-वैभव से हम चाहे कुछ समय तक लोगों को प्रभावित भले ही कर दें परन्तु जबतक

उस बाणी के साथ-साथ कार्य भी उतने ऊँचे न होंगे, जबतक कार्य-कर्ता के अन्दर निर्मल सेवा-भाव और अनन्य सक्रिय लोक-भक्ति न होगी तबतक उससे कोई कहने योग्य सेवा न होगी बारडोली के सेवक इन तुच्छ आकांक्षाओं और स्वार्थों को तिलांजलि दे चुके हैं। वे इन बातों से अब परे हो गये हैं और अपने आपको एक बीज की तरह जमीन के अन्दर नष्ट करने के लिए तुल गये हैं। इसी निश्चय का छोटासा परिणाम यह सत्याग्रह है।

स्वयं-सेवक

और बारडोली के स्वयं सेवक कैसे थे ? गुजरात की राष्ट्रीय तथा सरकारी हाइस्कूलों और कालेजों के विद्यार्थी तथा कितने ही अन्य शिक्षित युवक इस अवसर को अपना अहोभाग्य समझ कर आये थे। ठेठ काशी के हिन्दूविद्यालय से एक गुजराती विद्यार्थी आये थे और उन्होंने बारडोली के सत्याग्रह में भाग लिया था। जहाँतक मुझे याद है उन्हें २-३ महीने को सादी कैद भी कलेक्टर के बंगले के सामने गुप्तचर का काम करने के अपराध में हुई थी। किसीने यह न कहा कि क्या करें साहब परीक्षा सिर पर आगई है; "स्टडी सफर" कर रही हैं। वे एक तरफ सत्याग्रह-पत्रिका, यंग-इंडिया, 'नवजीवन' तथा दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की कुटिल टिप्पणियाँ

विजयी बारडोली

पढ़कर और प्रतिदिन खेती जाने वाली सरकारी चालों को देखकर तथा उनका मुकाबला किस तरह किया जाता है इसे देखकर राजनीति का व्यवहारिक अध्ययन करते थे। समाज-विज्ञान और अर्थशास्त्र का अध्ययन वे बारडोली के निवासियों की रहन-सहन, रीति-रिवाज, रुठियाँ, अच्छी तथा बुरी प्रथाएँ आदि की पूछ-पाछ करके तथा उनकी आय-व्यय के निरीक्षण-द्वारा करते थे। कॉलेज तथा स्कूल के कमरों की अपेक्षा ऐसे आन्दोलनों में प्रत्यक्ष भाग लेनेसे विद्यार्थियों को कहीं अधिक शिक्षा, अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त होता है। इन शिक्षित युवकों के अतिरिक्त जो स्थानीय स्वयं-सेवक थे, वे अक्षर-ज्ञान में चाहे इनकी बराबरी न कर सकते हों, पर उत्साह, उपाय-प्रचुरता, दक्षता आदि गुणों में वे किसी प्रकार उनसे पीछे रहने वाले न थे।

सत्याग्रही दुर्ग

इन सब नियमों और व्यवस्थाओं ने मिलकर बारडोली को एक व्यवस्थित सत्याग्रही दुर्ग का रूप दे दिया था। जिसमें न बम थे न तोपे। वहाँ तो दुश्मनो को रोकने के लिए ऊँची-ऊँची दीवालें भी नहीं थी। जो चाहता आ जा सकता था। पहरेदार थे पर वे किसी पर शस्त्र-प्रहार नहीं करते थे। वे गांवों के चारों तरफ पहरा देते रहते,

और ज्यों ही किसी तलाटी (पटवारी) या अधिकारी को देखते फौरन शंख, नक्कारा या बिगुल बजाकर सारे गांव को सावधान कर देते । एकाएक गांव में सन्नोटा छा जाता । तमाम किसान मकानों के बाहर से ताले लगाकर अन्दर घुस जाते । सबके सूकी और निर्जन होजाती । जमीन का लगान-वसूल के लिए सरकारी अधिकारी जत्ती करने आते । पर वहां तो हरएक मकान पर ताले पड़े हुए देखते । पंच बनने, जत्ती का सामान पहुँचाने या बोली लगाने की बात तो दूर है, वहां तो उन्हें कोई बात करने वाला भी नहीं मिलता । जत्त किया हुआ सामान जहां का तहां पड़ा रह जाता ।

परन्तु पाठक यह न समझें कि इतनी सम्पूर्ण व्यवस्था शुरू से ही उत्पन्न हो गई । यह तो क्रमशः किन्तु बड़ी तेजी से जागृत जनता के अन्दर विकसित होती गई । पर वह अन्त में यहां तक सम्पूर्णता को पहुँच गई थी कि यदि सरकारी अधिकारियों को अपनी सुविधा या आराम के लिए किसी चीज की जरूरत होती तो सत्याग्रह छाव-नियों में आकर उसे वह मांगना पड़ती थी । उन्हें गांव से कुछ न मिल सकता था । इसीलिए तो टाइम्स के संवाद-दाता ने जुलाई के प्रारम्भ में कहा था कि बारडोली से अंगरेज सरकार का राज्य उठ गया है वदः ३, बोल्शे

विजयी बारदोली

विजय स्थापित हो गया है और श्री वल्लभभाई पटेल हैं
उसके विधाता लेनिन ।

पर आइए अब हम जनता की एकता, दृढ़ता
और सरकारी चालों का तथा अत्याचारों का कुछ अव-
लोकन करें ।

अगर

राजसत्ता जालिम हो जाय

तो

किसान का सीधा जवाब है

“जा-जा, तेरे जैसे कितने ही
राज मैंने मिट्टी में मिलते देखे हैं।”

सरदार वल्लभभाई

नवजीवन

(प्रथम-भाल)

ता० ४ फरवरी को सभा समाप्त होकर लोग अपने अपने गांव भी नहीं पहुँच पाये होंगे कि सरकार का एक घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ जिसका आशय यह था :—

सरकार ने उन लोगों के साथ नीचे लिखे अनुसार रिआयत करने का निश्चय किया है जिन पर फी सैकड़ा २५ से अधिक लगान बढ़ गया हो—

- (१) फी सैकड़ा २५ तक ही जिनपर लगान बढ़ा है उनके साथ कोई रिआयत नहीं की जायगी । वे अपना लगान तुरन्त अदा कर दें ।
- (२) फी सैकड़ा २५ से ५० तक जिनपर लगान बढ़ा हो उनसे पहले दो वर्ष तक केवल २५ फी सैकड़ा ही अधिक लगान वसूल किया जायगा ।
- (३) जिन पर फी सैकड़ा ५० से भी अधिक लगान बढ़ गया है उनसे पहले दो वर्ष पुराना और बढ़े हुए लगान का २५ फी सैकड़ा, बाद में दो वर्ष तक ५० फी सैकड़ा और उसके बाद पूरा बढ़ा हुआ लगान भी वसूल किया जायगा ।

विजयी बारडोली

इस रिआयत का नाम था 'इगतपुरी कन्सेशन' ।

परन्तु किसान इस रिआयत के मानी समझ गये थे । वे एक या दो वर्ष के लिए नहीं लड़ रहे थे । उनकी तो लड़ाई ३० वर्ष के लिए थी । न वे २५ और ५० सैकड़ा रिआयत ही चाहते थे । वे तो सिर्फ निष्पक्ष न्याय चाहते थे । अतः नतीजा यह हुआ कि कड़ौद और बुहारी के कुछ वैश्य (जिन्होंने क्रमशः १२००) और ५१५) जमा करा दिये थे) और कमेटी के एक ब्राह्मण को छोड़कर (जिसने ३) अपने लगान के जमा करा दिये थे) सारे ताल्लुके से एक पाई भी किसी ने नहीं अदा की । परन्तु जिन्होंने लगान अदा कर दिया वे बड़े पछताये । आस-पास का सारा वायु-मण्डल इनके इतने खिलाफ हो गया कि सरदार वल्लभभाई साहब को वहां जाकर के लोगो को यह समझाना पड़ा कि अभी कोई बहिष्कार—जैसे कड़े उपायों का अवलम्बन न करेंगे । फिर भी अमेरी के ब्राह्मण का बहिष्कार तो हो ही गया । यह देख रानी परज के कितने ही किसानो को यह भय हुआ कि कहीं साहूकार हमारी तरफ से लगान भर के हमें न फँसा दे ! इस लिए उन्होने यह निश्चय कर लिया कि यदि कोई ऐसा करेंगे भी तो हम उन जमीनों को ही छोड़ देंगे ।

लगान अदा करने का हफ्ता (ता० ३० फरवरी को)

खतम हो गया । सरकार ने देखा कि अब तक कुछ वसूल नहीं हो रहा है । तब ताल्लुके के खास-खास १५-२० किसानों को उसने धमकी की नोटिस दी । ता० २० या २१ को रानी परज के गरीब किसानों से मार-पीट करके वहाँ के तलाटी (पटवारी), ने उनसे कुछ लगान जबरदस्ती वसूल कर लिया । तारीख २३ के लगभग मसाढ़ के कुछ कोली भाइयों को बुलाया उन्हें कायमी पटेली, इनाम आदि का लालच दिया गया । जब इससे भी काम न चला तो जुल्म की धमकी दे कर भी देख लिया । पर सब व्यर्थ हुआ । सत्याग्रह की घोषणा हुए अभी ८।१० दिन ही हुए थे । परन्तु गरीब जनता अपने कर्तव्य को बहुत कुछ समझने लग गई थी टॉबरवा के तलाटी ने एक किसान से कहा—

“अरे भले आदमी, सारे ताल्लुके में फूट पड़ जायगी और फिर मार कर लगान जमा करावेगा तो अभी क्यों न दे दे ?”

“ ऐसी बात भी जयान से न निकालिए साहब, सारा ताल्लुका भले ही लगान जमा कर दे हम तो थूक कर नहीं चाट सकते । ”

“ अरे भाई, हमारी बात चाहे न रख पर बड़े हाकिम आवेंगे उनकी बातका तो कुछ खयाल करेगा न ?”

“उसका बड़प्पन हमारे किस काम का ? अब तो

वल्लभ भाई साहब जब हुकम करेंगे तबही लगान जमा अदा किया जायगा ।”

x x x x

बालोड़ के तहसीलदार ने रानी परज के एक किसान से लगान मांगा तो उन्हे जबाब मिला—“पुराना लगान लेकर समूचे—नये पुराने लगान की रसीद आप दे दे और साथ यह भी लिख दे कि तीस वरस तक यही लगान लिया जायगा, तो अभी अपना लगान चुका लीजिए ।” बेचारे तहसीलदार साहब सुन कर दंग रह गये । बे यह कह कर चलते बने कि भाई “यह तो मेरे हाथ की बात नहीं ” । मुर्दा रानी परज जाति में यह जीवन !

किसी दूसरे रानी परज—पटेल को एक अधिकारी ने बुलवाया । और उन दोनों की इस तरह बातचीत हुई ।

“क्यों पटेल लगान क्यों नहीं जमा कराते ?

“इस लिए कि हमारे गांव ने लगान रोक लेने का निश्चय कर लिया है ”

“यह नहीं हो सकता, सभी पटेलो ने अपना-अपना लगान अदा कर दिया है । आज तुम्हारा भी लगान अदा हो जाना चाहिए ।”

“देखिए साहब अगर मैं रुपये दे दूं तो अभी जात से बाहर कर दिया लाऊं । इसलिए मैं तो कुछ न दूंगा।”



क.वे श्री फूलचन्द्र भाई

विजयी वारडोली



श्रीमती मीठू बेन-पेटिट



श्रीमती भक्ति लक्ष्मी देसाई



श्रीमती गुणवन्ती बेन घीया



कुमारी मणोबेन पटेल
सरदार साहब की पुत्री

विजयी वारडोली

“ फिर पटेली छोड़ दो ।”

“ भले ही ।”

“ तो करो न अपना इस्तीफा पेश ।”

पटेल कारकून से—“लिख दो भाई इस्तीफा ।”

“ अरे भाई जरा सोचो तो, एकाएक इस्तीफा क्या लिखवाने लग गये ?”

“इसमें कौन बड़े सोचने विचारने की बात है? आपने कहा कि लाओ इस्तीफा ता यह लीजिए ।”

“दिये दिये इस्तीफे, जाओ, इस्तीफे विस्तीफे की कोई जरूरत नहीं ।”

यहतो उस सोई जनता में अपने आप केवल १०-१५ दिन के अन्दर जो जागृति हुई उसका परिणाम है । तब तक तो धीरे-धीरे गुजरात के कई गण्यमान सेवक जा पहुँचे । बड़ोदा के चीफ जस्टिस वृद्ध अब्बास तैयबजी, भड़ोच के तेजस्वी नेता डा० चन्द्रूलाल देसाई, खेड़ा-सत्याग्रह के विख्यात प्याजचोर ❀ श्री मोहनलाल कामेश्वर परड्या, ढसा के त्यागवीर दरवार श्री गोपालदास भाई देसाई, तथा धारालाओ के आदर्श गुरु श्री रविशंकर भाई व्यास आदि ने क्रमशः स्यादला, वालोड, वराड.

❀ इनकी चोरी की कहानी पाठक भागे उन्हीं के मुंह से सुनेंगे ।

बामणी, तथा सरथण मे जाकर अपने आसन जमा दिये और सत्याग्रह छावनियां खोल कर स्वयं सेवक दर्ज करने तथा सत्याग्रह की प्रतिज्ञाओं पर किसानों के हस्ताक्षर लेने का काम शुरू कर दिया। शनैः-शनैः एक के बाद एक गांव के प्रतिज्ञा-बद्ध होने तथा सत्याग्रह में शामिल होने की खबरें एवं गांव-गांव में स्वयं-सेवकों के संगठन होने की खबरें, प्रधान कार्यालय में आने लगीं। बाहर से भी कई स्वयं सेवक आगये। इनमें बड़वाल के कवि श्री फूलचंद शाह और भावनगर के श्री गोपीलाल कुलकर्णी उल्लेखनीय हैं। कवि के गीतों ने खूब काम किया और श्री कुलकर्णी ने रामायण के पाठ-द्वारा जनता में भाव भरना शुरू कर दिया।

इधर प्रति-दिन संगठन का जोर बढ़ते देख कर ता० २१-२२ फरवरी के लगभग सरकार ने धमकियों की नोटिसें देना शुरू किया। सब से पहले वालोड के १५ भाइयों को यह सन्मान मिला। बाजीपुरा के सेठ बीरचंद की भी बारी आई। पर कोई नतीजा नहीं। चलती आग अधिक ही भड़की। लोग अपने आप को अधिक कड़ी-कड़ी कसौटियों के लिए तैयार करने लगे और कोई सरकार की नोटिसें पहुँचते ही गांव गांव में टुबलाओं ने सभायें करके यह निश्चय किया कि जो सरकार उनके मालिकों पर

जुल्म करती है, उसकी वे किसी तरह सहायता नहीं करेंगे। और न उसकी कोई बेगार ही करेंगे। दुबलाओं की इस उदारता का सारे ताल्लुके पर बड़ा अच्छा असर पड़ा।

फरवरी का महीना बीत चला। लगान वसूल न हुआ। तब ता० २७ को हरिपुरा मढ़ी आदि गांवों के निवासियों को चौथाई ❀ की नोटिसें दी गईं। सरकार विचार तो बहुत दिन से कर रही थी कि ऐसी नोटिसें दी जायें, पर उपर्युक्त धमकी नोटिसों के बाद वह कुछ शान्त सी हो गई थी। शायद वह इस बात की राह देखती थी कि इनका असर क्या होता है। अब कुछ न हुआ तो कम-से-कम कानून की पाबन्दी करने के लिए ही ये नोटिसें उसे जारी करनी पड़ीं। परन्तु उसके सामने सब से बड़ा सवाल तो यह था कि रुपये कैसे वसूल होंगे? केवल नोटिस देकर छुट्टी तो नहीं मिल सकती थी। वारडोली का रंग-ढंग देख कर यहां से तो वह बिलकुल निराश हो गई।

कुछ अधिकारियों ने वारडोली के पड़ोसी माँडवी ताल्लुक में जाकर तलाश करना शुरू किया कि वहां कोई वारडोली के किसानों की भैंसों तथा जमीनें ले सकता है या नहीं।

❀ समय पर लगान न देने से लगान की एक चौथाई बढ़ा कर उसके सहित काइतकार से जन्ती द्वारा या और किसी तरह वसूल किया जाता है। इसकी हिदायत इन नोटिसों में होती है।

गुजरात का पड़ोसी धर्म जागृत हुआ। जलालपुर ताल्लुके के किसानों ने सभाये करके निश्चय किया कि—

- (१) दारडोलो के किसानों के यहाँ जत्तो हों तो यहाँ से कोई पंच बनकर न जाय। अधिकारियों को ठहरने के लिए मकान और गाड़ी जगैरा न दें। कोई उनकी किसी तरह बेगार न करे।
- (२) हमारे ताल्लुके से कोई किसान वारडोली के किसानों की जमीन न ले, न जोते, न जुतवाये, जमीन भुफ्त मिलती हो तो भी न ले।
- (३) सत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र करें।

पंचमहाल के निवासियोंने भी निश्चय किया कि वारडोली सत्याग्रह केवल वारडोली के लिए नहीं, हम सब के लिए है। अतः उसमे भाग लेने के लिए जाना हमारा धर्म है। इसमें केवल धर्म-पालन और परोपकार ही नहीं, प्रत्यक्ष लाभ भी है। हमें इस सत्याग्रह से बहुत सी बातें सीखने को मिल सकती हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर हमारे धारा-सभा के प्रतिनिधि श्रीधामनराव मुकादम के नायकत्व में हमें पंचमहाल के सैनिकों का एक दल भी वारडोली को सहायता के लिए भेजना चाहिए।

इधर एक तरफ जहां किसानों में यह जागृति फैल रही थी, वहां “सरदार वल्लभ भाई साहब” और वम्बई गवर्नर

के रेवेन्यू सेक्रेटरी के बीच लम्बा-चौड़ा पत्र-व्यवहार चल रहा था। उधर वह अपनी लगान की नीति का समर्थन करता और सरदार वल्ल भाई तथा उनके कार्यकर्ताओं को बाहर के उपद्रवी लोग कहकर उनके मत्थे बारडोली के भोले-भाजे किसानों को बुरे मार्ग पर ले जाने का आरोप मढ़ता तो इधर सरदार साहब छः हजार मीलसे आने वाले किसानों का खून चूसने वाले परन्तु उनके रक्षक और स्वजन होने का दावा करने वाले अधिकारियों को मुंह-तोड़ जवाब देते। खुद सरकारी अधिकारियों की रिपोर्टों से सरकार की लगान-नीति को अन्याय-पूर्ण साबित करने वाले उद्धरण पेश करके वे उसे चुप कर रहे थे। ❀

दूसरी तरफ धारा-सभा में रावबहादुर भीमभाई नाईक अपनी तरफ से जुदी कोशिश कर रहे थे। तारीख १८ फरवरी १९२८ के दिन उन्होंने रेवेन्यू मेम्बर को एक पत्र लिखा था और उसमें ता० १२ फरवरी के लोक-निर्णय की सूचना देकर उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि वे लगान के मामले की एकवार फिर जांच करलें। बाद तारीख २१-२-२८ की धारा-सभा की बैठक में भी श्री भीमभाई नाईक तथा अन्य सभ्यों ने फिर बारडोली के प्रश्न को तथा जनता की तकलीफों को पेश करने का प्रयत्न किया परन्तु वह भी निष्फल हुआ।

❀ परिशिष्ट में 'तीन पत्र' देखिए।

विजयी बारडौली

पर जिस समय पड़ोसी ताल्लुकों के किसान बारडौली से सहानभूति प्रकट कर रहे थे और सहायता देने का निश्चय कर रहे थे उस समय सारा बारडौली ताल्लुका श्री फूलचन्द भाई शाह (बड़वाण के विख्यात लोक-गीत बनाने वाले) के रण-गीतों से गूँज रहा था—

(१) माथुं मेलो साचववा साची टेकनेरे

साची टेकनेरे साचों टेकनेरे, माथु मेलो० ॥

(२) डंको वागयो लड़वैया शूरा जागजोरे ।

शूरा जागजोरे, कायरा भागजोरे ॥ डंको० ॥

इन मंत्रों के उच्चारण और गर्जना से गुर्जर भूमि की अतुल शक्ति अपना विराट-रूप धारण करती जा रही थी । स्त्रियां गाती थीं ।

भाजनी घड़ी रळियामणी

होरे सखी भाजनी घड़ी रळियामणी

रणे संचर्यारे वीरां लोल ॥

बारडौली के किसानों की स्त्रियों में भी रण-मद ने संचार कर लिया था । उसदिन श्री रविशंकर व्यास वीर एक भाई के विषय में बात-चीत कर रहे थे कि पास मे खड़ी हुई एक बुढ़ियाने पूछा “ भाई इम लड़ाई में कौन तकलीफें उठानी पड़ेगी ” ? रविशंकर भाईने गिनाना शुरू किया ।

“ जल्ती ,”--

उस बुढ़िया को इसमें कुछ भी मालूम नहीं था ।

“ ज़मीन खालसा हो जाय ।”

“ ओ हो इसमे कौन बंधी बात है ? भलेही से हो !”

“ जेल ”

“ हां यह जरूर कुछ कठिन बात है । पर इसमें भी कौन तकलीफ है ? घर पर हम रोटी खाती हैं वैसे वहां भी खालेंगी ।”

“ पर अम्मां आप औरत की जात हैं कैसे जेल जावेंगी ? यह कहीं लड़कों का खेल तो नहीं है ? ”

“ऊः इसमें कौन कठिन बात है बेटा ! जिस तरह तुम जेल जावोगे उसी तरह हम भी चली जावेंगी ”

“अरे हम तो कानून को तोड़ेंगे, गुन्हा करेंगे, इसलिए हमें सरकार गिरफ्तार कर लेगी, आप को कौन जेल ले जावेगा ?”

पर अम्माजी कहां पीछे रहने वाली थी ? वे बोलीं “बेटा जो गुन्हा तुम लड़के करोगे, वही हम भी करेंगी ।”

ऐसी वीर बहन गांव-गांव मिलती हैं । पर अभी उनकी आत्मा पूरी तरह नहीं जागो थी । इसीलिए उन्हें जगाने के लिए बाहर से कुछ बहादुर बहनों भी आने लगीं । ढसा के दरबार साहब की वीर पत्नी रानी भक्ति लक्ष्मी या “भक्तिबान”

ता सत्याग्रह शुरू होते ही आपहुंची र्थी- और गांव-गांव घूम कर बहनों को सचेत कर रही थीं पर अब तो बम्बई के विख्यात पेटिट खानदान को धनिक किन्तु अत्यन्त देश-भक्त बहन कुमारी मीटू बेन पेटिट भी आ पहुँची। वे तो खादी के पीछे पागल सी हो गई हैं। वे अपनी देश-भक्ति से पारसी-कौम को अलंकृत कर रही हैं देश के पीछे घर बार सब भूली बैठी हैं। वे बारडोली की बहनों को, हाथ पर खादी रखकर, उनके कानो मे सत्याग्रह का मंत्र सुनाती हुई घूमने लगीं। उनके चेहरे पर एक पवित्र तेज है जिसकी किरणें ठेठ मनुष्य के हृदय तक पहुँच जाती है। उसे प्रकाशित कर देती हैं। उनकी सादगी और सरलता देखकर आदमी दंग रह जाता है। भक्तिवा की मूर्ति गंभीर है पवित्र है परम सात्विक है परन्तु इनके अतिरिक्त कवि श्री फूलचन्द भाई की पत्नी घेली बेन भी तो अपने पति के बनाये गीतों का स्त्रियों में प्रचार कर रही थी। श्रीमती सूरज बेन महेताने रानी परज की-स्त्रियों मे अपने आपको भुला दिया था। श्रीमती कुंवर बहन तो बारडोली की ही पुत्री हैं। वे इस सेवा में इन सब से पीछे कैसे रह सकती थी।

परन्तु जहां बारडोली में बहनें यह वीरता दिखा रही थीं वहां वालोड में एक और ही दृश्य अभिनीत हो रहा था। वालोड के तेहसीलदार, सेठ केशवलाल वल्लभभाई तथा सेठ

हरकिशनलाल नरोत्तमदास नामक वहां के दो साहुकारों के यहां ता० ९ मार्च के दिन जन्ती करने गये और उन्होंने सेठ केशवलाल के यहां से (७८५) तथा सेठ हरकिशन लाल के मकान से (१५००) नकद प्राप्त कर लिये। जद्वियों के विषय में यह कहा जाता है कि उपयुक्त सेठों ने तहसीलदार के साथ साठ-गांठ करके अपने घर से उपर्युक्त रकम तैयार नकद रखने की पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। जब तहसीलदार तीन तलाटियों को लेकर गांव में पहुँचे तो फौज लोगों ने अपने-अपने मकानों को ताला लगाकर इन दोनों सेठों को भी खबर करदी। परन्तु उनकी तो पहले ही साठ-गांठ बंध चुकी थी इसलिए सेठों ने दरवाजे बन्द नहीं किये। तहसीलदार आये उन्होंने जन्ती का नाटक किया और "गह्लों में रखे हुए नोटों का बंडल लेकर चलते बने।"

ज्योहो इस कुकर्म की खबर फैली, सारे ताल्लुके में रोष की भयंकर आग ली सुलग उठी "इन बनियों की जीन में कोई कपास न भेजे, उनकी जमीन को कोई जोते नहीं, उनके साथ कोई लेन-देन का व्यवहार न करे. इत्यादि, सामाजिक बहिष्कार करने की सूचनायें भी गांव-गांव से आने लगीं। खुद वालोड की जनता में भयंकर रोष फैल गया था। यह खबर पहुँचते ही सरदार बल्लभभाई श्री० सोहनलालजी पंड्या को लेकर वालोड पहुँचे। एक भारी

सभा हुई और उन्होंने लोगों को खूब समझाया । इनका यह व्याख्यान अत्यंत मननीय है; इसलिए उसके महत्त्व-पूर्ण अंश को यहां उद्धृत करने के लोभ का मैं संवरण नहीं कर सकता—

“ आज सुबह सूरत के स्टेशन पर ज्योंही मैं गाड़ी से उतरा कि मुझे इस घटना के समाचार मिले । सुन कर मुझे दुःख तो अवश्य हुआ, क्योंकि प्रतिज्ञा लेते समय यदि हम सीधी तरह अपनी कमजोरी जाहिर कर दे कि हमसे फलां बात नहीं होगी, तो यह पाप नहीं । परन्तु प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने पर जल्ती आफीसर के साथ साठगांठ करके ताल्लुके के साथ विश्वास-घात करना तो अत्यन्त लज्जाकी बात है । ऐसी बातें हमारे इस युद्ध को शोभा नहीं देती । ऐसे छल से न हमारे अगुआ घोखा खा सकते और न सरकार ही ऐसी भोली है, जो उसे धोखा दिया जा सके । मुझे तो यह खबर मिलते ही मैं समझ गया कि निश्चय ही यह तहसीलदार की मित्रता का फल इस भाई को मिला है ।

आप के गांव में ऐसी बुरी बात हुई इस पर आपको स्वभावतः बड़ा क्रोध आया होगा । पर आप इस आवेश में कुछ बुरा-भला न कर बैठिएगा । इस तरह डर दिखाने से कोई कायर शूर नहीं हो सकता । किसी को टेका लगा

कर खड़ा करने से वह हमेशा थोड़े ही खड़ा रह सकता है। जो अपनी प्रतिज्ञा के महत्व को समझता है, जिसे अपनी इज्जत का खयाल है, वह तो कभी लगान अदा नहीं करेगा, चाहे सारा गांव अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ कर भले ही लगान अदा कर दे।

यदि आपको यह डर हो कि इन दोनों को जमा कर देंगे तो दूसरों का भी पतन होगा तो उसे भी दिल से निकाल बाहर कर दीजिएगा। इस तरह यह काम नहीं चल सकता। ऐसी प्रतिज्ञा वाले लड़ाइयों में तो प्रत्येक आदमी का व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र महत्त्व होता है। प्रत्येक आदमी का यही संकल्प होना चाहिए कि सारा गांव भले ही लगान जमा करदे मैं कभी न दूँगा।

मुझे आपके इन बहिष्कार के प्रस्तावों आदि की भी खबर मिल चुकी है जिन पर आप विचार कर रहे हैं। पर मैं आप से यह कहूँगा कि अभी इन बातों की जल्दी न कीजिए। हम सरकार के साथ लड़ने चले हैं, खुद हमारे ही अन्दर जो कमजोर लोग हैं उनसे लड़ने के लिए नहीं। इनसे लड़कर भी आप क्या करेंगे? ये तो आपसे भी डरते हैं और सरकार से भी डरते हैं। इसीलिए तो जव्तियों के ऐसे नाटक उन्हें करने पड़ते हैं। हमें सत्याग्रही का धर्म न छोड़ना चाहिए। वह बड़ा मुश्किल है। क्रोध के लिए उसमें कहीं स्थान ही नहीं है। यह

खड़ा आगस में लड़ने के लिए नहीं छोड़ी गई है। निर्माल्य लोगों को पैरों तले रौंदने के लिए हमने यह युद्ध नहीं छोड़ा है। यह मानना भ्रूट है कि जिसके पास धन है, जिन है, वह बहादुर है। अरे इन पर तो हमें क्या आनी चाहिए ऐसा इनका जीवन है। गरीब, अपढ़ अज्ञान लोगों के अंगूठे काट-काट कर तो इन्होंने जमीन इकट्ठी की हैं। और फिर इन्होंने जमीनों पर खूब मुनाफा लेकर किराये पर उठा दिया है। और इन ऊँचे किराये के अंको को देख-देखकर ही सरकार ने इनके पाप के फल स्वरूप सारे ताल्लुके पर लगान बढ़ाया है। और जब आप इस लगान-वृद्धि के विरोध में युद्ध छोड़े बैठे हैं तब यही साहुकार लोग फिर आप के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। अगर आपको अपनी शक्ति का पूरा-पूरा भान हो जायगा तो आपको किसी प्रकार का दवाव डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब अपने-आप सीधे होते चले जावेंगे।

इस घटना से हम सबको एक पाठ सीख लेना चाहिए। अब से हमें अपने तथा अपने भाइयों के विषय में और भी जागृत रहना चाहिए। इस किस्से को अधिक चूंधने से कोई लाभ नहीं। गंदी चीज को चूंधने से उससे तो उलटी ज्यादा बढ़ू ही फैलती है। इस लिए समझदार आदमी का तो यही काम है कि उसपर मुट्टी भर मिट्टी

डाल दे और अपने काम से चलदे । ऐसा करने से आगे चल कर लाभ भी हो सकता है । यदि कोई बुरा काम करे और उसके साथ हम भलाई करेंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा । वह आगे चलकर राह पर आ सकता है । इस लिए बुरे पर मिट्टी डालकर हमें उसे भुला देना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी कुमति हमें उपजे उससे पहले मृत्यु को गोद में हम सो जायँ ।”

यद्यपि चंदा सांगना शुरू तो नहीं किया था तथापि कुछ मित्रों ने बिना सांगे ही सहायता देनी थी । वह सब मिलकर मार्च ११ सन १९२८ तक १२५.५० हुए थे ।

वारडोलीनां यशोगान

नभोमंडल वींधी निरसे,

ध्रुवदृष्टि देव प्रताप;

जणे खांडानी धारे खेलतां,

जप्या भारतना जय-जाप;

तपोवनोने तेदती रे, गंगा वहे गूजरात,

खेडुव व्हारां धोरडां रे, पावन तीरथ घाट;

देवदुर्लभ दर्वा विराट—नभोमंडल

विजयी बारडोली

गरजे अषाढी मेहुलो रे, मोर करे टिहूकार;
खेहुत, त्हारा लोचने रे, वोज करे चमकार;

घरसे जीवन अमृतधार;—नभोमंडल०

घोळी पायाँ वस्त्र कारमां रे, मीरां न मुके माळ;
घोळी पीछो एक घुंढे रे, घूरकन्तो घोर काळ;

खेडु, रैयतना रखवाळ;—नभोमंडल०

घरती घेनुने कारणे रे, जोगी शा जलद भेल !
झोली दस्युदळ देकरी रे, डोली, जडी जड रेख;

एक अडोल त्हारो देऊ !—नभोमंडल०

उगे सूरज आभळे रे, प्रभा जगे पथराय;
तपोवळी त्हारा तेजनी रे, जयो जयो उचराय;

घेरां घूवडियां लजवाय;—नभोमंडल०

आहुति दइ दिलद्रव्यनी रे, मांडया महारुद्र होम;
अम्मर हो इतिहासमारे, भटवीर सोहन भोम,

त्हारां ज्वलन्त जीवन जोम—नभोमंडल०

मेरु अविचल गाजतो रे, मेवल मूषळधार;
रण मोरचे एम राजतो रे, धन्य हो अन्नदातार !

धन्य युगे युगे अवतार !—नभोमंडल०

लेणे खांडानी धारे खेलतां

जप्या भारत ना जय जाप,

नभोमंडल वींधी ढाळतो

अद्र आशिप देव प्रताप;

केशव ह० शेट

प्रह्लाद-प्रतिज्ञा

- बारडोली सत्याग्रह के दूसरे महीने का आरंभ वालोड के सेठ हरकिशनलाल और केशवनाथ के मंगल पञ्चात्ताप से हुआ। पश्चात्ताप के अन्दर वह पावक शक्ति है जो बड़े से बड़े पापियों को भी पवित्र कर देती है। दोनों वैश्यों ने अत्यंत नम्रता पूर्वक गांव के समस्त लोगों के समक्ष अपनी भूलके लिए क्षमा-याचना की और यह वचन दिया कि वे उनके शेष खातों का लगान अब अदा नहीं करेंगे। इस पवित्र कार्य के बाद उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक क्रमशः रु० ८०१ और ६५१ धर्मार्थ अर्पण किये जो सत्याग्रह के चन्दे में जमा कर लिये गये।

उसी दिन अर्थात् ता० २२ मार्च को बारडोली में ताल्लुका के करीब ५० मुख्य-मुख्य पटेलों की सभा हुई। चौथाई की नोटिसों की मीयाद खतम होने पर जदितियों का दौरा शुरू होने वाला था। पटेलों को इस समय किस तरह काम करना चाहिए इसी बातका विचार करने के लिए सब एकत्र हुए थे। वे जानते थे कि "वे किसान पहले और पटेल बाद में हैं। अपने ही भाइयों के घर में घुसकर

जप्तियों में सरकार की सहायता करना उनका काम नहीं है। वे ऐसा घुरा काम करने से साफ इन्कार कर सकते हैं। वे सरकार के नौकर भी तो नहीं हैं। ऐसा कौन पटेज होगा जो केवल सरकार के दिये पटेजी के लोभ पर अपना पेट भरता हो। यदि पटेज इस समय ताल्लुके का साथ न दे तो वह पटेज ही कैसा ?” इस तरह विचार करने के बाद सबने एक मत में यही निर्णय किया कि जंतों के गंदे काम में कोई पटेज सरकार का साथ न दे।

तारीख १३ को रायब्रहादुर भोमभाई नाईक और श्री शिवदासानी फिर रेवेन्यू मेम्बर से मिले। और उनसे लगान-वृद्धि रोकने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। तब रेवेन्यू मेम्बर ने कुछ गांवों को ऊपर के वर्ग से नीचे के अर्थात् कम रेट वाले वर्ग में उतारने का वचन दिया। (और आगे चलकर २२ गांवों को नीचे के वर्ग में उतार कर इसका उन्होंने पालन भी किया, जिसके फल-स्वरूप लगान-वृद्धि २१-९७ से घटकर २० फी सैकंडा रह गई। पर असली प्रश्न तो एक तरफ ही रह गया। और वह भी महज शिकमी लगान ध्यान में रखकर की गई लगान-वृद्धि। इस गलत सिद्धान्त के चक्कर में आकर मि० पेरुहरसन ने कई गांवों को अनुचित रीति से ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिया था। जिसके कारण उन-पर लगान बहुत बढ़ गया था। और जब इस अनुचित



वीर वणिक
श्री वीरचंद चेनाजी

विजयी वारडोली

१६



हमारा पोस्टमन

विजयी चारडोली

२०

वृद्धि पर श्री नरीमन ने बम्बई की कौन्सिल में निन्दा का प्रस्ताव पेश किया तब सरकार के बचाव में मि० ऐण्डर-सन ने बड़ी अजीब-अजीब दलीलें पेश कीं।

पहली दलील तो यह थी कि “चूंकि प्रजाने शराब छोड़ कर के अब बहुत सा धन बचा लिया है, इसलिए उसे अधिक लगान देने में कोई उज्र नहीं लेना चाहिए।”

दूसरी दलील भी सुनिए—

“दस वर्ष से लगान में जो वृद्धि हुई है वह सन् १८३३ के लगान के साथ तुलना करने पर ११७ और १०० के अनुपात में है अर्थात् १०० वर्ष में केवल प्रतिशत १७ लगान बढ़ा है।”

जो केवल इतनी सी बात सुनेंगे वे तो यही कहेंगे कि “ओहो, १०० वर्ष में और बातों में कितनी महंगी हो गई है और लगान में तो सिर्फ १७ प्रतिशत वृद्धि हुई है। तब तो पहले के शासक अत्याचारी थे और अंगरेज सरकार बड़ी दयालु है।”

पता नहीं, शायद इसी तरह की दलीलों के मोह में आकर कौन्सिल के सभी सरकारी और शायद थोड़े से गैर सरकारी सभ्यों ने भी मि० नरीमन के प्रस्ताव के विपक्ष में अपने मत दे दिये और वह गिर गया। जिसपर मि०

विजयी बारडोली

नरीमन को बड़ा ही अफसोस हुआ। पर सरकारी अफसरों के अंक सच्चे हैं कि नहीं! कौन कह सकता है ? जो वह बतावे उसीको इन लोगों को प्रामाण्य और विश्वसनीय समझना पड़ता है।

किन्तु यंग इंडिया में मि० ऐण्डरसन के कथन में छिपा हुआ रहस्य यों प्रकट किया गया है—

“स्वयं ऐण्डरसन के ही कथनानुसार सन् १८३३ में बारडोली में कुल ३०,०० एकड़ जमीन की काश्त हो रही थी। आज जितनी जमीन काश्त हो रही है उसका रकबा लगभग १,३०००० एकड़ हो”।

यह पहले बताया जा चुका है कि यह जमीन की वृद्धि गोचर-भूमि को काश्त जमीनों के लगान वाली जमीनों में शामिल करके हुई है। पहले तो किसानों से गोचर-भूमि पर बिलकुल लगान नहीं लिया जाता था; काश्त-जमीन में शामिल होते ही उसपर काश्त-जमीन का लगान भी लिया जाने लगा इसलिए किसानों ने उसे भी काश्त करना शुरू कर दिया।

मि० ऐण्डरसन की उस “१७ प्रतिशत वृद्धि की” पोल खोलते हुए यंग इंडिया में श्री महादेवभाई देसाई आगे लिखते हैं—

“पहले बारडोली ताल्लुका के सरभण विभाग में काश्तकार को २० बीघे जमीन के पीछे ६ बीघे गोचर-भूमि मुफ्त मिलती थी। अर्थात् यदि फी बीघा ५) लगान मान लिया जाय तो उसे सन् १८३३ में—

$(२० \times ५ \text{ रु०}) + (६ \times ०) = १००)$ रुपये २६ बीघे के लिए लगान के देना पड़ते थे ॥ पर अब तो उसे १७ प्रतिशत अधिक देना पड़ते हैं वेवल उन बीस बीघों पर ही नहीं गोचर की उन छ. बीघे जमीन पर थी। अर्थात् अब उसे $(२० \times ५.८५ \text{ रुपये}) + (६ \times ५.८५) = १५२.१०$ रुपये लगान के देना पड़ते हैं। क्या यह १७ प्रतिशत है ?

यह है सरकार-पक्ष की सत्यता-का नमूना तथापि मि० नरीमन के प्रस्ताव के गिरते ही सरकार ने और उस के हस्तकों ने सारे संसार में इस बात का हुक्म पीट दिया कि बारडोली के मामले में धारा सभा सरकार के साथ है।

परन्तु बारडोली का सत्याग्रह कोई बच्चों का खेल थोड़े ही था ? वह कोई छुई-मुई का पौधा तो था ही नहीं जो जरा हाथ लगाते ही सिकुड़ जाता। बारडोली का सत्याग्रह न किसी बाहरी शक्ति की सहानुभूति के बल पर चल रहा था और न वह सरकार की दुर्बलता को अपनी खुराक समझता था। वह अपनी निजी शक्ति और आंतरिक सत्य के बल पर चल रहा था। इंग्लैण्ड में वहां के

विजयी बारडोली

निवासियों ने भले ही अखवारों में इन मूठी खबरों को पढ़कर विश्वास कर लिया हो, पर बारडोली के किसानों पर सरकार की जादू नहीं चली।

अब तो सारे ताल्लुके में सत्याग्रह की पावन अग्नि फैल गई। इस अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी सभाएँ होने लगीं। सरदार वल्लभभाई तो मानो सर्व व्यापक हो गये थे। उन्होंने न जाने कितने रूप धारण कर किये थे। जहाँ देखिए तहाँ वे तैयार, समावाहे सुबह हो या शाम को। लोग उन्हें दिन के दो बजे फड़ी धूप में बुलायें या अंधेरी रातों में ११-१२ बजे वे घरा-घर गांव-गांव जाकर लोगों को अपना मंत्र मुनाते। सभाओं में अब उपस्थिति भी काफी होने लग गई। जितने पुरुष आते, उतनी ही स्त्रियां भी आतीं। फूल, चन्दन और अक्षत से वे वल्लभभाई की पूजा करतीं। सत्याग्रह के लिए यथा-शक्ति भेट भी रखतीं और भक्ति से प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ जातीं। तबतक दूसरी वहनें गाने लग जातीं—

सखीरे आज्ञे ते प्रभु जी पधारिया
मारे ढग्या छे सोनाना सूर रे,

वल्लभभाई घेर आविया।

भारा जन्म मरण मटी जायरे, वल्लभ०

ब्रह्माप-भक्तिशा

लइये ब्रह्माते नंदनुं सुखरे—	बहुभ०
जेणे तखमसीनो लीथो ल्हाव रे—	„
धरो हारि गुरु संतोनुं ध्यान रे—	„
मुको माया केरो मोह मद रे—	„
मारा अंतर मां एक रस थायरे—	„
मारुं टळ गयु देह अभिमान रे—	„
जोई अंतरना मेल मटी जाय रे—	„
जेना वेद गीता मा गाया गान रे—	„
माया रंग पतंग जशो उछी रे—	„
थाय भानन्द ब्रह्मा स्वरूप रे—	„
अंते भळगा रहेशे राहु कोई रे—	„
पाणी पहेलां बांधोनी तमे पाळरे—	„
हवे करवानुं नथी रखुं कोई रे—	„
अमने देहीना दुख नथी दमतां रे—	„

इस भक्ति के अद्भुत प्रवाह को देखकर बल्लभभाई लो गद-गद हो जाते। वे कहने—“बहनो, मुझ पर ऐसा अन्याय न करो। आपकी इस पूजा से तो मुझे बड़ा संकोच होता है। इस भक्ति के सागर में मेरा तो दम घुट रहा है। मैं इसके योग्य नहीं इस पूजा के योग्य इस समय यदि हमारे बीच कोई है, तो वे पू० महात्माजी हैं। मैं तो आपका भाई हूँ। और आपका आशीर्वाद-लेने के लिए आता हूँ।” साम्राज्य-सत्ता की नाक नीची-भुकाने वाला

जीर इन भोला-भाली बहनों के भक्ति रस में डूब गया !

पर भायुकता एक बात है और व्यवहार दूसरी बात बारडोली की खियों में व्यावहारिक पवित्रता और बहादुरी किस हद तक विकसित हो गई थी इसके भी दो चार उदाहरण सुनिए—

वालोट के तीन वैश्य कुटुम्ब वेडछी में रहते हैं। सरकार के वफादार पटेल इनायतुल्लाखां इनके यहां डाका (जब्ती) डालने के लिए पहुँचे। इन तीनों कुटुम्बों के मकान वेडछी में पास-पास ही हैं। इनमें से एक मकान पर एक लड़का खड़ा था। दूर से वफादार पटेलो के दर्शन होते ही वह समझ गया। दौड़ा, और दोनों मकानों को उसने ताले लगा दिये। पर एक मकान वैसे ही रह गया। इस लिए जब्तीदार उसी मकान की ओर बढ़े। मकान गुलाबदास भाई का था। उनकी पतोहू अन्दर अकेली रसोई कर रही थी। पटेल और पटवारी मकान के बाहर बैठ गये। तब तक आश्रम से चुनी भाई तथा कितने ही रानी परज किसान भी आ गये। घटना की खबर वालोट के मुखिया श्री केशवभाई को भी पहुँचा दी थी। शीघ्र ही वे भी आ पहुँचे।

केशवभाई ने सबसे पहले रानीपरज के लोगों को अपने-अपने घर भेज दिया और उस बहन के समाचार

लेने की इच्छा से भीतर गये । उन्हें शक था कि इतनी बड़ी भीड़ को देखकर वे जरूर डर गई होंगी ।

“क्यों बहनें, घबड़ाई तो नहीं ?”

“इस में कौन घबड़ाने की बात है ?”

समकी हिम्मत को देखकर श्री केशवभाई को बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने कहा “तो आप रसोई करके शांति पूर्वक भोजन करलें और सामान को इसी तरह छोड़कर किसी पड़ोसी के यहां बैठें ।” उस बहन ने यही किया । सब केशवभाई ने पटेल पटवारी से कहा—

“हां, अब पधारिए पटेल साहब, मकान खुला पड़ा है । जो चाहे उठालें, वह देखिए वहां कपास भो है ।” यों कहकर वे भी वहां से हट गये । पटेल और पटवारी सूने मकान के सामने खड़े-खड़े एक दूसरे का मुँह ताकते रह गये । आखिर खुद भी निराश हो बिना कुछ लिये वहां से उठकर चले गये ।

यह नाटक सरकार के लिए भले ही निष्फल हो, पर जनता की सफलता का तो यह प्रत्यक्ष चिन्ह था । वैश्व जाति की एक युवती बहन घर में अकेली हो, उसके यहां इस तरह डकैत आवें और वह बिना घबड़ाये शांति-पूर्वक अपना काम करती रहे, यह कितनी भारी बात है ? फिर इतनी दरिद्र, दबी हुई रानीपरज में से सरकार को एक

पंच का भी न मिलना चरखे की कितनी भारी बिजय का चिन्ह है ?

किन्तु यह चाल बहुत दिन तक न चली । धीरे-धीरे स्वयं-सेवकों का संगठन अधिकाधिक अच्छा होने लगा । शोध हो प्रत्येक गांव के चारों तरफ सख्त पहरे बैठा दिये गये और पहरेदार स्वयं-सेवकों को बिगुल, शंख तथा नगारे दे दिये गये । अब तो तलाठी या पटेल को दूर से देखते ही शंख या बिगुल बजा कर लोगों को सावधान कर दिया जाता । संकेत होते ही प्रत्येक दरवाजे पर ताले पड़ जाते । और बेचारे पटेल-पटवारी अपना सा मुँह लेकर चले जाते । बेचारे जवती आफूसर या पटेल-पटवारी जहाँ-जाते, तहाँ उनको देखते ही नगारे बजा दिये जाते । शंख फूँक दिये जाते या बिगुल की आवाज से गांव और जंगल को भी गर्जा दिया जाता ।

पड़ोसी ताल्लुको में बारडोली के प्रति दिन-ब-दिन सहानुभूति बढ़ने लगी । बलसाड़ आणन्द, नवसारी पल-साणा आदि की जनता ने बड़ी-बड़ी सभाये करके बारडोली का साथ देने तथा सरकार से जुल्म के कामों में असहयोग करने के प्रस्ताव मंजूर किये । यद्यपि चन्दे के लिए अभी तक भी मांग तो नहीं की गई थी, फिर भी वे स्वेच्छा से खन्दा इकट्ठा करके भेजने लगे ।

कड़ोद एक ऐसा गांव था जो इस सत्याग्रह में सब से देरी से शामिल हुआ। वहां के लोग अधिक शिक्षित थे इसी का यह फल था। सत्याग्रह शुरू हुए इतने दिन हो जाने पर भी यहां के कुछ निवासियों को लगान अदा करते हुए कोई लज्जा नहीं आई। बल्कि जो उनसे कहने जाते उन्हें भी वे लगान जमा करा देने की नेक (!) सलाह देने की अक्रुमन्दी करते। यह विपरीतता देखकर आस-पास के गांवों में बड़ा असन्तोष फैल गया। श्री मोहनलाल पंड्या लोगों को समझाने के लिए गये। पर रोष की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि उनके जाने का कोई विशेष परिणाम न हुआ। हां, लोगों ने उनका भाषण तो शांति-पूर्वक सुन लिया पर उन देशाड्यो के बहिष्कार और निन्दा का प्रस्ताव तो मंजूर कर ही लिया था।

बहिष्कार का इतना प्रचार होते देख पू० महात्माजी को उसके उपयोग की शर्तें प्रकट कर देनी पड़ी। क्योंकि जो कमजोर है वह अपनी दुर्बलता समाज में भी फैलाता है। इसलिए उसके तथा समाज के हित के लिए उसे कुछ समय अलग रखना तो आवश्यक है, पर उसके साथ अन्याय न होने पावे इस बात की भी सावधानी रखना जरूरी है। अन्यथा जालिम में और सत्याग्रही लोगों के समुदाय के

बीच कोई अन्तर न रह जाय । महात्माजी ता० १८ मार्च के 'नवजीवन' में लिखते हैं—

“सुना है, जो लोग सरकारी लगान अदा करने पर तैयार हो जाते हैं उनके लिए बारडोली के 'सत्याग्रही बहिष्कार के शास्त्र का उपयोग करने लग जाते हैं बहिष्कार का शास्त्र निःसन्देह ऐसा तो है जिसका तत्काल अमर हो जाता है । सत्याग्रही उनका उपयोग भी कर सकते हैं, पर अपनी मर्यादा में रह कर । बहिष्कार दो तरह का हो सकता है हिंसक और अहिंसक भी । सत्याग्रही तो अहिंसक बहिष्कार का ही प्रयोग कर सकता है । इस समय तो मैं इन दोनों तरह के बहिष्कारों के केवल दृष्टान्त ही दे देना चाहता हूँ ।”

“किसी से सेवा न लेना अहिंसक बहिष्कार है । सेवा न करना हिंसक बहिष्कार है । बहिष्कृत के मकान पर भोजन करने के लिए न जाना; विवाहादि प्रसंग पर उसके यहां न जाना, उसके साथ व्यापार न करना उससे किसी प्रकार की सहायता न लेना यह सब अहिंसक त्याग है ।

पर यदि बहिष्कृत बीमार हो तो उसकी सेवा-शुश्रूषा न करना उसके यहां डॉक्टर को जाने न देना, वह यदि मर जाय तो शव की अन्त्येष्टि क्रिया में सहायता न करना धूप, मंदिर, आदि के उपयोग से उसे वंचित कर देना

हिंसक वहिष्कार है। गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि अहिंसक वहिष्कार अधिक काल तक निभ सकता है। उसे तोड़ने में बाहर की शक्ति काम नहीं दे सकती। हिंसक वहिष्कार बहुत दिन तक नहीं चल सकता और उसे तोड़ कर गिराने में बाहरी शक्ति का काफी उपयोग किया जा सकता है। हिंसक वहिष्कार आगे चलकर युद्ध के लिए हानिकर ही साबित होता है। इसके उदाहरण असहयोग के युग में से कई दिये जा सकते हैं। परन्तु इस समय तो मैंने जो भेद दिखाये वही बारडोली के सत्याग्रही और सेवकों के लिए काफी है।”

अब जन्तियों की नोटिसें (पीले पतंग) चिपकायी जाने लगी। पर उनकी परवा कौन करता था ! एक पैसा भी हाथ नहीं आता था। बारडोली में एक दिन तो अधिकारियों ने ढेड़ों को पंच बनाया। पर वहां क्या आना-जाना था ? जन्ती-अफसरों का आना, शंख नकारों का बजाना और मकानों पर एकाएक ताले लग जाना एक भामूली सी बात हो गई। लोग इस कवायद के इतने आदी हो गये कि जब धीरे-धीरे खालसा की नोटिसों की अफवाहे सुनाई देने लगीं तब उन्हें जरा कहीं आनन्द मालूम होने लगा। बारडोली का खून सदियों से ठण्डा हो गया था। सत्याग्रह छिड़ते ही वह गरम हो गया। सशस्त्र युद्ध

न होने पर भी अपनी वीरता दिखाने के लिए उसके पुत्रों की आत्मार्ये आतुर होने लगीं । इसीलिए जब मोता के किसानों ने सुना कि अब जमीनें खालसा होने की बारी आई है, तो वे प्रसन्न हो गये । उन्होंने सब मिलकर ता० १७ मार्च को यह प्रस्ताव किया कि “जिसकी जमीन खालसा होगी उसमें हम सब गांव भर के लोग हल डालते जावेंगे देखें किस की ताकत है हमें रोकने की ?

ता० २० मार्च को बाजीपुरा में एक सभा के बाद स्यादला छावनी के सेनापति श्री फुलचन्द भाई शाह ने बहनों की मनोवृत्ति जांचने के हेतु से एक बहन से कहा, “खालसा की नोटिसें आ रही हैं”

“आने दो न कौन डरता है ?”

“मर्द कहीं डर कर लगान अदा कर देंगे तब ?”

“कैसे अदा करेगे ? उन्हे पकड़ कर पीछे के बरामदे में नहीं बन्द कर देंगी ?”

“कोरी बातें ! जमीन हाथ से चली जायगी । दूसरे को बेच दी जायँगी और खेत में कदम रक्खोगी तो कैद कर ली जाओगी । जानती हो ।”

“भले ही चली जायँ । हम तो अपने खेत को ही जो-वेँगी । फिर देख लेगी हमे कौन जेल मे ले जाता है ।”

कहां तो पहले जनता खुफिया पुलिस के सारे तंग थी

और कहाँ अथ चारडोली में सरकारी अफसर सत्याग्रही स्वयं-सेवकों की कड़ी देख-भाल के मारे परेशान हो गये । कलेक्टर, तहसीलदार, पटेल, तलाठी जहाँ जाते उनके पहुँचने के पहले इनके अशुभ आगमन की खबर गांव को मिल जाती । बेचारों से कोई धात तक नहीं करता । उन्हें तो अपने बंगलों पर भी बैन न था । सत्याग्रही स्वयं-सेवक मोटरों साइकिलों और घांटों पर दौड़ते ही रहते । असिस्टेंट कलेक्टर ने मढ़ी स्टेशन को सार्वजनिक स्थान समझकर अपना छोटा इंजनेरो बंगले में जमाया तो इधर स्वयं-सेवकों ने सामने के खेत में एक कुटिया खड़ी कर दी, और उसकी हलचलों के समाचार उचित स्थानों पर साइकिल और घोड़ों पर बैठ कर पहुँचाने लगे । ता० २२ को और गांव में कोई अधिकारी चुपके-चुपके आ रहे थे कि स्वयं-सेवकों ने एकाएक नक्कारा बजा दिया । बेचारे शर्मिन्दा होकर “अवाउटर्न” करके लौट गये ।

पर अब तो “दुवला लोग भी सरकार के हुक्म की अडली करने लग गये । एक दिन तलाठी ने अपने ‘वरत-निया’ से कहा “जा, ये कागज फलां-फनां लोगों को दे आ ।” वह चला पर जब उसे मालूम हुआ कि ये तो नोटिस हैं, तब वह लौट आया और नोटिसों को लौटा कर बोला ये काम मुझ से न होगा ।

विजयी बाखोली

डिप्टी कलेक्टर की एक दुबला से यों बातचीत हुई-।

“क्योंरे लगान क्यों नहीं जमा करता ?”

“लगान कम कर दो तब अदा करेंगे ।”

“अरे तुमपर तो बहुत कम लगान बढ़ा है !”

“बहुत कम सही, पर लाब्रे कहां से ? तीस सेर पानी में तीन सेर आटा डालकर तो हम खड़ी बनाते हैं उसमे से भी आधा सेर आटा आप छीन लेना चाहते हैं ।”

“भई यह तो इन्साफ से बढ़ाया गया है । देख न घारा-सभा में भी वह संजूर हो गया । इसीलिए अब लगान नहीं आया तो जमीन खालसा होगी ।”

“अरे साहब,”

फूल मां फूल कपास का और फूल कायका ?

राजा मां राजा मेघराजा और राजा कायका ।

“मानी ?”

“मानी ये हुए कि खालसा तो अकेला मेघराज कर सकता है और कोई हमारा जमीनें खालसा करने की शक्त नहीं रखता ।”

जब गरीबों में दाल गलने के कोई लक्षण न दिखे तब अमीरों की परीक्षा लेने के लिए जनाब अल्मोला (डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर) साहब ने निश्चय किया । चौथाई

और जवती के नाटक निष्फल हुए तब उन्होंने सचमुच अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा ।

तारीख २६ मार्च सन् १९२८ को वे सुबह बाजीपुरा पहुँचे । और अपने हाथ से उन्होंने सेठ वीरचन्द चेनाजी के दरवाजे पर खालसा की नोटिस चिपका दी । उसी दिन वालोड के सात अन्य वैश्यों को भी इसी तरह की नोटिसें दी गईं जिनका आशय यह था—

“तारीख १२ से पहले पहल अपनी जमीन का पूरा लगान जो कि तुमने अभी तक अदा नहीं किया है मय चौथाई के अदा न करोगे तो कलेक्टर तुम्हारी जमीन सरकार में जमा कर लेंगे ।

ये हैं वालोड के उन भाग्यशाली वैश्यों के शुभ नाम—

शाहवे लाभाई मागकेचन्द; शाह भूखणदास मागकेलाल;
शाह गुलाबदास भाईदास; शाह डाल्याभाई रामदास;
सोनी प्राणजीवन नरमेराम; शाह दामोदर हरिभाई;
शाह चुन्नीलाल मागकेलाल ।

कहना न होगा कि वालोड के इन भाइयों पर इन नोटिसों का कोई असर नहीं हुआ । सारे ताल्लुके में इन दिनों कुछ मन्दता छा गई थी । वालोड के तेहसीलदार ने इन नोटिसों-द्वारा फिर सारे वायु-मण्डल को उत्साह और

चैतन्य से भर दिया । बाजीपुरा के सेठ वीरचंदजी ने नीचे लिखा तेजस्वी पत्र तहसीलदार को भेजा—

“वालोड पेटा के

म० महालकारी साहब,

मैं, वीरचंद चैनाजी बाजीपुरा वाला, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे रहने के मकान पर आज मुझे एक नोटिस चिपका हुआ मिला उसपर आपके जैसे हस्ताक्षर थे । उसमें लिखा है कि “ता० १२ अप्रैल १९२८ के अन्दर वालोड की मेरी जमीन का लगान भय चौथाई के रु० १६०-१५-४ यदि अदा न कर दिया जायगा तो उस जमीन को सरकार में खालसा कर देने का कलेक्टर ने निश्चय किया है ।

“ऐसी नोटिस देने के लिए सारे महाल में आपने मुझको चुना इससे यह मानने के लिए मेरे पास कारण है कि आपने मुझे सारे महाल में सबसे अधिक कच्चे दिल का समझ रक्खा है ।

“मुझे पता नहीं कि मेरे विषय में यह ख्याल बना लेने के लिए मैंने आपको क्या कारण दिया है ? तथापि मुझे आपसे यह कह देना चाहिए कि भले ही सारा ताल्लुका खालसा हो जाय सरकार ने अन्याय-पूर्वक जो लगान बढ़ाया है उसको जब तक फिर वह न्यायपूर्वक जांच न



वारडोली की एक सभा

विजया वारडोली

२१



संवधान !



। सूचना मिलते ही गाँव निर्जन से हो जाते

विजयी बाराडोलो

करेंगी, तब तक तालुके में कोई लगान नहीं अदा करेगा ।
और न ही करूंगा ।

“अगर आप सरकार के सच्चे वफादार नौकर हैं, तो आपका यह धर्म है कि आप सरकार को ताल्लुके की सच्ची हालत बतावें और प्रजा के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे दूर करने में प्रजा की सहायता करें । आपने जो कितने ही वर्षों से इस ताल्लुके का नमक खाया है उसे अदा करने का समय आया है । मैं आपसे नम्रता पूर्वक विनन्ती करता हूँ कि अपनी नौकरी के अन्तिम दिनों में प्रजा को यह जो कष्ट देने का समय आया है, इसमें से आपको किसी तरह अपनी मुक्ति कर लेनी चाहिए ।

अगर इस आखिरी समय खातेदारों की जमीन खालसा करने की सत्ता आपको दी गई हो, और तदनुसार यदि आपने उस नोटिस पर दस्तखत करके मेरे दरवाजे पर चिपकायी हो, और यदि अब किसानों की जमीनें खालसा करने का काम आपके जिम्मे किया जा रहा हो, तो अब आपकी शोभा इसीमें है कि आप ऐसी नौकरी से अपनी जान बचा लें । आपकी नौकरी के गिन्ती के दिन बचे हैं । इतनी तो आपकी छुट्टी भी बाकी होगी । इस लिए बतौर एक हितैषी के मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आपके ताल्लुके के लोगों को आप ही के दस्तखत की नोटिसें

विजयी बारडोली

मिलें, इसकी अपेक्षा तो आप नौकरी से मुक्त हो जायँ इसी में आपकी अब इज्जत है।

बाजीपुरा ता० २६ अप्रैल
१९२८

आपका सेवक
शाह वीरचंद चेतानी

वालोड में जिन भाइयों को नोटिसें मिली थीं, उनमें एक विधवा बहन की जमीन थी। वे शाह चुन्नीलालजी की चाची होती थी और उनकी जमीनों की देखभाल चुन्नीलाल जी ही करते थे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी चाची इस हानि को बरदाश्त कर सकेंगी या नहीं। इसलिए जब चाची की सलाह लेने के लिए वे गंगा-स्वरूप इच्छा बहन को अपने भतीजे की आवाज में कुछ कायरता मालूम हुई। इच्छा बहन ने भाई चुन्नीलालजी से कहा—

“खालसा नोटिस आई है तो आई है। प्रतिज्ञा का अंग कहीं हो सकता है? हम लगान कदापि अदा नहीं करेंगे। जमीन चली जायगी तो किसी तरह पेट भर लेंगे। पर नाक चली जायगी तो सारी जिन्दगी मिट्टी में मिल जायगी। तुम तो मर्द हो। तुम्हें इस बात का इतना विचार करने की जरूरत ही क्या? अगर चिन्ता हो तो मुझे होनी चाहिए। मुझ विधवा की जमीन अगर खालसा हो जायगी और मैं निराधार हो जाऊँगी, तो गांधीजी का चर्खा कहां चला गया है? उनके आश्रम में चली जाऊँगी और चरखा चला-

कर अपना पेट भर लूँगो । और अगर सरकार मुझे जेल में कैद कर देगा तो भी मुझे वहाँ क्या कष्ट है ? वहाँ चक्की पीसते मुझे लाज थोड़े ही आवेगी ?”

भतीजा अपनी चाची का मुँह ताकता ही रह गया । दूसरे दिन सातो भाइयो ने श्री बल्लभभाई को इस आशय का एक पत्र लिख दिया कि आप निश्चिन्त रहें, हम प्रतिज्ञा पर अटल हैं । सरकार की यह बाजी भी बिगड़ेगी ।

उसी दिन श्री मोहनलाल पंड्या तथा कल्याणजी भाई इन वीर भाइयों को बधाई देने के लिए वालोड पहुँचे । पंड्याजी ने कहा—“सरकार के पास तीन अख हैं । उनमें से जवती को वह आजमा चुकी है, अब उसने खालसा अख को निकाला है । हम एक सप्ताह के अन्दर देखेंगे कि यह अख भी व्यर्थ सिद्ध होगा । फिर रह जायगा सिर्फ जेल-अख । पर उससे भी सरकार को कोई लाभ न होगा । जब तक हम उससे डरते रहेंगे, तभी तक वह हमें कुछ भयभीत कर सकता है ।

“मुझे अपने जिले में सरकार के इन तीनों अखों का अनुभव प्राप्त हो चुका है । उससे मेरी हानि तो तिल भर भी नहीं हुई, उलटे मेरी योग्यता से कहीं अधिक मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई । आज हम यही देखने के लिए आये हैं कि आपकी खालसा जमीनो को कोई उठाकर कहीं ले

गया है, या वे जहाँ की तहाँ पड़ी हुई हैं ? खालसा के हुक्म की कीमत उस कागज की अपेक्षा अधिक नहीं, जिस पर वह लिखी गई है। कीमत और महत्त्व तो उसी हुक्म का होता है, जिसपर अमल करने की शक्ति हुक्म करने वाले में हो।” इसी बात को एक दृष्टान्त द्वारा समझाते हुए पंड्याजी ने उस प्रसंग का वर्णन किया, जिसके कारण उनका नाम “डुंगली (प्याज) चोर” पड़ गया था। वे बोले—

“खेड़ा जिले के भीतर ताल्लुका में भूलाभाई नामक एक पटेल थे। जब खेड़ा में सत्याग्रह छिड़ा, तो वहाँ भी इसी तरह लगान अदा करना बन्द कर दिया गया था। भूलाभाई ने भी अपने खाते का लगान नहीं जमा कराया। इस पर सरकार ने हुक्म जारी किया कि तुम्हारी जमीन खालसा की गई है। और उस पर जो प्याज की फसल खड़ी है, उसे भी सरकार ने जब्त कर लिया है। उसमें से अगर प्याज काटोगे, तो सरकार के गुनहगार होगे। मैंने सोचा यह खालसा पद्धति तो अजीब है भाई। जमीन मेरी, उस पर मैंने मिहनत की, फसल बोई, उसे सींचा और यदि उस फसल को मैं काटूँ, तो मैं सरकार का चोर। यह कैसा न्याय है। मैंने बहुत सोचा, पर यह बात किसी तरह मेरी समझ से नहीं आई। जो सरकार सौ रुपये के लिए

दस हजार की जमीन खालसा करती है, वह नादिरशाह या चंगेज़खान से किसी तरह कम नहीं है। भूला पटेल ने मुझ से पूछा। “क्या करें ?” मैंने कहा और क्या करें, चलो कुदाली कंधे पर लेकर चलें और प्याज खोद लावें।

मामलत दार वहां घूम रहा था। मैंने उससे पूछा कहिए जनाब जिस वक्त हुक्म पर अपने दस्तखत किये उस वक्त इस बात का भी विचार आपने कर लिया था न कि इस पर अमल भी हो सकेगा या नहीं ? खैर मैं आगे बढ़ा और सबसे पहले मैंने खेत में प्याज खोदना शुरू किया; मेरे साथ दूसरे सौ आदमी भी थे। प्याज खोदकर हम घर पर ले गये और बेच-बूचकर कीमत हजम कर गये। सरकार को इसकी खबर भी कर दी। सरकार ने कहा आपने चोरी की है। २० दिनकी हमें सजा सुनाई गई, पर इससे मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। जहां सरकारी कागज़ों में सुर्खी से खालसा लिखा था उसे काटकर सरकार को लिखना पड़ा, मालिक के नाम पर, मैंने पूछा अरे भाई यह सब नाटक करके आखिर आपने क्या कमाया ?, तब बेचारों ने जवाब दिया ‘सरकार के सब काम इसी तरह के होते हैं।’

मतलब यह कि आदमी जबतक खुद डरता रहता है, तभीतक उसे ये पीले पतंग (खालसा की नोटिस) देखकर

विजयी बारहोली

डर लगता है। हम कहीं तमाम कानूनों का पालन करने के लिए बंधे हुए नहीं हैं। नीति-युक्त कानूनों का पालन करना जिस तरह हमारा धर्म है, उसी तरह अनीति मय कानूनों का भंग करना भी हमारा परम धर्म है। अंगरेजों के रहने से हमारा कोई भारी लाभ नहीं है और न उनके चले जाने से हमारा सर्वनाश ही होने वाला है। फिर उन्हें यहाँ रखने के लिए अनीति युक्त कानूनों को सर मुकाकर हम अपनी आत्मा को क्यों गिरावे ?”

अन्त में पराड्या जी ने उन भाइयों को बधाई दी जिन्हें खालसा नोटिस मिले थे। और खासकर गंगा-स्वरूप इच्छा बहन को उन्होंने और भी बधाई दी। उन्होंने कहा—
“ऐसे कितने ही रत्न ढके हुए रह जाते हैं। हमें सरकार को सचमुच धन्यवाद देना चाहिए, जो ऐसे रत्नों को ढूँढ-ढूँढ कर हमें अर्पित करती है।”

ता० १ अप्रैल १९२८ के नवजीवन में इन सत्याग्रही भाइयों को ध्यान में रखकर पू० महात्माजी ने लिखा था “१६०) के लागत के लिए हजारों रुपये की जमीन को खालसा कर लेने का नाम है नादिरशाही। इस राजनीति में चांटे के जवाब में चांटा नहीं, फांसी होती है। एक रुपये के लिए एक हजार छोनने वाले को हम जालिम कहते हैं—उसे दशकंधर रावण कह सकते हैं।”

“वल्लभभाई ने एक बार नहीं, अनेक बार चेता-चेता कर कहा है कि सरकार ने जमीन खालसा करने तथा जेल में भेजने के अधिकार कानून की सहायता से ले रखे हैं । और इन अधिकारों का उपयोग करने में वह जरा भी आगा-पीछा नहीं करेगी । उसने यह अनेक बार सिद्ध करके दिखा दिया है । इसलिए खालसा की नोटिस से आप या और लोग डरे नहीं, हिम्मत न हारे । वे विश्वास रखें कि खालसा जमीन सरकार को हजम न होगी—न नीलाम में खरीदने वाला कोई देशद्रोही उसे हजम कर सकेगा । इस तरह लूटी हुई जमीन कच्चे पारे के समान है । वह तो शरीर में से फूट-फूट कर निकले बिना न रहेगी ।”

“अपनी आबरु और टेक से जमीन बढ़कर नहीं । ऐसे असंख्य आदमी इस देश में हैं, जिनको कोई जमीन नहीं । कितने ही जमीन वालों की जमीने पिछली षाढ़ के समय धालू में दब गई हैं । गुजरानियों ने जिस तरह दैवी आपत्ति को धीरज और वीरता-पूर्वक सहा, उसी तरह वे इस सुलतानो मुसोबत को भी सहलें, और अपनी प्रतिज्ञा पर दटे रहें ।”

सेठ वीरचंद्र की भांति चानोड के उन सात भाइयों ने भी मामलतदार को एक पत्र भेजकर अपने तेजस्वी निश्चय की सूचना देदी ।

विजयो वारडोलो

इन् वीर भाइयो के त्याग ने सारे ताल्लुके की भावुकता को जगा दिया । पड़ोसी भी उससे अछूते न रहें । वा० १ अप्रैल १९२८ को मांडवी ताल्लुका की एक विराट सभा मांडवी में वारडोलो के वीर सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए हुई । अचतरु मांडवी सरकारी अधिकारियों का आश्रय-स्थान था । वहां से ठहरकर वे जन्ती वगैरा के लिए वारडोली में चले आया करते । पर इस अतिम बलिदान ने मांडवी की तंत्री के तार भी छेड़ दिये । सभा में कोई ६००० की उपस्थिति होगी । इतना जन्त समाज इन देहातों में शायद ही कभी इकट्ठा हुआ हो । डॉ० चन्दूलाल तथा श्री फूलचन्द भाई का भजन-मंडल आ पहुँचा और उसने गर्जना शुरू किया—

भमे पाडोशीनो धर्म पाळुं रे

वारडोली नी वागी हाक—भमे०

युद्ध सरकार सामे आदर्युं रे

वारडोली साचवरो नाक—भने०

नहि देखुं सहाय सरकार ने रे

भले लोकोने आपे धाक—भमे०

खालसा नी जमीन नहीं राखुं रे

मांडवीनी दानत छे पाक—भमे०

सभा में वल्लभभाई को भी खास तौर से निमन्त्रित किया गया था, उन्होंने कहा—आप वारडोली के साथ

सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं यह अच्छा है । इस समय तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता । मैं तो चाहता हूँ कि आप अभी देखते रहिए । वारडोली के युद्ध का अध्ययन कीजिए । और खुद भी ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए ।'

इसके बाद वारडोली के साथ सहानुभूति और सहायता करने का तथा हर प्रकार के जुल्म में सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद सभा विसर्जित हुई ।

मांडवी से निकल कर रास्ते पर के गांवों में होते हुए सरदार वल्लभभाई, नानीफरोद आये । यहां की जनता ने उनका जो स्वागत किया वह अप्रतिम था । सारी जनता अपनी अद्भुत शक्तियों को जगाकर उस ऐसे अपूर्व प्रवाह में बहा देने वाले सरदार को कृतार्थ भाव से देख रही थी । सभा में पहुँचते ही बहनों ने फूल, चन्दन आदि से सरदार साहब की पूजा की और भजन गाये । पूजा करते करते एक बहन वल्लभभाई के चरणों में एक कागज छोड़ गई । वल्लभभाई ने! उसे उठाकर देखा और वे चकित हो गये । वह एक चिट्ठी थी—

“पूज्य श्री वल्लभभाई साहब,

यह सत्याग्रह तो लगान के विरोध में छोड़ा गया है ।

पर इसमें हमारा व्यक्तिगत लाभ भी बहुत हो रहा है। इस युद्ध के कारण मेरे पति श्री कुँवरजी दुर्लभ को आपने जो उपदेश दिया है, उसके लिए मैं आपकी आजन्म ऋणी रहूँगी। यदि सरकार इस लड़ाई में हमारी जमीन या माल जब्त या खालसा भी कर ले, तो हम डरने वाली नहीं हैं। अगर वह उन्हें (पति को) जेल में भी भेज दे तो हम उन्हें खुशी-खुशी विदा देंगी। परमात्मा से मेरी नम्र प्रार्थना है कि वे आपको इस युद्ध में विजय प्रदान करें।

नानी फ़रोद

१-४-२८

अ. साँ. मोती बाई

नानी फ़रोद में सरदार बल्लभभाई का जो भाषण हुआ वह भी बड़ा भाव-पूर्ण था उन्होंने कहा—

“यह सारा युद्ध किसान की प्रतिष्ठा स्थापित करने और उसका तेज बढ़ाने के लिए लड़ा जा रहा है। आपने देखा लिया कि जत्तियों का हथियार कैसा घाँठ साबित हुआ। और आप देखेंगे कि खालसा का हथियार भी ऐसा ही पोला है। अरे, किसको मजाल है, जो यहां आकर हमारी जमान जोत सके ? हमने कहीं चोरी तो की नहीं, न डाका डाला है। हम तो अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। कहीं तोप बन्दूक भी हमारे हाथों में नहीं हैं। हम तो रामजी का नाम लेकर अपनी टेरु पर अढ़ गये हैं।

आप देखेंगे कि इसके मामले सरकार का आसन हिल जायगा। उसकी तोप घन्टूकों का वार तो राक्षसों पर हो काम दे सकता है। हमारे सामने तो उन 'तोपों' के मुँह में से फून की गेंदे ही निकलेंगी। अब चारखोली के किसानों का डर भाग गया है। मुझे निश्चय है कि अब आप अटल रहेंगे। अठारहों वर्ष पूरा एका कर लो। धनियों के नाम खालसा की नोटिसें निकाल कर सरकार हमारे बीच भेद पैदा करना चाहती है। इन युद्ध में जो धनिये हमारे साथ लड़ रहे हैं उनकी जमीन हमारे लिए गोमांस के समान है। कोई उसे न ले। हम माता का दूध आठ महीने पीते हैं। धरती माता को बरसों से हम चूमते आ रहे हैं। अब एक दो वर्ष उसे आराम दें। तब सरकार की आफत ठिकाने आयेगी। तुम्हारी बहादुरी के कारण आज धनियों में भी वीरचन्द्र चेनाजी जैसे रत्न दिखाई देने लगे हैं। अब एक बार सिक्का जमा कि जमा। फिर वे किसानों नहीं डरेंगे।

आप तो किसान के बच्चे हैं। किसान का बच्चा कभी मुहताज नहीं होता। वह किसी की गालियाँ नहीं खावेगा, न किसी के सामने हाथ फैलाता है। यह जमाना किसान का और उसके दोस्त और साथी मजूर का है, जो उसके साथ में खेत में काम करके खरे पसीने की कमाई खाता है। और सब लोगों के दिन धीरे गये।

इसलिए अब आप किसी से न डरें । अपनी आब्रू के लिए बराबर लड़िए । किसान के पीछे तो सारा संसार है । सारे देश की आंखें आप पर लगी हुई हैं । अरे यहां कौन अमर होकर आया है । एक दिन सब को मरना है । पर आप अपनी इज्जत के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, और यदि जरूरत हो तो सारे देश के किसानों के लिए भी लड़ना पड़े तो लड़ के दिखा दो और देश के लिए अपने आप को मिटा कर संसार में अमर कीर्ति फैला दो ।”

इसके बाद सरदार साहब ने सौ० मोतीबहन की वह चिट्ठी पढ़कर सब को सुनाई । उसे सुनते ही सभा में बैठे हुए श्री पुरुषो की जो अवस्था हो गई, उसका वर्णन करना असंभव है । भावावेश के कारण सबों की आंखों से आंसू बहने लग गये ।

कंस जिस तरह बाल-कृष्ण को मारने की जितनी कोशिशें करता गया सब विफल होती गई उसी तरह बारडोली के शूर किसानों को कुचलने के लिए सरकार ने जितनी भी कोशिशें की वे केवल निष्फल ही नहीं हुईं, बल्कि उनके कारण किसानों की शक्ति और तेज में वृद्धि हो हुई । यह देखकर महाबलेश्वर के पर्वत पर बड़ी बेचैनी मच गई । अबतक कुल १५००) जमी मे (बालोड की) बसूल हुए थे । पर इतने रुपयो से क्या हो सकता था ?

चौथाई की नोटिसें दी जा चुकी थीं। लगान छः लाख से बढ़ कर साढ़े सात लाख हो गया। और उसे वसूल करने की कोई सूरत नहीं थी। कमिश्नर साहब ऊँवर गांव में समुद्र किनारे पर और जिला कलेक्टर बलसाड की विल्सन हिल्स पर आराम से शैल-निवास का आनन्द लूट रहे थे। कि इतने में ऊपर से हुक्म पहुँचे। दोनों सूरत आये। सूरत में खास-खास अधिकारियों की भी एक परिषद् हुई। सभी बात सुनाने वाले वारडोली के वयोवृद्ध मामलतदार सभी साहबों को कड़वे लगे। फौरन उन्हें रेलवे स्टेशन से ४० मील दूर एक स्थान पर तवाड़ला करके भेज दिया। और बड़े साहब वारडोली को मुकाने के लिए दमन का अख लेकर अभिमान के साथ मूर्खों पर हाथ फेरते हुए निकल पड़े।

बालक वारडोली उस समय गा रहा था।

एक राम न छोड़ूँ गुरु हि गार,
मोको बाल जार चाहे मार डार।
नहिँ छोड़ूँ रे बाबा रामनाम।

उस वायुमण्डल में एक अलौकिक तेज था।

सग्याग्रह चन्दा नरुद ५२५); कपास मन ४२०

धन्य बारडोली !



गुरुवर्य गांधीजीए महाशक्त वेदी मांडी
ज्यां आत्मशुद्धि केरी, हो धन्य बारडोली !
सप ने अहिंसा केरी, अंगे धरी विभूति
महा जोगीराज जेवो, हो धन्य बारडोली !
असहकार जुद्ध केरां रणवाद्य जे दि गाज्यां
तुं अग्रस्थाने ऊभी, हो धन्य व रडोली !
स्वातन्त्र्य प्राण शूरां तुज पुत्र ने सुपुत्री
निर्भय बनी झझूम्यां, हो धन्य बारडोली !
जूल्मी जहाँगिरीनां तोफान तुमुल घूम्यां
अनमी, अडग ऊमी तुँ, हो धन्य बारडोली !
शाही सितमनाँ खंजर खुल्ली सिनाथी झील्यो
झीली अमरबनी तुँ हो धन्य बारडोली !
स्वातन्त्र्य सिद्धि केरो सन्मार्ग ते उघाड्यो
लई रोशनी ऊभी तुँ, हो धन्य बारडोली !
अफगान, रूस आदि विदेशियो बलाणे
तुज शौर्यनी सुगाथा हो धन्य बारडोली !
झील्यो जखम हजारो झीलजे हजी बीजा तुँ
तुज रक्त पुनीत गंगा, हो धन्य बारडोली

नर्मदाशंकर पंड्या

बलिदान का श्रीगणेश

“स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।”

दैवी और दानव-शक्तियों का संघर्ष शुरू हुआ । एक ओर था आत्म-बल और दूसरी तरफ था पशु-बल । शैतान चाहता था कि इस अभेद्य दीवार में कहीं छेद मिल जाय, और मैं उसके द्वारा भीतर घुस जाऊं । पर वहां एक ही दीवार नहीं थी । जितने व्यक्ति थे, उतने किले थे । सत्याग्रह की रचना शरीर-रचना के मुआफिक होती है । जिस प्रकार प्राणि-शरीर अपने अन्दर की गन्दगी को हमेशा बाहर फेंकता रहता है, किसी ऐसी बाहरी चीज को वह अपने अन्दर प्रवेश करने नहीं देता, जो उसके विकास पोषण, या मामूली जीवन-व्यापार में बाधक हो, उसी तरह एक सत्याग्रही समुदाय भी अपनी किसी गन्दगी को छिपाता नहीं । उसे फौरन निकाल बाहर कर देता है । शैतान को घुसने का कोई मौका ही नहीं मिलता ।

सरकार की नयी चालों की खबर मिलते ही रा० ब० दादुभाई देसाई, रा० ब० भीम भाई नाईक, श्री शिव दासानी, डा० दीक्षित आदि धारा-सभा के मुख्य-मुख्य

गुजराती सदस्य बारडोली आये और इस बात पर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाय ? आखिर वे यह तय करके वहां से चले कि एक बार और सरकार से प्रार्थना कर ली जाय । यदि वह स्वतंत्र जांच की बात फिर भी न मानें तो हम सब अपने-अपने इस्तीफे पेश कर दें । पर बम्बई जाने से पहले एक बार ताल्लुके की स्थिति को भी फिर अपनी आंखों देखते जाना उन्होंने पसंद किया । सरदार साहब और पंड्याजी भी साथ में थे ।

सब से पहले यह मंडल अकोट पहुँचा । मेहमानों के आगमन की खबर पहले मिल चुकी थी । इसलिए आस-पास के कई गांवों से स्त्री-पुरुष सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे । पंड्याजी ने उपस्थित किसानों से कहा—

“देश में अगर राजा सुखी न हो, धनिक वर्ग सुखी न हो तो उससे देश का नाश नहीं हो सकता । पर अगर किसान दुखी ही तो उस देश का नाश अवश्य भावी है । क्योंकि राजा तथा धनिक तो दूसरे की सेवा पर जीने वाले हैं, वे अगर बिगड़ भी जायें तो समाजकी भारी हानि नहीं होती । यदि समाज को सुशोभित करने के लिए ऐसे निकम्मे गहनों की जख्खन ही हो तो दूसरे बनाये जा सकते हैं । पर किसान तो राष्ट्र पुरुष का प्रत्यक्ष शरीर है । उसके नाश के मानी तो राष्ट्र का



के ३ मे

विजयी वारडोला
२३



जन्ती करने के लिए पठान और पुलिस गिद्ध और कौओं की तरह मंडराया
करते । इसलिए लोग दिन-रात अपने मकान बन्द रखते । ऐसे एक
बन्द मकान में स्वयसेवक पानी पहुँचा रहे है ।

मृत्यु ही है। किसान केवल स्वाश्रयी ही नहीं दूसरों क पोषण भी करता है।

लोग “स्वराज्य” “स्वराज्य” को चिल्लाहट मचाते हैं। मैं पूछता हूँ स्वराज्य कहीं इंग्लैण्ड से रजिस्टर्ड पारसल में बंद होकर यहां आने वाला है ? स्वराज्य का सच्चा अर्थ तो यही है कि प्रजा को अपनी भीतरी और गुप्त तथा सुप्त शक्तियों का भान हो। हमारा सत्याग्रह स्वराज्य का पहला कदम है। लोग भूटे भय से मुक्त हो गये, उनमें इतनी त्याग-वृत्ति, समाज के लिये तकलीफ उठाने की शक्ति आ गई यह स्वराज्य की पूर्व तैयारी ही है।”

सरदार वल्लभभाई ने धारा-सभा के सभ्यों से कहा कि “ये लाग जाने और आप जाने। आप इनसे पूछ सकते हैं कि वे किसा के उकसाये तो सत्याग्रह नहीं छेड़ बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे एक-एक आदमी को यहां से हटा दीजिए, और फिर भी आप देखेंगे कि लोग अपनी टेक पर अटल हैं।”

धारा-सभाके सभ्यों ने जनता की जागृति और उत्साह को देखकर अपना संतोष और सहानुभूति प्रकट करते हुए किसानों को उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद दिया। सबने एक मत से यही कहा कि अब आप के लिए सिवां सत्याग्रह

के और कोई मार्ग ही नहीं। लगान-वृद्धि अन्याय-पूर्ण है। सरकार के पक्ष में सत्य नहीं है। सत्य आप के पक्ष में है इसलिए आपको जरूर यश मिलेगा। श्री दीक्षित ने कहा, “ मुझे यह जरा भी प्रसन्न नहीं कि आप इस सत्याग्रह को केवल संकुचित आर्थिक दृष्टि से देखें। जबतक देश में विदेशी सत्ता है, तब तक इस तरह के जुल्म होते ही रहेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस सत्याग्रह को विशाल दृष्टि से देखें। मैं तो चाहता हूँ कि इसे सारे भारतवर्ष की लड़ाई का स्वरूप प्राप्त हो जाय। इस सभा में स्त्रियों को इतनी भारी संख्या में देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। समाज रूपी गाड़े के स्त्री और पुरुष दो पहिये हैं। जबतक ये दोनों साथ-साथ नहीं चलेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह लोक-जागृति का अघलोकन करके तथा उसके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करके धारा-सभा के सदस्य तो बम्बई चले गये।

लगान के सम्बन्ध में सत्याग्रहियों के सामने एक प्रश्न था। कई ऐसी जमीनें थीं, उदाहरणार्थ इनामी, देवस्थान को अर्पण की हुई, इत्यादि, जिनका लगान निश्चित था इस बन्दोबस्त का उनसे कोई ताल्लुक न था। प्रश्न यह था कि इनका लगान अदा कर दिया जाय या उसे भी रोक लिया जाय ? इसका निर्णय एक कमेटी पर छोड़ दिया गया

था। अब उस कमेटीने यह घोषित किया इनकी तथा देव-स्थान सम्बन्धी जमीनों का लगान अदा करने में कोई हानि नहीं।

परन्तु इससे कहीं सरकार को थोड़े ही समाधान हो सकता था। अब तो स्थानीय अधिकारियों को मालूम होता है, दमन के विशेष अधिकार भी प्राप्त हो गये थे। अतः उन्होंने तारीख १९ अप्रैल से प्रसिद्ध 'महिषी-यज्ञ' द्वारा दमन का नवीन युग आरम्भ कर दिया था तान चार दिन से तो स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नये जव्ती आफिसर श्री दवे, मि० वेंजामिन और श्री गुलाब भाई हथियारवन्द पुलिस, जव्ती का सामान इधर-उधर ले जाने के लिए तीन मोटरें तथा कुछ चुने हुए पठान भी आ पहुँचे। स्पेशल मैजिस्ट्रेट भी भेजे गये। सत्याग्रहियों के भाषणों की रिपोर्ट लेने के लिए, उनकी हलचलों पर ध्यान देने के लिए तथा कमजोर स्थान ढूँढ-ढूँढ कर उनके किले को तोड़ गिराने के लिए खुफिया पुलिस का एक दल आया और एक डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की भी खास नियुक्ति हुई। इस तरह सभी प्रकार से सुसज्जित हो बारडोली के किसानों के खुले मकानों पर तो कभी-कभी जरूरत पड़ने पर दीवार लांघ कर भी दिन को या रात को ढाका डालना शुरू हुआ। किसान अपने मकानों को बन्द रखते इसलिए कहीं टूटी-फूटी खाट, पलंग भले ही मिल जाते किन्तु दूसरी चीजें

इनके हाथ न लंगर्ती। और इनके भी उठाने को बेगारी नहीं मिलते। तब बेचारे सिपाहियों को ही लदकर जाना पड़ता। कभी-कभी बैलो के अभाव में पठानों को गाड़े भी खींचने पड़ते। आखिर इस कठिनाई को दूर करने के लिए आफिसरों के उपजाऊ दिमाग में एक कल्पना का चन्द्रोदय हुआ। किसान अपने जानवर तो जंगल में चरने के लिए भेजते ही थे। उन्हें क्यों न जन्त कर लिया जाय? पर उसमें भी एक विघ्न खड़ा हुआ। कानून के अनुसार वे किसानों के बैलो को जन्त नहीं कर सकते थे। गायें चंचल होती हैं। झट भाग खड़ी होती। आखिर वारी आई समदर्शी सर्व सहिष्णु और उदारता पूर्वक दूध, देने वाली धीर-गम्भीर भैंसों की। परन्तु पठानों की लाठियाँ और अधिकारियों की निर्दयता उन्हें अपने नये पालकों या मालिकों की राक्षसी वृत्ति का परिचय देती थी। उन्हें न घास डाला जाता न पानी पिलाया जाता और जिसपर उनको लाठियों से इस बेरहमी के साथ मारा जाता कि उनकी दशा देख पत्थर भी रो पड़ता। एक भैंस इसी तरह मर गई दूसरी भैंसों की भी यही दशा हो चली। तब अधिकारियों की आँखें खुलीं पर उनकी आँखें खुलने का एक कारण और हुआ।

बारडोलो में संभरी तो खातेदार थे नहीं। इन भैंसों में कुछ ऐसे लोगों की भी थी जिनकी जमीने बंगैरा नहीं थी।

सरकारी अधिकारियों के साथ जब कोई बात भी करने के लिए खड़ा न रहता, तब वे कैसे जानें कि फलां भैंस फलां किसान की या गैर शख्स की है। अगर किसान की है भी तो किसानकी। गैर किसानो ने सरकारी अधिकारियों को बाकायदा नोटिस देना शुरू किया कि आप हमारी भैंसे जबर-दस्ती ले गये हैं, इसलिए उन्हें फौरन लौटा दीजिए, नहीं तो आप पर दावा दायर किया जायगा। तब बेचारे अधिकारियों को तो लेने के देने पड़ जाते। पर कोई यह न समझ ले कि इस सारे अन्याय को खुद भैंसें चुपचाप सह लेती थी। जब उन्हें अपनी बहनों पर होने वाले जुल्म की खबर मिली तो उन्होंने भी अधिकारियों को अच्छा पाठ सिखाने का निश्चय किया।

जब्तो अफसर आपस में चढ़ा-ऊपरी करते, कि देखे कौन अधिक शिकार लाता है। इसलिए इस उत्साह में वे समय-असमय भी निकल पड़ते। एक दिन इसी तरह दिन के साढ़े तीन बजे जब्तो अफसर मि० गुलाबभाई सशस्त्र पुलिस, चपरासी, तथा पठान मोटर में सवार हो शिकार—जब्तो की खोजमें निकले। शिकार के मानी तो यहां भैंसही समझता चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसी जंगम संपत्ति थी जिसे ढोने के लिए गाड़ी या मजदूर की जरूरत न रहती थी। भाग्य कुछ अच्छे थे। मलस्के की सीव पर पहुंचे

कि ईश्वर-कृपा से एक महिषी-वृन्द वन-भोजन करता हुआ दिखाई दिया। साहब प्रसन्न हो गये वे सदलबल उतरे कुछ भैंसों को रस्सी से बांधा। पर इतनी रस्सी कहां जो सब को बांधें। कभी-कभी परमात्मा भी बड़ा अजीब मजाक करता है। इतना देता है इतना देता है कि सन्हालते नहीं बनता। साहब को अपनी साधन-दरिद्रता पर बड़ा दुःख हुआ। कुछ भैंसों बंधी और कुछ खुलीं। इस तरह मुण्ड चला। कल्पना करते जा रहे थे। कि अन्य जब्ती आपीसरे इतने माल को देखकर कैसे भँप जावेंगे पर इतने ही में उनमें से एक भैंस झाड़ी में से किमी, पत्ती को उड़ते देखकर एका-एक चौंकी। एक दूसरी भैंसे ने रेंक कर जवाब दिया। और सारे मुण्ड ने अपने दुश्मनों पर धावा कर दिया। विजयी साहब तथा उनके शूर सिपाहियों की उस समय जो अवस्था हुई उसकी कल्पना पाठक ही कर सकते हैं। “बहादुरी के साथ” सभी ऐसे भागे ऐसे भागे कि ठेठ सड़क पर जाकर मोटर पर दम लिया। पर इस महिषी-हरण तथा मद्य प्रकरण पर तो एक स्वतंत्र-ग्रन्थ लिखा जा सकता है।

जब मकान पर सामान न मिलने लगा तो अधिकारियों रास्ते चलती कपास की गाड़ियों को और जीनघरो में पहुँचे हुए माल को जब्त करना शुरू किया। पर वहां भी वही हाल हुआ। माल है “धन्ना” का और नोटिस मिलती है

“मन्ना” को कि तुम्हारी इतनी कपास जो फलां सेठ की जिनमें पड़ो हुई थी, वह जव्त कर ली गई है। इधर धन्ना अधिकारियों को नोटिस देता है कि “जनाव जरा आंखें खोल कर जव्तियां कीजिए। माल सिपुर्द कीजिए नहीं तो मैं अदालत में श्रोमान को बुलवाता हूँ।”

मद्य-प्रकरण भी ऐसा ही मनोरंजक है। वालोड के दोरावजी सेठ की सास श्री० नवाजवाई से जमीन का लगान बसूल करने के लिए उसकी शराब की दूकान पर अधिकारी जव्ती करने गये। ३००) के लगान के लिए २०००) की शराब जव्त की। पर जव्त करके कहां लेजावें। कौन उठावे ? मोटरें ऐसी नहीं थीं, जिनपर शराब के पीपे रक्खे जा सकें। गांव से कोई गाड़ी नहीं देता था। तब आखिर पीपों पर बिट्टियां लगाकर उसी की गोदाम में बन्द करके जनाथ जव्ती-आफीसर साहब गोदाम पर ताला मार कर चले गये। दोरावजी ने इस अन्याय की पुकार मचाई। लिखा कि “दूकान पर सरकारी ताला पड़ जाने के कारण मेरी तो सारी बिक्री रुक गई है, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। फिर जव्त किये हुए माल को मेरे यहांव्यर्थ पटक रक्खा है। उसे उठाकर मेरा मकान खाली कर दो नही-तो ५) फी दिन के हिसाब से मकान का किराया देना होगा।” शायद ऊपर से फटकार पड़ी बेचारे जव्ती अफसर-

घबराये। भूट दौड़े-दौड़े आये। दोराबजी को उलहना दिया-
और गोदाम का ताला खोल दिया। पर जब्त शराब के
पीपों को वहाँ छोड़ कर चले गये।

जन्ती का ऐसा दौर-दौरा शुरू हुआ कि न रात देखा
जाता न दिन। जब दिल में आता चल देते। यह देखकर
अब लोग हमेशा अपने मकानों के दरवाजे बन्द रखने लग
गये। जो असावधान रहते उन्हें शंख और नक्कारे सचेत
कर देते। इन वाद्यों का घोष अधिकारियों के हृदयों को
चीरता हुआ चला जाता और बेचारे निर्जीव से होकर
कभी आधे रास्ते से लौट आते, तो कभी बुरी सूरत बनाये
गांव में एक चक्कर ख्वाहमख्वाह काट आते, महज यह
दिखाने के लिए कि इन डंके-बंके की हम परवाह नहीं
करते।

खालसा को नोटिसों की भी एक ही धूम रही।
नोटिसों की संख्या लगभग ८०० तक पहुँच चुकी थी।
सौ-सौ रुपये के लिए जनता की हजारों रुपये कीमत की
जमीनें खालसा कर ली जाती। ❀ किन्तु ऐसे अवसर का

इन सारी जमीनों की कीमत लगाना कठिन है। पर खालसा
के नीति के आरम्भ में जब ता० २०-४-२८ अप्रैल को वालोड
के १४ खातेदारों को नोटिसें दी गईं उनका कुल लगान २०८१-
१-९ रुपये था। पर इसके लिए ४०० बीघे जमीन खालसा करने

रविशंकर भाई के बाद सरभण विभाग का काम संभाला था) इत्यादि गण्य मान्य मेहमान भी आये थे । श्री उमेद-राम ने दिलखुवे पर नीचे लिखा भजन गाया—

सिर जावे तो जावे मेरा सत्याग्रह ना जावे रे,
सत्य के खातिर वीर हकीकत शिर अपना कटवावे रे
सत्य के खातिर राय हरिश्चन्द्र नीच के हाथ विकजावे रे,
सत्य के खातिर राणा प्रताप ने कितने दुःख उठायेरे ।

इसके बाद श्री फूलचन्द भाई ने अपनी भजन-मंडली के साथ ललकारा

कोण कहे छे लोको डरशे ।
कोण कहे छे लोको हठशे ।
कहेनारा अहिया आवो ।

ताल्लुको नजरे भाळो

सरदार वल्लभ भाई ने कैदियो को बधाई देते हुए कहा—

“इस युद्ध में सरकार ने अपने प्रत्येक दमन का आरम्भ वालोड से ही किया है । प्रत्येक हथियार का प्रयोग इसने पहले यहीं किया है । जेल का शस्त्र भी पहले वह यहीं आजमाना चाहती है । रविशंकर और चिंनारई की की बात जुदी है । वे पुराने सिपाही हैं । बाहर के भी हैं । पर यह तो ताल्लुके का पहला बलिदान है । इस लिए मुझे आपको बधाई देने को आना पड़ा ।

और सरकार ने किसे चुना है ? जो सारे तान्त्रिकों का नाका है । जो कुन्दन की तरह खानदान वाला है । जिसकी जोड़ी सारे महाल भर में भी आपको नहीं मिल सकती । आज आपकी त्याग-शक्ति की परीक्षा है ।

संमुखलाल की वृद्ध माताजी से मैं कहूँगा संमुखलाल जब तक लौट करके नहीं आता, आप प्रभु का नाम स्मरण करती रहे और उनके अहसान मानें कि आप के यहां ऐसा सपूत पैदा हुआ है । उसने लोक-सेवा के लिए तकलीफें उठा कर अपने कुल को पावन किया है । आज आपके लिए दुख मनाने की नहीं खुशी मनाने की शुभ घड़ी है । आप जरा भी चिंता न करें, जो जाति सत्य के लिए लड़ रही है उस पर प्रभु की अवश्य कृपा है वही संमुखलाल की भी रक्षा करेंगे, और उसे आप घर ले आवेंगे । उसकी तपस्या विफल नहीं होगी ।

युवको से मैं कहूँगा आज आपके यहां स्वयं गंगाजी आई हैं । उसमें स्नान करके पवित्र हो जाओ और सरकार को दिखादो कि संमुखलाल के पीछे चलने वालों की कमी नहीं है । भले ही जमीने हमसे छीन ली जायं । पर आप याद रखें कि पृथ्वी तो हमारी माता है । वह अपने सच्चे पुत्रों को कभी नहीं छोड़ सकती । भले ही आपको डराने-धमकाने के लिए सरकार- किंसी को हमारी जमीने दे दे ।

पर किमी को हिम्मत न होगी कि कोई आपके खेतों में हल डाले। और हम तो इन सारी बातों का शुरू से ही विचार करके इस अखाड़े में कूदे हैं। अन्त में तो जमीनें हमारे पास आवेंगी ही यह आप निश्चय समझें। भले ही हमारा देश-निकाला हो जाय। जालिम के जुल्म को हंसते हुए सह कर ही हम तो ईश्वर को अपनी तरफ खींच सकते हैं। जब तक संमुखलाल जैसे हमारे पापों को धो नहीं डालेंगे तब तक हमारे अन्दर ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा की ज्योति नहीं प्रकट हो सकती। आपके बीच इन दिनों सरकार के जासूस घूम रहे हैं। आप सावधान रहे। उनके चक्कर में कोई न आवे। अठारहो वर्ण एक होकर दूध पानी की तरह एक दूसरे की रक्षा करते हुए अपने प्राण भी अर्पण कर देना। दूध और पानी एक दूसरे के साथ मिलते ही एक जीव हो जाते हैं। जब उनको तपाया जाता है तब पानी दूध को ऊपर हटाकर खुद जलने के लिए कढ़ाई में नीचे बैठ जाता है। पर दूध अपने सखा पानी की रक्षा करने के लिए आग को बुझाने की गरज से खुद बाहर कूदने को दौड़ता है। आज आपको उबालने के लिए सरकार ने आग सुलगा दी है। संमुखलाल जैसे ही बाहर कूद कर उसे बुझा सकते हैं। जिसके भाग्य में होता है उसीको यह पदवी मिलती है। यदि आपको इस पदवी की

विजयी वारडोली

इच्छा हो ता प्रभु की प्रार्थना कीजिए और इस योग का प्राप्त कीजिए । पर एक बात याद रखिए । संमुखलाल आप पर एक जबरदस्त जिम्मेदारी छोड़ कर जा रहा है । आप अब इस तरह काम कीजिए कि जब वह लौट कर वापिस आवे तो आप उजला मुंह लेकर उसे अपने बीच ला सकें।”

वीर संमुखलाल ने अपनी तरफ से कहा “ ताल्लुका तथा सरकार को मैं यकीन दिला देना चाहता हूँ कि यह वनिया वारडाली के नाम को नहीं हुवाएगा । इस समय तो मुझे यदि किसी बात का दुख हो रहा है तो वह यही की ऐसा सुन्दर युद्ध देखने का आनन्द मुझे अब न मिलेगा । पर मैं इसकी परवाह नहीं करता । मैं तो जेल-रूपी महल मे बैठ कर परमात्मा को याद करुंगा और उनसे प्रार्थना करुंगा कि वे आपको विजय दें ।

स्नेही सम्बन्धियों से मैं आग्रह-पूर्वक कह देना चाहता हूँ कि आप मेरे शरीर की लेश-मात्र भी चिन्ता न करें । यह न साचो कि आदत न होने के कारण मैं जेल में मजदूरी कैसे करूँगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु को याद करके बिना किसी प्रकार की बदनामी का टीका सिर पर लगाये मैं सीना फुलाकर आपसे फिर आ मिलूँगा ।

आज यह जो सत्य का संग्राम छिड़ा हुआ है इसमें वालोड

को सबसे आगे देखकर मेरा हृदय आनंद से फूल उठा है ।
 आह, मेरा प्यारा वालोड ! वालोड के लिए मुझे गर्व न
 हो तो और किसे ? इतनी खालसा नोटिसें मेरे अपने वैश्य
 भाइयों पर ! जेल जाने की शुरुआत वालोड से ही । मेरे
 प्यारे नौजवान दोस्तो ! वालोड आज ताल्लुके की नाक
 चन गया है । इसकी लाज रखना । तुम्हें डराने, धमकाने,
 फूट डालने के लिए चाहे कितनी ही कोशिशों की जायें—
 और वे जरूर की जावेंगी—तो भी तुम अटल रहना ।
 जन्ती और खालसा के नाटक जैसे हुए वैसा ही जेल का
 भी होगा । सरकार जेल के मेहमान चाहती है । आप
 इसे मुँह मांगे मेहमान देना ।”

इसके बाद में सरदार साहब ने फिर इसी भाव को
 आगे बढ़ाते हुए कहा “जिसके शरीर में जवानी का जोश
 और देश के लिए कसक है वह १५ दिन में मर्द बन
 सकता है । आप जानते हैं सरकार अपने रंगरूटों की
 भरती किस तरह करती है ? वह बीस-बीस रुपये माह-
 वार पर ‘रोज़’ (एक जंगली जानवर) जैसे आदमियों
 को पकड़-पकड़ कर लेजाती है । इसके लिए वह दलाल
 रखती है जो २-४ रुपये दलाली लेकर ऐसे आदमियों को
 फांस-फांसकर सरकार को सौंप देते हैं । पर उन्हींके हाथ
 में बंदूक देकर छ. महीने के अन्दर उन्हें ऐसा बना देती

विजयी बारडोली

है कि ये किराये के टट्टू भी ऐसे वन जाते हैं कि वे तोप के सुँह पर धावा करने को दौड़ते हैं। वलसाड मोग में आज कल आदमी कुत्ते की मौत मर रहे हैं। क्या मर्द की मौत मरना उससे बुरा है? और जहां युद्ध हो रहा हो भला वहां कोई कायर रह सकता है? वहा १० दिन में तो आदमी मर्द बन जाता है। जहां संमुखलाल जैसे जेल जा रहे हों वहां आपके अन्दर इतनी हिम्मत तो अवश्य होनी चाहिए। हां, जो बूढ़े हों वे भले ही घर में बैठे-बैठे ईश्वर-भजन करते रहें। उन्हें आप कह दें कि आखिर जमीनें तो आप हमारे ही लिए रखते हैं न? पर जमीनों की अपेक्षा अपने सम्मान की रक्षा को हम अधिक कीमती समझते हैं, इसमें हम अधिक इज्जत मानते हैं। ऐसे इज्जतदारों में संमुखलाल ने अपना नाम लिखाया है। तहां जमीन के एक टुकड़े के लिए हम कायरों में अपनी गिनती कैसे करा सकते हैं? वालोड के बच्चे बड़े होंगे तब संमुखलाल का नाम अभिमान के साथ ले-लेकर कहेंगे कि जब ताल्लुके ने सल्तनत से युद्ध छेड़ा था तब जेल में जाने वाला पहला मर्द हमारा था। इसलिए संमुखलाल को निर्भय करो और उसे वचन देकर निश्चिन्त कर दो।”

सेनापति ने अपना भाषण समाप्त किया। महादेव भाई

बलिदान का श्रीगणेश

ने फिर वही भजन गाया जो तीन महीने पहले उन्होंने यज्ञ के आरम्भ में गाया था ।

शूर संग्राम को देख भागे नहीं,

देख भागे सोई शूर नहीं ।

उस ग्रीष्म रात्रि में भजन की तान दूर-दूर तक दसो दिशाओ मे गूँज रही थी । तारे रह-रहकर आंसू बरसा रहे थे और विवर्ण चन्द्रदेव इन तीनों वीरो को अपने मृदुल-करो से दुलार रहे थे, मानो प्रतिज्ञा-बद्ध दशरथ अपने पुत्रो को वनवास के लिए विदा कर रहे हो ।

विजयी बारडोली

शील-संतोष का बख्तर

समजीने बांधो हथियार रे, ज्ञानी ने घोड़े—टेक।

शील-संतोष ना बखतर पहेरजो रे,

धीरज नी बांधो तमे ढाल रे, ज्ञानीने घोड़े ।

शूरा होय ते तो सन्मुख लड़शे रे,

गाफेल तो खाशे मार रे, ज्ञानी ने घोड़े ।

जुद्ध नो मारग सहेलो ना होयजी रे,

चडवां खांडा केरी धार रे, ज्ञानीने घोड़े ।

सतना संग्राम मां चडवूँ छे आपणे रे,

चोंपे चेती चालो नर नार रे, ज्ञानीने घोड़े ।

जुल्म ना जुलमगारे झाडो उगाडिया रे,

रेयत ने कीधी बहु हेरान रे, ज्ञानीने घोड़े ।

आज सुधी तो अमें ऊँघमां उँघिया रे,

मळिया गुरु ने लाध्युं ज्ञान रे, ज्ञानीने घोड़े ।

जुल्मनी साथे भाइयो न्यायथी जूझवूँ रे,

आजे सीख्या ए साचो धर्म रे, ज्ञानीने घोड़े ।

धर्मनी वारे मारो प्रभु ज पधारशे रे,

हारी जाशे जूठो अधर्म रे, ज्ञानी ने घोड़े ।

कहे छे वल्लभभाई सुणो नर नारीओ रे,

अते जरूर आपणी जीत रे, ज्ञानीने घोड़े ।

बल्मलभाईनुं वेण तमे पाळजो रे,


एवी आ बहेननी आशीश रे, ज्ञानीने घोड़े ।

श्रीमती डाही बहन



विजयी चारडोली
२७

मूक बलिदार—एक शहीद भंस जो पठानों की मार से मर गई



विजयी बारडोली
२८

दाहीद भैस की मालिक



श्रीमती शारदाबेन मेहता

जिनहोंने बारडोली की खियों
मे धीरज और उत्साह भरके
उन्हे सत्याग्रह के लिए तैयार
किये।



पटान और तलाठी
खालसा की नोटिस लगा रहे हैं ।

विजयी वारडोली
२९



बालोड के वीर युवक

पठान-राज्य

“Government are satisfied that their conduct has been exemplary in every respect.”

बम्बई सरकार का वक्तव्य

सत्याग्रह का चौथा महीना बारडोली के इस अप्रतिम युद्ध के इतिहास में अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है । इस समय सरकार सत्याग्रहियों को मुकाने के लिए अपनी पराकाष्ठा कर रही थी । *Every thing is fair in war* वचन का वह सोलहों आना लाभ उठा रही थी । साम, दान, दण्ड, भेद इन चारों प्रकार की नीति का वह अवलम्बन कर रही थी । पर यह केवल उसकी कोशिश मात्र थी सामोपाय का तो ढोंग मात्र था । दान वह कहां से देती ? हां, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है दण्ड और भेद पर वह अपनी संपूर्ण शक्ति केन्द्रित कर रही थी । पर सत्याग्रहियों की अहिंसा ने उसकी दण्ड-शक्ति को बिलकुल बेकार सा कर दिया था । और स्वयं-सेवकों की जागरूकता, तथा जनता की प्रतिज्ञा-श्रद्धा ने इस भेद को भी व्यर्थ कर दिया ।

विजयी बारडोली

पर सरकार तो पश्चिमी है ना, वह इतने पर लाचार होकर हाथ रक्खें बैठने वाली नहीं थी। उसने एक नवीन नीति का आविष्कार किया। ओह, वह तो एक बढ़िया खेल था। भारत के जंगली सत्याग्रही उस खेल को क्या तो पहचानें; और क्या उसको तारीफ करे। वे तो इसे खुले आम डाक़ेजनी कहकर अब दिन-रात अपने मकान बन्द रखने लग गये। परमात्मा दया करे ऐसे अरसिक किसानों पर। पर मालूम होता है, रसिक पुरुषों के भाग्य से यही बदा है कि जिनसे वे खेलना चाहते हैं वे उनसे दूर भागते हैं। मनुष्य मृगया खेलने के लिए जाता है, पर मूर्ख मृग उसे देखकर भागता है। अमीर लोग गरीबों के साथ खेलकर जरा आनंद करना चाहते हैं, पर ये अभागे खेलना क्या जाने ?

फ्रान्स के प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो ने इंग्लैंड के अमीरों के कुछ खेलों का वर्णन *The Laughing man* नामक अपने सुविख्यात उपन्यास में संक्षेप में दिया है। भारत के अरसिक पाठकों के उपहारार्थ मैं उसमें से एक दो क्रीडागारों के वर्णन उद्धृत किये देता हूँ। आशा है वे उसे पढ़कर अपने आप को धन्य समझेंगे और सरकार के जब्ती अफसरो और पठानों की रसिकता के रस का कुछ आस्वादन कर सकेंगे।

राजा दूसरे चार्ल्स के जमाने में इंग्लैण्ड के अमीर बड़े रसिक थे। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अनेक क्रीडागार खोल रखे थे। इनमें वे दिन रात नये-नये प्रकार के खेल खेलते रहते थे। और इनके खेल कितने अनूठे और बढ़िया होते थे—आप जानते हैं? देखिए उनके नाम यों थे। किसी कुब का नाम अग्ली कुब था, तो किसी का नाम “हेलफायर कुब”। एक “वटिंग कुब” था, तो एक “फन” कुब था। सबसे ज्यादा फैंशनेबल कुब का अध्यक्ष स्वयं बादशाह था वह अपने सिर पर अर्धचन्द्र धारण करता था और—

ग्रैंड मोहाक (Grand Mohawk) कहा जाता था। इस मोहाक (गुण्डा) कुब का एकमात्र उद्देश था पीडा पहुँचाना। उस उद्देशकी पूर्ति के लिए सब साधन जायज थे। मोहाक बनने के लिए मेम्बरों को पीड़क बनने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। चाहे जो हो, चाहे जिसको और चाहे जहाँ पीडा पहुँचाना उनका धर्म था। मोहाक कुब के हर एक मेम्बर को किनी न किसी प्रकार की पीडनकला में दक्षता प्राप्त करनी पड़ती थी। एक था नृत्य, दक्ष वह मेम्बर यह अच्छी तरह जानता था कि किस प्रकार देहातियों को पिडलियों और जाँघों में तलवार की नोक चुभा चुभाकर झुधर-उधर नचाया जाता है। दूसरे मेम्बर किसी आदमी को पसीने से तर करने की कला में प्रवीण थे अर्थात् किसी गरीब को पकड़कर कुछ रईस सज्जन हाथ में चौदारी नंगी तलवारें

विजयी बारडोली

रेपियर) लेकर उसे घेर लेते थे ताकि किसी न किसी की तरफ उसकी पीठ रहती थी। जिसकी तरफ पीठ रहती थी वह पीछे से तलवार चुभो देता था। वह बेचारा कूद कर पीछे पलटता था कि फिर पीछे से दूसरा आदमी तलवार चुभोकर उसे याद दिलाता था कि इंग्लैण्ड के उत्तम कुल का कोई सज्जन उसके पीछे है। इस तरह जिसकी तरफ उसकी पीठ होती थी, वह तलवार चुभोता जाता था। जब वह इस तरह छिड़ते-छिड़ते काफी उछल-कूद कर नाच चुकता था, तब वे लोग नौकरों को हुकुम देकर उसे डंडों से खूब पिटवाते थे कुछ मेम्बर “शेर” बनाने में निपुण थे। अर्थात् वे विनोद में किसी राहगीर को रोक लेते थे, उसकी नाक पर घूंसा मार कर उसमें से खून बहाते थे और फिर हाथों के दोनों अंगूठे उसकी आँखों में घुसा देते थे। यदि उसकी आँखें निकल पड़ती थीं, तो उसे कुछ रकम दी जाती थी।”

मालूम होता है बारडोली के जन्ती अफसर भारत में इसी “मोहाक” कुत्र की स्थापना का प्राणपण से उद्योग कर रहे थे। गांव में अब शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता, जब किसी के मकान पर पठानों ने धावा न किया हो। किसी की बाड़ न तोड़ी हो, दरवाजा न फोड़ा हो, कोड़ा न मारा हो, संध न लगाई हो या भैंस को नहीं ले गये हो। श्री० दवे, मि० बेजामिन सोलोमन और श्री० गुलाबदास में मानों होड़ें लगती, कि आज कौन सबसे अधिक शिकार लाता है। इस तरह जमा किये जानवरों की सरकार ने एक विशाल

भैंस-शाला और भैंसों का बाजार सा लगा रक्खा था। इन भैंस-शालाओं में आनेवाली नयी पुरानी भैंसों को पहचानने में आपको देर न लग सकती थी। सूखा हुई, तथा हड्डी निकली हुई भैंसों को देखकर आप फौरन कह सकते थे कि ये पुरानी हैं, और लाठियों के कारण जिनके बदन पर कई घाव हैं, ऐसी भैंसों को देखकर आप नया भैंसे चुनकर किसी को भी बता सकते थे। और ये भैंसे बकरियों के मोल कसाइयों को बेची जाती थीं। डाका डालते समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि भैंस या मकान किसका है। वह खातेदार है या नहीं? पठानों को पूर्ण स्वतंत्रता सी दे दी गई थी। बारडोली में तो मालूम होता था मानो उन दिनों पठानों का राज्य था। बाड़ों में, गांवों में, खेतों में दिनरात पठान घूमते पाये जाते। रात के एक-एक दो-दो बजे किसानों के दरवाजे खटखटाये जाते और उन्हें इस तरह पुकारा जाता मानो कोई सगे-सम्बन्धी आये हैं।

‘अनुकरणीय’ बर्ताव !

बारडोली के अरसिक किसानों ने तो नहीं परन्तु उनके कुछ शुभचित्तकों ने सरकार से पठानों के अत्याचारों की शिकायत भी की, पर सरकार ने कहा यह अनहोनी बात है। उनका बर्ताव तो नमूनेदार है। शायद पाठकों को

त्रिजयी बारडोली

पता न होगा कि पठानों को यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़े, किस तरह दिन रात एक कर देना पड़ा ? नीचे ऐसे नमूनेदार बर्ताव के कुछ नमूने पेश किये जाते हैं । अज्ञान भारतीय उन्हें पढ़कर अपने ज्ञान-कोष की वृद्धि कर लें और सरकार की कृपा की अभिलाषा करने वाले सेवक तथा भक्त लोग अपनी डायरी में नोट कर लें कि वे कौन से गूढ़ उपाय हैं, जिनके साधन से भगवती सरकार प्रसन्न होकर कह सकती है कि “हां, यह मेरा प्यारा भक्त है । इसका बर्ताव नमूनेदार है । नववर्षारम्भ के शुभ अवसर पर इसे कोई अच्छी सी उपायि देनी चाहिए ।

लुटेरापन

एक दिन सुन्नह गायकवाड़-राज्य के पलसाण ताल्लुका के दो कुर्मी दो भैसे खरीद करके ले जा रहे थे । नीणात पहुँचते-पहुँचते छः वज गये । नीणात की सरहद पर पहुँचे कि एकाएक एक तरफ से झाड़ियों के और घास की गंजियों के बीच से टपाटप कई आदमी निकल पड़े, और उन्होंने इन पर धावा बोल दिया । दोनों कुर्मी पहले तो घबराये । कई पठान और बन्दूक लिये सिपाही भी थे । साहब लोगों के से टोप लगाये एक दो आदमी भी दिखे, जिन्होंने हुक्म किया कि “भैसों को गाड़ी से खोल लो ।” यह सब देखकर और पहले जो कुछ उन्होंने सुन रक्खा था उसकी याद

आने पर उन्होंने समझ लिया कि ये तो अंगरेज सरकार के मोहाक-झुब के कुलीन मेम्बर शिकार के लिए निकले हैं। किसानों ने व्यर्थ समझाया कि हम ये भैसे खरीद करके लाये हैं। उनसे भैसे छोन ही ली गई, और कह दिया गया कि मामलतदार साहब से दरखास्त करो। किसानों ने यहां-से-वहां और वहां-से-यहां कई बार चक्कर काटे अरजू मिन्नत की, दया की भिच्चा मांगी, पर मामलतदार साहब टप से मस न हुए। अंत में अंगरेजी न्याय का नमूना देख कर वे मामलतदार को यह भी अर्ज देकर चलते बने कि भैसे ग्याभन हैं, कोई नुकसान हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। और अब हम जाकर के रियासत में आप पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। पता नहीं फिर उन किसानों को भैंसे कब वापिस मिलीं अथवा मिलीं भी या नहीं।

जो हाथ लगे वही सही

(१) तारीख ७ मई १९२५ की बात है। तहसीलदार छगनलाल पुलिस तथा पठानो को लेकर वालोड में जव्ती करने तथा खालसा की नोटिसें चिपकाने के लिए निकले। कुम्हार बाड़े में एक दरवाजा खुला देखकर इन लोगो के आनन्द का कोई ठिकाना न रहा। महालकरी (तहसीलदार) साहब ने एक दम धावा बोल दिया और वे घर में घुस गये। उनके पीछे पुलिस और पठान भी घुसे-

सामने कुरसी, बर्तन, तबला, खोखा, संदूक, आदि कई चीजे पड़ी थी। आर्डर हुआ कि कुर्सी उठाओ, संदूक को निकाल बाहर रक्खो और तबले को बगल में मारो। यह डाकाजनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर पास वाले कमरे से घर की मालकिन बहन प्रमी बाहर आई और उसने इन लोगो को डपट कर पूछा “अरे, यहां क्या लेने आये हो ? निकलो बाहर मेरे कोई खाता न पोता बिना कारण लोगों के घरों मे क्यो घुसते फिरते हो ?”

महालकरी—खाता-पोता लिये बैठी है। हमे क्या ?, खातेदार हो चाहे न हो। यहां तो जो हाथ लगा वही सही।

पटवारी—खाता क्यो नही, तुम्हारे नाम रु० १५-५-० निकलते हैं। लाओ रक्खो रुपये।

प्रमी—यह कैसे ? अरे, पांच वर्ष से हमारे यहां तो जमीन का बीज भी नहीं और ये १५-५-० रुपये कहां से निकाल रहे हो ?

पटवारी—तब केशव उदा का घर कौन सा है ?

प्रमी—सो मैं क्या बताऊँ ? ढूँढ लो।

महालकरी—पर इस घर वाले का नाम क्या है ?

प्रमी—नाम तो मैं नहीं बताऊँगी। मैं तो कह रही हूँ कि हमारा कोई खाता वगैरा नहीं है इसलिए सीधे चुपचाप मकान से बाहर निकल जाओ।

महालकारी—(अपने आदमियों से) चलो, पीछे के दरवाजे से होकर बाहर चले । (इस गरज से कि लोगो के मकान के पिछ्छे से जब्ती करने का मौका मिलजाय)

प्रमी—(गरज कर) यह नहीं होगा । मेरे घर में से होकर पिछ्छे दरवाजे से लोगो को लूटने के लिए नहीं जाने दूंगी ।

यों कहकर प्रमी बहन तो दरवाजे में डटकर खड़ी हो गई और लड़की से कहा कि “यह दरवाजा बन्द कर दे ।”

न तो जब्ती का मौका मिला और न पिछ्छे दरवाजे से जाने दिया गया । क्या करते ? नीचा सिर करके सभी थाने पर लौट आये ।

घृणित व्यवहार

(२) श्रीयुत मणिलाल कोठारी अपने एक निवेदन में लिखते हैं—

“कल श्री वरजोरजी भरुचा, श्रीमती मीठू बहन पेटिट और मैं अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भिन्न-भिन्न गांवों में घूमते-घूमते दो पहर के २-३० बजे मडी पहुंचे । वहा सुना कि उस दिन बडे सवेरे जब्ती करने के लिए जब्ती अफसर पठानों को लेकर गये थे । इनमें से एक पठान ने खातेदार साताराम नरसी की छी के साथ बडा ही नीच वर्ताव किया । इस विषय में रोबरू जांच करने के लिए मैं तथा मीठू बहन स्थानीय विभाग-यनि श्री फूलचन्द चापूजी शाह को लेकर उस खातेदार के मकान

विजयी बारडोली

पर गये। वहाँ उनकी स्त्री मणीबाई से उस घटना का हाल सुना उससे मालूम हुआ कि उस दिन सवेरे एक पठान एक कादत मर के पिछवाड़े में घुसा। पर जब वहाँ उसे कुछ न मिला तो वह पड़ोस के सीताराम नरसी के बाड़े में बाड़ को कूद कर घुसा। हथियार बन्द पुलिस का एक जवान भी दूसरी तरफ से इसी तरह बाड़े में घुसा। उस समय मणी बाई (मकान-मालकिन) किसी काम से बाड़े में आई हुई थी। पठान को देखते ही वह घबड़ाकर दौड़ी और मकान में घुसकर दरवाजा बन्द करने लगी। पर पठान उसके पीछे दौड़ा। मणी बेन दरवाजे की साँकल भी नहीं लगा पाई थी कि पठान ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला। उसने मणी बाई का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर बाहर करके खुद मकान के अन्दर घुस गया। अन्दर से २ मैसों, दो शॉटो, और एक पाडी लेकर वह चलता बना। विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उस समय जन्ती-आफिसर, मि० बेंजामिन सोलोमन वहाँ नहीं थे,'

इसपर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री मणिजाल कोठारी लिखते हैं—

“उपर्युक्त घटना की जांच करने से मुझे यह निश्चय हो गया है कि यह काम केवल गैरकानूनी ही नहीं विद्वेषता-पूर्ण भी है। पठान जैसे असभ्य जंगली जाति के लोगों में से एक आदमी को इस तरह प्रजा की जान-माल पर अकेला छोड़ देना तथा किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का वहाँ न रहना यह संस्कार का एक असभ्य अपराध है। यह बर्ताव ऐसा था जिससे मामूली हालत में

किसी भी आदमी का खून खौल उठता । पर श्री वल्लभ भाई के पदायु शांति के पाठ के कारण लोगों ने संपूर्ण शान्ति और धीरज से काम लिया यह मैं देख सका । सचमुच यह उज्ज्वल भविष्य की आशा दिलाने वाली बात है ।”

इसी घटना पर अपना रोष प्रकट करने के लिए मढ़ी में ता० १८-५-२९ को आठ गांव की कोई ५०० वहनें एकत्र हुई थीं और उन्होंने सर्वानुमति से नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया—

“ता० १७-५-२८ को सुबह जल्ती करने के बहाने जल्ती अफीसर मि० वेंजामिन के साथ आये हुए पठान बाड फादकर भाई सीताराम के बाड़े में घुस गये, श्रीमती मणी बाई उस समय दरवाजा बंदकर रही थीं । वहां ये दौड़ गये, दरवाजे को धक्का देकर, उसे खोला, तथा मणी बहेन को, जो इस धक्के से गिर पड़ी थीं, हाथ पकडकर बाहर घसीट लिया और खुद मकान के अंदर घुस गये और जल्ती की । इस नीचता पर, स्त्री-जाति पर किये इस कायर हमले पर यह सभा अपना तिरस्कार प्रकट करती है और बाई मणीबहेन ने उस समय जो निर्भयता, धीरज तथा शांति प्रदर्शित की, उसके लिए यह सभा उसे बधाई देती है ।”

इस सभा में स्त्रियों ने सत्याग्रह में अपनी निष्ठ जाहिर की और कहा कि जब सरकार हमारी भैंसे ले जा रही है, और जमीनें खालसा करती जा रही है, तब हम बाहर

विजयी बारडोली

रहकर क्या करेंगी ? हमें भी जेल में बन्द कर दें । वहाँ हमें कोई तकलीफ न होगी । क्योंकि कूटने-पीसने आदि सारे कामों की तो हम खूब आदी हैं ।” उसी दिन इस प्रकार की एक सभा स्यादला में भी हुई थी ।

स्त्रियों के सतीत्व पर आक्रमण ।

(३) सरभण की एक मुसलमान महिला ने इन पठानों के “नमूने दार” बर्ताव का जो हलफिया बयान पेश किया है उसका सार इस तरह है—

“तारीख ३ जून १९२८ को दिन के लगभग ग्यारह बजे यह बहन बारडोली से सरभण जा रही थी । डभोई की खाड़ी के पुल के पास पहुँची कि वहाँ उसे एक पठान मिला । इसे देखते ही पठान ने उसे खड़ी रहने के लिए कहा । जब उसने नहीं सुना तो दौड़कर पठान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खाड़ी के गढ़े की तरफ घसीटने लगा । यह बहन तो इतने पर चिल्ला कर रोने लग गई । इसी समय सौभाग्य से बारडोली की तरफ से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी । उसे देखते ही वह नीच भाग गया । बाई रोती-रोती अपने घर की तरफ चली गई । रास्ते में एक गाड़ीवाला उसे मिला जो सरभण की तरफ से आ रहा था । उसे खड़ा करके बाई ने रोते-रोते अपनी दुख-कथा सुनाई । गाड़ीवाले ने बाई को दिलासा दिया और किसी को साथ देकर उसे अपने घर पहुँचा दिया ।

यही गाड़ीवाला जब आगे बढ़ा तो उसे एक पठान मिला ।

इसकी सूरत शकल और कपड़े सब वैसे ही थे जैसा कि उस बाई ने बताया थे ? गाड़ीवाला उसे पहचान सकता है और वह जानता है कि वह बारडोली के थाने पर पठानों का जो गिराह है उन्हीं में से एक है ।”

(४) इन दिनों पठान समझ गये थे कि उनके आफसर तो निर्माल्य और कमजोर हैं इसलिए वे दिन ब दिन अधिकाधिक जंगली होते जा रहे थे । अब वे कूप और नदी पर से आने वाली स्त्रियों की भी निडर होकर छेड़-छाड़ करने लग गये थे । नदियों पर और पनघटों की तरफ मुँह करके पेशाब करने बैठने के बहाने नंगे हो जाना मामूली बात होगई । एक दिन राजपुरा में किसी स्त्री पर हाथ उठाने की भी खबर छपी है । घटना यो है—दिन के साढ़े आठ बजे सिगोद से एक मोटर आई । उसमें जव्ती आफिसर मि० करसनजी थे । अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पठान एक के बाद एक बाड़े कूदते हुए नानी बाई नामक एक बहिन के घर में घुसे । उन्हें देखकर बाई दरवाजा बंद करने गई । पर पठानों ने धक्का मार कर उसे गिरा दिया और दरवाजा खोल दिया जैसा कि मढ़ी में किया था ।

(५) बारडोली के निवासी भाई महमद साले नामक एक किसान ता० ९-६-२८ गुरुवार को दिन के

बारह बजे अपनी आंखों देखे हुए एक दृश्य का वर्णन यों करते हैं—

ऐसा है अंग्रेजी राज्य

दिन के १२-१ का समय था। बारडोली से सरभण जाते हुए जो नदी पडती है उसपर दस-बारह स्त्रियां कपड़े धो रहीं थीं। नदी के दूसरे किनारे पर (यह नदी बहुत छोटी है इसलिए दूसरा किनारा बहुत नजदीक है।) तीन चार पठान नहाने के लिए नंगे होकर नदी में उतरे। दूसरे तीन चार पठान भी सुथना पहने नंगे बदन खड़े हुए नहाने की तैयारी में थे। स्त्रियों ने इन पठानों को समझाया था कि वे इस तरह की नीचता न करे। पर 'नमूने-दार', पठानों ने एक न मानी। आखिर स्त्रियां अपने कपड़ों को वहीं छोड़कर दूर जाकर खड़ी होगईं और पठानों के नहाकर चले जाने की राह देखने लगी।

(६) भाई सुलेमान मूसा उसी मंगल का हाल यों सुनाते हैं जब वे बारडोली की नदी के "ओवारे" पर पहुँचे तब वहां तीन पठान नहा रहे थे। एक पठान दूसरे को उठाकर पानी में डालने का खेल खेल रहा था। यह पठान नंगा था। कितनी ही "दुबली" तथा मुसलमान स्त्रियां कपड़े धो रही थी। उनसे वे पठान छेड़-छाड़ भी करते जाते थे। आखिर जब घबड़ा कर वे कपड़े धोना छोड़कर अपने घर लौट चलने का आपस में विचार करने

लगीं तब इन लंपट पठानो ने उनसे कहा कि हमें भी तुम्हारे घर ले चलो ।”

वीरचंद चेनाजी की जमीनें खालमा होगई; पर इससे अधिकारियो को सन्तोष न हुआ । उनके मकान के पिछले हिस्से मे फिर डाका डाला गया । और जो कुछ वर्तन वगैरा हाथ लगे वे सभ्य अधिकारी ले गये । पर इससे भी उनकी तृष्णा शान्त न हुई । वे तो एक खेल खेल रहे थे । एक दिन श्री० वीरचन्द जी के घोड़ो को उनका आदमी पानो पिलाने के लिए ले गया । वस वही इन भले आदमियों ने उन्हें जन्त कर लिया ।


(७) एक दिन जब सरकार के नमूनेदार पठान इन जन्त किये हुए घाड़ो को रेल पर चढ़ाने ले जा रहे थे । घोड़ो के डिब्बे के पास कुछ नमक की बोरियां पड़ी हुई थी । शायद पठान समझे कि उनमे चीनी है । एक पठान ने चाकू से बोरी को फाडा और करीब डेढ़ सेर नमक निकाला कि इतने मे रेलवे के चौकीदार अनवर ने इसे देख लिया और चोरी के माल सहित रेलवे पुलिस के सिपुर्द कर दिया । पास खड़े प्रेक्को में से किसी ने उसी वक्त उस पठान का फोटो भी ले लिया । पठान चारो तरफ देखने लगा पर कोई जन्ती-आफीसर उसे न दिखाई दिया । जब दिन दहाड़े खुले स्टेशन पर वे इस तरह की चोरी करते थे, तो

लोगों के मकानों के दरवाजे तोड़कर उनके अन्दर जब वे घुसते होंगे तब उन्होंने कितनी चोरी और बदमाशी की होगी इसका अन्दाज लगाना कठिन नहीं है। इस पठान पर तो बाद में मामला भी चलाया गया था। खैर वीरचन्द के वे घोड़े खानदेश के एक मुसलमान के हाथ पानी के मोल बेच दिये गये। पर सत्याग्रह की वायु केवल बारडोली तक ही सीमित नहीं थी। वह खानदेश तक भी पहुँच गई थी। जब वह मुसलमान अपने गाँव में पहुँचा तब गाँववालों ने उसे खूब शर्मिन्दा किया। आखिर उसे आकर वीरचन्द सेठ के घोड़े लौटा देना पड़े।

(८) इसी तरह सरभण में एक गृहस्थ के मकान पर जिसने १८ घंटे तक एकसा पहरा दिया। मकान में रहने वाले अपने मामूली शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरी न कर सके। पानी उनको स्व-सेवको ने मकान पर चढ़कर दिया। मकान मालिक वृद्ध पेन्शनर थे। उसी दिन सरदार वल्लभभाई उधर से कहीं निकले। पहरे को देखकर उन्होंने इस वृद्ध दम्पती से 'कुशल-समाचार पूछा—

“माताजी घबड़ाती तो नहीं हैं न ?”


“इसमें कौन भारी संकट है ? इनके चरण हमारे यहाँ और कब पड़ने लगे थे ?”



विजयी बारडोली

३१

युवकों को विदा



बाकातेर के कैदी

शान्तिप्रिय और उपद्रवी ।

ये तो ऐसे उदाहरण जिन से अजहद नीचता टपकती है । इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने किस तरह के पठान लाकर वारडोली में रक्खे थे । वास्तव में पूछा जाय तो ये वही पठान थे जिनके नाम बम्बई में गुण्डों की फेहरिस्त में दर्ज हैं । जब कोई जाति या देश-युद्ध छेड़ बैठता है तब प्रतिपक्षी की तरफ से होने वाले किसी अत्याचार की शिकायत करना व्यर्थ है । वारडोली के किसानों ने भी इस बात की कोई शिकायत किसी से नहीं की । स्वयं हम भी इन बातों को विशेष महत्व नहीं दे सकते । वास्तव में सरकार तो, चाहे वह किसी देश की हो, जब उसे अपने अस्तित्व के मिटने का भय होता है, तब सारी नीति, कानून और धर्म को ताक में रख कर जिन्हे वह दुश्मन समझती है उन पर टूट पड़ती है । प्रजा-पालन तो एक ढकोसला मात्र होता है । खासकर जब सरकार विदेशी हो तब तो देश-द्रोही कायर लोगो और देश-भक्त तेजस्वी लोगों में भेद उत्पन्न करने के लिए वह भ्रम उत्पन्न करने वाले विशेषणो का उपयोग करती है । कायर दल को वह शान्ति-प्रिय और कानून का आदर करने वाला कहती है, उसे अस्वी बगल में दबाती है और तेजस्वी दल को कानून को तोड़ने वाला, सम्राट् की प्रजा में

विजयी बारडोली

दुर्भाव या द्वेष फैलाने पाला, अथवा सार्वजनिक शांति का भंग करने वाला दल कह कर उसे नष्ट करने की जो-जान से कोशिश करती है। उस समय वह चोर, डाकू और लुटेरो से भी बढ़ जाती है। बारडोली में पठानो-द्वारा किये गये अत्याचार उसके मुकाबिले में कुछ नहीं। परन्तु वहां तो उसे इस अप्रत्यक्ष से ही इसलिए सन्तुष्ट होना पडा कि वहां उसे अपनी पाशविक शक्ति आजमाने का मौका ही किसानों ने नहीं दिया। अगर बारडोली की जनता इन नीचताओं के कारण जरा भी उत्तेजित हो जाती और कुछ कर बैठती तो सरकार सारे ताल्लुके को भून डालती।

यहां पर विशेष ध्यान में रखने की बात यह है कि सरकार के दुर्भाग्य से वहा कोई Law abiding citizen थे ही नहीं, कि जिनकी रक्षा के बहाने शेष लोगो का वह दमन कर सकती। पहले तो सरकार ने इस तरह की अफ-वाहें फैलाई कि लोग तो लगान अदा करना चाहते हैं परन्तु उन्हें अपनी जान का खतरा मालूम होता है, यह डर है कि कही उनके मकानो को लोग आग न लगादे। वे जात से बाहर न कर दिये जायें।

सरदार वल्लभभाई ने पहली दो बातों की तरफ से तो सरकार और कमजोर किसानो को पूर्ण निर्भय कर दिया। ताल्लुके में यह घोषणा कर दी कि जो लगान भरना चाहें

चसे मैं खुद अपने साथ तहसील में ले जाऊँगा। और वे शौक से लगान अदा कर दें।” पर उनके बहिष्कार को तो उन्होंने इसलिए आवश्यक बताया कि कायरता भी एक किस्म का संक्रामक रोग है। कहीं उनका रोग और न फैल जाय। फिर जिस गाँव में बैठे हैं उसी में छेद करने वाले पापियों को दूर रखना ही भला है।

प्रजा-पालन ? ढकोसला !

ऐसे समय सरकार अपने प्रजा-पालन के पहले कर्तव्य के पालन को भी किस तरह छोड़ देती है इसका नमूना नीचे लिखे बयान में देखिए—

“मैं वल्लभभाई खुशालभाई पटेल निवासी सांकरी वारडोली ताल्लुका, तथा मैं छीताभाई घेलाभाई पटेल उम्र वर्ष २५ मुकाम मौजा सांकरी ताल्लुका वारडोली दोनों परमात्माको साक्षी रखकर प्रतिज्ञा-पूर्वक लिख देते हैं कि—

तारीख २०-५-२८ को दिन के दस बजे हमें मालूम हुआ कि हमारे दुबलाओं को तथा उनके बाल-बच्चों को धोखा देकर आसाम भेजने के हेतु से आसाम के चाय बागान वालों के दलाल शराब और ताड़ी पिलाकर कल शाम को सूरत ले गये हैं। इसलिए हम दोनों तथा गाँव से एक दो भाई और उन्हें छुड़ाने की गरज से सूरत गये। स्टेशन पर उतरते ही हमें खबर मिली कि दुबलाओं को स्टेशन के ठीक सामने वाले एक बिल्डिंग में रक्खा है। हम वहाँ गये। रुकान के नजदीक पहुँचने पर वल्लभभाई के दुबला

विजयो बारडोलो

को जिसका नाम डायला है, हमने छत पर खड़ा देखा । हम उसके पास जाने लगे । वहां नीचे फाटक पर खड़े दरवान ने हमें रोका । और दुबलाओं को कमरे में बन्द करके बाहर से ताला मार दिया । हम वहा रात तक बैठे रहे और रात को पढौस वाले होटल में सो रहे । सुबह भी दस बजे तक हम वहीं बैठे रहे ।

फिर हम कलेक्टर हार्टशार्न के बंगले पर गये । साथ में एक एक दरखास्त लिखकर ले गये थे । हमने वह चपरासी को दे दी । उसने लेने से इन्कार किया, और कहा दो बजे किले पर आओ” हमने कहा नहीं हमें तो अभी काम है । इस तरह चपरासियों से बात-चीत हो रही थी कि कलेक्टर ने हमें बुलाया । अन्दर एक हिन्दू गृहस्थ और थे । शायद वे कोई कानून के पंडित होंगे । साहब ने हमसे पूछा—

साहब—कैसे आये ?

हम—चाय के बगीचे वालों के दलाल हमारे दुबलाओं को धोखा देकर ले आये हैं उन्हें छुड़ाने के लिए हम आये हैं ।

साहब—तुम लोगों ने सरकारी लगान जमा कर दिया है ?

हम—नहीं ।

तब उन कानून के पंडित की ओर इशारा करके उनसे कहा कि वे हमें समझा दें । इन महाशय ने हमें समझाने की कोशिश की । लगान वाजिब है, और हमें उसे भर देना चाहिए । इत्यादि कहा । पर उनकी बातें हमें नहीं जँची । तब हमने कलेक्टर साहब से पूछा कि दुबलाओ के विषय में आप क्या जवाब देते हैं ? उन्होंने कहा दो बजे आओ ।

हम—तब तक तो मजिस्ट्रेट के सामने गुलामी के करार-नामों पर उनके अंगूठे भी लगा दिये जावेंगे । इसलिए उसे रोकना चाहिए ।

कलेक्टर—तुम लगान अदा करने के विषय में विचार करो और अपने मित्रों से लगान भरने के लिए कहो तब तक मैं भी दुबलाओं के मामले पर विचार करता हूँ ।

हम—जबतक सारे ताल्लुके के प्रश्न का निपटारा नहीं हो जाता, हम लगान के विषय में कोई विचार नहीं कर सकते आप चाहें हमारे दुबलाओं को छोड़िए चाहे न छोड़िए । हमें इसकी परवा नहीं । यही हमारा आखिरी जवाब है ।❀

इस तरह जव्तीदारों के डर के मारे मकानों को दिन-रात बन्द रखकर खुद तथा अपने जानवरों को भी जेल-वास देकर बारडोली के किसान अनेक कष्ट उठा रहे थे । पर लगान देने पर कभी राजी न होते थे । यदि कोई भूला भटका डर का मारा या अधिकारियों की मित्रता के प्रताप-से भर भी देता तो उसका जीवन बड़ा दुखमय हो जाता । तब वे रोते हुए आते और आँखों से आँसू बरसाते हुए पंच से क्षमा मांगते । पर ऐसे उदाहरण बहुत विरले होते थे । शेष सारी जनता अपने निश्चय पर दृढ़ थी ।

छाती फाटे छे !

छाती फाटे छे जोई दुखडां सांहेलडी,
आंसुनी धार वही जाय छे रे लोल—छाती०
जवती ना जोर शोर खालसानी दोर ओर
पापी पठाणोना जुल्म घोर रे—छाती०
घेरा घाल्याने ढोर मानवी रीवाच्यां,
मांदा कार्यां ने मायां रे लोल—छाती०
बहनोनी लाज चूक्या, न्याय, नीति, नेम मूक्या
कर्मों कई काळां कीधा कारमां रे लोल—छाती०
पुण्य भूमि वारडोली मुक्ति तणां मंत्र बोली
शिक्षा दीधी अमोली देशने रे लोल—छाती०
वल्लभ नी हाक पडी गुर्जरनी नींद उडी,
धाया वीरा ने वीरी साथमां रे लोल—छाती०
संतननो संत साचो मंत्री विरल आज् आव्यो
भारतीना बेडी बन्ध कापशे रे लोटल—छाती०

(एक बहिन)

विराट-रूप-दर्शन

जहरीला प्रचार

यूरोप तथा अमेरिका जानेवाले मित्र कहते हैं कि इधर भारतवर्ष को कोई जानता ही नहीं। अगर कोई कुछ जानता है तो यही कि भारत-गुलाम है, और वहाँ के लोग जंगली हैं। इसका कारण क्या है ? हमारी सरकार द्वारा किया गया जहरीला प्रचार। हाल ही में जब श्रीमती बेसेन्ट तथा श्रीनिवास आर्यंगर विलायत से लौटे तब उन्होंने ने भी यही कहा था कि इंग्लैंड में वे पहुँचे तब किसी का पता नहीं था कि बारडोली में क्या हो रहा है और किसान क्यों लड़ रहे हैं। समाचार पत्रों में ये समाचार निकल रहे थे कि बारडोली ने तो लगान न देने का आन्दोलन शुरू कर दिया है। यह भी कहा जाता था कि यह तो बोल्शेविकों के दूतों की करतूत है। इसी जहरीले प्रचार द्वारा सरकार यहां देश की आंखों में भी धूल मोकने का यत्न कर रही थी। सत्याग्रह के चौथे महीने के आरम्भ में (मई के मध्य में) इसी प्रकार के एक नाटक का अभिनय सूरत में हो रहा था।

अहो रूपम् ! अहो ध्वनिः !

बात यह थी कि सूरत में एदुल बेहराम जी नामक एक वृद्धि पारसी डाक्टर हैं। उन्होंने अपने जमाने में कुछ सार्वजनिक सेवा भी की है। उत्तर विभाग के कमिश्नर मि० स्मार्ट इन दिनों जब सूरत गये तो उन्होंने डॉ० एदलजी पर किसी तरह अपना जालाफैला दिया था। तब से एदलजी के चिन्त में बारडोली के किसानों के प्रति असीम प्रेम लमड़ आया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन डॉक्टर साहब को सरकार की तरफ से इस बात की भी खबर मिलती रहती कि बारडोली में किसने कितने रुपये लगान में अदा किये, जब कि जनता और सरकार के खजानची को उनका पता भी न था। और वे डा० साहब जनता पर उपकार करने के ख्याल से ये सब बातें प्रकाशित भी कर देते। उसमें यह भी लिखते कि मुसलमानों की तरफ से कितने रुपये जमा कराये गये और पारसियों की तरफ से कितने। साथ ही वे अपनी तरफ से किसानों को यह नेक सलाह भी देते कि सबक ॥ न अदा कर देना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो यह भी लिखा कि यदि किसान लगान नहीं अदा करेंगे तो कुछ पारसी या एक कम्पनी पांच सात लाख रुपये देकर उन जमीनों को ले लेंगे और बाद में जो जो लगान दे देंगे उनको उनकी जमीनें लौटा दी जावेंगी।

विराट रूप-दर्शन

यह सब कष्ट वे इस लिए उठाते कि उनके चित्त में किसानों के प्रति बड़ा-प्रेम था और इन दिनों किसानों को जो कष्ट हो रहा था उसे देखकर उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। इस कष्ट में कमिश्नर साहब भी उनका साथ देते थे। लोगों को इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो अंग्रेज सरकार केवल भारत के कल्याण के लिए हजारों मील का सागर पार करके यहां दयामय शासन करने को आई उसके अधिकारियों में दया का संचार न होगा तो दया और सौजन्य के लिए संसार में स्थान ही कहां रह जायगा ? यह देखिए कमिश्नर साहब का पत्र है—

कॅम्प सूत

८ मई १९२८

प्यारे डॉ० एदल बेहरामजी,

आपके पत्रके लिए अनेक धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो लेख लिखे थे वे किसी सरकारी अधिकारी की प्रेरणा से नहीं, अपने सौजन्य के कारण ही लिखे थे, जिसने कि आपको दीन-हीन कुष्ट-पीड़ितों की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने में लगा दिया है—

सरकारी लगान वसूल करने में कठोर उपायों का अवलम्बन करने से पहले मैं खेडा के उन “उपद्रवियों” (agitators.) को अपनी करतूतों से वाज आने के लिए राजी करने में अपनी शक्ति भर कोशिश कर चुका। उनके आन्दोलन, गुप्तचरों और सभाओं आदि अनेक बेहूदगियों के कारण सरकारी अधिकारी गण

विजयी बारडोली

को सरकार का पक्ष जनता के सामने पेश करने का मौका ही नहीं मिला। जो कोई भी अधिकारियों के पास जाता उसे संदेह की नजर से देखा जाता, और उसे बहिष्कार की धमकियां दी जातीं। जनता को सरकार की वे दलीलें सुनने ही नहीं दिया जाता है जिन्हें कि कौन्सिल में पेश किया गया था और जिनके कारण वहां वह निन्दा-प्रस्ताव ४४-३५ मत से गिर गया था।

इन उपद्रवियों से, जो कि जनता के धन पर अपना पेट पाल रहे हैं और उसे बुरे रास्ते ले जा रहे हैं, जनता को बचाने की मुझे जितनी चिन्ता है उतनी और किसी को नहीं है। रायबहादुर भीमभाई नाईक को मैंने साफ-साफ कह दिया है कि मैं ऐसे किसी भी गांव की जांच करने के लिए तैयार हूँ जो इस बात के लिए युक्तिसंगत कारण पेश कर दे कि उसे ऊपर के वर्ग में शामिल करने से उसके साथ अन्याय हुआ है। पर यह मैं तब करूंगा जब समस्त तालुके पर की गई २० प्रतिशत वृद्धि का लगान न देने का आन्दोलन बन्द कर दिया जाय।

लगान वसूल करने के जितने भी उपाय हैं, उनका अवलम्बन करने से सरकार अपने-आपको रोक नहीं सकती। इस तरह तो कानून के अनुसार किये गये प्रत्येक बन्दोबस्त का विरोध होने लगेगा। आज बारडोली में वही उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने सन १९१८ में खेड़ा जिले में कर न देने का आन्दोलन खड़ा किया था। और लगान अदा करने की इच्छा रखनेवाली जनता को रोकने के लिए वे यहा भां उन्ही उपायों अर्थात् जाति बहिष्कार, दंड वगैरा का अवलम्बन कर रहे है जिनका खेड़ा में किया गया था।

विराट रूप-दर्शन

खेड़ा के उन्हीं पांच ताल्लुकों से ये लोग आये हैं, जिनका चन्दोवस्त वाढ़ के कारण दो साल से आगे ढकेला जा रहा है। पिछले सात आठ महीनों में उन ताल्लुकों में सरकार ने ५० लाख के करोड़ रुपये वाढ़-सहायतायार्थ ऋण में दिये हैं। अगर आज इन्हें चारडोली में कहीं सफलता मिल गई तो उस जिले का लगान और ऋण वसूल करना सरकार के लिए और भी मुश्किल हो जायगा।

आप इस पत्र का जैसा चाहें उपयोग कर सकते हैं। मैंने इस पत्र में कोई ऐसी बातें नहीं लिखी हैं जिनमें किसी छिपाव की जरूरत हो। ये तो ऐसी बातें हैं जिन्हें सब कोई जानते हैं।

आपका विश्वस्त—

डबल्यू. डबल्यू. स्मार्ट

स्पष्ट ही समाचार-पत्रों पर उपकार करने की इच्छा से तथा कमिश्नर साहब की शुभ इच्छाएं जनता तत्र पहुँचाने के अच्छे हेतु से डा० साहब ने पत्र को अखबारों में छापने के लिए भेज दिया।

मर्मन्तक वाण

पर इसका असर उनके अनुमान के ठीक विपरीत ही हुआ। गुजरात में इन दोनो भले आदमियों के प्रति असंतोष की भारी लहर उठी। स्वयं वारडाली के किसानों के पास जब यह बात पहुँची तब तो उनका दुख असह्य हो उठा। उनके हृदय की हालत को कल्पना नीचे लिखे चारडोली के लोक-गीत से हो सकती है:—

विजयी बारडोली

छातीए छातीए छातीए रे,
बाण वाग्या सरकारनां-छातीए-रे
अपमान ना बाण सांख्या न जाये
लोढाना-होय तो सांखिए रे—बाण०
वल्लभभाईने परदेशी कीधा
वाग्यूं छे बाण ए छातीए रे—बाण०
आगेवानोने धांधळिया कीधां, वाग्यूं छे०—
खेडू बधाने लबाड कीधां, वाग्यूं छे०—
भक्षक करे छे रक्षक नो दावो, वाग्यूं छे०—
अपमान ना बाण सांख्या न जाये, लोढाना हो०—

और भी कितने ही समाचार-पत्रों और सभाओं में कमिश्नर के इन निर्घृण आक्षेपों का जवाब दिया गया । स्वयं वल्लभभाई ने तो बारडोली ताल्लुके के किसी गांव में व्याख्यान देते हुए वहा कि यदि मि० स्मार्ट अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहते हो तो मैं ताल्लुके के १७००० काश्तकारो को एकत्र कर देता हूँ । वे आवें और किसानो का समझावें । पर उनके अधिकारियो के सम्पर्क से तो मुझे जनता को सुरक्षित ही रखना पड़ेगा । उन्होंने यह भी कहा कि जिन कार्य-कर्ताओ को आज वे इन शब्दों में याद करते हैं उनके किये उपकारो की तो याद करें, अगर यहा 'उपद्रवी' खेड़ा की सहायता के लिए दौड़ न जाते तो

जनता जमीन से नई फसल इस साल न ले पाती और न सरकार उनसे लगान ही वसूल कर पाती ।

स्वयं महात्मा जी ने 'यंग-इंडिया में एक लम्बा लेख लिखकर वारडोली के मुख्य-मुख्य सेना-नायकों का नाम गिनाकर बताया कि वे कितने प्रतिष्ठित हैं । उनको उपद्रवी कहना ऐसा अपमान है जिसे दूसरी परिस्थिति में जनता कभी बरदाश्त नहीं कर सकती । महात्माजी ने कमिश्नर के एक-एक आरोप का जोरों से खण्डन किया और कमिश्नर को आह्वान किया कि यदि उसे कुछ भी लज्जा है तो वह इन घृणित आरोपों के लिए प्रकट रूप से क्षमा-याचना करे ।

वारडोली का प्रचार-विभाग

सरकार के और भी कई हस्तक जनता में बुद्धि-भेद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे । परन्तु वारडोली के विषय में सरकार ने जितनी भी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की सत्याग्रह का प्रकाशन-विभाग उन सबको बराबर दूर करता गया । सत्याग्रह-प्रकाशन-विभाग में तो कई कुशल फोटोग्राफर भी थे, जो सरकार के अत्याचारों और "प्यारे" पठानों के "अनुकरणीय" व्यवहारों के तत्काल चित्र लेकर अखबारों में भेज देते जिससे सरकार के द्वारा किया गया सारा जहरीला प्रचार व्यर्थ सिद्ध हो जाता ।

विजयी बारडोली

और अब तो अकेले बम्बई के 'टाइम्स' और सरकार के ही हाथ-पांव कलेक्टर और कमिश्नर को छोड़कर देश के सारे समाचार-पत्र और सभी दल के विचारी पुरुषों ने बारडोली सत्याग्रह के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करना शुरू कर दिया ।

मर्यादा की रक्षा ।

पर अभी सरदार वल्लभभाई नहीं चाहते थे कि बारडोली को अखिल भारतीय आन्दोलन का रूप दिया जाय । इसलिए उन्होंने अभी तक जान-बूझ कर किसी अखिल भारतीय नेता को बारडोली आने के लिए निमन्त्रित नहीं किया बल्कि जिन्होंने बारडोली जाने की इच्छा प्रकट की उन्हें भी वहां आने से उन्होंने रोक दिया । स्वयं महात्माजी को भी उन्होंने इसलिए निमन्त्रित नहीं किया कि उनके बारडोली आते ही आन्दोलन अखिल भारतीय रूप धारण कर लेगा और महात्माजी भी इस बात को भली प्रकार अनुभव करते थे । क्योंकि जब स्वर्गीय भगनलाल भाई गांधी की मृत्यु हुई और सरदार वल्लभभाई ने पू० महात्माजी को लिखा कि मैं अहमदाबाद आना चाहता हूँ, तब महात्माजी ने उन्हें यही कहकर मना किया था कि "दुख तो भारी आया है, परन्तु उसके लिए आप अपना स्थान छोड़कर न आवें । हां, जब कभी आपको मेरी जरूरत हो

चिराट रूप-दर्शन

लिख दें। इसी अवसर पर बम्बई में श्री० राजगोपालाचार्य जी और देश-भक्त गंगाधरराव देशपांडे भी आये हुए थे। शायद सत्याग्रह के सम्बन्ध में उसी समय कहीं वल्लभ भाई भी बम्बई जा पहुँचे थे। वल्लभभाई के मिलते ही राजाजी ने और देशपांडे जी ने बारडोली देखने की इच्छा प्रकट की। पर वल्लभ भाई ने, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उन्हें उस अवस्था में बारडोली के चलने से दुख पूर्वक इंकार कर दिया।

चन्दा

हां, पठानों का अत्याचार इन दिनों ज़रा बढ़ गया। इसलिए सरदार साहब को ता० ८ मई १९२८ को बन्दे के लिए देश से अपील करनी पड़ी। पू० महात्माजी ने भी इस अपील को दोहराया और अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार चन्दा देने के लिए सब से अनुरोध किया। जनता ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। धन का प्रवाह बारडोली की तरफ आने लगा।

केवल भारत से ही नहीं, फ्रान्स, बेलजियम, जापान, चीन, तथा न्यूजीलैंड, मलायास्टेट्स आदि संसार के सुदूरवर्ती हिस्सों से भी सहानुभूति और चन्दा आने लगा। स्वदेश में मजदूरों ने अपनी थोड़ी सी मजदूरी में से और विद्यार्थियों ने अपने खान-पान की चीजें कम करके पैसा बचाया


विजयी बारडोली

और बारडोली के लिए चन्दा भेजा। कई जगह विद्यार्थियों ने बारडोली के चन्दे के लिए वीर-रस-पूर्ण नाटक खेलकर जनता को द्विगुणित प्रेरणा दी। स्त्रियों ने अपने गहने दिये। बम्बई के युवक-संघ के विद्यार्थियों ने भी दौड़-दौड़ कर खूब चन्दा इकट्ठा किया। उनका उत्साह अपार था।

बाहर से स्वयं-सेवकों की अर्जियाँ भी आने लगीं। बम्बई धारा-सभा के आठ सभ्यों ने अपने इस्तीफे दे दिये। नेता भी एक के बाद एक करके अपनी सेवाएं अर्पण करने लगे। पर वल्लभभाई ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा “अभी इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ आर्थिक सहायता से अभी काम चल जायगा। स्वयं-सेवक अभी यहां काफी हैं। सरकार की जेलें भरने के लिए हम काफी खुराक उसे दे सकते हैं।”


सूर्य को कौन छिपा सकता है!

पर यों सूर्य को कहीं वगल में छिपाया जा सकता है? वल्लभभाई देश के हृदय को कब तक रोक सकते थे? नेता बारडोली की तरफ शनः शनः आकर्षित होने लगे। सब से पहले बम्बई के विख्यात मि० बरजोर जी फरामजी भरुचा और श्री नरीमन आये। वे दोनों ताल्लुके का संगठन देखकर दंग रह गये। मि० भरुचा ने किसानों से रोबरू बात-चीत करके यकीन कर लिया कि वे



श्रीयुत कुञ्जरु, श्री ठक्कर और श्री वझे

विजयी वारडोली
३३



श्री कन्हैयालाल मुन्शी
धारासभा के सभ्य

विजयी वारडोशी
३४

दृढ़ हैं, निर्भय हैं। अन्त में उन्होंने कहा “इंग्लैंड के लोग अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह सत्याग्रह को लडाइयां शुरू हो जावेंगी तो हम इन तोप बन्दूक और विमानों को क्या करेंगे ?” श्री नरीमन ने वारडोली में ५००० किसानों की सभा में कहा “मैं तो आपकी टीका करने वाले से कहूँगा कि यहां आकर पहले किसानों की हालत देखो, तब आपको सच्ची हालत मालूम होगी। चंद घंटों ही में मैंने यहां की हालत को देख लिया है। सारा ताल्लुका जेल बन गया है। बेचारे किसान दिन-दिन भर अपने जानवरों को लेकर घर में बन्द रहते हैं। लोग कहते हैं कि चोर, लुटेरों और पिंडारियों को निकाल कर आज कल अंगरेज यहां राज कर रहे हैं। पर मैं तो कहूँगा कि और कहीं चाहे जो हो, वारडोली में तो आज पिंडारियों पठानों और बम्बई के गुण्डों का ही राज्य है। इस ताल्लुके में आज कल घूमने वाले पठान वही बम्बई के पठान हैं, जिन के पीछे रात-दिन पुलिस घूमती रहती है, जो वहां लोगों के गले काटते फिरते हैं। अब ये बदमाश किसान बहनो से भी छेड़-छाड़ करने लगे हैं। मैं कहता हूँ सरकार के लिए इससे अधिक लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकता।

+ + यह लडाई तो मामूली लगान-वृद्धि की थी। पर सरकार ने इसे बहुत विशाल रूप दे दिया है। इसलिए

विजयी बारडोली

अब कहा जा सकता है कि आप तो सारे देश के लिए लड़ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि देश के बड़े-बड़े नेताओं का जो परिषदें और प्रस्ताव करते रहते हैं, ध्यान अब तक बारडोली की तरफ क्यों नहीं आकर्षित हुआ ? मेरा ता ख्याल है कि पिछले सौ वर्ष में सरकार की जालिम नीति का सामना करने के लिए यदि कोई सच्चा आन्दोलन हुआ है, तो वह बारडोली का सत्याग्रह है। मैं कहता हूँ कि अगर एक डजन ताल्लुके भी अगर इस तरह संगठित हो जायं और आधी डजन ऐसे सेनापति पैदा हो जायं तो उसी क्षण स्वराज्य हमारे हाथ में आ जावे। मैं तो बम्बई के लोगों से जाकर कहूँगा कि धारा-सभा में प्रस्ताव पास करने से कोई होना जाना नहीं। सरकार से कैसे लड़ना चाहिए तथा लोगो का किस तरह नेतृत्व करना चाहिए यह अगर देखना हो तो बारडोली जाकर देख लो। शेष सारी लड़ाइयां और नेतापन व्यर्थ है।”

इसी अरसे मे बम्बई में महासभा की कार्य-समिति की बैठक हुई जिसमे उसने उत्तर-विभाग के कमिश्नर के उपर्युक्त पत्र की निन्दा करते हुए बारडोली सत्याग्रह का पूर्ण समर्थन किया और देश से अपील की कि वह इस युद्ध मे अपनी शक्ति के अनुसार सहायता करे।

ता० २७ मई १९२८ को सूरत मे होने वाली जिला-

परिषद् के मनोनीत अध्यक्ष, सिन्ध के नेता, पू० महात्माजी के येरवड़ा जेल के साथी और वम्बई धारासभा के सभ्य जयरामदास दौलतराम भी परिषद् में जाने के पहले बारडोली गये थे और वहां दो दिन तक ठहर कर उन्होंने अपनी आंखो उन अत्याचारों को देखा था, जो पठानो-द्वारा जनता पर हो रहे थे ।

सूरत जिला-परिषद्

तारीख २७ मई को सूरत में बारडोली सत्याग्रह के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए सारे जिले की एक भारी परिषद् हुई वह बारडोली के बलिदान की पवित्रता और गुजरात की श्रद्धा का नाप कही जा सकती है । सभा-मंडप में १०-१५ हजार मनुष्यो से कम न होंगे और हजारों बाहर थे । सभा-भवन में बारडोली के पठान-राज्य के अनेक प्रसंगो के खून खौलाने वाले चित्र टगे थे ।

स्वागताध्यक्ष रा. व. भीमभाई नाईक का भाषण एक "राव बहादुर" और जमींदार के अनुरूप था । परन्तु उनके भाषण से रोष और करुणा टपकती थी । अध्यक्ष श्री जयरामदास का भाषण अनेक तरह से उत्कृष्ट था । बारडोली के युद्ध का अध्ययन उसमें बड़े अच्छे ढंग से किया गया था ।

उनके भाषण में नम्रता थी पर साथ ही निडरता भी

विजयी बारडोली

थी। उन्होंने कहा—“सरकार साफ-साफ क्यों नहीं कह देती कि वह निरे पशु-व्रज और सत्ता पर जी रही है। अरे, जिन बातों का नीति की दृष्टि से वह क्षणभर भी बचाव नहीं कर सकती उनका भ्रामक दलीलो और असत्य बातों से वह क्यों प्रचार कर रही है। दिन-दहाड़े चोरी करने वाले पठानों को एक दिन भी बारडोली में रखना सरकार के लिए अत्यन्त लज्जाजनक है।”

बारडोली की जागृति के विषय में अध्यक्ष ने कहा—“सरकारी चश्मों उतार कर आप किसी भी गांव में जाकर देख आइए। अपनी आंखों देखकर इस बात का विश्वास कर लीजिए कि बारडोली के किसान, स्त्रियां, बालक, सब कोई किस तरह अपने अगुओं के लिए मर मिटने को तैयार है। बम्बई सरकार की इस जालिम नीति का कलंक जिस तरह उसके शासन पर कायम रहेगा उसी प्रकार उसके जिम्मेदार और ऊंचे अधिकारियों ने इन प्रजा-सेवकों को, बाहर के उभाड़ने वाले, लोगों के धन पर जीने वाले इत्यादि कह कर जो उद्धतता प्रकट की है यह कलंक का टीका भी उसके सिर से कभी नहीं धोया जा सकता।”

अंत में आपने कहा—“आज जिस बारडोली को पूजा सारा देश कर रहा है, जहां वीरता और आत्मोत्सर्ग के पाठ पढ़ाये जा रहे हैं, उस ताल्लुके के विषय में होने वाली

परिषद् का अध्यक्ष क्या होना ? इस समय तो वहां जाकर उस युद्ध में शामिल हो जाना ही धर्म है । अन्त में अध्यक्ष ने यह सुझाया कि आगामी १२ जून को सारे देश में बारडोली दिन मनाया जाय । उस दिन सभायें हों और सत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र हो ।”

“इसके बाद सरदार वल्लभभाई से बोलने के लिए प्रार्थना की गई । उनके उठते ही बड़ी देर तक सभा-भवन करतल-ध्वनि से गूँजता रहा । भाषण क्या था एक भावी-सूचक गगन-गिरा थी । कितने ही लोग तो उस भाषण को सुनकर ही अपने आप को कृतार्थ मानने लग गये थे । भाषण में इतना तेज था, इतनी वीरता थी, इतना सत्य-बल था, वह सरलता भी जिससे वह मामूली से मामूली आदमी की भी समझ में आ जाय । उनके सारे भाषण की ध्वनि यही थी कि “दो और दो चार कहने के बदले दो और दो चौदह कहने वाले अधिकारी चाहे कितने ही दवावें, डर बतावे, जमीनें छीन ले, और किसान राह के भिखारी बन जायँ, फिर भी बारडोली के किसान अपनी टेक नहीं छोड़ेंगे । बारडोली में आज आवरूदार सरकार का नहीं, गुंडाओं, चोरों, और लुटेरों का राज्य है ।”

स्वागत-मंडल के अध्यक्ष रा० व० भीमभाई नाईक ने दीनता-पूर्वक कहा कि सरकार किसानों पर दया करे ।

विजयी बारडोली

मूक पशुओं की तरह वह भी मूक है। श्री वल्लभ भाई ने इस पर गरजकर कहा कौन कहता है किसान गरीब बैल की तरह मूक पशु है ? वह तो वीर पुरुष है। वही तो सब का आधार है। उसके साथ न्याय किये बिना सरकार का चारा नहीं है। यदि वह किसानों के साथ न्याय न करेगी तो उसका राज्य निःसन्देह मिट्टी में मिल जायगा।”

परिषद् ने जो प्रस्ताव मंजूर किये उससे गुजरात की वीरता, सहानुभूति और कष्ट सहने की तैयारी का पता लगता था। बारडोली के वीर किसानों का उसने अभिनन्दन किया, वीर वल्लभभाई के अहसान माने, सरकार को आंखें खोलने वाली चेतावनी दी, और बारडोली का सहायता के लिए सारे जिले की नहीं बल्कि गुजरात की तैयारी है यह घोषणा की।

सच्चे लोक-प्रतिनिधि

शायद उसी समय शिमला में गुजरात के सुपुत्र और सरदार वल्लभभाई के बड़े भाई श्री विठ्ठलभाई पटेल जो कि बड़ी धारा-सभा के अध्यक्ष हैं, यह विचार कर रहे थे कि इस बारडोली-संग्राम की किस तरह सहायता कर सकता हूँ। एक ओर वे पठान-राज्य के हाल भी पढ़ते रहते थे और दूसरी ओर सत्याग्रहियों की असाधारण सहनशीलता एवं संयम के समाचार भी उनके पास पहुँचते

रहते थे । ये सब हाल भारत में शान्ति और व्यवस्था के परम रक्षक बड़े लाट को भी वे सुनाते रहते । अन्त में उन्होंने महात्माजी को एक पत्र लिखा । उसमें अपनी मर्यादा का तथा सरकार-द्वारा सत्याग्रहियों पर होने वाले अत्याचारों का उल्लेख करके आपने लिखा—

“ऐसी स्थिति में मैं चुपचाप नहीं बैठा रह सकता । न मैं उदासीन ही रह सकता हूँ । इसलिए आपने जो आर्थिक सहायता मांगी है उसके लिए आपको सिर्फ एक हजार रुपये अभी भेजता हूँ । पर मुझे दुख कि बारडोली के सत्याग्रहियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए तथा सरकार की जालिम नीति एवं गुजरात के कमिश्नर के पत्र के प्रति अपनी सख्त नापसन्दगी जाहिर करने के अतिरिक्त इस समय मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है । जबतक यह युद्ध जारी रहेगा मैं आपको प्रतिमास एक हजार रुपये भेजता रहूँगा । पर मैं आपको यह विश्वास तो फिर भी दिलाये देता हूँ कि जिन्होंने मुझे यह महान् पद दिया है उनसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं मशवरा करूँगा । जिस अधिकार का सम्मान आज कल मुझे प्राप्त है वह तो जहां तक मेरा ख्याल है एक सेवा धर्म है । और यदि मुझे यह विश्वास होगया कि बारडोली के सत्याग्रहियों के दुख में आर्थिक सहायता करने के अतिरिक्त भी मैं कुछ अधिक परिणामजनक काम कर सकता हूँ तो आप विश्वास रखें मैं पीछे नहीं हटूँगा ।”

नयी घोषणा

दरमियान फिर कमिश्नर साहब महाबलेश्वर पहुँचे ।

शायद गवर्नर साहब की चिंता को दूर करने के लिये गये थे । क्योंकि उनके लौटते ही सरकार की तरफ से एक निवेदन प्रकाशित हुआ । इसमें लगान अदा करने के लिए फिर १९ जून तक की मियाद बढ़ाकर कहा है कि यदि उस तारीख तक भी लगान जमा न हुआ तो सारी जमीनें खालसा कर ली जावेंगी और फिर वे कभी किसानों को लौटाई नहीं जावेंगी । इस अवधि में लगान अदा करने वाले को चौथाई दंड माफ करने का भी लालच बतलाया गया था । इससे भ्रम होता है कि गवर्नर अब तक बारडोली की सच्ची हालत से नावाक़िफ़ थे । मि० अल्मोला कमिश्नर को उलटे पाठ पढ़ाते और वही बात कमिश्नर गवर्नर से कह देते । यह हाल होता रहा होगा ।

पठानों के अत्याचारों की पुकार वहाँ पहुँची तो, लेकिन पठानों को इस समय एकाएक हटाने से तो सरकार की प्रतिष्ठा ही क्या रहती ? इसलिए उसने फिर पठानों के वर्णन को नमूनेदार बताकर कहा कि हमें यहाँ पर पठानों को रखने में विशेष लाभ तो नहीं है । परन्तु यदि बारडोली के लोग बैठिया दे दें तो सरकार पठानों को वहाँ से हटा सकती है । इत्यादि, पर वहाँ तो कोई बैठिया ऐसा लोक-द्रोह करके सरकार से मिलना नहीं चाहता था । सब से बड़ी बात तो यह थी कि सरकार को किसानों का संग-

ठन-बल खटकता था । वह कहती अलग-अलग दरखास्तें पेश करोगे तो सुनवाई होगी । इस निवेदन के उत्तर में वल्लभभाई ने अपने एक भाषण में कहा—

संगठन का जवाब संगठन

“भला ऐसा भी मूर्ख कोई होगा, जो इतनी बड़ी सुसंगठित सरकार से अलग-अलग लड़कर सफलता की आशा करे ? सरकार के पास इतनी सारी फौज है, बंदूके हैं, तोपें हैं, तिसपर तो वह सारे काम सुसंगठित रूप से करती है । प्रजा को सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से शिकायत है और उसीसे उसने लड़ाई छेड़ी है । परन्तु सरकार ने तो उसके लिए जनता पर जुल्म करने के लिए न्याय-विभाग को कलंकित किया, कृषि-विभाग को भी न छोड़ा, और आवकारी-विभाग को तो प्रत्यक्ष अपना शस्त्र ही बना लिया । कितने ही मास्टर्स को इस युद्ध में दिलचस्पी लेते देखकर उन्हें भी बदल दिया और इस तरह विद्या-विभाग-जैसे निर्दोष और पवित्र विभाग को अपवित्र कर दिया । पुलिस विभाग तो सब से आगे है ही । इस तरह वह तो सुसंगठित रूप से हर तरफ से लोगों पर जुल्म कर रही है और किसानों से कह रही है कि तुम अकेले रहो ।

सोधा सी बात तो है

“किसानों से मैं साफ कहूँगा कि जो तुम्हारे साथ

विश्वामघात करे उसे तुम कभी माफ न करो। माफ न करो के मानी यह नहीं कि आप उसे मारो या पीटो। नहीं। यह न करो। आप तो उसे यह कइ दो कि हम सब को एक नाव में बैठकर जाना है। अगर किसी को नाव में छेद करना है, तो वह नाव से उतर जावे। हमारा उसका कोई सम्बन्ध नहीं। यह संगठन आत्म-रक्षा के लिए है, किसी को दुख देने के लिए नहीं। आत्मरक्षा के लिए भी संगठन न करना तो आत्महत्या करने के समान है। हम तो पौधे को भी जानवरो से बचाने के लिए बाड़ बगैरा लगाकर सुरक्षित रखते हैं। तब जब इतनी बड़ी सरकार से लोहा लेना है, तो अपना संगठन भी हम न करें? किसान की रक्षा भी न करें? पर सरकार को यही तो खटकता है कि एक छोटा सा युद्ध छेड़कर हम सरकार से इन्साफ ही क्यों मांग रहे हैं।”

सब ध्यान वार्डिस पसेरी

“सरकार कहती है, पहले लगान अदा कर दो। देखो, चोर्याशी ताल्लुका ने लगान अदा कर दिया है”। हम कहते हैं “अच्छा, उसने दे दिये होंगे पैसे। इससे हमें क्या? और यह तो बताओ कि उसने लगान दे दिया तो उसके साथ सरकार ने क्या न्याय किया है? अगर पहले लगान देने से आप इन्साफ करने का वादा करते हो तो उसके साथ अभी तक क्यों नहीं इन्साफ किया? पर सरकार को इन

चातों की परवाह ही कहां है ? उसे किसानों के वचनों की कीमत ही कहां है ? सरकार को न तो धारा-सभा के सभ्यो की परवा है और न अपनी एन्फिक्च्यूटिव बॉडी के भारतीय सभ्यो की तनिक भी परवा है ।

डर जालिम सरकार का कि निहत्थे किसानो का ?

“सरकार कहती है जमीनें लेने वाले हमे बहुत से मिल गये हैं” । मिले होंगे । उन जमाने लेने वालो को यदि सामने आनेकी हिम्मत हो तो आवें । नीलाम का माल रखनेवाले या तो चपरासी, और पुलिस होंगे या वे खटीक, जिन्होंने भैंसों को रख लिया है । भला इसमे सरकार की कौन इज्जत है ?”

“कहा जाता है कि बहुत से लोग चुपचाप आकर लगान दे जाते हैं । बाह, अगर देने वाले हों तो भले ही ले लिया करो ना । पर आप यह नहीं बता सकते कि वे कौन हैं ? वे नहीं चाहते कि उनके नाम प्रकट हो जायें । यह डर क्यों ? शान्त निःशस्त्र जनता से डरना चाहिए, या तोप बन्दूक वाली सरकार से ?”

“पर यह सब भ्रम मारना है । सरकार अब जुल्म करते-करते शायद थक गई और उसे मालूम होता है कि अब उसकी दाल नहीं गल सकती । फिर भी जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि वारडोजो के लोग सब तरह का जुल्म

चित्रयी बारडोली

सहने के लिए तैयार हैं, यहां कोई उपद्रव मचाने वाला नहीं है, और इसलिए तोप बन्दूकें चलाने का उसे मौका नहीं मिल सकता तबतक वह भले ही जितना चाहे जुल्म करती रहे। बारडोली की प्रजा उसे शांतिपूर्वक सहती जायगी। तब अंत में सरकार की आंखें खुलेंगी और उसे मालूम होगा कि ऐसे लोगों पर जुल्म करना तो साक्षात् ईश्वर का विरोध करना है। जिसने सत्य का आश्रय ग्रहण किया है उसकी ईश्वर जरूर सहायता करता है।”

श्री जमनालाल बजाज

जून महीने के प्रारंभ में सेठ जमनालालजी बजाज तथा श्री शंकरलाल बेंकर भी बारडोली पहुँचे थे। सेठजी ने एक सभा में कहा—“मैं आपको उपदेश देने के लिए यहां नहीं आया हूँ। आप यहां जो पवित्र कार्य कर रहे हैं उसका दर्शन करके पवित्र होने के लिए आया हूँ। सैनिक की हैसियत से आपको इस बात की जरा भी चिंता या परवा करने की जरूरत नहीं कि गर्वनर क्या घोषणा करते हैं। यह काम तो आपने अपने सरदार को सौंप दिया है। इन सब बातों को सोचने विचारने का काम उनका है। आप कभी किसी कमजोर आदमी को देखकर कमजोर न बनें। बल्कि अपनी ताकत से दूसरे की कमजोरी में सहायता करके उसे अपने ही जैसा ताकत

बर बनावें । इस ताल्लुके में पैसे देने वाला तो कोई है नहीं । पर प्रत्येक आदमी यही गांठ बांध ले कि चाहे सारी दुनियां लगान अदा कर दे, पर मैं तो कभी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टलूँगा ।”

“अब अफवाहे सुनाई देने लगी हैं कि सरकार शायद बल्लभभाई को गिरफ्तार करे । यद्यपि यह अभी सम्भवनीय तो नहीं मालूम होता, फिर भी, क्योंकि सरकार जिम्म तरह अब तक एक के बाद दूसरी इस तरह अनेक भूलें करती जा रही है, उसी तरह यह भूल भी कर बैठे तो आपका कर्तव्य स्पष्ट है । अबतक उन्होंने जो धर्म बताया उसी का निष्ठापूर्वक पालन करना हमारा कर्तव्य है । प्रतिज्ञा से तिल भर भी न हटना चाहिए । उन्हें हम से दूर करके यदि सरकार हम से बात-चीत करने या अपने जाल में फँसाने के लिए आवे तब सावधान रहे । उसकी जाल में न फँसें । अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रह कर उसे साफ-साफ कह दें कि इस विषय में जो कुछ बात-चीत करना हो वह उन्हीं से कर ले ।”

सेठजी वारडोली में लगभग एक सप्ताह रहे । ताल्लुके के तमाम मुख्य स्थानों में घूम-घूमकर उन्होंने सत्याग्रह का खूब अध्ययन किया अन्त में तारीख पांच को वारडोली में भाषण देते हुए आपने कहा—“इस देश में सत्याग्रह के

विजयी बारडोली

अनेक आन्दोलन मैंने देखे । परन्तु यह युद्ध सब से उच्च प्रकार का है । और मेरा तो ख्याल है कि यदि कोई अंग-रेज भी इस युद्ध का अध्ययन करने के लिए निकले तो उसकी भी सहानुभूति लड़ने वाली प्रजा की ओर ही होगी ।”

पंजाब के महमान

डॉ० सत्यपाल तथा सरदार मंगलसिंह भी आये । डॉ० सत्यपाल तो पंजाब की प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की तरफ से सत्याग्रह को देखने के लिए आये थे । दोनों बारडोली के किसानों का धीरज, शान्ति, बहादुरी, आदि को देख कर चकित हो गये । स्वयं उन्होंने भी बारडोली में कई व्याख्यान दिये । पंजाब से सिक्खों ने कई बार स्वयं-सेवक भेजने की अनुमति मांगी । जिसे देने से बल्लभभाई को धन्यवाद पूर्वक अस्वीकार करना पड़ा ।

महाराष्ट्र की तरफ से धारा-सभा में जो सभ्य हैं, उनमें से मि० जोशी और पारसकर भी आये । वे कभी अमहयोग के पक्ष में न थे । वे बड़े प्रभावित हुए, बल्कि चलते हुए तो उनमें से एक सज्जन ने कहा “हम तो हँसी उड़ाने के ख्याल से आये थे, पर अब भक्त बन कर जा रहे हैं” ।

स्तम्भ टूट टूट कर गिरने लगे

डि० डेप्युटी कलेक्टर मि० अल्मोला लगान वसूल

करने के उन्माद में अब अपने नौकरों की भी मर्जी खोने लगे। जब पठान भी थक गये, तब पटेल-पटवारियों का तो कहना ही क्या ? उन्होंने एक के बाद एक अपने इस्तीफे पेश करना शुरू किया।

तारीख ११ जून १९२८ तक करीब ६०, पटेल और आठ तलाटियों ने अपने इस्तीफे पेश कर दिये। उनके इस्तीफों में ताल्लुके की हालत का संयत भाषा में यथार्थ वर्णन है। इसलिए संक्षेप में उसका सार यहां पर देना अनुचित न होगा। इनमें से कितने ही तो सरकार के बड़े पुराने सेवक हैं।

पटेल इस्तीफा पेश करते हैं

पटेलो ने अपने इस्तीफे में प्रधानतया जो बातें कही थीं, उनका सार नीचे के एक इस्तीफे में आ जाता है।

“लगान वसूल करने के लिए सरकार इन दिनों जिन उपायों का अवलम्बन कर रही है, जवती की गई भैंसों पर जिस तरह की सार पडती है, और इन पिछले एक-दो महीनों में लोग जिस तरह का भय और संकटमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसे मैं देखता हूँ। मेरा ख्याल था कि अन्त में सरकार प्रजा के साथ इन्साफ़ करेगी। पर अब तो सरकार ने एक नई घोषणा प्रकाशित करके किसानों को बरवाद करने वाली नीति अख्तियार करना प्रारंभ किया है। फिर इस घोषणा में पठानों को नमूनेदार चाल-चलन वाला बताया है। सरकार की इस नीति से लोगों का जो कष्ट होगा

विजयी बारडोली

उसका विचार आते ही मेरा तो हृदय कांप जाता है। ऐसे कष्ट का साक्षी और साधन बनने के वजाय तो अपनी नौकरी का इस्तीफा पेश कर देना ही मुझे बेहतर मालूम होता है।”

पटवारी भी ऐसी नौकरी नहीं चाहते

अब पटवारियों का रोना सुनिए—

“मिहरवान डि० डि० कलेक्टर साहब,

उत्तर विभाग सूरत


नम्रतापूर्वक वन्दे के बाद विदित हो कि मैं—सरभण का तलाठी हूँ। हाल में लगान वसूल करने का काम ताल्लुके में हो रहा है। पर आज सारे ताल्लुके की प्रजा बिगड़ गई है। सन् १९११ में मैं सर्विस में दाखिल हुआ, तब से अब तक एकनिष्ठा-पूर्वक मैं सरकार की सेवा करता आया हूँ। सन् १९२१ के उन दिनों में भी मैं सरकार के प्रति वफादार ही रहा, जब कि सारे देश में दूसरी तरह की हवा चल रही थी। बल्कि उस आन्दोलन को शान्त करने तथा समय-समय पर सरकार को महत्वपूर्ण खबरें पहुँचाने में मैंने कभी गफलत नहीं की। इस साल बड़ा हुआ लगान न भरने की लचल शुरू हुई, तब भी मैं अगुआओं के भाषणों के समाचार तथा रिपोर्ट समय-समय पर पेश करता रहा हूँ।

लगान भरने की मियाद खतम हो जाने पर भी, जब लोगों ने लगान जमा नहीं कराया तो उन्हें दस दिन में लगान जमा करा देने के नोटिस दिये। पर जब इतने पर भी लगान नहीं आया तो

श्री नरसिंह चिन्तामण केलकर
और सरदार वल्लभ भाई

विजयी वारडोली
३६





विजयी वारंटोली
३५

शुन्दा की कर्मिटी के सम्भ

विराट रूप-दर्शन

जबती करने गये । पर लोगों ने अपने मकानों को ताले लगा दिये । मैंने इस बात की भी रिपोर्ट सरकार की सेवा में पेश कर दी । अन्त में विशेष जबती आफिसरों की नियुक्ति हुई । पर जँव्तियां न हो सकीं । तब खालसा की नोटिसें जारी कीं । डेड और वेठियाओं ने जबती का काम करना बन्द कर दिया । पटेलों ने हमारी सहायता करना बन्द कर दिया । तब खालसा की नोटिसें चिपकाने से लेकर हुग्गी पीटने और डेड तथा वेठियाओ की तरह सर पर बस्ता ले-लेकर भी हमें घूमना पड़ा । इस तरह जब हम जबती करने जाते तब गांव के लडके हमें 'पागल कुत्ता' कह-कहकर चिड़ाने लगे और हमारी मखौल उड़ाने लगे ।

जबती अधिकारी जब जबती करने जाते तब उनके लिए खाना पकाने का काम भी हमें करना पडता । यद्यपि यह काम अनाविल ब्राह्मणों के लिए लज्जास्पद समझा जाता है । तथापि पेट के खातिर वह भी करना पडा और जाति में हमने अपनी प्रतिष्ठा खोई । आस पास के गावों का चार्ज भी मेरे ही जिम्मे होने के कारण वहां जाकर जबती के काम में अधिकारियों की सहायता की । और चूँकि मैं इन्चार्ज था, वहां के खातेदारों को नहीं पहचानता था । फिर भी खुफिया तौर से खातेदारों के नामों का पता लगा-लगाकर मैंने जबती अधिकारियों की सहायता की है । सरकार के प्रति नमकहलाल बने रहने के खातिर मैं सदा जबती अफसरों की आज्ञाओं को सर आखों रखता था । रात को सरकारी मकानों में ठहरकर, दिन-रात एक करके, खालसा की नोटिसें जारी कीं, और काम को निपटाया । पर इतने परिश्रम और निष्ठापूर्वक नौकरी करने पर भी सरकार के यहा उसकी कोई कद्र नहीं ।

विजयी वारडोली

जब्तो किये गये निरपराध और भूखे जानवरों पर इतनी संख्त मार पड़ती है कि उनके शरीर से खून बहने लग जाता है । वे जमीन पर गिर पड़ते हैं, तड़फ-तड़फ कर चिल्लाते हैं । यह सब देखकर मेरा हृदय कांपता है, आत्मा भीतर से काटती है । यह सब अब मुझसे नहीं देखा जाता ।

फिर इस समय तलाटी की स्थिति सरकार और लोग दौनो के बीच बड़ी विचित्र है । एक छोटासा बच्चा भी हमारी खिल्ली उड़ाता है । सरकार और लोग दोनों हमे सुन्देह की नजर से देखते हैं । लोगों को बुलाते हैं, तो वे आते नहीं । इस हालत में काम करना मेरे लिए असम्भव हो रहा है । तलाटी बिना रौब के कोई काम नहीं कर सकता और सो तो अब कुछ रहा नहीं है । अब तो लोगों की नजर में तलाटी कुत्ते से भी गया बीता समझा जाने लग गया है ।

१७ वर्ष से सरकार की सेवा कर रहा हूँ । अब उम्र २६ वर्ष की है । तथापि उपर्युक्त कारणों से अब हृदय सरकारी नौकरी करने पर तैयार नहीं होता । ये बातें अब हृदय से नही सही जातीं । फिर सरकारी नौकरी में अब न तो प्रतिष्ठा है और न सरकार हमारी नौकरी को कद्र करती है । इन हालातों में तो इस्तीफा पेश कर देना ही उचित है । मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इसे मंजूर कर ले ।”

इस तरह सरकार के जो प्रधान स्तम्भ थे और जिन के भरोसे अब तक वह सारा जुल्म कर रही थी, वे भी टूट पड़े ।

किसानों की गिरफ्तारी

अब स्वयं-सेवको को छोड़कर सरकार ने गिरफ्तारी के अस्त्र का प्रयोग प्रत्यक्ष किसानों पर करना प्रारंभ किया। इस मास के प्रारंभ में करीब १८ गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें से अधिकांश किसान ही थे। सिर्फ एक दो गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थी थे। कई दिन तक उन पर मामला चलता रहा। कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार के आक्षेप झूठे थे। पर सत्याग्रही अपना बचाव तो करते ही न थे। इसलिए सब ने चुपचाप अपने-अपने बयान पेश करके जिन्हें जो सजा सुनाई गई, उसको हंसते हुए स्वीकार कर लिया और तपस्या के लिए चले गये। वे जिस दिन जेल गये जनता ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ विदा किया। स्टेशन पर हजारों का झुण्ड था।

इनमें से एक किसान का किस्सा यहां देने लायक है।

नानी फरोद नामक एक गांव में एक वीर बाई ने जन्ती-दार को आते देखकर दरवाजा बन्द कर लिया। साहब बंहादुर देखते रह गये। इस अपमान का बदला लेने के लिए उस पर तो नहीं, पर उसके पति पर धारा, ३५३-१८६ के अनुसार मामला चलाया गया और छः मास की

सख्त कैद की सजा उसे सुनाई गई । इस किसान की वीर स्त्री ने अपने पति को बिदा देते समय कहा—

“देखिए, आवाज़ में कहीं नरमाइश नहीं आने पावे । मैजिस्ट्रेट से साफ-साफ़ कह दीजिए कि ‘तेरे दिल में आये उतनी सजा ठोक दे’ । मेरी या बच्चों की जरा भी चिन्ता न कीजिएगा । हिम्मत रखिएगा और कड़क कर जवाब दीजिएगा ।”

“क्या करूँ रे, कहीं मुझ पर मामला नहीं चलाया गया, नहीं तो दिखा देती । एक मन पीसने के लिए सरकार देती तो डेढ़ मन पीस कर फेंक देती । मेरे पति जेल जाने को तैयार तो है, पर जरा ठंडे मिजाज के आदमी है, इसलिए बोलना नहीं जानते । ऐसे समय तो ऐसी चुन चुनकर सुनाई जायँ कि सब सरकारी अफसर याद करते रहे ।”

तारीख १२ जून को सारे देश में बारडोली दिवस मनाया गया । देश में सैकड़ों सभाओं में बारडोली के सत्याग्रह का रहस्य लोगों को समझाया गया । सत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र किया गया और सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति तथा सरकार की दमन-नीति की निन्दा करने वाले प्रस्ताव पास किये गये ।

तारीख १२ जून १९२८ तक ३६१२ खालसा नोटिसें

विराट-रूप-दर्शन

जारी हो चुकी थीं, और सत्याग्रह कोष में ८२,०८७-२-९
रुपये एकत्र हो चुके थे ।

सत्ता बळे छे !

बारडोलीनीं हाकल पड़ी,

सहु स्त्रीलजो भाई ने वहेन रे;

बारडोली युद्धे रमे छे !

पंडघा पडे छे कारमा,

ने रण शिंगा फूराय छे, बारडोली युद्धे !

भारत माताना साचा सपूत,

ए खेडू करे पढ़कार रे; बारडोली यु० !

जुल्मी सरकार ने पाने पढ़ीने,

पाम्या घणा अन्याय रे, बारडोली यु० !

कावा-दावाने निर्दय सितम थी,

उग्या नथी तळ भार रे, बारडोली यु० !

गोरी सरकार ना काळा कानोथी,

दुनिया वनी गई दंग रे. बारडोली यु० !

विजयी बारडोली

नरनारी नी सेना बनी, ने

मोखरे उभा सरदार रे, बारडोली यु० !

साचा सिद्धान्तनो क्षण्डो लईने,

खेले छे रण मोक्षार रे, बारडोली यु० !

बन्दूक छोडशूं तोपो चलावशुं

कहे छे ब्रिटिश सरकार रे, बारडोली यु० !

वल्लभभाईना शरा सैनिको,

मरवा थया तैयार रे; बारडोली यु० !

बंदूक नी गोळी हंसीने झीलशे,

बहादुर ए नरनार रे; बारडोली यु० !

तलवारोनी ताळी पडे, ने

कंकूना वरसे मेह रे;

जुल्मीनी सत्ता पडे छे !

सोनला वरणी चेह बळे ने

रूपला वरणो धूम रे,

जुल्मीनी सत्ता बळे छे !

श्रीमती ज्योत्सा शुक्ल

दया

मेरे नजदीक एक अपमानजनक समझौते की अपेक्षा चीर पराजय का मूल्य कहीं अधिक है। —तरदार

सजीव महाकाव्य

वारडोली आज एक सजीव महाकाव्य हो रहा था। त्याग, तपस्या और बलिदान की कशानियां काव्यों में बड़ी मनोहर मालूम होती हैं। परन्तु उनका व्यवहार कितना कठिन है ? उनपर अमल करने वाले कितने विरले होते हैं ? आज वारडोली का प्रत्येक मकान एक दुर्ग बन रहा था। प्रतिपक्षियों की फौजे मुस्तैद थीं। वे धावा करने की घात में सदा तैयार बैठे रहतीं। जमीनें गईं, जानवर गये, घरमें से भोजन पकाने के वर्तन भी लुटेरे डाका डालकर ले गये। कल क्या होगा—नहीं दो घंटे बाद हमारी क्या दशा होगी, इसकी भी जिन्हें तिज्ञ-मात्र शंका नहीं थी, क्या वे वीर किसी महाकाव्य के नायक नहीं हो सकते ? और ऐसे हजारों वीर वारडोली में क्या नहीं थे ? मकान पर चाले पड़े हुए हैं, और दिन-रात पठान पहरा दे रहे हैं।

जरा दरवाजा खोला कि अन्दर घुसकर कुछ लूटने के लिए तैयार। पर बहादुर किसान अडग हैं। वैशाख-ज्येष्ठ की गर्मी में बन्द मकानों के अन्दर अकेले नहीं, अपने वच्चो और जानवरों को भी लेकर महीनों दिन-रात किंवाड़ बन्द करके अंधेरे में स्वेच्छापूर्वक पड़े रहना रणांगण में हाथ में तलवार ले कर कूद पड़ने की अपेक्षा कही अधिक धीरज और कष्ट सहने की बात है। पर यह सब सहकर भी वारडोली के किसान अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। प्रति दिन जमीनें बिकने की अफवाहे, किसी के लगान भरने की अफवाहे उड़ती रहतीं। परन्तु सत्याग्रही निश्चल और निर्विकल्प थे। जव्ती-आफिसर थक गये। क्या करते ? १२२ पटेलों में से ८४ ने अपने इस्तीफे पेश कर दिये, और ४५ तलाटियों (पटवारियों) में से १९ ने अपनी नौकरी को तिलांजलि दे दी। अल्मोला साहब की डींगें भूठी साबित हुईं। किसानों को ललचाया, धोखा देकर ठेकेदारों से शराब के ठेके के रुपये में से लगान वसूल किया, जीनों में पड़ी हुई रुई को जव्त करके किसानों के नाम जमा कर लिया, किसानों की बड़ी-बड़ी हाथी के जैसी भैंसों कसाइयों को कौड़ी के मोल बेची, चोर और लुटेरों की तरह रात को और दिन-दहाड़े ढाके डालकर किसानों के मकान से मन-माना माल लूट कर ले गये, जिसकी मालिक-मकान को न सूचना दी न

फेहरिस्त दी। फिर भी कुल लाख-सवा-लाख से ऊपर रुपये इकट्ठे नहीं हुए। और इतने रुपये इकट्ठे करने के लिए स्वयं सरकार को कितने लाख खर्च करना पड़े सो तो वही जाने।

नाँद टूटी।

इसी अर्से में श्री मुन्शी के पत्र अखबारों में छपे थे। खानगी तौर से गवर्नर को भी जो पत्र भेजे गये थे, उनका भी शायद असर पड़ा। दमन को माँग बढ़ती जा रही थी। इधर लोकमत भी बड़ा विकट रूप धारण करता जा रहा था। उधर स्वयं सरकार के अधिकारियों में ही मतभेद होने लगा। मि० अल्मोला साहब अपनी रिपोर्टा में लिखते कि ताल्लुका दबता जा रहा है। ज़रा और थोड़े जुल्म की जरूरत है कि वह आँधे मुँह पड़ा। पर दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी लिखते कि लोग दिन-ब-दिन ज्यादाह कट्टर होते जा रहे हैं। वे तो मरने पर भी तुले हुए हैं। अपनी टेक न छोड़ेंगे। इस परिस्थिति में सरकार ने सोचा कि अब कम-से-कम पठानों को तो हटा ही देना चाहिए और यदि ताल्लुके में हथियारबन्द पुलिस की जरूरत हो तो जगह-जगह याने कायम कर दिये जायँ। इस बात की जांच के लिए सरकार ने एक खास पुलिस अधिकारी मि० हेली की नियुक्ति की।

सौभाग्य से या दुर्भाग्य से यह अधिकारी बड़ा अनु-

विजयी बारडोली

भवी और होशियार था; सरकारी ऊँचे अधिकारियों में भी उसका वजन काफी था। मालूम होता है, वह अबतक पुलिस-द्वारा भेजी गई सारी रिपोर्टों को पढ़कर ही आया था। और उसने और कोई काम करने से पहले यह ठीक समझा कि ताल्लुके की स्थिति अपनी आँखों देख ले। बारडोली में इतना बड़ा संग्राम चल रहा था पर अबतक जनाब कमिश्नर साहब ने वहाँ जाकर अपनी आँखों बारडोली की हालत देखना उचित नहीं समझा था। कलेक्टर जैसी रिपोर्टें भेजते, उन्हींको नमक-भिर्च लगाकर अपनी राय समेत वे गवर्नर के पास भेज देते थे। लोकमत का ऐसा असर पड़ा कि अबकी बार उन्हे भी मि. हेली के साथ आना पड़ा। और इन दोनों ने वहाँ क्या देखा? कथा-कहानियों में हम राक्षस-नगरी का हाल नहीं पढ़ते? ठीक वही हाल बारडोली का था। गाँव के गाँव निर्जन-से पड़े थे। जहाँ जाते वहाँ हड़ताल। उस होशियार पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी। यहाँ हथियारबन्द पुलिस की क्या जरूरत? जितनी भी पुलिस थी वही बेकार थी।

बड़ों की दया।

समझौते के लिए भी इस बीच प्रयत्न हो रहा था। मई महीने के अन्तिम सप्ताह में दीवान हरिलाल ने सरकार का समझाने की कुछ कोशिश की। उनकी शर्तें थीं कि

जनता पहले लगान अदा करदे तो सरकार को बन्दोबस्त को पुनः जांच करने के लिए राजी किया जा सकता है । उन्होंने इस आशय का एक पत्र भी सरदार वल्लभभाई को भेजा । हमें पता नहीं कि सरकार ने उनकी शर्तों को कबूल किया था या नहीं पर सरदार साहब तो ऐसी अपमानजनक शर्तों को कभी मानने वाले नहीं थे । उन्होंने दीवान साहब को लिख दिया कि यदि आप अपने अन्दर काफी दृढ़ता न पाते हो तो आप जैसे मित्रों के मौन से ही बारडोली के किसानों की सबसे अधिक सेवा होगी ।

पुस्तक लिख लेने पर निम्नांकित दोनो पत्र श्री० महादेव भाई देसाई को हस्तलिखित पुस्तक से मुझे प्राप्त हो गये । उन्हें कृतज्ञतापूर्वक नीचे देता हूँ ।

महाबलेश्वर

वैली न्यू

२५ मई १९२८

प्रिय वल्लभभाई,

मैं अपना तुरफ फेंक चुका और मालूम होता है, वह बेकार न गया । यदि सोमवार के दिन आपको मेरा तार मिले तो आप यहाँ आने के लिए तैयार रहें ।

अगर सरकार को इस बात के लिए राजी किया जा सके कि लोगों के लगान पहले अदा कर देने पर वह एक निष्पक्ष अधिकारी-द्वारा इस बन्दोबस्त को जाँच करे, तो क्या लोग अपना

विजयी बारडोली

विरोध प्रकट न करते हुए लगान अदा कर देंगे ? हां यह तो हमारी छोटी से छोटी शर्त होगी । मैं इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि खालसा या बेची हुई ज़मीनें भी किसानों को लौटा दी जायँ । मैं अपनी तरफ़ से कोशिश तो करूँगा ही । पर यदि आपको उपर्युक्त शर्त स्वीकार हो तो तार-द्वारा अपनी स्वीकृति भेजिएगा, और पृथक्-रूप से पत्र मे भी अपने विचार लिख भेजिएगा । बहुत खींच न कीजिएगा ।

दूर सही, पर मैं आपके साथ ही हूँ ।

आपका स्नेहाधीन

हरिलाल देसाई

मालूम होता है दीवान साहब ने अपनी तरफ से यह छोटी-से-छोटी शर्त सरकार के सामने रखी थी । सरदार वल्लभभाई के मित्र होने का दावा करने वाले सब्जन जब ऐसी शर्तें रखें तो उससे आन्दोलन की कितनी असेवा हुई होगी इसका पाठक स्वयं विचार करें ।

सरदार वल्लभभाई का जवाब यों था—

तार

नवसारी

पत्र मिला । बढ़ाया हुआ लगान जाँच के पहले देना असंभव यदि स्वतंत्र जाँच की माँग मंजूर हो, उसमें सबूत पेश करने, सरकारी गवाहों से जिरह करने, खालसा ज़मीनें लौटाने, और सत्याग्रही कैदियों को छोड़ने की शर्त मंजूर हों तो पुराना लगान

दया

दिया जा सकता है। लोग निष्पक्ष पत्र का फैसला ही स्वीकार करेंगे। उत्तर बारडोली के पते पर।

वल्लभभाई

पत्र

बारडोली

२८ मई १९२८

प्रिय हरिलाल भाई,

नवसारी मे भेजा तार मिला ही होगा। उसकी एक और नकल भेजता हूँ।

भाप तो जानते ही है कि हमारी कार्य-शैली और सेवा करने का तरीका एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो मेरे लिए मामूली और छोटी से छोटी शर्त होगी शायद भापकी नजर में बहुत अधिक समझी जाय। वह जांच किस काम की, जिसके पहले बढाया हुआ लगान अदा कर देना जरूरी हो? अगर किसानों के विपक्ष में फैसला हुआ और लोगों की तरफ से लगान अदा करने में देरी हुई तो सरकार के पास तो इसे वसूल करने के काफ़ी साधन हैं।

कृपया नोट कर लीजिए कि जांच-समिति में किन-किन बातों पर विचार हो यह भी दोनों पक्षों को मिलकर तय कर लेना होगा। मनमानी शर्तें रखने से काम न चलेगा।

जनता के प्रत्येक सज़ाभिमानी प्रतिनिधि का यह कर्तव्य है कि वह सत्याग्रही कैदियों को छोड़ने तथा ज़मीनों के लौटा देने पर भी, खास कर जब कि वे गैरक़ानूनन रीति से खालसा करली गई हैं, जोर दे।

विजयी बारडोली

अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप इस मामले में जोर नहीं दे सकते अथवा लोगों की शक्ति को आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो आपके मौन से इस मामले की सबसे अधिक सेवा होगी।

यद्यपि मैं किसी भी सन्माननीय समझौते के लिए दरवाजा बन्द करना नहीं चाहता, तथापि बिना ऐसे समझौते के अथवा लोगों की कठोर परीक्षा करने के पहले मुझे इस युद्ध को बन्द करने की कोई जल्दी भी नहीं है। मेरे नजदीक एक अपमानजनक समझौते के बजाय वीर-पराजय का मूल्य कहीं अधिक है।

अब शायद आप समझ गये होंगे कि मुझे पूना अथवा महाबलेश्वर की दौड़-धूप करने की कोई उतावली नहीं है। इसलिए जब तक कि आप वहाँ मेरी उपस्थित को अनिवार्य न समझें मुझे वहाँ बुलाने का कष्ट न कोजिएगा।

आपका—

वल्लभभाई

कवि-हृदय की व्यथा

इन्हीं दिनों धारा-सभा के सभ्य श्री कन्हैयालाल मुन्शी बारडोली के मामले में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे। वे खुद बारडोली आये, ताल्लुके में भ्रमण किया, किसानों की हालत देखी और आश्चर्य, करुणा, सहानुभूति और संयत रोष से उनका दिल भर गया। सरकार की निर्दयता देखकर उनका दिल रो पड़ा। किसानों की सहन-शक्ति

और तेज देखकर उनका हृदय आशा से भर गया । इन अत्याचारों की ओर बम्बई के गवर्नर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने गवर्नर को कई पत्र लिखे । और दूसरी तरफ अत्याचारों की जाँच के लिए अपनी अध्यक्षता में रायबहादुर भीमभाई नाईक, श्री शिवदासानी, डॉ० गिल्डर, श्री चन्द्रचूड, मि० हुसेनभाई लालजी और श्री बीजी खरे (मन्त्री) की एक समिति बनाई । मुन्शी के पत्र और गवर्नर का जवाब भी अखबारों में छपे थे । श्री मुन्शी के पत्रों में क्रान्तिकारी की तेजस्विता नहीं कवि-हृदय की व्यथा और दीन आकुलता थी; उनके पत्रों में सरकार के प्रति रोष नहीं, प्रार्थना थी, और इसलिए गवर्नर को भी इस सावधानी से उन्हे पत्र लिखना पड़ा जिसमें उनकी सरकार के प्रति भक्ति को ठेस न पहुँचे । तथापि सत्य तो अपने आप प्रकट हो ही जाता है । सरकार लोक-कल्याण का चाहे कितना ही दावा करे उसके स्वार्थ में विघ्न आने पर उसे वह कदापि बरदाश्त नहीं कर सकती । किसानों के दुःखों के प्रति उन्होंने सहानुभूति प्रकट की, यह भी कहा कि मैं उनके लिए दुःखी हूँ पर साथ ही सत्याग्रह का विपरीत अर्थ लगाये बिना भी नहीं रहा जा सका । उन्होंने कहा—“ सत्याग्रह के शस्त्र-द्वारा सरकार को मुकाबर मजबूर करने का निश्चित रूप से प्रयत्न किया

जा रहा है। मुझे यकीन हो गया है कि कोई जाँच अधिक बातों को प्रकट नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने स्वयं तहकीकात करके देख लिया है। बात यह है कि रेवेन्यू मेम्बर मि० रियू आज कल छुट्टी पर गये हुए हैं। और उनके स्थान पर मि० हैव काम करने लगे हैं। वे बड़े अनुभवी हैं। उनका चित्त इस समय निष्पक्ष भी है। उन्होंने सारे कागजात निष्पक्ष हृदय से देखे और वे इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि सरकार-द्वारा बढ़ाया हुआ लगान बहुत कम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार का एक भी ऐसा सभ्य नहीं है जिसको लगान-वृद्धि की न्याय्यता के बल्कि उदारता के विषय में सन्तोष न हो।”

पर शायद गवर्नर साहब इस बात को भूल रहे हैं कि जनता उदारता नहीं न्याय चाहती है। किन्तु गवर्नर साहब को इतने से सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने तो आगे बढ़कर यह भी कहा है कि “अगर लगान की जाँच के लिए कोई समिति बनाई भी जायगी तो वह तो इससे भी अधिक लगान की सिफारिश करेगी।”

यदि ऐसा ही है तो श्रीमान् निष्पक्ष जाँच करने से इतना घबड़ाते क्यों हैं ? श्री मुन्शी ने आखिर सरकार की इस वृत्ति को देखकर उन्हें अपने एक पत्र में लिख दिया कि यदि सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो या तो

बारडाला के वतमान काश्तकारों के हाथ से जमीन निकल जायगी या वारडोली में खून-खचर होकर रहेगा। पर यदि सरकार को यह विश्वास है कि लगान-वृद्धि उदारतापूर्ण है तो लोगों को क्यों न बता दिया जाय कि वह उदारतापूर्ण ही है। उसे यह कबूल करने को मौका क्यों न दिया जाय ?”

पर जहाँ यह कहा, कि फौरन बाबाजी के मोले से विह्ली बाहर कूद पड़ी। इसके उत्तर में गवर्नर ने लिखा—
 “सरकार किसी स्वतन्त्र जाँच-समिति को अपना निश्चित अधिकार क्यों सौंप दे ? मैं इस परिस्थिति को सुधारने के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो मुझसे हो सकता है। पर कोई सरकार अपना काम खानगी व्यक्तियों को अर्पण नहीं कर सकती। और कोई सरकार जो ऐसा करेगी, वह सरकार इस नाम के लायक नहीं समझी जायगी।” पू० महात्माजी ने इस पर टीका करते हुए लिखा था—

“शासन करने के उस निश्चित अधिकार के माने हैं भारत की प्रजा को तबतक चूने का अनियन्त्रित परवाना, जबतक कि वह भूखों नहीं मर जाती। अगर कहीं जनता और शासक संस्था के बीच होने वाले मतभेद को निष्पक्ष जाँच के लिए एक स्वतन्त्र कमिटी की नियुक्ति हो जाय तो इस परवाने की अनियन्त्रितता में

विजयी बारडोली

बाधा न पड़ जाय' । पर यह स्मरण रहे कि स्वतन्त्र कमिटी के मानी यह नहीं कि उस सरकार से उसका कोई सम्बन्ध ही न हो । उसके मानी तो सरकार-द्वारा नियुक्त ऐसी कमिटी से है, जिसमें स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति रखने वाले सभ्य हों—जिन पर किसी प्रकार का सरकारी दबाव न हो, जो खुले आम जाँच कर सकें और जिसमें दुःखी लोगों का पूर्ण और सक्रिय प्रतिनिधित्व हो । पर ऐसी कमिटी के तो मानी हैं सरकार की निरंकुश, गुप्त, लगान-नीति की मृत्यु का घण्टा । लोगों की इस दिनभ्रम माँग में “सरकार के कर्तव्यों को कहाँ छीना जा रहा है ?” पर एक्जिक्यूटिव अधिकारियों के निरंकुश व्यवहारों पर कहीं जरा सा भी नियन्त्रण आ जाता है तो सरकार के रोष का ठिकाना नहीं रहता । और जब ब्रिटिश शेर ब्रिटिश भारत में बिगड़ता है तब तो बेचारे ग़रीब हिन्दू की भगवान् ही रक्षा करे' । हाँ, भगवान् तो असहाय की रक्षा करते ही है । पर वे तभी रक्षा करते हैं जब वह मनुष्य बिलकुल असहाय हो जाता है । भारत की जनता को सत्याग्रह क्या मिला—एक अमोघ शक्ति—गाडीव—हाथ लग गया । उसके स्फूर्तिप्रद प्रभाव से लोग युगों की तन्द्रा से जागने लगे हैं । बारडोली के किसान भारत को दिखा रहे हैं कि यद्यपि वे कमज़ोर तो हैं, पर उनमें अपने विश्वासों और मतों के लिए कष्ट सहने की शक्ति और धीरज है ।”

श्री मुन्शी की आँखें खोलने के लिए यह काफ़ी था । उनके भावनाशील हृदय को इस पत्र ने बड़ी चोट पहुँचाई । उन्होंने फ़ौरन अपने पद का इस्तीफ़ा पेश कर दिया । और उनके बाद ही

श्री जिनवाला, श्री जैरामदास दौलतराम आदि ने भी अपने-अपने इस्तीफे पेश कर दिये ।

इस तरह अवनक बम्बई-धारा-सभा के कोई १६ सभ्यों ने छे अपने इस्तीफे दे दिये, और फिर सभी वारडोली के घरन को लेकर फिर अपनी बैठकों के लिए सड़े हुए और सब-के-सब फिर चुने गये ।

वारडोली की एक सभा में श्री मुन्शी ने भाषण देते हुए कहा—मैं तो यहां आप से कुछ सीखने के लिए आया हूँ । इसलिए कुछ कहने की अपेक्षा मुझे यहाँ देखना अधिक पसन्द है । शिष्टियों को आप से वीरता, त्याग आदि कई बातें सीखना है । जब मैंने अपनी आँखों देखा कि यहाँ के लोगों ने लाखों रुपये की जमीने अपनी प्रतिज्ञा पर निसार कर दी हैं और वे गेरुए पहने बैठे हैं तब मुझे विश्वास हो गया कि सच्ची सीखने की बातें तो आप ही के पास हैं । यहाँ आने से पहले मैं तो समझता था कि

१ रा० सा० दादूभाई देसाई, २ रा० व० भांमसाई नाईक, ३ श्री एच. वी. शिवदासानी, ४ श्री हरिसाई अमीन, ५ श्री जेठालाल स्वामीनारायण, ६ वामनराव मुकादम, ७ श्री जीवामाई पटेल, ८ डा० मोहननाथ केदारनाथ दाक्षित, ९ सेठ लालजी नारणजी, १० श्री नरीमन, ११ श्री नारायणदास बेचर, १२ श्री लालुसाई टी देसाई, १३ श्री जयरामदास, १४ श्री जीनवाला, १५ श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुन्शी, १६ श्री अमृतलाल सेठ ।

विजयी बारडोली

यह सत्याग्रह कोई राजनैतिक आन्दोलन होगा और क्या ? पर यहाँ आने पर मैंने जो देखा तो सारे विचार ही बदल गये ।

बम्बई में मैंने जब अपना इस्तीफा पेश करने का विचार किया तब एक मित्र ने पूछा—क्या गुजरात में वल्लभभाई का राज है जो उनके कहने से आप फौरन इस्तीफा देने पर राजी हो गये ? मैंने कहा—यहाँ वल्लभभाई का नहीं बारडोली के किसानों का राज्य है । वह गुजराती नहीं जो उनकी आज्ञा को नहीं मानता । उसे गुजरात के गौरव का अभिमान नहीं है ।”

निष्पक्ष प्रमाण-पत्र

तारीख २७ जून को सेठ जमनालालजी वृजाज के साथ श्री० हृदयनाथ कुँजरू, श्री० वक्ते तथा श्री० अमृतलाल ठक्कर भारत-सेवक-संघ (Servants of India society) की ओर से बारडोली के किसानों की माँगों की जाँच करने एवं देखने के लिए बारडोली आये । तीनों सज्जन ताल्लुके में घूमे । जनता की स्थिति का अध्ययन किया । और अपनी जाँच की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित कर दी ।

इस रिपोर्ट में भारत-सेवक-संघ के इन सम्माननीय सभ्यों ने किसानों की निष्पक्ष जाँचवाली माँग का

बड़े जोरों से समर्थन किया। उन्होंने कहा—
 “हमने ताल्लुके के कई मौजों में घूम घूम कर जाँच की और पाया कि उन मौजों में [असिस्टेण्ट] [सेटलमेण्ट] अफसर भी घूमे तो थे पर उनमें से किसी भी स्थान पर उक्त अधिकारी ने किसानों से कोई तहकीकात नहीं की, जिनसे कि इस बात का प्रत्यक्ष हित-सम्बन्ध था। जमीन के मुनाफे तथा काश्त की हुई जमीनों के अंक तो सब तलाटियों-द्वारा ही तैयार कराये गये थे। उन्हें बिना छान-बीन किये सेटलमेण्ट अफसर ने मान लिया। स्पष्ट ही सेटलमेण्ट अफसर ने काश्त-जमीन के बहुत थोड़े हिस्से के मुनाफे के अंक एकत्र किये थे और जाँच तो उनकी भी नहीं की गई। सेटलमेण्ट अफसर ने अपना सारा दारोमदार १९१८ से १९२५ तक के अंकों पर रक्खा है। पर ये वर्ष तो अज़हद महँगी के थे। क्योंकि महायुद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के भाव आस्मान पर चढ़ गये थे। अतः वे असाधारण वर्ष कहे जाते हैं, जिनको लगान का विचार करते समय वास्तव में नहीं गिनना चाहिए। और जमीन के किराये के अंकों के आधार पर जमाबंदी करना, बम्बई सरकार चाहे इसे पसन्द करती हो या न भी करती हो, सेटलमेण्ट मैनुअल के नियमों की मन्शा और शब्दों के खिलाफ है। किराये पर तो बहुत थोड़ी जमीन दी जाती है। शेष तो किसान स्वयं काश्त करते हैं। अतः उस थोड़ी जमीन के आधार पर ताल्लुके की जमीनों के लगान में वृद्धि करना नितान्त अनुचित है। अतः न्याय को देखते हुए बारडोली के इस लगान-वृद्धि के मामले की पुनः जाँच होना निहायत जरूरी है। फिर

विजयी वारडोली

जब सरकार वीरमगाम ताल्लुका की जमावन्दी का पुनर्विचार करने का निश्चय कर चुकी है, तब तो वारडोली के किसानों की माँग का इन्कार करने के लिए उसके पास कोई कारण ही नहीं है ”। इत्यादि ।

इस रिपोर्ट के प्रकाशन-द्वारा भारत-सेवक-संघ ने वारडोली की बड़ी सेवा की । अब तो देश के उदार माने जानेवाले दल में भी खलबली मच गई । सर अब्दुल-रहीम, सी० वाई० चिन्तामणि, सर अली इमाम आदि सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करनेवाले तथा खूब फूँक-फूँक कर कदम रखनेवाले विचारशील लोगों ने भी स्पष्ट शब्दों में सरकार की दमन-नीति की निन्दा की एवं वारडोली के किसानों तथा उनकी माँगों के प्रति केवल अपनी सहानुभूति ही प्रकट नहीं की परन्तु सरकार से जोर देकर उनकी माँग पूरी करने के लिए प्रार्थना भी की ।

पर सरकार ज्यों की त्यों अटल थी । हृदय में परिवर्तन का लेश-मात्र भी नहीं था । उसे पठानों तथा जन्ती अफसरों-द्वारा की गई ब्यादतियों पर लवमात्र भी लज्जा नहीं थी । मुन्शी कमिटी नेता० २४ जून से अपना काम शुरू कर दिया उसके मंत्री श्री खरे ने जब इस जांच के काम में सरकार का सहयोग चाहा तो उन्हें सूखा जवाब मिल गया ।

इसके बाद बम्बई के इण्डियन-मर्चेण्ट्-चेम्बर-ऑफ्-कामर्स के कुछ सहृदय मित्र राउण्डटेबल कान्फरेन्स के लिए सरकार को राजी करने लगे। जून महीने के प्रारम्भ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास कमिश्नर से मिलने के लिए सूरत गये। साथ ही उन्होंने इस विचार से सरदार वल्लभभाई को भी वहाँ बुलाया कि कमिश्नर और उनके बीच खूबकुछ खानगी तौर से बात चीत हो जाय। उन दिनों सरदार साहब को काम की बड़ी गड़बड़ी थी। उन्होंने श्री० महादेवभाई देसाई को सूरत भेज दिया। श्री महादेवभाई की मि० स्मार्ट से खूब बात-चीत हुई। और इस बात-चीत में महादेवभाई ने यह देखा कि मि० स्मार्ट हर तरह से सत्याग्रह को तोड़ने पर तुले हुए हैं। मि० स्मार्ट का यह खयाल था कि अधिकांश सत्याग्रही जून के अंत तक आत्म-समर्पण कर देंगे। सर पुरुषोत्तमदास ने मि० स्मार्ट को समझाया कि “आपका मत गलत है। आपको सत्याग्रहियों की सहन-शक्ति का पता ही नहीं है। जन्ती-अफ-सरो तथा पठानों के व्यवहार ने सरकार को बहुत बदनाम कर दिया है।” इसके बाद उन्होंने अपने चेम्बर से यह कहा कि यदि सरकार नहीं मानती है तो हमारे प्रतिनिधि लालजी नारणजी बारडोली प्रश्न पर कौन्सिल से इस्तीफा क्यों न दे दें। तब चेम्बर के अध्यक्ष श्री० मोदी ने सरकार की

नीयत जानने के लिए गवर्नर से पत्र-व्यवहार शुरू किया । पर इसका कुछ भी नतीजा न निकला । इनके उत्तर में गवर्नर ने जो पत्र भेजे उनमें श्री० मुन्शी को भेजे पत्रों की अपेक्षा भी अधिक सत्ता-मद भरा था । फिर भी उन्होंने सोचा कि शिष्ट-मंडल लेकर गवर्नर से खबर मिलना चाहिए और उनसे समझौते की बातचीत प्रत्यक्ष करनी चाहिए । इसलिए सत्याग्रहियों की अत्यावश्यक शर्तें जानने के खयाल से सर पुरुषोत्तमदास साबरमती पहुँचे और वहाँ उन्होंने वल्लभभाई को भी बुलावाया । महात्माजी से मिलकर वे श्री लालजी नारणजी तथा श्री० मोदी को लेकर गवर्नर से मिलने के लिए पूना गये । पर इस बार भी उनको बड़ी निराशा हुई । सर पुरुषोत्तमदास चाहते थे कि गवर्नर सरदार वल्लभभाई को एक राउण्डटेबल कान्फरेन्स में बुलावे और उनसे समझौता कर लें । भला, यह बात कही गवर्नर और उनके पार्षदों को मंजूर हो सकती थी ? इसलिए वह राउण्डटेबल कान्फरेन्स तो एक ओर रक्खी रह गई । तब वे स्वयं खानगी, तौर से गवर्नर से मिले । गवर्नर उनसे बड़ी अच्छी तरह मिले । पर अपनी बात को उन्होंने नहीं छोड़ा । उनकी शर्त वही थी—सत्याग्रही पहले बढ़ा हुआ लगान अदा कर दें या पुराना लगान जमा कराके वृद्धि की रकम किसी तीसरे पक्ष के पास जमा

करा दें तब जाँच हो सकेगी। डेप्यूटेशन तो यह आशा लेकर लौटा कि संभव है इस शर्त पर दोनों पक्ष का समझौता हो जाय। अतः जब सर पुरुषोत्तमदास पूना से बम्बई लौटे तो वह वल्लभभाई से मिले और डेप्यूटेशन से गवर्नर की जो बात-चीत हुई वह सब सुनाई। पर स्पष्ट ही सरदार साहब इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः यह प्रयत्न भी असफल ही रहा। लालजी नाराणजी ने सरकार की हठ को अनुचित बताते हुए धारा-सभा से अपना इस्तीफा दे दिया।

जुलाई आरम्भ में बारडोली सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए भड़ौच में एक जिला-परिषद हुई। स्वागताध्यक्ष श्री कन्हैयालाल मुन्शी थे और अध्यक्ष श्री खुरशेद जी नरीमन थे।

अध्यक्ष ने सरकार की लगान-नीति पर खामी टीका की और बारडोली में चलाये दमन की भी खूब खबर ली थी। अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा था—

“दस-तीस वर्ष पहले का किसान अब नहीं रहा। बारडोली में अंग्रेजों को पूछता कौन है? उनकी अदालतों में कौन जाता है? उनके अधिकारी जोरो-जुल्म से जबर्दस्ती घसीट कर ले जायें तो बात जुदी है। नहीं तो कौए उड़ते हैं। लोगों को सच्ची न्याय-सभा तो स्वराज्य-

आश्रम है और उनकी सरकार है सरदार वल्लभभाई । पर वल्लभभाई के पास कहीं बन्दूक थोड़े ही है । वह तो आज मिर्फ़ प्रेम और सत्य के बल पर बारडोली में राज्य कर रहे हैं । अब तो सारे गुजरात को बारडोली बन जाना चाहिए और जब सारे भारत में यह भावना फैल जायगी तब स्वराज्य दरवाजा खटखटाता हुआ पास आवेगा । ”

पू० महात्माजी ने इस परिषद् को अपना सदेश भेजा था—“जो बारडोली की मदद करता है वह अपनी ही मदद करता है ।”

ज्यों-ज्यों लोकमत प्रबल होता गया सरकार की स्थिति साँप छल्लूंदर की-सी होती गई । दमन करती है तो, संसार में बदनामी होती है; क्योंकि बारडोली के किमात अखंड शान्ति का पालन कर रहे थे । इधर, उनकी माँग के सामने अपना सर झुकाती है तो सरकारपेन ही मारा जाता है । यदि वह झुक जाय तो उसकी प्रतिष्ठा ही क्या रही ? फिर यह प्रश्न केवल बारडोली का तो था नहीं । यहाँ तो आये दिन उसे किसी-न-किसी ताल्लुके में नया बन्दोबस्त करना ही पड़ता है । सभी जगह के लोग इस तरह डंड ठोक कर फ्रन्ट हो जायँ तब तो उसके लिए यहाँ शासन करना भी असम्भव हो जाय । अन्त में एक सपूत खड़ा हुआ—टाइम्स ऑव् इण्डिया । सारी दुनिया पतल गई पर इस

राज-भक्त पत्र ने अपना सरकार के पत्र को अरक्षित न छोड़ा, चाहे वह भली हो या बुरी, उसने सदा उसकी हॉ में हॉ मिलाई। सरकार के प्रत्येक कार्य का समर्थन किया। उसने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा कितनी गिरती जा रही है और स्वयं सरकार का भी कितना अहित हो रहा है। समाचार-पत्र के सप्ताह में टाइम्स केवल अपनी प्रतिष्ठा को खोकर ही नहीं रहा उलटा बदनाम भी हो गया। सत्य और न्याय को उसने ताक पर रख दिया और झूठी-झूठी खबरें तथा सत्याग्रहियों पर नीच आक्षेप छापने लगा। लोग अब टाइम्स इसलिए पढ़ने लग गये कि सरकार की बुद्धि कितनी नष्ट होती जा रही है। वह कौन सी बेहूदगियाँ करने जा रही है। एक ईमानदार सेवक की भांति वह अपनी मति के अनुसार सरकार को नई-नई बातें भी नम्रतापूर्वक सुझाता जाता था। यों भी इसकी टीका-टिप्पणियाँ शिमला, बम्बई और दिल्ली की गुप्त मन्त्रणाओं की प्रतिध्वनियाँ समझी जाती थी।

हां, वह सपूत आगे बढ़ा। उसने अपने विशेष संवाद-दाता को वारडोली भेजा। तीन लम्बे-लम्बे और चौंका देनवाले लेख निकले। चार-पाँच दिन के अन्दर सारे संसार में यह खबर फैल गई कि "हिन्दुस्तान के बम्बई इलाके में वारडोली नामक एक ताल्लुका है। वहां महात्मा

गांधी ने बोल्शेविज्म का प्रयोग करना शुरू किया है । प्रयोग बहुत हद तक सफल हो गया है । वहाँ सरकार के सारे कल-पुर्जे बन्द हो गये हैं । गांधी के शिष्य पटेल का बोल-चाला है । वही वहाँ का लेनिन है । स्त्रियो, पुरुषो और चालकों में एक नई आग सुलग उठी है और इस दावानल में राजभक्ति की अन्त्येष्टि क्रिया हो रही है । स्त्रियो में नवीन चैतन्य भर गया है । अपने नायक वल्लभभाई पटेल में वे असीम भक्ति रखती हैं; वह उनके गीतों का विषय हो रहा है । पर इन गीतों में राजद्रोह की भयंकर आग है । सुनते ही कान जल उठते हैं; निःसन्देह यदि यही हाल रहा तो आश्चर्य नहीं कि यहाँ शीघ्र ही खून की नदियाँ बहने लगे । इत्यादि । पर उसने यह न लिखा कि किसके खून की नदियाँ बहेंगी ।

ब्रिटिश शेर नींद से अपने ओठ चाटता हुआ जमुहा कर उठा । उसने गर्जना की—“सम्राट की सत्ता का जो अपमान कर रहा हो उसकी मरम्मत करने के लिए साम्राज्य की सारी शक्ति लगा दी जायगी ।” वायुमण्डल में अफ-वाहें उड़ने लगीं कि बारडोली में सम्राट की सत्ता की रक्षा करने के लिए फौज आ रही है । सिपाहियों के लिए खाटें, तम्बू, रसद सामान वगैरा की व्यवस्था हो रही है । बारडोली के निर्भय किसान कहने लगे अबतक हमसे कैसे

लूट-लूट कर सरकार ने बड़ी-बड़ी फौजे रख छोड़ी थीं। भली-मानस ने अबतक उनका हमें दर्शन तक नहीं कराया। भला, देखे तो उसकी फौजे कैसी हैं ? हमारे बालक यह तो देखें कि सरकार राज्य कैसे चला रही है ?

सरकार की विपरीत मनोदशा और किसानों के क्लेश देखकर देश के बड़े-बड़े नेता अपनी सेवायें अर्पण करने के पत्र सरदार वल्लभभाई के नाम भेजने लगे। सरदार वल्लभभाई की गिरफ्तारी की अफवाहें भी उड़ने लगीं। तब महात्माजी ने भी उनको लिखा कि जब जरूरत हो मुझे खबर कर देना। आ जाऊँगा। डॉ० अन्सारी पं० मदन-मोहन मालवीय, पं० मोतीलाल नेहरू, स्व० लालाजी आदिने भी इसी आशय के पत्र सरदार साहब के नाम भेजे। सरदार शार्दूलसिंहजी ने एक पत्र लिखते हुए देश में धारडोली से सहानुभूति-सूचक व्यक्तिगत सत्याग्रह छोड़ने की सिफारिश भी की। शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर के तमाम जत्थों को इस आशय की एक गश्ती चिट्ठी भेजी कि यदि धारडोली की न्याय्य माँगों को सरकार इसी तरह ठुकराती रही तो शिरोमणि अकाली-दल को उनकी सहायता के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए अकाली भाई अपने धारडोली स्थित किसान भाइयों के लिए आवश्यक कष्ट सहने को तैयार रहें।

विजयी बारडोली

मेघराज का राज

इधर बारडोली में पठान हटा लिए गये और अब उनके स्थान पर हथियारबन्द पुलिस आ गई। मि० स्मार्ट हारकर अहमदाबाद लौट गये। किसानों की कठोर तपस्या विजयी हुई। यह देख मेघराज इन्द्र गद्-गद् हो गये। वह आकाश से वषा द्वारा उन पर अभिषेक करने लगे। किसानों ने महीनो से बन्द किये हुए अपने मकानों को खोला, महीनो से अंधेरे में और बन्द मकानों में रहने के कारण पशुओं के शरीरों की चमड़ी गल गई। उनके पैरों में कीड़े पड़ गये। भैंसों की काली-काली चमड़ी “अंग्रेज भाइयो की तरह सफेद हो गई।” स्वतन्त्रता मिलते ही जानवर आल्हादित हो पूँछें ऊँची करके नाचने और दौड़ने लगे और हरी-हरी घास खाने लगे।

किसान भी अपनी प्यारी ज़मीन को निर्भयतापूर्वक जोतने लगे, यद्यपि यह कहा जाता था कि उनमें कोई बिक चुकी हैं। कुछ लोगों को यह भी आशंका थी कि सरकार उन किसानों पर शायद मामला चलाये जो बिकी हुई जमीनों पर हल चलायेंगे। पर एक भो किसान इस बात से नहीं डरा, न पीछे हटा। बहनें तो इसमें भी आगे बढ़ गई थी। कुमारी मणिबेन पटेल और श्री मिटू-

बेन पेटिट ने उन जमीनों पर अपने रहने के लिए कुटियायें बनवा लीं, जो बिक चुकी थीं ।

रचनात्मक-कार्य

सरकार की ओर से कुछ शिथिलता होते ही स्वयं-सेवक और विभाग-पत्तियों ने अपना ध्यान रचनात्मक-कार्य की तरफ लगा दिया । सरभण-आश्रम में चर्खों की मरम्मत, गांवों की सफाई, भजन-मण्डलियाँ आदि का कार्यक्रम डा० सुमन्त ने बना लिया । इसी तरह वालोड के स्वयं-सेवकों ने भी अपनी शक्ति का उपयोग वेडछी आश्रम की प्रगति को आगे बढ़ाने में किया । श्री मोहनलालजी पंड्या तथा श्री दरवार गोपालदासभाई ने अपने-अपने विभागों में (वराह और बामणी) सोये हुए चर्खों को जगाना प्रारम्भ कर दिया । वाजीपुरा में श्री नर्मदाशंकर पंड्या ने लोक-शिक्षा की ओर अपनी शक्तियों को लगाया । भजन, प्रार्थनायें, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय साहित्य का प्रचार तो सभी जगह शुरू कर दिया गया ।

इधर श्रीमती मिटूवेन पेटिट ने अपना खादी-बिक्री का काम जोरो से बढ़ाया । उनके खादी-विभाग-द्वारा करीब १२,०००) की खादी उन्होंने ताल्लुके में बेच दी ।

आवकारी-विभाग से सहयोग न करो

परन्तु सरकार को चैन कहाँ थी ? दुर्भाग्य से इसी समय ताड़ी ठेके की मीयाद भी खत्म होती थी। नये वर्ष के लिए खजूर के पेड़ों का नीलाम होने वाला था। आवकारी-विभाग ने पिछले दिनों में जब्ती अफसरों को अपना सहयोग देकर पारसी ठेकेदारों पर अन्याय करने में उनकी जो सहायता की थी उसे ध्यान में रखकर यह तय किया गया कि इस वर्ष कोई ताड़ी के ठेके के नीलाम में बोली न लगाये। अतः सरदार वल्लभभाई ने नीचे लिखी घोषणा प्रकाशित कर दी।

“इस मास के अन्त में ताड़ी के ‘मांडवे’ और ताड़ी की दूकानों का नीलाम होने वाला है। लगान-वृद्धि के विरोध में हमने जो सत्याग्रह छेड़ रक्खा है उसे तोड़ने के काम में सहकमा आवकारी ने जिस अनीति से काम लिया उसे देखते हुए इस विभाग से अब किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना कितना खतरनाक है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरी सलाह तो यह है कि इस परिस्थिति में कोई इन नीलामों में भाग न ले। जो कोई भाग लेना चाहे, अपनी जिम्मेदारी पर ले। वह आगे का विचार भी कर ले। क्योंकि ताड़ी के पेड़ और दूकानों पर शान्तिमय पहरा शुरू करने का विचार हम लोग अभी कर रहे हैं।

किसानों से मेरी सलाह है कि वे इस वर्ष अपने खजूरों के पेड़ किसी को न दे। आवकारी-विभाग की ओर

‘दवाव न डाला जाता और किसानों को व्यर्थ ही न सताया जाता तो मुझे यह सलाह देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। परन्तु जब तक हमारा सत्याग्रह जारी है, तबतक किसानों का इस विभाग के आक्रमणों से अपनी रक्षा करना धर्म है।’

अब तो सत्याग्रह के आन्दोलन ने देश-व्यापी रूप धारण कर लिया था। बाहर से प्रेक्षकों और स्वयंसेवकों के झुण्ड-के-झुण्ड बारडोली की यात्रा करने लगे। धन का प्रवाह तो बराबर बहता जा ही रहा था। पांचवें महीने के अन्त तक अर्थात् तारीख १२ जुलाई तक २,६५,९३८।।-।।।।१३ रुपये सत्याग्रह के दफ्तर में पहुँच चुके थे।

इधर खालसा नोटिसो की संख्या ६,००० से भी ऊपर बढ़ गई थी। महीनों के कारावास के कारण कितने ही मनुष्य बीमार हो गये थे। एक रानीपरज का राज श्री० मगनभाई सेवा करते-करते चल बसा। उसके लिए सारे ताल्लुके ने शोक मनाया। ऐसे वलिदान युद्ध में अपने स्वजनों को असीम-शक्ति अर्पण करते हैं। भाई मगनलाल के वलिदान ने बारडोली के निश्चय को और भी मजबूत बना दिया। गीता में कहा है ‘सुखिन. क्षत्रिया. पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्’। जानवर भी कम बीमार नहीं हुए। प्रधान कार्यालय में जानवरों की बीमारी की खबरें बराबर आती रहती थीं। तब जून महीने के अंत में कुल बीमार जानवरों

विजयी बारडोली

की गिनती की गई । उससे पता चला की फी सैकड़ा ३० से भी ऊपर जानवर बीमार हैं । कितने तो चल भी बसे । डा० सुमन्त मेहता, डा० चन्द्रूलाल, डा० चंपकलाल घिया, तथा मुन्शी कमिटी के सभ्य डा० गिल्डर सब का यही कथन है कि इस बीमारी का कारण इस लम्बे कारावास की गन्दगी और अंधेरा है ।

जुलाई के मध्य में बड़ी धारा-सभा के तीन सभ्यों—
श्री नृसिंह चिन्तामणि केलकर, श्री जमनादास मेहता और

पशुओं का बलिदान—

कुल भैंसे	१६,६११
बीमार भैंसें	३,८०१
कुल बैल	१३,०६१
बीमार बैल	४२४
जिनकी चमड़ी गलगाई	९६०
'बेसामण-पड्या'	९२
चट्टे और कीड़े पड गये	२,१५५
और बीमारियाँ	१,०१८
कुल जानवर जो मर गये	९३

ये एक ताल्लुका के केवल ८७ गांवों के हैं । इन अंकों से प्रकट होता है सरकार ने कसाइयों के हाथ बँचकर जितनी भैंसों को कटवाया उनसे कहीं अधिक भैंसों को अस्वच्छ और कुन्द मकानों में बन्द करके मार डाला ।

श्री बेलवी—ने एक मैनिफेस्टो द्वारा भारत-सरकार से प्रार्थना की कि वह अब बारडोली के मामले को अपने हाथों में ले क्योंकि अब उसने अखिल-भारतीय रूप धारण कर लिया है ।

पट परिवर्तन

यद्यपि ऊपर से सरकार शान्त मालूम होती थी, इन दिनों बम्बई और शिमले के बीच बराबर इस विषय में सलाह मशविरा हो रहा था । उपर्युक्त मैनिफेस्टो प्रकाशित भी नहीं हो पाया था कि शिमले से एकाएक बम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन की बुलाहट हुई । गवर्नर एकाएक चल दिये ।

दवे आव्यो !

छोरां रे ?—ओ रे !

कोण आव्यो ?

दवे आव्यो ।

भेंसो पकडे, घोडां पकडे

रंकोनी भीतलडी फोडे

ढैलाना दरवाजा तांढे

क्यांथी आव्यो ? शुं शुंलाव्यो ? छोरां रे ?—ओ रे !

मोटर लाव्यो, पोलिस लाव्यो, केम केम चाले ?—ओ...तारी, नी

मवाळीना धाढां लाव्यो,

थनगनता-पगले ए आव्यो !

पळमां दोडे, पळमां कूदे

घांसोनी गंजीने खुद्रे

छोरां रे ?—ओ रे !

अल मौलाने ए तो वन्दे

शुं शुं करतो ?—केम ! ए तो छोरां रे ?—ओ रे !

विजयी बारडोली

हसवा जेवुं ! कीर्ति केवी ?—

चोय बाप ! कीर्ति ?—ए

तो आवी...

काळीराते सौए घ्रासे

मुखहुं जोतां सर्वे नासे

जातुं ना कुतरुंये पासे

छोरा रे ?—ओ रे !

अहाहा—हृद कीधी—तो न्याते
केवो ?

अरे न्यात तो बहु उत्तम, ऊँची
जातनी

तुंबी राखे उपवीत राखे

वामण नो बेटो सौ भाखे

शंभुना चरणामृत चाखे

छोरां रे ?—ओ रे !

पहेरे केवुं ? चाल केवी ?

हा हा ! लचकाती चाले ए चाले !

पाटलून ऊपर टोपो घाले

नाटक ना राजानी पेटे

ठस्सा मां फूलाता चाले

छोरां रे ?—ओ रे !

शाने माटे ?— हं—हं

पेटनी पूजाने माटे,

पैसानी लालचने माटे,

ऊँचे घोडे चढवा माटे,

पोताना स्वारथ ने माटे ।

कोने रीवावा माटे ।

एनी सोवत करशो नहि,

एवा कोई थाशो नहि,

गरीब रहेजो भुखे मरजो,

पण देशने वगोवपानां कृत्यो

कोई करशो नहि !

गुरू गोरख

समझौते का असफल प्रयत्न

तूफान के पहले की शान्ति

दमन और फूट डालने की सारी कोशिशें व्यर्थ हुईं, तब तो सरकार के लिए केवल दो ही मार्ग खुले रह गये । एक तो यह कि तोप-बन्दूकों की धौंस को वह सच्ची कर के दिखा दे या जनता की सारी माँगों को कबूल कर ले । पर सत्याग्रहियों ने अपनी अहिंसा-द्वारा उसे इस परस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि उसका सारा पशु-बल बेकार हो रहा था । अब रहा केवल दूसरा मार्ग, सो वहां प्रतिष्ठा उसे रोक रही थी । अनिश्चित समय तक युद्ध को लम्बाना भी ठीक न था । देश में दिन-दिन असंतोष बढ़ता जा रहा था । इसी जटिल समस्या को हल करने में वाइसराय की सलाह लेने के लिए गवर्नर शिमला गये थे । पर ऊपर से ऐसा दिखाव दिखाया जा रहा था, कि गवर्नर के एकाएक शिमला-प्रवास पर उनके प्यारे 'टाइम्स' को भी आश्चर्य हो रहा था । गवर्नर शिमला क्यों गये इस पर नाना प्रकार के तर्क होने लगे । पू० महात्माजी ने तारोख १५ जुलाई के 'नवजीवन' में लिखा था—अफवाहे उड़ रही हैं कि

पुलिस और जन्तो अधिकारियों का काम बन्द हो जाना आने वाले तूफान के पहले की अशुभ शान्ति का चिन्ह है। सरकार नवीन और अधिक उम्र व्यूह की जो रचना कर रही है उसकी यह अस्पष्ट प्रतिध्वनि है। परन्तु वारडोली की जनता को इन सारी अफवाहों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अफवाह अगर मूठ है तो सरकार की बुराई इतनी कम समझनी चाहिए, और सत्याग्रहियों की कसौटी में भी उतनी कठोरता की कमी रह जायगी। यदि अफवाह सच हो तो समझना चाहिए कि सरकार के पाप का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा सो भर जायगा और सत्याग्रहियों को भी अपनी पूरी परीक्षा देने का अभीष्ट अवसर मिल जायगा।

पर सत्याग्रहियों को खूब सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि अफवाह सच्ची हो, सरकार सत्याग्रहियों पर अचानक धावा बोल दे और गफलत में उन्हें घेर ले तथा सारा किया-कराया साफ हो जाय।” इत्यादि

तीन कारण ।

महाराजाजी का सावधान रहना और जनता को हमेशा सचेत रखना आवश्यक और उचित ही था। परन्तु गवर्नर के शिमला जाने के खास कारण का अनुमान तो ‘टाइम्स’ ही लगा सकता है। अगर जीवन के

किसी अंग को नाटक की उपमा पूरी तरह दी जा सकती है तो वह राजनीति है। आगे कौनसा पात्र आ रहा है। वह क्या-क्या करेगा इत्यादि के लिए कुशल नाटककार प्रेक्षकों को तैयार रखता है। और वह उसके अनुरूप वाक्य उसके भाषण में रख देता है। वम्बई का 'टाइम्स' इस सारे नाटक में एक इसी तरह के पात्र का काम कर रहा था। उसने गवर्नर के शिमला-प्रयाण के तीन कारण बताये। यदि शब्दों पर ध्यान न दिया जाय और केवल अर्थ को ही देखा जाय तो वे इस तरह हैं।

वारडोली का सत्याग्रह वड़ी तेजी से अखिल भारतीय प्रश्न का रूप धारण करता जा रहा था। क्योंकि अन्य प्रान्तों से भी अब वारडोली के अनुकरण की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। दूसरे शब्दों में सरकार को यह पूरा भय हो गया कि अब यदि इस मामले का निपटारा कहीं जल्दी न कर दिया जायगा तो सारे देश में असहयोग फिर जाग जाएगा।

गवर्नर इस झगड़े से सचमुच घबड़ा गये थे। वे चाहते थे कि किसी तरह इसका अन्त इस तरह हो जाय जिससे सरकार को शान किरकिरी न हो। वह यह कभी नहीं चाहते थे कि संसार में कहीं यह बात फैल जाय कि सरकार वारडोली के किसानों के सामने झुक गई। वतौर

विजयी बारडाली

अन्तिम उपाय गवर्नर कुछ प्रस्ताव भी लेकर के गये थे, जिन पर वे भारत सरकार को स्वीकृति चाहते थे। यद्यपि उनसे सरकार की प्रतिष्ठा में कुछ न्यूनता आने की सम्भावना तो थी, पर उसे सहकर भी वे बारडाली के नेताओं के सम्मुख इन प्रस्तावों को रख देना चाहते थे।

यदि इतने पर भी सत्याग्रही न मानें तब उन्हें क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर वाइसराय से पाना गवर्नर के प्रवास का तीसरा कारण था।

उस समय की बारडाली की परिस्थिति को देखते हुए 'टाइम्स' का तो यह मत था कि ऐसा प्रसंग आवेगा जब सरकार को अपने कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए बारडाली में सशस्त्र फौज भेजनी पड़े। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार की निश्चित राय ले लेना गवर्नर के लिए जरूरी था।

महामृत्युञ्जय का मंत्र

यह समय बारडाली के इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। जब्ती, खालसा और जेल के प्रयोग आजमाये जा चुके थे। अब मृत्यु के स्वागत की वहां तैयारियां होने लगीं। वहां तो गवर्नर शिमला गये उससे पहले ही बल्लभभाई ने जनता को महामृत्युञ्जय का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। पर बारडाली सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए अहमदा-

बाद जिले की जिला-परिषद में उन्होंने जो भाषण दिया वह तो अप्रतिम था। डेढ़ घंटे तक करुण और अद्भुतवीर रस की धारा उनकी वाणी से निःसृत होती रही। उन्होंने कहा—

“मैंने तो सरकार के सामने केवल यही माँग रखी है कि इस मामले की पुनः जांच हो जाय। पर सरकार इस छोटी सी बात से भी इन्कार करती है और पांच लाख रुपये वसूल करने के लिए यहां पर फौज लाकर पचास लाख खर्च करने की बात कर रही है। उसके पास वह गोरी फौज है न, जो बैठे-बैठे खारही है, उसे वह बारडोली लाना चाहती है। पर गुजरात के किसान अब सब समझने लग गये हैं। मैं किसानों से कहता हूँ “डरने की क्या जरूरत है? सरकार मराठे, मुसलमान, सिक्ख, गुरखा आदि के १८-१८,२०-२० वर्ष के लड़को को पकड़ कर ले जाती है और छः महीने में उन्हें मरना और मारना भी सिखा देती है। तब क्या मैं आपको छः महीने में मरना भी नहीं सिखा सकूँगा? हां, लड़को को यह सीख लेने दो। आखिर हमारी संतति तो सुधरेगी। जब तक हम मिथ्या डर नहीं छोड़ देंगे। हिन्दुस्तान का कभी भला नहीं हो सकता।” आप बारडोली जावेंगे तो देखेंगे कि वहां के किसान तो मौत का जेब में लिये-लिये घूमते हैं। बारडोली की खियों के विषय में तो टाइम्स के संवाद-दाता ने लिखा ही है कि यदि कहीं गोलियां

चली है तो वहनें सबमे आगे रहेंगी । इन वहनों ने उस संवाद-दाता को चिट्ठी लिखी है कि उस समय तू भी हमारे साथ तोपों के सामने खड़े रहने के लिए आ जाना । अगर तुममें इतनी हिम्मत न हो, तो हम तुम्हें चूड़ियां और ओढ़ने के लिए ओढ़नी दे देंगी ।

परिषद से वल्लभभाई रवाना होने ही वाले थे कि उन्हें वहीं पंडाल में उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० स्मार्ट की तरफ से गवर्नर का आमन्त्रण मिला । परन्तु इंधर दूसरी तरफ किसानों में भी भेद डालने की कोशिशें हो ही रही थीं । सूरत के कलेक्टर ने गवर्नर साहब की हलचलों के विषय में जानकारी प्राप्त करके वारडोली के किसानों के नाम एक फतवा छपाकर उसे ताल्लुके के गांवों में चौराहों, वृत्तों के तनो और खंभो पर चिपकवा दिया । गवर्नर के सूरत-आगमन का हेतु सरकारी भाषा में समझाते हुए किसानों से कहा गया था कि जो कोई गवर्नर साहब से मिलना चाहे सोमवार ता० १६ को दिन के ग्यारह बजे से पहले-पहले कलेक्टर के पास अर्जी भेज दें । पर लोगो का संगठन अदभुत था । जहां तक पता चला है, ८८००० जनता में से कलेक्टर के पास एक भी अर्जी नहीं पहुँची । गवर्नर की इच्छा का आदर करने की दृष्टि से श्री० वल्लभ-भाई ने उनसे सुलह की बातचीत करने के लिए जाना तैय

समझौते का असफल प्रयत्न

किशो। और जब कमिश्नर ने पूछा तो नीचे लिखे कार्यकर्ताओं के नाम भी बताये जिन्हें गवर्नर से बातचीत करते समय वे अपने साथ ले जाना चाहते थे:—

श्री अब्बास तैयबजी

श्रीमती शारदा बहन सुमन्त मेहता

श्रीमती भक्ति लक्ष्मी गोपालदास देसाई

श्रीमती मीठू बहन पेटिट

श्री० कल्याणजी विठ्ठलभाई मेहता

सरदार साहब ने अपने साथियों का चुनाव करते समय ऐसे ही व्यक्तियों को चुना, जो इस युद्ध में शुरू से आखिर तक बारडोली के किसानों के साथ थे, जो बारडोली के किसानों के केवल विश्वासपात्र ही नहीं, बल्कि आदर के स्थान भी हैं। शिष्ट-मंडल में अब्बास तैयबजी जैसे बुजुर्ग और सम्माननीय नेता मुस्लिम-जनता का प्रतिनिधित्व करते थे और श्रीमती मीठू बहन पेटिट पारसी-जनता की प्रतिनिधि थीं। और यह तो सब कोई जानते हैं कि बारडोली के इस युद्ध में सब से अधिक वीरता तो बहनो ने दिखाई है। इसलिए मंडल में बहनो को अधिक संख्या में लेकर सरदार साहब ने उनकी अद्भुत वीरता का सम्मान किया था।

इन साथियों को लेकर सरदार साहब सूरत के किले

चिजयी बारटोली

पर गवर्नर साहब से मिलने के लिए गये । वह समय नाजुक था । सारे ताल्लुके के भाग्य का निपटारा अभी होने को था । समस्त भारत की आँखें इस संमाननीय शिष्ट-मंडल की तरफ लगी हुई थीं । सुबह ग्यारह बजे से कोई ढाई घंटे तक बारडोली के प्रतिनिधियों से बात-चीत हाती रही । गवर्नर साहब के साथ रेवेन्यू मेम्बर मि० रियू, उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० स्मार्ट और सूरत जिला के कलेक्टर मि० हार्टशान भी थे । बातचीत बड़े खुले दिल से हुई । बीच में गवर्नर ने सरदार वल्लभभाई से एक घण्टे तक एकान्त में भी बात-चीत की, जिम्मे उन्होंने वल्लभभाई से कहा कि स्वयं वाइसराय भी इस दुखद परिस्थिति का अन्त करने के लिए कितने उत्सुक हैं । जमीनें किसानों को लौटाना, सत्याग्रही कैदियों को छोड़ना आदि गौण बातों के विषय में तो उस समय उनमें कोई मत-भेद नहीं दिखाई दिया । परन्तु खास कठिनाई थी लगान पहले अदा करने के सम्बन्ध में । इसमें से दोनो में से एक का भी कोई सन्तोषप्रद मार्ग न दिखाई दिया । दोपहर को राय बहादुर भीमभाई नाईक से गवर्नर की बातचीत हुई । उसमें भीमभाई नाईक को पता चला कि अभी तो गौण बातों के सम्बन्ध में भी कुछ कठिनाइयां हैं । तब उन्होंने गवर्नर साहब को सुझाया कि वे वल्लभभाई को

समझौते का असफल प्रयत्न

एक बार और बुलवा कर अगर उनकी कोई गलतफहमी हो गई हो तो उसे दूर कर दें। फिर वल्लभभाई गये, और शाम को देर तक उनकी बातें होती रही। पर कोई नतीजा न निकला। गवर्नर अपनी इस शर्त पर वज्र की तरह दृढ़ थे कि लगान पहले अदा कर दिया जाय। अथवा कम से कम किसानों की तरफ से कोई बड़ा हुआ लगान खजाने में जमा करा दे। दूसरी बातों के विषय में भी मतभेद था ही। अतः अब अधिक समय नष्ट करना ठीक न समझ कर वल्लभभाई ने गवर्नर साहब से उनकी शर्तें मांग कर उनसे यह कह कर विदा ली कि “अपने साथियों के साथ मशविरा करके मैं इनका जवाब भेज दूंगा।”

सरकार को शर्तें

“बारडोली के किसानों के प्रतिनिधियों से सूरत में सुलह की जो बातचीत हुई, उस समय सरकार ने नीचे लिखी शर्तें पेश की थी। इस में सरकार को अपनी स्थिति की जो रक्षा करनी चाहिए उस रक्षा के साथ-साथ यह भी आशा प्रकट की गई थी कि किसानों के प्रतिनिधियों ने कर्तव्य-बुद्धि-पूर्वक जो विचार प्रकट किये थे, उनका भी समाधान हो जायगा। यह तो स्पष्ट ही था कि वर्तमान अवस्था में लगान-वृद्धि के मामले में पुनः जांच करने को स्वीकृति देना सरकार के लिए असम्भव था, क्योंकि

सरकार को उसके औचित्य के विषय में जरा भी शक नहीं है। इसके विपरीत ऐसे बहुतेरे लोग हैं, जो बड़े हुए लगान को अनुचित समझकर उसे अदा करने से इन्कार करते आये हैं। यद्यपि सरकार को तो यह विश्वास है कि नई जमाबन्दी केवल उचित ही नहीं बल्कि उदारतापूर्ण भी है, तथापि उसके विषय में चारों तरफ से जो सन्देह प्रकट किया जा रहा है उस पर वह विचार करने के लिए तैयार है और आपस में एक दूसरे का समाधान करने में अपना हिस्सा पूर्ण करने के लिए भी वह तैयार है।

इस तरह यदि सुलह हो तो सरकार-पक्ष की शर्तें ये होंगी।

(१) सबसे पहले जमीन का लगान कुछ खास शर्तों के अनुसार सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाय।

(२) लगान न अदा करने के आन्दोलन का प्रचार रूक जाना चाहिए।

यदि ये शर्तें कबूल हों तो अधिकारियों-द्वारा किये गये हिसाब या गिन्ती तथा उन हकीकतों की भी जांच के लिए कि जिन्हे गलत-बताया जा रहा है एक खास जांच का आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए सरकार तैयार है। इस में किसानों को अपना पक्ष पेश करने के लिए पूरा-पूरा मौक़ा दिया जायगा।

इसके तो मानी यह हुए कि इन सभी शर्तों का पालन साथ-साथ ही हो। सरकार किसी भी प्रकार की जांच पुनः करने का वचन तब तक नहीं दे सकती, जब तक कि उसे इस बात का विश्वास न दिलाया जाय कि

(१) पुराना लगान जमा कर दिया जावेगा

(२) नये-पुराने लगान के बीच की रकम भी सरकारी खजाने में जमा करा दी जायगी। इस बात का आगे चलकर और भी खुलासा कर दिया जायगा।

यह भी स्पष्ट ही है कि सरकार को इस बात का विश्वास दिला दिया जाना जरूरी है कि यह वर्तमान अन्दोलन बिलकुल बन्द कर दिया जावेगा।

यदि इन बातों के विषय में सरकार को विश्वास दिला दिया जाय तो, जैसा कि ऊपर कहा गया है इस पारस्परिक सुलह में किसानों को संतुष्ट करने के लिए अपनी तरफ से सरकार यह कर सकती है कि वह एक खास जांच-समिति की नियुक्ति करे, जिसे इस बात का संपूर्ण अधिकार होगा कि खास-खास व्यक्तियों अथवा समूहों पर लगान लगाने में जहां भी कहीं गलतियां हो गई हैं, ऐसा कहा जाता है उनकी वह जांच करे। इस जांच का उद्देश केवल वही होगा जो कि किसानों ने चाहा है। अर्थात् जमीन के लगान-सम्बन्धी सिद्धान्तों की जांच करने का उसे अधिकार

न होगा। वह तो सिर्फ इस मामले की हकीकतों की ही जांच करेगी।

ऊपर कहा गया है कि सरकार की दृष्टि से सुलह के लिए एक शर्त की पूर्ति और आवश्यक है, और वह यह कि नये-पुराने लगान के बीच की रकम भी सरकारी खजाने में जमा कर दी जाय। यह एक आवश्यक और अनिवार्य शर्त है। इसके कारण भी स्पष्ट हैं। हां, सरकार इस बात का आग्रह नहीं करती कि यह तुच्छ रकम किसान अलग-अलग ही भरें। बल्कि उनकी तरफ से कोई भी उसे सरकारी खजाने में इकट्ठी जमा करा सकता है। बल्कि सरकार तो इससे भी आगे बढ़ने को तैयार है। सरकार इसे बतौर लगान के जमा नहीं करेगी, वरन् उसे बतौर अमानत के वह अपने पास तब तक जमा रखने के लिए भी तैयार है जब तक कि इस जांच का परिणाम प्रकट नहीं हो जाता।

अब जांच के सम्बन्ध में भी कुछ खुलासा कर देना जरूरी है। सरकार किसी भी हालत में किसी प्रकार की गैरसरकारी जांच को स्वीकार नहीं करेगी। इसका भी कारण स्पष्ट है। जमीन पर लगान बढ़ाना सरकार का कानूनन अधिकार है। अपनी इस सत्ता को यह किसी गैरसरकारी मडल के हाथ में नहीं सौंप सकती। वह

सौंपना नहीं चाहती। फिर भी जांच सम्पूर्ण और निष्पत्त होगी इस बात में किसानों को कोई सन्देह न रहने पावे इस लिए सरकार किसानों कि इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तैयार है। सरकार का यह निश्चित अभिप्राय है। इस काम के लिए सब से अधिक योग्य व्यक्ति इस इलाके के लगान सम्बन्धी कानूनो का जानकार वह रेवेन्यू आफिस ही होगा, जिसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु कुछ लोग इस चुनाव को शायद पसन्द न करें। अतः किसी के दिल में जांच की निष्पत्तता और पूर्णता के बारे में कोई सन्देह न रहने पावे इस लिए सरकार एक और रियायत करने के लिए भी तैयार है। जांच के बीच यदि किसी बात के बारे में कोई सन्देह खड़ा हो तो न्याय-विभाग के अधिकारी के सामने उसे पेशकर के उस पर उसका निर्णय भी लिया जाय तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

यदि यह भी मंजूर न हो तो सरकार नीचे लिखी श को भी मानने के लिए तैयार है।

सम्पूर्ण जांच में एक रेवेन्यू आफिसर और एक ब्यूडीशियल आफिसर साथ-साथ रहें। इस परिस्थिति में हकीकत तथा हिसाब-सम्बन्धी बातों में उपस्थित होने वाले विवादों में निर्णय देना उसका कर्तव्य होगा।”

विजयी बारडोली,

सरदार वल्लभभाई की शर्तें

सरदार वल्लभभाई ने भी अपनी नीचे लिखी शर्तें गवर्नर को दे दी ।

अ

“पुनः स्वतन्त्र जांच हो । या तो वह दोनो पक्षो-द्वारा चुने गये किसी न्याय-विभाग के अधिकारी-द्वारा खुले तौर पर ज्यूडीशियल पद्धति के अनुसार होनी चाहिए या एक सरकारी अधिकारी और दो गैर सरकारी सभ्यो की समिति-द्वारा उसी तरह खुली रीति से हो । समिति को यह भी अधिकार हो कि पेश किये गये सबूत में कौन सी बात विचारणीय है तथा कौन सी नहीं, किस पर अधिक विचार किया जाय किस पर कम, तथा कौन-कौन सी बातों को सबूत में शामिल किया जाय (test & bad evidence) समिति के सभ्य दोनो पक्षों की राय से चुने जावें । इन दोनो में से जिस किसी तरह की भी जांच हो उसमें नीचे लिखी बातों पर विचार हो ।

(१) बारडोली का नया बन्दोबस्त न्याय्य है अथवा नहीं ।

(२) अगर न्यायपूर्ण नहीं है तो न्याययुक्त लगान क्या हो सकता है ?

(३) लगान के वसूल करने में जिन-जिन उपायों

समझौते का असफल प्रयत्न

का-अवलम्बन किया गया, क्या वे न्याय-सम्मत थे ?
अगर न थे तो उनके शिकार वने हुए लोगों को क्या मुआ-
वजा दिया जाना चाहिए ?

इस तरह नियुक्त जांच-समिति के निर्णय दोनों पक्षों
के लिए एक-से बन्धनकर्ता हो ।

आ

केवल पुराना लगान लोग अदा कर दें ।

इ

तमाम खालसा जमीनें, अगर उनमे से कुछ बेच दी
गई हो तो वे भी मूल मालिकों को लौटा दी जायं ।

ई

कैदियों को छोड़ दिया जाय । और भी जो-जो सजाएँ
दी गई हो—मसलन तलाटियों की बतरफी, छीने गये लाइ-
सेन्स वगैरा—उन सब को रद्द कर दिया जाय ।”

अपने साथियो से मिल कर सरदार साहब ने सरकार
की शर्तों पर त्रिचार-परामर्श किया । पर वे तो शुरू से ही
ऐसी थी जिनको सत्याग्रही किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर
सकते थे । इसलिए सरदार बल्लभभाई ने सब की सलाह
से गवर्नर को इस आशय का एक पत्र भेज दिया कि
उनकी शर्तों को सत्याग्रही मंजूर नहीं कर सकते । सत्या-
ग्रहियों की मांगों के औचित्य तथा गवर्नर साहब-द्वारा

पेश की गई शर्तों की अपूर्णता एवं अन्याय को स्पष्ट करते हुए वल्लभभाई साहब ने अन्त में लिखा था—

“अन्त मे मैं अपनी यह हार्दिक इच्छा फिर प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मैं सरकार को किसी प्रकार सताना या उसकी प्रतिष्ठा को कम करना नहीं चाहता । मैं तो इसी बात के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि सुलह की कोई ऐसी सूरत निकल आवे जो दोनो पक्षों के लिए संमान-युक्त हो । इसलिए यदि संमाननीय गवर्नर साहब का यह ख्याल हो कि मुझे उनसे फिर एक बार मिल लेना चाहिए, एवं उसका कुछ उपयोग हो सकता है, तो, वे मुझे सूचना करें । मैं निश्चित समय पर उनसे मिल सकूँगा ।”

सरकार की तरफ से भी एक इस आशय का निवेदन प्रकाशित कर दिया गया कि सूरत की सुलह-सभा निष्फल रही । निवेदन में यह भी कहा गया था कि आगामी सोमवार अर्थात् २३ जुलाई को धारा-सभा में दिये जाने वाले भाषण में गवर्नर साहब सुलह-सभा की सारी बातें प्रकट करके यह भी सुना देना चाहते हैं कि सरकार अब आगे क्या करने जा रही है ।

सूरत के असफल समझौते पर देश का वायुमण्डल बड़ा क्षुब्ध हो गया । क्या नरम और क्या गरम, सभी दल के नेताओं ने सरकार को अदूरदर्शिता और हठ की

निन्दा की और बम्बई के टाइम्स को छोड़ कर प्रायः सभी समाचार-पत्रों ने सत्याग्रहियों का साथ दिया ।

इस असफलता का कोएलिशन नेशनैलिस्ट पार्टी (सम्मिलित राष्ट्रीय पक्ष) पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा । वह पूना में श्री० मुन्शी के मकान पर एकत्र हुई और सर्व-संमति से उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक बारडोली की माँगों को सरकार स्वीकार नहीं करती उसका न रिजर्व (सुरक्षित) और न ट्रान्सफर्ड (हस्तान्तरित) विभागों के संचालन में साथ दिया जाय ।

क्या महात्माजी बल्लभभाई से नाराज हैं ।

बारडोली के मामले में इतने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते जा रहे थे । तथापि सरदार बल्लभभाई ने पूज्य महात्माजी को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी । जब किसी बात में कोई विशेष सलाह लेने की जरूरत होती, तो वे उनसे चिट्ठी-द्वारा या स्वयं जाकर पूछ लेते । महात्माजी की इस अलिप्तता का ऊट-पटांग अर्थ लगा कर विपक्ष के कुछ धूर्त लोगो ने इस आशय की अफवाहें इस समय फैलाना शुरू किया कि महात्माजी तो बल्लभभाई से नाराज हैं । बारडोली का सत्याग्रह अपनी सात्विक सीमा को पार करके अब गन्दो राजनीति का खेल बन गया है, इत्यादि । इस भ्रम को दूर करने के लिए महात्माजी ने लिखा था

कि " अभी जो भयंकर अफवाह उड़ रही हैं उनको ध्यान में रख कर मुझे यह स्पष्ट कर देना आवश्यक मालूम होता है कि बारडोली से मेरा क्या सम्बन्ध है। पाठक जान लें कि बारडोली-सत्याग्रह के आरम्भ से ही मैं उसमें शामिल हूँ। उसके नेता वल्लभभाई हैं। उन्हें जब कभी मेरी जरूरत हो, वे मुझे वहाँ ले जा सकते हैं। यह कोई बात नहीं कि उन्हें मेरी सलाह की आवश्यकता हो, तथापि कोई भी भारी काम करने से पहले वे मुझसे मशविरा करते हैं। पर वहाँ का सारा काम चाहे वह छाटा हो या बड़े से बड़ा, वे अपनी जिम्मेदारी पर ही करते हैं। इस बात के विषय में मैंने उनसे पहले ही से समझौता कर लिया है कि मैं सभा वगैराओं में नहीं जाऊँगा। मेरा शरीर अब इस लायक नहीं रहा कि मैं हर एक काम में दिलचस्पी ले सकूँ। इसलिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अहमदाबाद में या गुजरात में अन्यत्र बिना कारण वे मुझे नहीं ले जावेंगे और इस प्रतिज्ञा का उन्होंने अक्षरशः पालन किया है। इस सत्याग्रह में उनके साथ मेरी संपूर्ण सहानुभूति रही है। अब तो गंभीर स्थिति खड़ी होने की संभावना है और उसका सीमना करने के लिए वल्लभभाई जो-जो करेंगे उसमें भी उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति रहेगी। यदि वे कहीं पकड़े गये तो बार-

डोली जाने के लिए भी मैं पूरी तरह तैयार हूँ। उनके बार-डोली में रहते वहाँ जाने अथवा अन्य किसी तरह सक्रिय भाग लेने की न मुझे कोई जरूरत दिखाई दी न उन्हें। जहाँ आपस में संपूर्ण विश्वास है वहाँ शिष्टाचार अथवा किसी प्रकार के बाह्य आडम्बर की जरूरत नहीं होती।”

आवकारी विभाग से असहयोग।

सरदार वल्लभभाई के प्रभाव को प्रकट करनेवाली एक और घटना इस अवसर पर हुई। इससे केवल बार-डोली में ही नहीं, अन्य ताल्लुकों के किसान तथा व्यापारी भी उनकी आज्ञाओं का कहीं तक पालन करते थे; यह स्पष्ट मालूम हो जाता है। ताड़ी के ठेके और पेड़-नीलाम करने का समय आ पहुँचा था। पर वल्लभभाई ने एक घोषणा-द्वारा समस्त किसानों और व्यापारियों को इन ठेकों के नीलामों में भाग लेने से मना कर दिया था। इन लोगों ने अपने सरदार की इस आज्ञा का भी अक्षरशः पालन किया। गाँव-गाँव के व्यापारी इस बात की प्रतिज्ञाएँ और प्रस्ताव करने लगे कि हम कोई ताड़ी के नीलाम में भाग न लेंगे। किसानों ने भी अपने खेतों में खड़े हुए ताड़ के वृक्षों से ठेकेदारों को ताड़ी निकालने देने से मना कर दिया। इसका भी अधिकारियों तथा जन-साधारण की मनोवृत्ति पर बड़ा असर पड़ा।

विजयी बारडोली

विजयी पूजा



म्होर्यां आंवळियानी डाळ मूकीने,
कोयल क्या गयां ता ?

वीती वसंत वील्या वायदारे, वर्षानी हेलीना पूर
मूकीने कोयल क्यां गयां ता ?

वर्षा वसंत जाण्या न थीरे, युद्धना सुण्या हत्ता पडकार
बारडोली ने आंगणे रे;

लीधी प्रतिज्ञाने पाळतारे, भोळा खेडूत नरनार
जोवाने अमे त्यां गयां ता;

मरशुं पण टेक न छोडशुं रे, कहेता दीठा लडनारा
बारडोलीने आंगणे रे;

कुटिल सत्ताना कुदोरने रे, संयम थी अफळ करनार
सरदार अमे त्यां दीठा रे;

खटमास तप रुडां आदर्या रे, अंते नमावी सरकार
बारडोलीने आंगणे रे;

देश विदेश शोधी वळया रे, मार्या विना लडनारी
भूमि बीजी ना दीठी रे;

शस्त्र विना लडी युद्धमां
थी थई प्रजा एक
बारडोली ने आंगणे रे.

खुनी पंजा

तारीख १८ जुलाई की सुलह की बातचीत निष्फल होने के कारण देश में बड़ी उत्तेजना फैल गई । बारडोली के किसान तो बन्दूक और तांपों के स्वागत की तैयारी करने लग ही गये; पर देश की सहानुभूति उनकी तरफ अब और भी अधिक बढ़ गई । लाग बारडोली जाने की तैयारी करने लगे । सत्याग्रह के कार्यालय से वहाँ जाने के लिए लोग आज्ञा माँगने लगे कितने ही लोग बिना पूछे भी वहाँ चले गये । घन का प्रवाह बराबर बहता आ ही रहा था । पर लोग गवर्नर साहब के भाषण की भी बड़ी उत्सुकता-पूर्वक राह देख रहे थे । उत्सुकता यही थी कि देखें सरकार मुकती है, या नहीं । अब की बार फिर वही अकड़ बनी रही तो बारडोली जरूर जावेंगे, इत्यादि ।

सोमवार तारीख २३ को धरा सभा खुनी और गवर्नर का भाषण भी हुआ । पर उसने आग को बुझाने के बदले उसमें घी का काम किया । राजनैतिक कौशल-पूर्ण होते हुए भी गवर्नर का भाषण इतना कड़ा और सत्ता के मद से भरा हुआ था कि उसने धारा-सभा-स्थित ठण्डे दिमाग वाले नरम दल के सभ्यों तक को असन्तुष्ट कर दिया ।

पिष्टपेषण

प्रास्ताविक शब्दों के बाद गवर्नर ने बारडोली के सत्याग्रह की ओर संकेत करते हुए कहा—

“हम पिछली बार यहाँ सम्मिलित हुए थे, उसके बाद बड़ी गम्भीर और महत्वपूर्ण घटनायें हो चुकी हैं। अतः इस सत्र के आरम्भ में उन पर आपके सामने कुछ कहना मेरे लिए लाजिमी है। इस इलाके की भलाई के काम में मैं आपके सहयोग की आशा कर सकता हूँ, यह मेरे लिए खुशी की बात है। पर निःसन्देह एक बात में सरकार और धारा-सभा के कुछ सभ्यों के बीच गहरा मतभेद है, जो कि पिछले कुछ महीनों में पेश किये गये इस्तीफों से प्रकट होता है।

“कहने की जरूरत नहीं, कि मेरा संकेत बारडोली की मौजूदा परिस्थिति की ओर है। पर सबसे पहले यह जरूरी है कि मैं सम्माननीय सभ्यों के सामने इस दुःखद विवाद का, जो कि अपनी हृद से कही अधिक बढ़ गया है, आरम्भ से अब तक का सारा इतिहास रखदूँ।

“तारीख ६ फरवरी को श्री वहभभाई पटेल का मुझे एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि इस नये बन्दोबस्त के प्रश्न की निष्पत्ति और संपूर्ण जाँच के लिए एक ऐसी समिति की नियुक्ति न होगी कि जिसे

अपने काम से सम्बन्ध रखने वाले आवश्यक अधिकार भी हों, तो किसान नये लगान में से कुछ भीजमा न करावेंगे। श्री बल्लभभाई ने लिखा था कि उन्होंने किसानों से यह भी कह दिया था कि लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी और उसमें शायद उन्हें अपना सर्वस्व तक निम्नार कर देना पड़े। पर किसानों ने यह सब स्वीकार करने हुए भी लगान अदा करने से इंकार कर दिया। और यह निश्चय, मुझे उनका वह पत्र मिलने के छः दिन बाद ही, उन्होंने कर लिया। इतने थोड़े समय में सिवा एक वकायदा पत्र की स्वीकृति भेजने के और कुछ हो भी तो नहीं सकता था। उनके पत्र में ऐसे कई प्रश्न थे जिनका उत्तर सम्बद्ध (रेवेन्यू) विभाग द्वारा बहुत विचार-पूर्वक देना जरूरी था पर बिना किसी विलम्ब के यह उत्तर भी भेज दिया गया। इसके बाद जमीन के लगान अदा न करने वालों को कुछ दण्ड दिये गये, जिनके लिए भी श्री बल्लभभाई ने किसानों को पहले ही से तैयार कर रक्खा था।

सम्माननीय सभ्यों को याद होगा कि बजट-सेशन के अन्त में इस बात की सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती दी गई थी, जिसको सरकार ने स्वीकार किया था और इस गौरव-शाली सभा ने बहुमति से इस विषय की नीति का समर्थन ही किया था।

दूसरा अध्याय

“इस प्रश्न का दूसरा अध्याय उस समझौते की चर्चा से शुरू होता है, जो महाबलेश्वर मे हुई थी। इसी सभा के कुछ माननीय सभ्य महाबलेश्वर समझौते के लिए आये थे। उनमें से छः सभ्यो के साथ बातचीत करते हुए मैंने उनसे कहा था कि बारडोली के किसानों ने जो मार्ग ग्रहण किया है, उसे देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मैंने उनसे यह भी कहा था कि मेरा खयाल है, इस बारे में लोग सरकार की स्थिति को ठीक-ठीक नहीं समझ पाये हैं। मैंने उन सज्जनों को समझाया कि सरकार के दिल में प्रजा के साथ किसी प्रकार का अन्याय करने की कल्पना तक नहीं है। सरकार ने इस मामले की खूब अच्छी तरह तह-ज्ञीकात कर ली है और उसे निश्चय हो गया है कि नया लगान केवल न्याय्य ही नहीं बल्कि उदारतापूर्ण है। माना कि कुछ खास खास उदाहरणों में थोड़ी-बहुत गलती होना असम्भव नहीं। मैंने भी खूब ध्यानपूर्वक जाँच करके देख लिया है, पर मेरी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकती है। फिर भी मैंने उनसे कह दिया कि यदि किसी काश्तकार का या काश्तकारों का यह खयाल हो कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है तो वे कलेक्टर और कमिश्नर से अर्ज करें। सरकार ने यह तय कर

लिया है कि यदि वे लोग नया लगान भी जमा करा देंगे तो उनके मामलों पर पुनर्विचार हो सकेगा। कमिश्नर के पास इस आशय की सूचना भी भेज दी गई है। जहाँ तक मेरा खयाल था इस बात पर वे सम्माननीय सभ्य सम्पूर्णतया संतुष्ट हो गये थे। पर फिर पत्र-व्यवहार शुरू हुआ।

“जब ये सम्माननीय सभ्य महाबलेश्वर से रवाना हुए तब सरकार को यह देखकर मन्तोष हुआ कि वे सरकार की सूचनाओं से सहमत थे और उसकी स्थिति को समझते थे। अर्थात् सरकार मामले की पुनः जाँच करने को तैयार थी, वशतँ कि लोग नया वड़ा हुआ लगान पहले अदा कर दें। पर दुर्भाग्य से महाबलेश्वर से चले जाने पर उनके विचारों में किसी कारण परिवर्तन हो गया।

सरकार और क्या कर सकती थी ?

“खैर वाद मई महीने में भी किसानों को संतुष्ट करने के लिए तथा इसलिए कि कहीं उनके साथ कोई अन्याय न हो हमने तो हमारे सम्माननीय मित्र शिक्षा-विभाग के मन्त्री के द्वारा फिर यह कहना दिया था कि हम किसानों के मामले की फिर जाँच करने के लिए तैयार हैं। सचमुच मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इससे अधिक और क्या कर सकती थी।

इसके बाद मैं और सरकार के अधिकारी लोग किसी

विजयी बाराडोली

तरह इस मामले को सुलझाने के लिए बराबर प्रयत्न करते रहे हैं। और सम्माननीय सज्जनों, आप जानते हैं कि इस बुधवार को मैं स्वयं ही इस आशा से सूरत गया था कि कांई समझौते की सूरत दिखाई दे। पर वहाँ कोई नतीजा नहीं निकला और अब सरकार इस विषय में अपने अन्तिम निश्चय प्रकट करने में देर करना ठीक नहीं समझती।

अन्तिम निश्चय

“सरकार का यह खयाल है और मैं समझता हूँ कि इसमें आप भी सहमत होंगे कि इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में सरकार जो कुछ भी कहे-सुने इस इलाके के चुने हुए प्रतिनिधियों से कहे। बजेट-संशोधन में जो मत लिए गये थे उन्हें, तथा इन पिछले चन्द महीनों से जो कुछ होता जा रहा है, उसे ध्यान में रखकर चुने हुए सभ्यों को ही इस विषय में सरकार अपने निर्णय सुनावे यह अविक उचित है।... इस आदरणीय सभा के सम्मुख मौजूदा परिस्थिति पर सरकार के विचार और निर्णय मैं प्रकट कर देना चाहता हूँ।

अखिल भारतीय प्रश्न

“मैं कहता हूँ और सोच-समझकर कहता हूँ कि इन निर्णयों पर भारत सरकार की भी स्वीकृति है, क्योंकि बाराडोली में जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका महत्त्व अत्य-

न्त व्यापक है। और सचमुच इस बात पर सभी सह-
मत हैं कि इस प्रश्न ने अखिल भारतीय महत्त्व प्राप्त कर
लिया है। इस प्रश्न पर गत कुछ सप्ताहों में इतने भाषण
दिये गये हैं कि यदि उनके कारण कुछ विचार-भ्रम पैदा
हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरी सर-
कार को तो इस विषय में कोई विचार-भ्रम नहीं है।
उसके लिए तो प्रश्न विलकुल सरल है। प्रश्न यही है कि
बारडोली ताल्लुके का नया बन्दोबस्त न्याय्य है अथवा
अन्यायपूर्ण ? पर इन दिनों जो भाषण दिये जाते हैं, और
पत्र लिखे जाते हैं तथा जिले की शासन व्यवस्था में रुका-
वट डालने के लिए जो-जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उन पर
खयाल करके सरकार यदि सोचे तो उसे मामला कुछ और
ही दिखाई दे। परिणाम भी वैसे ही व्यापक दिखाई दें।
एक वाक्य में यदि कहना चाहें तो प्रश्न यह दिखाई देता
है कि साम्राज्य के एक भाग में सम्राट् का कानून माना
जाय या कुछ गैरसरकारी लोगों की अज्ञायें मानी जाय ?
यह बात तो ऐसी है—अगर बात दरअसल यही है
तो—कि इसका मुकाबला करने के लिए सरकार अपनी
सारी ताकत लगा देना चाहती है। किसी भी प्रकार
की जाँच करने का वचन देने से पहले सरकार यह
जानना चाहती है कि इस जिले के प्रतिनिधि सरकार
की शर्तों को कबूल करते हैं या नहीं।

विजयी बारडोली

अटल और अनिवार्य शर्तें

“पर हाँ, यदि यह बात न हो और सवाल केवल यही हो कि नया बन्दोबस्त न्याय-युक्त है या अन्यायपूर्ण तो जैसा कि घोषित किया जा चुका है सरकार इस मामले को निष्पक्ष स्वतंत्र और सम्पूर्ण जांच करने के लिए तैयार है, बशर्त कि लोग नया लगान पहले जमा करा दें और यह आन्दोलन बन्द कर दिया जाय।

कर देने के आन्दोलन के कारण बारडोली के किसान जिन कष्टों में फँस गये हैं उनसे उन्हें छुड़ाने के लिए सरकार बड़ी उत्सुक है। और सम्माननीय सज्जनों, ये समझौते के प्रस्ताव मैं उन्हीं को ध्यान में रखकर, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सरकार चाहती है कि इस दुःख से ताल्लुका जितनी जल्दी मुक्त हो, अच्छा है। इसलिए अपनी सरकार की तरफ से मैं आपके सामने वही प्रस्ताव रखता हूँ जो मैंने सूरत में उन लोगों के सामने रखे थे जो बारडोली के किसानों के प्रतिनिधि की हैसियत से मुझसे मिलने के लिए आये थे। प्रस्ताव प्रकाशित हो चुके हैं इसलिए उन्हें यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। पर मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप उन्हें समझौता करने के लिए विचाराधीन आधार-रूप प्रस्ताव न समझें। वे तो सरकार के निश्चित निर्णय और अनिवार्य शर्तें हैं। वे न्याय-युक्त हैं इसलिए कोई भी विवेकशील पुरुष उन्हें

स्वीकार कर लेगा। उनमें कुछ शर्तें भी हैं। सरकार तभी पुनः जाँच करने का वचन दे सकेगी जब उन शर्तों का पूर्ति हो जायगी। वे शर्तें अटल और अनिवार्य हैं।

“नया लगान अदा करने के सम्बन्ध में जो एक शर्त है उसके सम्बन्ध में मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। स्पष्ट ही वह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शर्त है। वह एक कानून-सम्मत और वैध माँग है। सूरत में मुझसे कहा गया था कि बड़ा हुआ लगान अदा करने वाली शर्त को किसान स्वीकार नहीं कर सकते और इसी पर समझौता होते-होते रुक गया। तथापि मैं सम्माननीय सभ्यों को, खासकर उन्हें जो कि वारडोली ताल्लुका के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यह याद दिला देना चाहता हूँ कि अपने मत-दाताओं की तरफ से अपने विचार प्रकट करने का उन्हें अधिकार है और उनके हितों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय सुनाना उनका धर्म है।

“इसलिए सरकार उन सभ्यों से कह देना चाहती है कि वे विचार करके सरकार को १४ दिन के अन्दर अपने मत-दाताओं की तरफ से इस बात की सूचना कर दें कि सरकार पुनः जाँच तो करने के लिए तैयार है पर इससे पहले वे सरकार द्वारा पेश की गई शर्तों को पूरी कर सकते हैं या नहीं ?

लोक-हृदय नहीं, कानून हमारा देवता है ।
 मैं नहीं विश्वास कर सकता कि इन शर्तों को अस्वी-
 कृत करने का जो परिणाम होगा, किसानों को जो घोर
 कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो मनो-मालिन्य पैदा होगा, और
 सरकार तथा प्रजा के बीच लड़ाई छिड़ जाने से जो
 अनिवार्य परिणाम होता है इन सब का विचार करने
 पर भी वे सरकार के प्रस्तावों को नामंजूर करेंगे ॥
 तथापि मेरा यह धर्म है कि मैं इस बात को साफ़ साफ़
 समझा दूँ यदि इन शर्तों की पूर्ति न हुई और
 इसके फल-स्वरूप समझौता भी न हो सका तो अपने
 कानून का पालन करने के लिए सरकार को जो कुछ
 आवश्यक और उचित मालूम होगा वह करेगी और
 कानून बनाने तथा उसका पालन करने के अपने अधि-
 कार की रक्षा के लिए वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग
 करेगी । बम्बई की सरकार ही नहीं कोई दूसरी सरकार
 भी कभी इस परिस्थिति को गवारा नहीं कर सकती कि
 जिसमें गैरसरकारी व्यक्तियाँ अपने आपको कानून से
 घरे समझने लगें या ऐसे संगठनों में भाग लें कि जिनके
 कारण दूसरे भी इसी तरह कानून की अवज्ञा करने
 लगें । सरकार के लिए इस परिस्थिति को बर्दाश्त
 करना अपने अस्तित्व को मिटाना है । यह तो कल्पना
 करना भी असम्भव है कि किसी भी देश की सरकार, जो
 कि सचमुच सरकार है, ऐसी हलचलों और आन्दोलनों

को प्रपत्नी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर रोके या वन्द नहीं करेगी, यह असम्भव है। वह सबसे पहले इन आन्दोलनों को बन्द करने की कोशिश करेगी, पर्या नहीं फिर चाहे जो हो।

सद्गुण दुर्गुण हो जाते हैं

“कोई मेरे इन दुर्गारों को किसी प्रकार की धमकी न समझे। नहीं, यह मेरा उद्देश्य कदापि नहीं। यह तो वास्तविक कथन है। सरकार की स्थिति को समझने में फिर कहीं गलती न हो, इसलिए वास्तविकता को प्रकट कर देना इस सभा के सभ्यों तथा वारडोली के किसानों के प्रति मेरा कर्तव्य था। कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि आजकल वारडोली में सविनय अवज्ञा का आन्दोलन चल रहा है। और आप से यह तो कहने की आवश्यकता नहीं कि सविनय अवज्ञा तो कानून की विपरीतता है; फिर आन्दोलन-कर्त्ताओं को इस बात का चाहे कि नही ही विश्वास और निश्चय हो कि उनका पक्ष न्याय्य है। कानून की विपरीतता कहीं इसलिए दुराई से भलाई में परिवर्तित नहीं हो जाती कि आन्दोलन-कर्त्ताओं को अपने सत्य में निष्ठा है अथवा उनमें कई ऐसे सद्गुण हैं, जो किसी भी महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं।

अन्धे बनकर कानून को सर झुकाओ !

“फिर अच्छा हो, अगर जनता इस बात को समझ ले

कि राजनैतिक दृष्टि से सुसंगठित समाज में यदि कानून की प्रतिष्ठा उठ जाती है, तो उसकी कितनी दुरवस्था हो जाती है, अगर कही एक बार लोगो के दिमाग में यह समा जाय कि कानून के द्वारा प्रतिष्ठित शासक-सत्ता की अवगणना करना उचित है, तब तो कानून के बनाने वाली धारा-सभा के अधिकार को मानने अथवा कानून का अर्थ लगानेवाली न्याय-सभा की निष्पक्षता को स्वीकार करने से इनकार करना कोई बहुत दूर की बात नहीं है। और इसके मानी क्या हैं? अराजकता। अतः समाजिक जीवन की सुरक्षितता के लिए कानून की प्रतिष्ठा परम आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों या समाज द्वारा उसकी अवगणना की चेष्टा करना अराजकता को निमन्त्रण देना है।”

कानून की अन्धपूजा पातक है।

कानून की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए दिया गया यह भाषण शायद किसी विश्व-विद्यालय के अध्यापक के मुँह से अधिक शोभा देता। यहाँ तो स्वार्थी और प्रजापीडक सत्ता के प्रतिनिधि के मुँह में वह केवल हास्यास्पद ही रहा। एक दूर-वर्ती स्वार्थी देश के मतलब के लिए दूसरे देश के दीन-दुर्बल किसानो को ठोकरो से कुचलते हुए रात-दिन प्रजा के पाँव में पराधीनता की जंजीरे ठोकने वाली सत्ता के प्रतिनिधि अपने बनाये मनमाने कानून की जड़-

प्रतिमा की पूजा करते रहते हैं, अथवा जानबूझकर कानून की प्रतिष्ठा के लेखर देकर जनता को धोखा देते रहते हैं। ऐसे लोगो से जनता सावधान रहे। भारत की आत्मा कानून की नहीं, न्याय की भक्त है। आजकल ऐसा जमाना आ गया है, जब प्रत्येक मनुष्य को इस बात का विचार करके आगे बढ़ना चाहिए कि वह कानून का पालन कर रहा है या न्याय की पूजा। इस जमाने में कानून और न्याय सदा एक साथ नहीं रहते। कानून सामाजिक व्यवस्था के लिए निश्चित की गई मर्यादा है स्मृति है। न्याय परमात्मा की विभूति है, समाज का आराध्य देवता है। समझदार आदमी किसी कानून का महज इसलिए अनादर नहीं करता कि वह विदेशी सत्ता, द्वारा बनाया हुआ है अथवा इसलिए किसी स्मृति के सामने सर नहीं झुकाता कि वह उसके पूर्वजों की बनाई है। वह दोनों में न्यायरूपी प्राण का टूटता है और जहाँ वह होता है, उसी का आदर करता है। जहाँ वह नहीं होता, उसे जड़ वस्तु समझकर उसका बोझ अपने सिर से फेंक देता है। वह राष्ट्र मरा हुआ है, जिसके व्यक्ति सामाजिक अव्यवस्था के भय से अन्यायपूर्ण कानूनों के सामने अपना सर झुकाते फिरते हैं। वहाँ की शांति और व्यवस्था सब की अन्त्येष्टि क्रिया-मात्र है। एक जागृत राष्ट्र तो कभी आँखें मूँदकर

कानून की निर्जीव पापःणमयी प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकता। वह उसे उसी तरह ठुकरा देगा, जिस तरह मदान्ध शासक प्रजा की न्याय-पूर्ण माँगों को ठुकराते हैं। जागृत राष्ट्र तो वही है जो सच्चे न्याय-देवता के सम्मुख अपना मस्तक झुकाता है। स्वार्थी सत्ताधरियों के कानूनों में कभी न्याय-देवता निवास नहीं कर सकता। गवर्नर साहब के विकने-चुपड़े भाषण का श्रोताओं पर कोई असर न हुआ। धारा-सभा के सभ्यों के रोष को उसने जागृत कर दिया। देश में चारों तरफ से गवर्नर साहब के इस भाषण पर निन्दा की बौछार होने लगी और सत्याग्रहियों के निश्चयवज्र के समान कठोर होगये। “कार्य वा साधयामि देहं वा पातयामि” का निश्चय करके वे अपने काम में और भी सजग-और भी दृढ़ होकर डट गये। न उन्हें कुछ कहा गया था न उन्हें कुछ कहने की जरूरत थी। पर गवर्नर साहब के भाषण में एक दो ऐसी बातें थीं, जिससे जनता में भारी भ्रम फैलाने की सम्भावना थी। इसलिए उस भ्रम को दूर करने की गरज से सरदार वल्लभभाई को जो वक्तव्य प्रकाशित करना पड़ा, उसका सार यह है—

सावधान, गुलाबे में मत आओ !

“मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मुझे कभी कल्पना तक नहीं थी कि गवर्नर साहब ऐसा रौब गाँठने

बाला भाषण देंगे। उसमें जो घोंस बताई गई है, उसे छाड़ दें तो भी जान में या अनजान में कुछ ऐसी बातें वे कह जाये हैं, जिनके कारण जनता में कुछ भ्रम फैलने की सम्भावना है। इसलिए मैं उसे दूर कर देना चाहता हूँ।

“मैं गवर्नर साहब के जवाब में कह देना चाहता हूँ कि महज सत्रिनय भंग कभी इस युद्ध का उद्देश्य रहा ही नहीं। बारडोली ने ता लड़ने का यह तरीका—इसे चाहे जिसनाम से पुकारिए—इसलिए अखितयार किया है कि या जो सरकार बढ़े हुए लगान को रद्द कर दे; और यदि वह उसे अन्यायपूर्ण नहीं समझती तो सत्य का निर्णय करने के लिए निष्पक्ष, स्वतन्त्र जाँच-समिति को वह नियुक्ति करे। अतलब यह कि खास प्रश्न यही है कि नया बन्दोबस्त न्याय-युक्त है या अन्याय-युक्त, इसी की जाँच हो। सरकार यदि इस माँग को स्वीकार करती है, तो उससे एक दूसरी बात फलित होती है। अर्थात् यह कि बढ़ा हुआ लगान, जो एक विवाद का मुख्य विषय है, वह न ले और किसानों को उसी स्थिति में रहने दे, जिसमें वे थे।

“गवर्नर साहब ने पूर्व प्रकाशित “सम्पूर्ण, स्वतन्त्र और निष्पक्ष जाँच-समिति” नियुक्त करने की जो बात कही है, उसके विषय में मैं जनता को सावधान कर देना चाहता हूँ। गवर्नर साहब ने जिन शब्दों में इस पूर्व प्रकाशित समिति

का जिक्र किया है, वे धोखा देने वाले हैं। सरत की शर्तों में जिस समिति का जिक्र किया है; वह सम्पूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं। उसमें तो उस मर्यादित जाँच की ही बात कही गई है कि जिसमें एक रेव्वेन्यू अफ़सर होगा और उसकी सहायता के लिए एक ज्युडिशियल अफ़सर होगा। हिसाब, अथवा हकीकत में जहां कहीं गलती होगी, उसकी जाँच कर निर्णय देने का काम तो वह ज्युडिशियल अफ़सर करेगा। और शेष सारी जाँच खुद ही करेगा। यह वस्तु सम्पूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच तो कदापि नहीं कही जा सकती।

“मैं आशा करता हूँ कि कोई गवर्नर साहब के शब्दा-डम्बर के चक्कर में न पड़ जाय। ऊपर बताई एक बात पर ही जनता डटी रहे।”

परमात्मा बचाए, ऐसे मित्रों से

सरदार वल्लभभाई तथा उनके किसान अड़ गये। पर इस समय श्री रामचन्द्र भट्ट नामक धारा-सभा के एक सभ्य के दिल में एकाएक करुणा का संचार हुआ। उन्होंने किसानों की तरफ से नहीं किसानों के लिए सरकारी खजाने में ताल्लुके के बढ़े हुए लगान के रुपये जमा करा देने की इच्छा प्रकट की। पिछले अकाली सत्याग्रह के समय भी इसी तरह सर गंगाराम 'गुरु क'

भाग' की ज़मीन अपने यहाँ रहन में रखने के लिए राजी हो गये थे। सरकार के भाग्य से या किसी अज्ञात अदृश्य की प्रेरणा से आन-धान के समय, जब कि देश के धलावल को नापने का समय आ जाता है, कोई ऐसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं जिनके हृदय में एकाएक देश-भक्ति और भ्रातृ-प्रेम का उदय हो जाता है। श्री रामचन्द्र भट्ट ने भी यह रकम जमा करने की इच्छा प्रकट करके संसार की आँखों में सरकार की प्रतिष्ठा की बड़े मौके पर रक्षा कर ली। क्योंकि यही एक ऐसी बात थी, जिस पर दोनों पक्ष अड़े हुए थे। इसके बाद तो सुलह का मार्ग बहुत आसान हो गया। वह सारी व्यवस्था धारा-सभा के सभ्यों-द्वारा हुई, इसलिए उसका वर्णन तो अगले प्रकरण में ही हो सकता है।

पू० महात्माजी ने गवर्नर के भाषण पर क्रोध न करने की जनता को सलाह दी। उनकी माँगों को फिर जनता के सामने रक्खा और अन्त में श्री रामचन्द्र भट्ट के उपर्युक्त कार्य पर अपने विचार इस तरह प्रकट किये—

“जिस बड़े हुए लगान को अदा न करने के लिए सत्याग्रह छेड़ा गया था, उसे बम्बई के किसी गृहस्थ ने सरकार में जमा करा दिया है, ऐसा अखबारों में छपा है। यदि सरकार को इतनी बड़ी रकम भेंट करने का वह विचार

ही कर चुके हों, तो उन्हें कौन रोक सकता है ? यदि ऐसी भेंट से सरकार अपने मन को सन्तुष्ट कर ले, तो हम उसका द्वेष न करें। बम्बई में रहने वाले बारडोली ताल्लुके के इन गृहस्थ ने ये रुपये जमा कराके अपना नुकसान किया या जनता का, इसका निर्णय आज नहीं हो सकता। यह रकम सरकार के लिए तो तुच्छ है। पर यदि इससे उसे सन्तोष हो जाय और वह सुलह करने पर राजी हो जाय तो सुलह होने देना सत्याग्रही का धर्म है।”

पर कहीं कोई यह खयाल न कर ले कि सरकार मुक गई है। अतः लन्दन से अण्डर सेक्रेटरी ऑब् स्टेट फॉर इण्डिया-अर्ल विण्टर्टन—को भी गवर्नर के भाषण का समर्थन करने की जरूरत दिखाई दी। उनसे पूछे गये प्रश्नों का जवाब देते हुए अर्ल विण्टर्टन ने हाउस ऑफ् कामन्स में कहा—

खुनी पंजा

“आज बम्बई की धारा-सभा में सर लेस्ली विल्सन ने बारडोली के सम्बन्ध में जो शर्तें पेश की हैं, वे पूरी न की गईं तो बम्बई-गवर्नमेण्ट को पूर्ण अधिकार है कि वह आन्दोलन को कुचल दे और जनता को कानून का आदर करने पर मजबूर करे। इसमें भारत सरकार और साम्राज्य सरकार पूर्णतया उसके साथ हैं। शर्तों के न मानने के साफ़ मानी यह होंगे कि आन्दोलन-कर्त्ताओं के दुःख असली दुःख नहीं हैं। वे स्वाम्यस्वाम्य

सरकार को झुका कर अपनी बातें मनाने पर मजबूर करना चाहते हैं।”

मदान्ध अधिकारी की मनोरचना ही एक भिन्न प्रकार की होती है। उसकी नजर में वही प्रजा भलो है, जो सरकार के प्रत्येक हुक्म का नीचा सर करके पालन करती चली जाय। जहाँ कहीं तकलीफ हो गिड़-गिड़ा कर प्रार्थना-भर कर ले। जोर से रोकर न माँगे, हठ न करे, निराग्रह रहे। सरकार जो दे, उसी में सन्तुष्ट रहे और इस थोड़ी-सी कृपा के लिए उसे बार-बार धन्यवाद दे। यदि प्रजा ऐसा नहीं करती तो बदमाश है, उपद्रवी है, सरकार को सताने वाली है और कुचल देने की पात्र है।

यह राक्षसी मनोरचना है, रावणो मनोदशा है। इसको पलटना परम आवश्यक है और इम्र परिवर्तन का साधन सत्याग्रह है। बारडोली ने सत्याग्रह का अवलम्बन करके ऐसे दिमागों को दुरुस्त करने की कोशिश की है।

विजयी बारडोली

अन्यायी राजा

हुं सांभल मारी वात रे ! अन्यायी राजा !

घडुलो भरायो पापनो अन्यायी राजा !

दुर्योधन जेवा राजा, क्यां गइ तेमनी माक्षा ?

अंते गया नर कुंडमां, अन्यायी राजा !

क्यां रावण जेवो राजा, क्यां देव बंधु जन क्षा क्षा,

अते छेदायां शीश रे, अन्यायी राजा !

सृष्टि मां जे छे सारू, कर वेरे कयों अन्यायी,

रैयतनां लूट्या ढोर रे, अन्यायी राजा !

हवे आव्यो तारो काळ, तेथी मति थई विक्राळ.

रैयतनां लूट्या घर बार रे, अन्यायी राजा !

साचुं छुडुं फरी भरमाव्या, भाषणो लखी लखी थाक्यां,

घड़ी टके नहि अन्याय रे, अन्यायी राजा !

खाडी मां नग्न थई न्हाता, वेनोनी चेष्टा करता,

बेपरवाई धधा करता रे, अन्यायी राजा !

खेडुतोने लबाड कह्या, वल्लभभाई ह्वारे धाया.

वण कायदे पकट्या जेल रे, अन्यायी राजा !

सत्यमेव जयते

गवर्नर के भाषण और अर्ल विंटरटन की धौंस का सत्याग्रहियों पर बड़ा विपरीत असर पड़ा। भारत की शेष जनता पर भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ा। वह डर के बजाय सत्याग्रह से और भी प्रेम करने लग गई। सारे देश का हृदय बारडोली की सहायता के लिए दौड़ पड़ने को आतुर हो उठा। सत्याग्रही तो अपने सर को हथेली पर लेकर मस्ताने हो घूम रहे थे। टाइम्स को छोड़ कर सभी दल के नेता और समाचार-पत्रों ने सरकार की नीति की खुले शब्दों में निन्दा की।

धारा-सभा के सभासदों के 'विनीत' अंतःकरण में भी रांष का तूफान उमड़ पड़ा। उनमें से किसी को आशा न थी कि अपनी शर्तों का पालन कराने का भार सरकार इस तरह एकाएक उन पर डाल देगी; सो भी जनता के प्रतिनिधियों के नाते; जब कि इसी नाते से उनके द्वारा पेश की गई माँगों को वह पहले कई बार ठुकरा चुकी थी। अगर वे चाहते तो कम-से-कम शब्दों में सर लेस्ली विल्सन से कह देते कि यह काम हमसे न होगा। पर उनकी विनीतता ने उन्हें

विजयी बारडोली

यह न करने दिया । इसके बजाय कोएलिशनिस्ट नेशनल पार्टी ने कोई ५० सभ्यों के हस्ताक्षर से एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने “ बारडोली-सत्याग्रह जैसे शान्त और वैध अन्दोलन को गौर कानूनन हलचल साबित करने के गवर्नर के प्रयत्न का जोरो से विरोध” प्रकट किया । मामला इतना बढ़ जाने पर अब गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने अपनी चुनौती से पैदा होने वाली स्थिति की जिम्मेवारी उनके और खासकर सूरत के प्रतिनिधियों के मत्थे मढ़ी । और इस बात पर दुःख प्रकट करते हुए लिखा कि “इस परिस्थिति मे यदि सरकार के शासनाधिकारियों और जनता के बीच कोई संघर्ष उत्पन्न हुआ भी तो इसके लिए वह जिम्मेवार नहीं हैं ।”

इसके विपरीत गरमदल के लोगो मे तो यह देख कर उत्साह की एक नई लहर उमड़ पड़ी कि अब देश-व्यापी आन्दोलन शुरु करने का अच्छा अवसर हाथ लगा है । स्वराज्य के लिए अपनी जान लड़ाने का अच्छा मौका आया है । पंजाब के सिक्खो के वीर नेता सरदार शार्दूल-सिंह कवीश्वर ने तो महात्माजी को यह भी सुम्नाया कि अब बारडोली के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए देश भर मे सविनय भंग क्यो न शुरु कर दिया जाय । पर दूसरी तरफ कुछ अत्यन्त नरमदिल के लोग महात्माजी से

यह भी कहने को थे कि अब अधिक खींचने से कोई लाभ नहीं। बम्बई के श्री नटराजन इन्ही सज्जनों में से थे।

पर इन सबके अतिरिक्त एक और दल था जो किसानों की माँगों की न्याय्यता को तो मानता था; वह यह भी चाहता था कि उन्हें अधिक कष्ट न हो पर साथ ही उसकी यह भी इच्छा थी कि सरकार की प्रतिष्ठा की रक्षा भी हो। श्री लालजी नारणजी, सर चुन्नीलाल मेहता, रायवहादुर भीमभाई नाईक, श्री वेचर, श्री जयरामदास और श्री मुन्शी इस दल के थे। वे आपस में सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अन्तिम दो सभ्य इस मन्त्रणा में जरा देर से शामिल हुए थे। सबसे पहले उन्होंने इस बात की कोशिश की कि सरकार अपनी शर्तों में कुछ कमी-वेशी कर सकती है या नहीं। तद्दोषात् करने पर पाया गया कि सरकार उनकी बातों पर विचार करने के बिलकुल विरोध में नहीं है। “वास्तव में स्वयं सरकार ही समझौता करने की कोशिश में थी।” श्री० रामचन्द्र भट्ट की उदारता, कहा जाता है, उसी कोशिश का प्रयत्न था। यद्यपि उस समय उन्हें यह जवाब दे दिया गया था कि उन्हें सूरत के प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात पेश करना चाहिए तथापि वाद की परिस्थिति इस बात

का समर्थन करती है कि रामचन्द्र भट्ट के इस कार्य में सरकारी पक्ष की भ्रंशण थी। अस्तु।

सरकार के पक्ष का रुख देख लेने पर सर चुन्नीलाल मेहता, श्री मुन्शी और रायबहादुर भीमभाई नाईक ने यह ठीक समझा कि गवर्नर की स्पीच पर महात्माजी तथा सरदार वल्लभभाई के विचार भी जान लिये जायें। इस काम के लिए सर्वसम्मति से श्री० मुन्शी चुने गये। वे बारडोली और अहमदाबाद गये। महात्माजी तथा वल्लभभाई ने उनके सामने वही शर्तें रखी जो पिछले अध्याय में दी जा चुकी हैं। महात्माजी ने श्री० मुन्शी को यह भी समझा दिया कि यदि सत्याग्रहियों पर किये गये अत्याचारों की जाँच पर सरकार राजी न हो और इसी कारण अगर समझौते में कोई विघ्न आता हो, तो वे इस शर्त को उठा सकते हैं।

इन शर्तों को लेकर श्री० मुन्शी गवर्नर से मिले। कहने की आवश्यकता नहीं कि गवर्नर की इस मुलाकात से श्री० मुन्शी का बड़ी निराशा हुई। गवर्नर ने तो उन्हें साफ-साफ यह भी कह दिया कि अब वह बारडोली के सम्बन्ध में सिवा सूरत जिले के प्रतिनिधियों के और किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। वहाँ से आते ही श्री० मुन्शी गुजरात के कुछ सभ्यों से मिले और उनसे



महा माजी एक सभा में

विजयी वारड ल



महात्माजी की शर्तें तथा गवर्नर से जो बातचीत हुई थी उसका हाल कहा ।

इसी अर्से मे श्री रामचन्द्र भट्ट के जिस प्रस्ताव का ऊपर उल्लेख किया गया है उसे गवर्नर ने स्वीकार कर लिया । तदनुसार श्री भट्ट ने नये लगान की बढ़ी हुई रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी । इस तरह सुलह के मार्ग मे जो सब से भारी रुकावट थी वह सौभाग्य वा दुर्भाग्य से दूर हो गई ।

मालूम होता है, इस बढ़ली हुई परिस्थिति में महात्माजी के विचार जानने के लिए धारा-सभा के दो सभ्य श्री हरिभाई अमीन और श्री नरोमन फिर साबरमती गये । महात्माजी ने उनके सामने भी वही शर्तें रखीं जो श्री मुन्शी से कही थी, और अत्याचारों की जाँच सम्बन्धी शर्त को उठा लेने की बात भी कही, जैसा कि श्री मुन्शी से कहा था । उन्होने यह भी कहा कि यदि समझौते के सम्बन्ध मे वल्लभभाई के पूना जाने की जरूरत हो तो वह वहाँ जा सकते हैं ।

ये दोनों सज्जन पूना पहुँचे । वहाँ सर चुन्नीलाल मेहता से मन्त्रणा करने पर यह तय हुआ कि सरदार वल्लभभाई को बम्बई बुला लिया जाय । इस आशय का उन्हें तार भी दे दिया गया । इसी बीच इनमें से कुछ सभ्य

विजयी वारडोली

दीवान बहादुर हरिलाल देसाई के पास पहुँचे और उन्हें सुलह की कुछ शत देकर सरकार की शर्तें जानने की इच्छा प्रकट की। दीवान बहादुर ने यह काम करने की जिम्मेवारी बड़ी खुशी से ले ली।

इधर रायबहादुर भीमभाई नाईक, श्री लालजी नारणजी तथा श्री नरीमन सरदार वल्लभ भाई से मिलने के लिए बम्बई पहुँचे। पर इन दिनों स्वास्थ्य ज़रा ठीक न होने के कारण वह बम्बई नहीं जा सके। तब यह तय हुआ कि श्री नरीमन ही खुद वारडोली चले जावें और सुलह का मसविदा श्री वल्लभभाई को दिखाकर उसपर उनकी राय ले लें। शेष दोनों सज्जन बम्बई में ही सर चुन्नीलाल मेहता से मन्त्रणा करने के लिए ठहर गये। इसी-बीच श्री अमीन दीवान बहादुर हरिलाल देसाई का पत्र लेकर बम्बई आ पहुँचे। इसमें श्री देसाई ने वे शर्तें लिख दी थी जिनके अनुसार, जहाँ तक कि उन्हें मालूम हुआ था, सुलह करने के लिए सरकार राजी थी। उस पत्र के साथ श्री अमीन को सीधा वारडोली भेज दिया गया।

शीघ्र ही ये दोनों सज्जन वल्लभभाई के सहायक स्वामी आनन्द को लेकर आ पहुँचे और उन्हें वे सर चुन्नीलाल के पास ले गये। स्वामी आनन्द ने सर चुन्नीलाल को सुलह की शर्तों पर सरदार वल्लभभाई के विचारों

सुना दिये । इसके बाद सभी खास-खास मध्यस्थ सभ्यों की एक गैर सरकारी बैठक की गई, जिसमें विचार करने पर पाया गया कि सरदार वल्लभभाई द्वारा निर्दिष्ट की गई दशा में सुलह होना कोई मुश्किल बात नहीं है । तब सर चुन्नीलाल मेहता तथा गुजरात के सभ्यों की राय से फिर वल्लभभाई को तार दिया गया कि वह स्वयं पूना चले जावें ।

इस समय यद्यपि सत्याग्रही किसान निश्चिन्त थे तथापि दूसरी तरह से वायुमण्डल इतना क्षुब्ध था कि किसी को यह पता नहीं था कि आगे घटनायें कैसा रूप धारण करेंगी । यह तो सबको निश्चय-सा हो गया था कि सरदार साहब अब अधिक दिन तक जेल से बाहर नहीं रह सकते । इसलिए उनके चले जाने पर बारडोली जाने की अपेक्षा गांधीजों ने यही उचित समझा कि उनकी गिरफ्तारी के पहले वह बारडोली पहुँच जायँ और उनके घोम को, जहाँ तक हो सके, कुछ हलका कर दें । इसलिए वे ता० २ अगस्त को बारडोली जा पहुँचे । महात्माजी बारडोली पहुँचे ही थे कि वल्लभभाई को सर चुन्नीलाल मेहता की प्रेरणा से भेजा हुआ तार मिला । वैसे ही यद्यपि स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी वह बारडोली से पूना के लिए रवाना हो गये ।

इसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हुए श्री महा-
देव भाई देसाई लिखते हैं—

“इसके बाद तारीख ३ और ४ अगस्त को सर चुन्नी-
लाल और श्री वल्लभभाई के बीच जो कुछ हुआ उसका
पूरा-पूरा हाल लिखना यदि असम्भव नहीं तो उचित भी
नहीं है। परन्तु इस समझौते में जिन-जिन सब्जनों का
हाथ था, उनके प्रति न्याय करने के लिए केवल घटनाओं
को, जैसी कि वे घटी हैं, लिख देना जरूरी है। सरकार
इस बात को जान गई थी कि यद्यपि उसने अन्तिम चेता-
वनी सूत्र के सभ्यो को दी थी, तथापि उसे दरअसल
काम तो श्री वल्लभभाई से ही था। सूत्र के तथा अन्य
सभी सभ्यो के विषय में, जो कि उनके साथ काम कर रहे
थे यह कह देना उचित है कि उन्होंने अन्त तक वल्लभ-
भाई की तरफ से सरकार को कोई वचन नहीं दिया और
न उन्हें किसी प्रकार के बन्धन में डाला। जिस समय सर
चुन्नीलाल के मकान पर समझौते पर वादविवाद हो रहे
थे, सब लोग यह देखते थे कि सरकार भी समझौता करने
के लिए उत्तनी ही आतुर थी, जितने कि स्वयं सूत्र के
सभ्य। पर किसी को ऐसा कोई मार्ग नहीं दीखता था
जिससे सरकार की प्रतिष्ठा की भी साथ-साथ रक्षा हो।
एक विवरण मसविदा बनाया गया। पर वह सर चुन्नीलाल

को पसन्द न हुआ। वह सरकारी पत्र के अन्य सभ्यों के साथ बात-चीत कर रहे थे। अन्त में शाम को वह एक पत्र का मसविदा बना करके लाये। यह तय हुआ कि सूरत के सभ्य उस पर हस्ताक्षर करके रेवेन्यू मेम्बर के पास भेज दें। मसविदा यह है—

“हमें हर्ष होता है कि तारीख २३ जुलाई को गवर्नर ने अपने भाषण में जो शर्तें रखी थीं उनके सम्बन्ध में हम यह कहने योग्य परिस्थिति में हम पहुँच गये हैं कि वे पूरी हो जायँगी; इस बात की सूचना हम दे सकते हैं।”

सरदार वल्लभभाई को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि “इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभ्य यह कैसे कह सकते हैं कि वे शर्तें पूरी हो जायँगी जब कि वे जानते हैं कि जाँच की मंजूरी होने के पहले इन शर्तों का पूरा करना जरूरी है? फिर इन शर्तों को पूरी करनेवाले तो हम हैं, और हम तो कह रहे हैं कि जबतक पुनः जाँच की घोषणा नहीं की जाती, हम पुराना लगान भी अदा नहीं कर सकते।”

सर चुन्नीलाल बोले—“इससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं। अगर सूरत के सभ्य वह पत्र भेजने पर राजी हैं, तो आप इस बात का विचार न करें कि उन शर्तों को कौन, कब और कैसे पूरी करेगा। आपका तो काम यह है

कि जब सरकार पुनः जाँच करने की घोषणा कर दे, तब आप पुराना लगान भर दें ।”

पर श्री वल्लभभाई की समझ में यह सब नहीं आया । उन्होंने तो यह भी सुझाया—“ माना कि यदि सूरत के सभ्य सरकार को यह खबर करने पर राजी भी हो जायँ कि फलॉ-फलॉ शर्तों की पूर्ति हो जायगी—जिनमें न तो सार है न अर्थ—तथापि स्वयं सरकार कब ऐसे समाचार पर ध्यान देगी ?” संक्षेपमें उन्होंने यही कहा कि “यह तो सत्य से खिलवाड़ हुआ ।”

पर सरकार की माया तो अपरम्पार है । जिस क्षण ही सरदार वल्लभभाई ने कहा कि अगर सूरत के सभ्य एक ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, जिसके कोई मानी नहीं निकलते और जिसे वे मूठा मानते हैं, तो उन्हें इस पर कुछ कहना नहीं है, उसी क्षण इस महान् युद्ध की समाप्ति और पूरा समझौता हो गया ।

पर अगर सरकार के लिए, तिनके का सहारा काफ़ी था तो श्री वल्लभभाई कब ऐसी निःसार वस्तु से सन्तोष मान लेने वाले थे ? उन्हें तो सम्पूर्ण, स्वतन्त्र, ज्यूडीशियल (न्याय-विभाग के ढंग पर की जाने वाली) जाँच की ज़रूरत थी और ज़रूरत इस बात की थी कि वहाँ पहले का-सो स्थिति हा जाय । अर्थात्, इन अत्याचारों के कारण

वहाँ की जनता की जो हानि हुई उसकी क्षति-पूर्ति भी कर दी जाय । पर सरकार तो इस बात के लिए भी तैयार थी बशर्ते कि उसकी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहे । यह तय हुआ कि राजनैतिक चतुराई से भरा वह पत्र सूरत के सभ्यों के भेजते ही अत्याचारों की जाँच वाली बात को छोड़कर नये बन्दोबस्त की पुनः जाँच की।घोषणा ठीक उन्हीं शब्दों में जाहिर कर दी जाय जो श्री वल्लभभाई ने सुझाये थे । और तलाटियों को अपनी नौकरी पर पुनः लागू करना, ज़मीनें लौटा देना। तथा सत्याग्रही कैदियों को छोड़ना आदि शर्तों की पूर्ति तब की जाय, जब वे सभ्य उसी आशय का एक पत्र रेवेन्यू मेम्बर को बाकायदा भेज दें । सत्याग्रहियों को जो दण्ड दिये गये थे, तथा वालोड के शराब बेचनेवाले।सेठ दोराबजी के नुकसान की पूर्ति आदि बातें बाकायदा सरकारी हुक्म से होनेवाली थी इसलिए उनका इस पत्र में उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं थी । खैर, वल्लभभाई के लिए इतना काफी था । वह वहाँ अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए गये थे, सो हो गया और वह बारडाली लौट आये ।”

इसके बाद की कहानी तो बड़ी सरल है । उस पत्र पर सूरत के तथा २-४ अन्य सभ्यों ने भी दस्तखत कर दिये, पता नहीं क्यों ? इधर सर चुन्नोलाल मेहता गवर्नर से मिलने

गये। उनसे आवश्यक बातचीत करके उन्होंने श्री मुन्शी, केरवाडा के ठाकुर साहब, और भीमभाई नाईक से कहा कि वे सूरत जावें और वहाँ के कमिश्नर की सहायता से बेची हुई जमीनें वापस लेने की कोशिश करें। ये तीनों सज्जन सूरत पहुँचे। इस बीच सूरत के पहले कलेक्टर मि० हार्टशार्न का, जो कई बार डँके की चोट कह चुके थे कि खालसा और बेची हुई जमीनें किसानों को कभी लौटाई नहीं जायँगी, सरकार ने चुपचाप वहाँ से तबादला कर दिया था और उनके स्थान पर मि० गैरेट आ गये थे। छोटे-बड़े मिल कर उन जमीनों के नौ खरीददार थे। वे कहीं तैयार तो बैठे नहीं थे। उन्हें ढूँढ कर चौदह दिन की मीयाद खत्म होने के पहले, ता० ६ के भीतर, यह सब करना था और यह काम उतना आसान नहीं था, जितना समझा गया था। खरीददारों में एक मि० गाडार्ड थे। सत्याग्रहियों की जमीनें खरीदने के दण्ड-स्वरूप उधर के तमाम किसानों, मजूरों तथा मेहतरों तक ने उनका बहिष्कार कर दिया था। इसलिए वह चिढ़े हुए थे। श्री वल्लभभाई ने भी अपने भाषणों में ऐसे खरीददारों को कुछ खरी-खरी सुनाई थी। इसलिए मि० गाडार्ड इस बात पर अड़ गये कि श्री वल्लभभाई उनसे माफी माँगें। यह तो त्रिकाल नहीं हो सकता था। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वल्लभभाई

से यह कहे कि वह गार्डा से माफी माँग लें। अन्त में मि० गैरेट तथा धारा-सभा के सभ्यों के ख़ूब समझाने-बुझानेपर मि० गार्डा पसीजे। जमीनों रा० ब० भीमभाई नाईक के नाम ख़रीदी गई और किसानो को लौटा दी गई। इस-विक्री-सम्बन्धी सारी कानूनन कार्यवाही श्री मुन्शी ने की।

अब तीनों सभ्य पूना पहुँचे। वहाँ लालजी नारणजी, श्री मुन्शी और रा० ब० भीमभाई नाईक ने सर चुन्नीलाल की सहायता से वे पत्र और आवश्यक कागज़ तैयार किये जो गवर्नर के भाषण के उत्तर में सूरत के सभ्यों को भेजना थे। सर चुन्नीलाल इन पत्रों को लेकर गवर्नर के पास गये। और उनपर उनकी मंजूरी ले आये। इसके बाद सूरत के सभ्यो ने उन पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किये।

इस तरह सर लेस्ली विल्सन के उस ऐतिहासिक भाषण के ठीक १४ दिन बाद ता० ६ अगस्त को वार-डोली और सूरत के प्रतिनिधियो ने वही पत्र रेवेन्यू मेम्बर के नाम बाक्रायदा भेज दिया जिसकी प्रतिलिपि यह है—

माननीय रेवेन्यू मेम्बर,

महाशय,

आप के तारीख़ तीन अगस्त के पत्र के उत्तर में, यह कहते हुए हमे हर्ष होता है कि ता० २३ जुलाई को गवर्नर ने अपने भाषण में जो शर्तें रक्खी थीं, वे पूरी हो जायँगी,

विजयी बारडोली

यह कहने योग्य परिस्थिति में हम पहुँच गये हैं और इस बात की सूचना हम दे सकते हैं ।

भवदीय

ए.एम. के. देहलाती,	दाऊदखॉ सलेभाई-	बी. आर. नाईक
भा साहव	तैयबजी	एच. बी.
	जे. बी. देसाई	शिवदासानी
	के. दीक्षित	

उसी दिन नये बन्दोबस्त की पुनः जाँच की घोषणा भी ठीक-ठीक उन्ही शब्दों में कर दी गई, जो सत्याग्रहियों ने सुनाये थे और जब धारा-सभा के सभ्यों ने शेष बातों की पूर्ति के लिए लिखा, तब सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि सरकार सभी ज़मीनें लौटा देगी, क़ैदियों को छोड़ देगी, और तलाटियों के उचित रीति से दरख्वास्त करने पर उन्हें उनकी पुरानी जगह दे दी जायँगी। अब तो और क्या रह गया ? इस लिए सरदार वल्लभभाई ने एक घोषणा-पत्र द्वारा आपना संतोष व्यक्त कर दिया और जिन-जिन सज्जनों ने इस समझौते में भाग लिया था उन सबके और सरकार के भी एहसान मान लिये । वे दोनों ऐतिहासिक घोषणायें ये हैं—

सरकार की घोषणा

“जाँच का काम एकरेवेन्यू अफसर और एक ज्युडीशियल

अफसर के सुपुर्द होगा। जहाँ दोनों में मत-भेद होगा उन्हीं सब मामलों में ज्युडिशियल अफसर की राय को ही महत्त्व दिया जायगा। जाँच-समिति के काम ये होंगे—

वह जाँच करके इस बात की रिपोर्ट भेजेगी कि हाल ही में जो लगान बढ़ाया गया है, वह लैण्ड रेवेन्यू कोड—(अ) के अनुसार ठीक है या नहीं ?

जनता को जो रिपोर्ट मिलने योग्य है, उसमें जो अंक और हकीकतें दी गई हैं वह इतनी काफ़ी नहीं है, जिसके आधार पर लगान बढ़ाया जा सके। उसमें कुछ ग़लत बातें भी लिख दी गई हैं। यदि जनता की शिकायत सच्ची है, तो पुराने लगान में क्या वृद्धि अथवा कमी होनी चाहिए ?

चूँकि जाँच संपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी, लोगों को यह अधिकार होगा कि वे अपने प्रतिनिधियों अथवा क़ानूनी सलाहकारों के द्वारा जाँच-जाँच कर सबूत पेश करें और उचित गवाही दें (test and lead evidence)। सरकार ने तमाम सत्याग्रही कैदियों को छोड़ने की आज्ञायें भी जारी कर दी हैं।

खालसा की गई तथा बेची हुई ज़मीनें भी उनके पुराने मालिकों को लौटा दी गईं। खरीददारों को समझा-बुझा कर इस बात पर राजी कर लिया गया कि एक तीसरे पक्ष द्वारा ज़मीनों की कीमतें मिल जाने पर वे उन ज़मीनों को उन पुराने कारतकारों को लौटा दें।”

यह प्रोपणा प्रकाशित होते ही सरदार वल्लभभाई ने

विजयी वारडोली

नीचे लिखा निवेदन प्रकाशित कर दिया—

वारडोली और वालोड के भाइयों तथा बहनों के प्रति,
“परम कृपालु ईश्वर की कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका संपूर्ण पालन हो गया। हम लोगों पर बढ़ाये गये लगान के बारे में हम जैसी जाँच चाहते थे सरकार ने वैसी जाँच-समिति नियुक्त करना क़बूल कर लिया है। खालसा ज़मीनें किसानों को वापस मिलेंगी, जेल में भेजे गये सत्याग्रही छोड़ दिये जायेंगे, पटेल और तलाटियों को फिर उनकी नौकरी पर रख लिया जायगा और भी जो छोटी-छोटी मॉर्गें हमने पेश की थीं उनकी स्वीकृति हो गई है। इस तरह हमारी टेक पूरी करने के लिए हमें परमात्मा का उपकार मानना चाहिए।

अब हमें पुराना लगान अदा कर देना चाहिए, बढ़ा हुआ लगान नहीं। मैं आशा करता हूँ कि पुराना लगान अदा करने की सारी तैयारी आप करके रखेंगे। लगान जमा कराने का समय आते ही मैं सूचना कर दूँगा।

अब सब लोग अपने-अपने काम-काज में लग जावें। अभी तो हमें बहुत-सा उपयोगी काम करना है। जाँच-समिति के सामने हमें जो सवूत पेश करना है उसे इकट्ठा करने की तैयारी तो हमें आज से ही करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सारे ताल्लुके में रचनात्मक काम करने के लिए भी हमें खूब प्रयत्न करना पड़ेगा। इस विषय में तफ़्सीलवार सूचना फिर दी जायगी।

सकट के समय आ म-रक्षा के लिए जिन ख़ास लोगों से हमें सम्बन्ध तोड़ना पड़ा तथा दूसरी तरह के व्यवहार भी पंचों की

आज्ञा' से वन्द करना पड़े उन पर पंचों को चाहिए कि वे फिर विचार कर । जिन्होंने हमारा विरोध किया उनका भी हमें तो विरोध न करना चाहिए । सारी कटुता को मुला कर अब हमें सत्य से प्रेम-पूर्वक हिलना-मिलना चाहिए । बारडोली के किमानों को अब इस बात के समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए ।”

इस तरह संसार के इतिहास में एक अपूर्व युद्ध निर्विघ्न समाप्त हुआ । एक जगद्विजयी सत्ता और एक छोट्टे-से ताल्लुके के मुट्टी भर लोगों के बीच सशस्त्र युद्ध की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी । पर यदि कहीं सशस्त्र युद्ध छिड़ता भी तो ये मुट्टी भर निहत्थे किसान उस सशस्त्र सैनिक शिक्का पाई हुई हत्या-कुशल फौज के सामने कितनी देर तक टिक पाते ? पर इस निःशस्त्र प्रतिकार ने—सत्याग्रह ने—वह करके दिखा दिया जो अबतक असम्भव समझा जाता था । बारडोली की विजय ने संसार के इतिहास में एक नये अध्याय को आरम्भ कर दिया ।

सरदार वल्लभभाई ने उपर्युक्त निवेदन इसी आशा से प्रकाशित किया था कि सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये जायेंगे पर उन्हें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि समझौता हो जाने के बाद दो तीन दिन बत जाने पर भी कैदियों के छूटने के कोई समाचार नहीं है । पर बात यह थी कि

विजयी बार्डोली

सरकार को अब तक यही सन्देह था कि श्री वल्लभभाई ने सुल्ह की शर्तों को पसन्द किया या नहीं। इसलिए इस बात का निश्चय करने की मन्शा से सरकार ने कलेक्टर को सरदार साहब के पास भेजा। जब सरदार वल्लभभाई ने कलेक्टर से कहा कि वह तो सत्याग्रह-खबर-पत्र में कभी से अपना सन्तोष व्यक्त कर चुके हैं तो कलेक्टर ने सरकार को तार द्वारा इसकी खबर भेजी और उस गलत-फहमी को दुरुस्त करने के लिए कहा।

दूसरे ही दिन सारे सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये गये। तलाशियों के लिए सरदार वल्लभभाई ने एक दरख्वास्त का मसविदा बना कर दे दिया जिसे कलेक्टर ने कैबूल कर लिया और उन्होंने तत्काल सारे सत्याग्रहियों को अपनी-अपनी नौकरी पर वापस ले लिया। अब तो केवल लगान जमा कर देने की बात रही। सो श्री वल्लभभाई की आज्ञा होते ही किसानों ने इतनी तेजी से लगान अदा करना प्रारम्भ किया कि लगान जमा करने वाले कारकून थक जाते। उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था। फिर भी एक महीने के अन्दर सारा लगान अदा कर दिया गया।

श्री० महादेवभाई देसाई ने 'यंग इण्डिया' में इसी असंग पर लिखा है—

“बार्डोली का समझौता सत्य और अहिंसा की विजय है।”

सत्यमेव जयते

वह सरदार की तीसरी विजय और स्वराज्य के मार्ग में उनके द्वारा तय की हुई तीसरी मंज़िल है। नागपुर की विजय एक सैद्धान्तिक अधिकार की स्थापना थी। बोरसद की विजय, जो एक छोटी-सी और तेज़ लड़ाई के साथ मिली थी, एक स्थानीय शिकायत को दूर करने के लिए थी। यद्यपि उसके समान संपूर्ण और तत्काल विजय मिलना मुश्किल है तथापि अपनी असाधारण जल्दी के कारण ही वह वारडोली के समान राष्ट्र का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित नहीं कर सकी। वारडोली की विजय की असाधारणता इस बात में थी कि उसने केवल भारत का ही नहीं समस्त साम्राज्य का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित कर लिया था और जनता की माँग में जो विनय और न्याय था उसने सारे राष्ट्र के हृदय को अपने पक्ष में कर लिया था। उसकी विशेषता इस बात में है कि वह भारत के सौम्य से सौम्य ताल्लुके द्वारा प्राप्त की गई है। और उसने रेवेन्यू विभाग जैसे विभाग की सीमा पर आक्रमण किया है, जिसको स्पर्श करने की देवताओं को भी हिम्मत नहीं होती थी। वारडोली की विजय की विलक्षणता फिर इस बात में है कि उसने उस सरकार को १४ दिन के अन्दर ही झुका दिया जिसने कि उसे तहस-नहस कर देने की प्रतिज्ञा की थी। तीन चार वर्ष से देश में जो शिथिलता आ गई थी, अंतःकलह के कारण देश की जो दुर्दशा हो रही थी ऐसे ही समय वारडोली ने अपनी विजय द्वारा देश की निराश जनता में नहीं, बल्कि उससे भी अधिक निराश नेताओं में नवीन प्राण डाल दिये। इसके सेना-नायक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को तिलांजलि देकर सत्य और न्याय के

विजयी बारडोली

लिए लड़े और प्रान्त के गवर्नर ने भी, जो कुछ समय तक तो 'ब्लाइट हॉल' इशारों पर नाचते हुए नजर आये, बाद में उनसे व्यक्तिगत-रूप में जो भी कुछ बन पडा शान्ति स्थापना के लिए किया। यहाँ तक कि शान्ति स्थापना के लिए ही उन्होंने उस दम्भ को भी बरदाश्त कर लिया।


इसीलिये गांधीजी और सरदार वल्लभभाई ने भी उस सप्ताह में दिये गए अपने तमाम भाषणों में सत्याग्रहियों के साथ-साथ गवर्नर को भी धन्यवाद दिये।”

सुलह तक

सत्याग्रह-चन्द्रा ३, ९३, ५००)



श्री लाइजी नारणजी



सर चुन्न लाल महता

विजयी नारटोली

३८

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते



लाज राखी !

लाज राखी प्रभुए आपणी रे,

जीत आपी पढावो टेक...लाज०

शस्त्र धारीनां शस्त्र बूठां भया रे,

शस्त्र धारी थयाछे फजेत...लाज०

एक टीपुं पाढ्यु नथी लोहीनुं रे,

युद्ध जीत्या दानत करी नेक ..लाज०

शस्त्र टैवी लीधां छे हाथमां रे,

नथी छोड्यो लगारे विवेक ..लाज०

पूरण पुण्ये वल्लभभाई पामिया रे,

लीधो तालुका काजे भेख...लाज०

चारडोलीनो डंको वाजीयो रे,

बधी कोमो जूझी वनी एक...लाज०

गया थंभी आकाशमां देवतारे,

पुष्पवृष्टि करे धरी हेत...लाज०

सच्ची चाबी

“स्त्रियों के अन्दर जो गूढ़-शक्ति है उसका मानव-जाति ने अबतक कोई उपयोग नहीं किया। इसलिए संसार अबतक ऐसा पिछड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों, जगत के प्रारम्भ-काल से ही स्त्रियों की पदवी कुछ कम समझी गई है। स्त्रियों को अपना स्वतन्त्र विकास करने के लिए मौका ही नहीं दिया गया। फलतः स्त्री-पुरुषों के संयुक्त-बल से जो उत्तम काम हो पाता वह नहीं हो पाया और संसार की प्रगति हमेशा अधूरी ही रही। पर मौका मिलने पर स्त्री-शक्ति कितना उत्तम कार्य कर सकती है, उसका सुन्दर बोध-पाठ बारडोली की वीरांगनाओं ने संसार को दिखा दिया है। जिस दिन संसार स्त्री-शक्ति का सम्पूर्ण और सुन्दर उपयोग करना सीख लेगा, उसके अनेक दुःख, क्लेश और परिताप अदृश्य हो जायेंगे, सामाजिक बुराईयाँ नष्ट हो जायँगी और जिसको हम सच्चा स्वराज्य और आत्म-सिद्धि कहते हैं वही सर्वत्र विराजेगा।”

“श्री वल्लभभाई ने बारडोली के युद्ध में सच्ची चाबी हाथ में ले ली। इसी चाबी से अब शेष द्वार भी खुल जायँगे और भारतवर्ष की विजय होगी।”

सौ० शारदा महेता

विजयोत्सव (१)

रविवार १२ अगस्त का दिन भारतवर्ष के इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखा जायगा। वह और उसके आस पास के चार-पाँच दिनों में मैंने वहाँ जो कुछ देखा उसे अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। वह तो देव-दुर्लभ दृश्य था। वारडौली के प्रत्येक कण में पवित्रता और दिव्यता का मैं दर्शन कर रहा था। वहाँ की वायु को प्रत्येक स्पन्दन हृदय को ऊँचा उठाने वाला था।

वह विजय-महोत्सव का दिन था। प्रत्येक गाँव जीवन और उत्साह की बाढ़ सी आई हुई थी। ऐसी बाढ़ कि जिसका हम बाहर के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इन डेढ़-दो सौ वर्षों से ऐसी गुलामी में संडते आ रहे हैं कि विजय और महोत्सव के अर्थ को भी भूल गये हैं। सदियों से दवा हुआ हमारा गुलाम दिला जीवन-संघर्ष की अपेक्षा अधिक भयंकर युद्ध की, अथवा अंचली-सी नौकरी मिलने, या आराम से दो रोटी खाने की अपेक्षा बढ़कर विजय को कल्पना भी नहीं कर सकता।

विजयी वारडोली

अब वे पूर्वज भी नहीं रहे जो प्राचीन युद्धों और विजयों की कहानियाँ सुना-सुना कर हमारी नसों में नवजीवन और नवाकांक्षायें भरते। ऐसे विषम समय में वारडोली के अप्रतिम युद्ध और उससे भी अप्रतिम विजय-महोत्सव ने अगर भारतवर्ष के नहीं, गुजरात के नहीं तो कम से कम वारडोली के जीवन में तो सचमुच एक अलौकिक दृश्य उपस्थित कर दिया था। वह महोत्सव मैंने अपनी आंखों देखा। पर सच तो यह है कि उसे देख कर भी मैं उसके सम्पूर्ण आनन्द को अनुभव नहीं कर सका। विजय का जितना आनन्द प्रत्यक्ष योद्धा को होता है, उसका अनुभव दूसरा आदमी नहीं कर सकता। उसे तो एक फलक-मात्र दिखाई देती है। वारडोली के उन वीर स्त्री-पुरुषों के चेहरे पर जो असाधारण तेज था। उसकी समता मैं अपने अन्दर नहीं पाता था। सरदार वल्लभभाई के दर्शनार्थ आनेवाली स्त्रियों के झुण्ड में मैं एक स्वाधीन राष्ट्र की माताओं का दर्शन कर रहा था। उन का लिबास किसानों और भाषा देहाती थी। पर वही तो वारडोली की शक्तियाँ थीं। श्रीमती शारदा बहन मेहता एक स्थान पर लिखती हैं, और यथार्थ लिखती हैं “वारडोली की स्त्रियाँ तो पुरुषों से भी दो कदम आगे थीं। उनके सामने खड़े होते ही दिल में यही भाव पैदा होता है

विजयोत्सव

कि हम किसी सामान्य जनता के सामने नहीं एक शक्ति के सामने खड़े हैं। उनकी आँखों में ऐसा तेज है, उनकी वाणी और मन भी वैसा ही है। अपने धन, दौलत, जानवर, जमीन को लुटते देखकर भी उनके चेहरे पर आप को शोक की रेखा तक नहीं दिखाई देगी। हमेशा हँसमुख ! घर में अन्धेरा, दरवाजे खिड़कियाँ सब बन्द ! परन्तु जब बाहर आकर घाते करती तब मानों आनन्द का स्रोत उमड़ने लगता है। दुःख को सुख समझने वाले अगर कहीं हो तो उनका यही प्रथम दर्शन था।

ताल्लुके में विजयोत्सव का दिन ११ अगस्त निश्चित किया गया था। ता० १२ अगस्त को कस्बे में स्वराज्य-आश्रम पर महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विराट् सभा का आयोजन हो रहा था। और उसी दिन सूरत में शाम को विजयोत्सव मनाने के लिए सत्याग्रही स्वयं-सेवको, सरदार साहब, उनके साथी, तथा स्वयं महात्माजी को भी निमन्त्रित किया गया था।

रेल में एक किसान ने पूछा—

“केम वनमाली भाई, सरदार साहब आवती काले वाजी-पुरा आववान छे ने ?”

“हा स्तो !” और सरदार साहब तथा महात्माजी के साथ उनकी जो बातचीत हुई उसे वनमाली भाई

बड़ी कृतार्थता को भावना से अपने साथियों को सुनाने लगे ।

तारीख १० अगस्त को जब मैं ताल्लुका के अन्य केन्द्रों के निरीक्षण के लिए जा रहा था तब रेल में इन वृद्ध पटेल का व मेरा साथ हो गया था । वनमाली भाई की अवस्था ६० वर्ष से कम न होगी, परन्तु उनकी आँखों में युवकों का-सा उत्साह और तेज चमक रहा था । ताल्लुके के प्रत्येक बालक, बालिका या स्त्री से लेकर ८० साल के बूढ़े तक में वही उत्साह मुझे दिखाई देता था । स्वयं वनमाली पटेल की जबानी ही मुझे मालूम हुआ कि करीब एक लाख रुपये कीमत की उनकी जमीनें खालसा हो गई थीं । ट्रेन में सारे रास्ते भर प्रत्येक मुसाफिर की जन्नान पर सत्याग्रह और विजय के सिवा दूसरा विषय न था । हर एक मुसाफिर अपने-अपने गाँव के पराक्रम, कष्ट तथा अधिकारियों की फजीहत के हाल सुना रहा था । इस तरह वीर गाथाएँ सुनते-सुनते मढ़ी स्टेशन आगया और आते ही मैं स्यादला जाने के लिए रेल से उतर पड़ा । उस दिन स्यादला-आश्रम के अधिष्ठाता और उस विभाग के सेनापति श्री फूलचन्दभाई शाह से मैं सत्याग्रह-सम्बन्धी आवश्यक जानकारी एकत्र करता रहा । इच्छा तो यही थी कि यहाँ का काम समझकरके मैं आगे बाजी-

पुरा तथा बालोड भी उसी दिन चला जाऊँ। परन्तु श्री फूलचन्दभाई के प्रेम-पूर्ण आग्रह के कारण तथा संगठन सब जगह एक-सा होने के कारण मैं ठहर गया और यह निश्चय किया कि दूसरे दिन जब महात्माजी तथा सरदार साहब वहाँ आवेंगे, तब वन्ही की पार्टी के साथ साथ अन्य केन्द्रों में मेरा भी भ्रमण हो जायगा।

दूसरे दिन १०॥ घजे की रेल से पू० महात्माजी स्यादला आश्रम पर आने वाले थे। स्वयं-सेवकों ने आश्रम-भूमि को अशोक तथा आम्र पल्लवों से खूब सजा दिया था। बीच मैदान में उन्नत राष्ट्र-ध्वज फहरा रहा था। हम लोग उत्सुक नयनों से महात्माजी की राह देखने लगे। आश्रम के दोनों ओर से वहने वाली दो नदियों में जल खूब भरा था। रास्ते में कीचड़ इतना था कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बीच-बीच में मेघराज भी कृपा कर रहे थे। ऐसी हालत में मुझे तो विश्वास नहीं होता था कि १००-५० से अधिक लोग आवेंगे, पर वहाँ तो देखते ही देखते ५-७ सौ पुरुष इकट्ठे हो गये और जितने पुरुष थे, उतनी ही करीब-करीब वहनें भी आई थीं।

ठीक ग्यारह घजे पूज्य महात्माजी तथा सरदार साहब की मोटर आई। साथ में जेल से छूटे हुए कुछ सत्याग्रही कैदी भी थे। श्री रविशंकरभाई व्यास और

विजयी बारडोली

चालोड के वीर युवक श्री सन्मुखलाल, शिवानन्द आदि इनमें प्रमुख थे। वाकानेर के कैदी बारडोली में ही ठहर गये थे। रविशंकरभाई को देखते ही मुझे स्वर्गीय मगनलाल भाई की याद हो आई। वही शरीर की गठन और सादगी आवाज, बातचीत करने का ढंग भी करीब-करीब वैसा ही। आश्रम में आकर ज्योही महात्माजी बैठे उनके सामने सफरी चरखा खोल कर रख दिया गया। महात्माजी के लिए दूध वही आगया। और शेष मेहमान भोजन करने चले गये। अब एक तरफ पूज्य महात्माजी कातते जाते और दूसरी तरफ से रविशंकरभाई से सत्याग्रही कैदियों के जेल के सुख-दुःख की कहानी सुनते जाते।

जेल सुपरिण्टेंडेंट ने कैदियों को सताने में अपने तरफ से कोई बात उठा न रखी थी। हर एक कैदी को अठारह-बीस सेर नाज पीसने को देते। और जेल का भोजन तो प्रख्यात हई है। साग के बदले पानी में भिगोये हुए पकी गोबी वगैरा के अँगुली इतने मोटे डण्ठल दिये जाते। रविशंकरभाई ने कहा “साग तो जहर का-सा था। पर मैं तो वह सब आँख मूद करके पी जाता। हाँ, राटी अच्छी तरह चबा-चबा करके खाता और दाल ऊपर से पी जाता।

पर श्री चिनाई ने तो कमाल किया। उनकी पवित्रता देख कर मैं चकित हो गया। सुत्रह से चक्की पर डटते तो शाम तक मुश्किल से १८—१८॥ सेर नाज का चूर्ण होता। वे थक कर चूर हो जाते, तब रोटी खाने को उठते और खुराक वही। पर उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। अपना काम कभी किसी दूसरे से नहीं कराया।

जेल के अन्य कैदियों के विषय में मित्रों से बात चीत करते हुए उन्होंने रोंगटे खड़े करने वाली कहानियाँ कही। टुके खर्च करे, तो कैदी अपने हर कोई व्यसन का सेवन कर सकते हैं। आधे पैसे खाकर कैदियों को बीड़ी, मिठाई आदि जो चाहे, सब पहुचाने वाले सिपाही भी वहाँ होते हैं। बीड़ी के लिए अधमता की हद्द को भी पार करने वाले कैदी जेलों में रहते हैं। जिन अपराधों के लिए जेल में जाते हैं, वे छूटते नहीं, बल्कि दो-चार नये गुन्हे सोख कर वे जेल से निकलते हैं। कितने ही सत्याग्रही भाई जेल में अपना स्वास्थ्य खोकर आये। विद्यालय के एक विद्यार्थी भाई दिनकर तो ऐसा जहरीला बुखार लेकर बाहर निकले थे कि महा प्रयास से कहीं उनका प्राण बच पाये थे।

इस तरह बात-चीत हो रही थी। तबतक तो सब लोग भोजन करके सभा के लिए तैयार हो गये।

विजयी बारडोली

सरदार साहब ' और महात्माजी भी उठकर बाहर मैदान में सभा-स्थान पर जा बिराजे । सभा का काम शुरू हुआ । बालक-बालिकाओं ने मधुर स्वर से पू० महात्माजी का स्वागत किया । सरदार साहब तथा महात्माजी के संचित, सुन्दर भाषण के बाद सभा का काम समाप्त हो गया । सभा में विजय के अवसर पर नम्र रहने और इस नवीन-शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्य में करने की ओर भाषणों का संकेत था ।

सभा समाप्त हुई । महात्मा जी और सरदार साहब नदी के उस पार बाजीपुरा और वालोड जाने के लिए रवाना हुए । आश्रम नदी-तीर पर ही था । नदी पार करने के लिए एक छोटी-सी किशती तैयार थी । दूसरे किनारे पर वालोड जाने के लिए दो मोटरें खड़ी थीं । नदी की ओर बढ़े । ठीक इसी समय पानी की महीन-महीन बूँदें गिरने लग गईं । बारडोली की काली जमीन और भी फिसलनी हो गई । नदी के फिसलने उत्तार पर क्रीचड़ में से एक दूसरे को सहारा देकर उतरने वाले उन अप्रतिम गुरु-शिष्यों का दर्शन बड़ा ही मनोमोहक था । युगल-मूर्ति किशती में बैठी और पार हो गईं । किशती लौट कर आई, तब हम लोग भी उस में बैठ कर पार होगये । पर बारडोली की वीर बहनें किशती के लिए

ठहरने वाली न थीं। वे तो साड़ियाँ ऊपर उठा कर बच्चों को गोद में लिये—

“सावरमति आश्रम सोहामणु रे”

“गांधीजी, सवराज लई वेला आवजो”

आदि गाती हुई, किलोल करती हुई नदी पार कर रही थीं। स्त्री-पुरुष आनन्द-उल्लास में इतने मग्न थे, उनके चेहरे पर धार्मिक भावना का सात्त्विक तेज ऐसा चमक रहा था कि वह एक राजनैतिक विजयोत्सव की अपेक्षा मुझे सचमुच धार्मिक महोत्सव ही दिखाई दिया। मुझे निश्चय है कि जिस दिन यह जागृति सारे देश में फैल जायगी, जिस दिन पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी जातीय अधिकारों के लिए ऐसी मदमाती हो बच्चों को गोद में लिये-लिये देश में घूमने लगेंगी और जिस दिन देहात हमारा कार्य क्षेत्र हो जायगा, हम उन्हीं में मिल जायेंगे, वही दिन स्वराज्य-प्राप्ति का होगा। वारडोली में जो जागृति फैली हुई है, उसकी कल्पना, लाहौर, अमृतसर, इलाहाबाद या कानपुर में बैठ कर नहीं हो सकती। वह तो प्रत्यक्ष देखने पर ही समझ में आसकती है।

वालोड की सभा और भी बड़ी थी। ३,००० से कम लोग न होंगे। रानी-परज के लोग भी काफी थे। महारिमाजी तथा सरदार साहब के लिए एक सुन्दर लता-

विजयी बारडोली

मण्डप बनाया गया था, जिसमें ताड़ के पीले पत्तों के मनोहर पुष्प बना-बना कर लगाये गये थे । यह डा० चन्द्रूलाल की छावनी थी । वे बड़े कुशल सेनापति हैं । उनके सैनिकों में एक अद्भुत तत्परता, चाणाक्षता, आज्ञाधारिता तथा तेज था । कवि फूलचन्द का विख्यात भजन-मण्डल भी यहीं था । ज्यो ही सभा का काम आरम्भ हुआ, भजन-मण्डल ने यह गीत ललकारा—

हाक चागी बल्लभनी विश्वमां रे,
तोप बलियाने कधा म्हात—हाक०
प्राण फूंक्या खेडूना हाडमा रे,
कायरता ने मारी लात—हाक०
हाथ हेठा पडया सरकारना रे,
वधी सत्याग्रहीनी साख—हाक०
कर्यु पाणी पोताना लोहीनुं रे,
निज भाडुनी सेवा काज—हाक०
कर्यु साबीत कोई थी ना हठे रे,
शूरा सत्याग्रही ना जमात—हाक०
जीत डंको वगाड्यो विश्वमा रे,
बारडोली जयजय कार—हाक०

सेनापति डा० चन्द्रूलाल भी सैनिकों में जा खड़े हो गये और खूब हाथ उठा-उठा कर गीत ललकारने लगे । उनकी बाँकी बाँकी मूछोवाले मुख पर, और बड़ी-बड़ी

आँखों में उस समय एक असाधारण आनन्द और तेज चमक रहा था ।

पू० महात्माजी ने नीचे लिखे चुने हुए शब्दों में किसानों को सत्याग्रही के कर्त्तव्य की याद दिलाई ।

“आप में से कितने ही लोगो का खयाल है कि हमें और भी अधिक लड़ने का मौका मिलता तो अच्छा होता । शायद मुझे भी ऐसा ही मालूम होता, परन्तु सत्याग्रही कभी अनुचित-रीति से लड़ना नहीं चाहता । हाँ, उचित रीति से तो वह आजन्म जूझता रहेगा । क्योंकि उसे तो लड़ाई में ही शान्ति प्राप्त होती है । ‘प्रति-पक्षी शर्तों का पालन न करे तो अच्छा हो । यदि ऐसा हो तो लड़ाई का खूब आनन्द लूटने का मौका मुझे मिलेगा’ यह वृत्ति सत्याग्रही की नहीं, असत्याग्रही की है । सरकार ने हमारे सरदार को प्रत्यक्ष नहीं बुलाया । इससे क्या ? सरदार को तो आम खाने से काम है, नाम पूछने से नहीं । इसलिए अगर आप यह कहें कि सरकार हमारे सरदार को बुलवाकर उनसे रूबरू बात-चीत करेगी, तभी हम सुलह करेंगे तो आप दोषी कहलावेंगे । इस मामले में तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है, जिससे आपके अथवा आपके सरदार के सच्चे मान की हानि हुई हो । शर्त का पालन कराने वाला तो ईश्वर था । अनेक उद्धृत भाषण करने के बाद सरकार को हमारी

शर्ते मानने पर मजबूर होना पड़ा। कमिश्नर ने अपना वह उद्धृत-पत्र प्रकाशित करने दिया तभी मैंने तो कहा कि हमारी विजय निश्चित है। सरकार ज्यो-ज्यो दोष करती गई, त्यों-त्यों हमारी विजय नज़दिक आती गई। सरकार को यह मामला जल्दी समेटना पड़ा, इसमें हमारे स्वाभिमान या प्रतिष्ठा को जरा भी क्षति नहीं पहुँची। सत्याग्रह के शास्त्री की हैसियत से मैं कहता हूँ कि मुझे सत्याग्रह की अनेक लड़ाइयों का अनुभव है, परन्तु उनमें से एक में भी इससे अधिक सच्ची और अधिक शुद्ध विजय नहीं मिली।”

इसके बाद सरदार वल्लभभाई का भी भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में फिर इस बात की याद दिलाई कि सन १९२१ की हमारी प्रतिज्ञा अभी अपूर्ण ही है। उसे पूरी करने में हमें अब लग जाना चाहिए, इत्यादि इधर भाषण हो रहे थे और उधर से वर्षा हो रही थी। पर सभा स्थिर थी। भाषणों के बाद बहनों ने फूल, चंदन से गुरु-शिष्यों का पूजन किया। अपने हाथ-कते सूत के हार उन्हें पहनाये और यथा-शक्ति भेंट तथा श्रीफल भी रक्खे। कुमारी मणीबेन पटेल (सरदार साहब की वीर पुत्री) इन दोनों लौकिक देवताओं की 'पुजारिन' बन गई थी। वे भेंट-पूजा की सामग्री एकत्र करती जातीं। इन युगल मूर्तियों का पूजन करने के लिए आने वाली भोली-भाली बहनों के

चेहरे पर एक पवित्र तेज था, जिसके दर्शन-मात्र से हृदय के विकार भाग जाते थे और उन्हीं की जैसी पवित्र भावनाओं का संचार हृदय में होने लग जाता था। उन्हें इस बात का शायद पता भी न होगा कि सुलह कैसे हुई ? किसने की ? और उसकी शर्तें क्या-क्या हैं ? उनके लिए तो पू० महात्माजी तथा सरदार साहब के दर्शन हो गये, उनकी अमृत-वाणी सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया, यही काफी था।

सभा समाप्त हुई और महात्माजी वांकानेर होते हुए मोटर से वारडोलो चले गये।

दूसरे दिन अर्थात्, ता० १८ को सुबह आठ बजे वारडोली कस्बे की तरफ से सरदार साहब को मान-पत्र दिया जाने वाला था। पू० महात्माजी के सामने मान-पत्र लेना सरदार साहब के लिए बड़े संकोच की बात थी। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मान-पत्र देने का अभी समय ही नहीं आया। वह तो जब हम १९२१ की प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे, तब आवेगा। सरदार साहब ने कहा—“अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने वाले तो भारत में यत्र-तत्र कई लोग पड़े हैं। उनके भाग्य में विज्ञापन-राजी नहीं है। विज्ञापन तो उनका हो रहा है, जो उसका पालन नहीं करते। मेरे लिए तो अहिंसा के पालन की बात भी करना छोटे मुँह बड़ी बात है। यह तो हिमालय की तलहटी में खड़े

रहकर उसके शिखर पर पहुँचने की बात करने के समान है। पर हाँ, दक्षिण में कन्या-कुमारी के तीर पर खड़े रह कर हिमालय के शिखर पर चढ़ने की बात करने वाले को अपेक्षा वह जरूर कुछ बुद्धिमान कहा जायगा, बस यही। मैं तो गांधीजी से यथा-शक्ति टूटा-फूटा संदेश लेकर उसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर उसीसे आपके अन्दर प्राणों का संचार हो गया, तो अहिंसा का पूर्ण-पालन मैं करता होता, तो अबतक १९२१ की प्रतिज्ञा का पालन करके न बैठ गया होता ?”

दोपहर को समस्त ताल्लुके की एक विराट्-सभा होने वाली थी। इसके लिए तमाम स्वयं-सेवकों तथा विभाग-पतियों को निमन्त्रित किया गया था। पर आगे के कार्यक्रम के विषय में पू० महात्माजी सेनापति से तथा सैनिकों से कुछ बात-चीत करनेवाले थे। इसलिए विट्टलजीन में पू० महात्माजी के स्थान पर उस ऐतिहासिक आम के पेड़ के नीचे ताल्लुके के समस्त स्वयं-सेवक करीब दो बजे एकत्र हुए।

पू० महात्माजी ने नीचे लिखे वचनों में स्वयं-सेवकों को उनके कर्तव्य की याद दिलाई।

अधुरी प्रतिज्ञा

“मुझे आपको याद दिलाना था कि हमने सन १९२२ के पुनर्विचार के बाद जो प्रतिज्ञा ली थी, वह अभी तक

विजयोत्सव

कायम है। वह प्रतिज्ञा केवल एक बार ही नहीं ली गई। अनेक बार दोहरा-दोहरा कर हमने उसे पक्की कर लिया है। लोगों से सलाह करके उसके पालन के लिए एक संगठन भी किया गया। बारडोली में जो रचनात्मक काम हो रहा है उसकी यह उत्पत्ति है। इसमें हमें कई आपत्तियाँ भेलनी पड़ी। फिर भी आजतक हम उसका पालन नहीं कर सके हैं।

“इसलिए यद्यपि आप उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तथापि इसमें कहीं आप होश न भूल जाँय, इसलिए इस उत्सव का उपयोग आत्म-निरीक्षण के लिए कर लें। यह विजय तो सिन्धु में विन्दु है। जहाँ ऐसा नेतृत्व हो और ऐसे स्वयं-सेवक हों, वहाँ ऐसी विजय का मिलना मैं बहुत भारी बात नहीं समझता। इसमें राज की सत्ता पर आक्रमण नहीं था। एक खास मामले में सिर्फ न्याय माँगा गया है। मेरा तो विश्वास है कि इस सत्याग्रह द्वारा इस तरह के न्याय जितनी आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं, वैसे और किसी तरह से नहीं किये जा सकते।

सत्याग्रह का प्रताप

“भारतवर्ष को इस युद्ध से इतना आश्चर्य चकित होने की कोई जरूरत नहीं। पर उसे आश्चर्य हो रहा है

विजयी बारडोली

उसका कारण यह है कि सत्याग्रह पर से उसका विश्वास विचलित हो गया था। भारत के पास सत्याग्रह का ऐसा कोई जबर्दस्त उदाहरण न था। बोरसद और नागपुर में भी सत्याग्रह हुआ था और अबतक मैंने उन पर कहीं अपना मत नहीं दिया; तथापि मैं मानता हूँ कि नागपुर की विजय भी सम्पूर्ण थी। सौभाग्य-वश या दुर्भाग्य-वश 'टाइम्स ऑफ इंडिया' जैसा हमारा विज्ञापन करने वाला उस समय कोई नहीं मिला था। उसकी निन्दा के कारण ही केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सारे संसार में बारडोली की नामवरी हो गई है, नहीं तो हमने कोई ऐसा भारी काम नहीं कर डाला है। भारी काम तो वह होगा, जब हम १९२१ की प्रतिज्ञा को पूरी कर लेंगे। जबतक हम वह नहीं करते, तबतक बारडोली के सिर पर इसकी जिम्मेदारी वनी ही रहेगी।

सोलह आने जीत

“हमारे लिए यह कितने सौभाग्य की बात है कि ऐसे युद्ध का मौका हमें बारडोली में ही मिला और सम्पूर्ण सफलता भी प्राप्त हो गई। हमने जो-जो चाहा, सोलह आने मिल गया। हमने जो माँगा, उससे कहीं अधिक माँग सकते थे। जूच की शर्तों में हम यह भी शामिल कर सकते थे कि लगान वसूल करने में जो-जो जुल्म

और अत्याचार किये गये, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पर हमने यह शर्त नहीं रखी। इसे सरदार वल्लभभाई की उदारता समझिए। सत्याग्रही तो तात्त्विक वस्तु मिलते ही खुश हो जाता है। वह लोभ अथवा हठ नहीं करता।

क्या योद्धा केवल लड़ाके होते हैं ?

“तो अब हम क्या करें ? इस उत्सव को आत्म-निरीक्षण का अवसर बना दें। अगर कोई यह समझता हो कि भारत में स्वराज्य की स्थापना तो हम केवल लड़ाकू बनकर ही कर सकेंगे, तो वह भूलता है। कोई यह न समझे कि युद्धों में भी सैनिक हमेशा युद्ध की ही बातें किया करते हैं। गैरोवाल्डी तो इटली का महान् सेनापति था, युद्ध में उसने भारी वीरता दिखाई थी, पर जब युद्ध-काल नहीं होता था, तब वह हल चला कर खेती करता रहता था। दक्षिण आफ्रिका का जनरल बोथा कौन था ? वह भी तो वारडोली के किसानों के समान एक किसान ही था। वह ४०,००० भेड़ें रखता था। भेड़ों की परीक्षा करने में उसके जैसा कोई चतुर न था। यद्यपि उसकी कीर्ति तो योद्धा की हैसियत से फैली पर उसके जीवन में लड़ने के प्रसंग तो बहुत कम आये। उसके जीवन का अधिकांश भाग रचनात्मक कामों में

ही व्यतीत हुआ। इतना भारी व्यवसाय करने वाले के लिए कितने रचना-कौशल की जरूरत पड़ी होगी ? उसके बाद जनरल स्मट्स का उदाहरण लीजिए। वह अकेला जनरल नहीं है। उसका पेशा तो वकालत का है। वकीलों में अटर्नी जनरल होने के साथ ही वह कुशल किसान भी था। प्रिटोरिया के पास उसकी बहुत बड़ी जमींदारी है। वहाँ जैसे फल के वृक्ष हैं, वैसे आसपास के प्रदेशों में कहीं नहीं पाये जाते। ये सब ऐसे लोगों के उदाहरण हैं, जो संसार के विख्यात सेना-नायक थे और साथ ही जो रचनात्मक कार्य के महत्व को जानते थे।

“आज दक्षिण आफ्रिका में जो वैभव और समृद्धि है, वह पहले नहीं थी। वहाँ तो हवशी लोग रहते थे। उसके बाद नये लोगों ने आकर मुल्क को आबाद किया। सो क्या युद्ध के द्वारा आबाद किया ? युद्ध से तो मुल्क सिर्फ जीते जाते हैं। मुल्क आबाद तो रचनात्मक कार्य द्वारा ही होते हैं। आप सबने युद्ध में तो वल्लभभाई का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, क्या उसी तरह रचनात्मक कार्य में भी आप उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं ? आप रचनात्मक कार्य कर सकेंगे ? अगर नहीं, तो निश्चय-पूर्वक समझ लीजिए कि आप की सारी कमाई मिट्टी में मिल जायगी। फिर वारडोली के लोगों

के एक-लाख रुपये बचे तो क्या और न बचे तो भी क्या है ?

सफाई और आरोग्य स्वराज्य के अंग हैं

जरा बारडोली कस्बे के रास्तों को देखिए । यहाँ रहने वाले स्वयं-सेवकों के लिए उन्हें साफ करना एक दिन का काम है, उसके बाद तो नित्य आध घण्टा आकर लोगों को सिखाने की जरूरत है । आप पूछेंगे इससे स्वराज्य का क्या सम्बन्ध है ? मैं कहूँगा कि बहुत निकट सम्बन्ध है । अंग्रेजों के साथ लड़ कर ही स्वराज्य नहीं आवेगा । हम लड़ते तो वहाँ, जहाँ पर वह हमारी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करेगी । पर क्या हम जंगली मनुष्यों का-सा स्वराज्य चाहते हैं कि जिसमें अंग्रेज चले-जायँ उसके बाद हम जैसे चाहे, रहे, जहाँ चाहे गन्दगी करें ?

“सत्याग्रही छावनियो ने आरोग्य के नियमों का कितना प्रचार किया है ? इसमें तो छूआछूत का प्रश्न नहीं है न ? यह तो इस बात को प्रगट करता है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनसे हमारी सहानुभूति कितनी है । अगर हम अपने मकान के आसपास का आँगन साफ करके ही सन्तुष्ट हो जायँगे, तो स्वराज्य कदापि नहीं ले सकेंगे । अगर लोग आपस में इतना परस्पर सहयोग देना सीख जाँय, तो ताल्लुके की इस जमीन को

हम सुवर्ण भूमि बना सकते हैं। यहां की यह काली जमीन तो सुवर्ण की-सी ही है, पर अगर हम इन रास्तों को साफ रखना सीख जायेंगे, तो सांप, बिच्छू आदि की शिकायत नहीं रहेगी। मैं आपके दिल पर यह अंकित कर देना चाहता हूँ कि यह काम स्वराज्य का ही अंग है।

मद्यपान—निषेध

“शराब के प्रश्न पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। इस में सरकार क्या सहायता कर सकती है? अधिक से अधिक तो वह यह करेगी कि दूकानों के ठेके नीलाम न करे। पर लोगों को शराब पीने की जो आदत पड़ गई है, उसे सरकार कैसे मिटा सकती है? जिस दिन २५ करोड़ की आय को छोड़ने की शक्ति सरकार प्रकट कर सकेगी, उस दिन भी लोगों को शराब छोड़ने के लिए फूलचन्दभाई की जैसी भजन मण्डली की जरूरत तो रहेगी ही। क्या लोगो की चोटें आप अपने सिर पर झेलने को तैयार होंगे। हिन्दू और मुसलमान जहां एक दूसरे का सिर फोड़ रहे होंगे, वहाँ जाकर आप खुली छाती करके गोली झेलने के लिए तैयार हैं? वहाँ भी ऐसा ही शुद्ध सत्याग्रह कर सकेंगे?”

चर्खा शास्त्री वंनो

चर्खे पर आप की श्रद्धा है? क्या आपकी उस

में इतनी श्रद्धा है कि अगर चर्खा न होता तो हम यह सत्याग्रह ही नहीं कर सकते ? कितने ही सुन्दर सेवकों ने रानीपरज में चर्खे का अच्छा प्रचार किया है । अगर आप इस बात को समझ लें, तो क्या आप चर्खा शास्त्री बनने के लिए तैयार हैं ? राम या अल्लाह का नाम लेकर या चुपचाप चर्खे का काम करेंगे ? आज सारे देश में तक्रुए सुधारने वाले छः सात आदमी हैं । तक्रुआ बिलकुल सीधा हो यह अविष्कार तो इस चर्खे के युग में ही हुआ । मैसूर राज्य के द्वारा खादी का काम हो रहा है । उन्होंने कुछ तक्रुए बना कर भेजे । पर सब वापस करने पड़े । लक्ष्मीदास शुद्ध तक्रुओं के लिए जर्मनी से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं । अगर प्रत्येक आदमी इस में दिलचस्पी ले और अपना-अपना तक्रुआ खुद सीधा करने लग जाय, तो काम कितना आसान हो जाय ? खादी की हलचल में ये जो दो-चार कठिनाइयाँ हैं, वे अगर दूर हो जायँ, तो हम चर्खे से कहीं अधिक काम ले सकेंगे । क्या सरदार आप से यह काम ले सकेंगे ? नहीं तो आप तो कह देंगे कि वह सावरमती का बूढ़ा सन्यासी (महात्मा-गान्धी) तो यो ही बकता रहेगा । पर वह भी क्या करे जब सिवा चर्खा और खादी के वह और कुछ जानता ही नहीं ?

दलित जातियों का प्रश्न

“इसके बाद दलित जातियों का भयंकर प्रश्न है। दुबलाओं का प्रश्न भी इसी में आगया। क्या काली परज ही जानेवाली जातियाँ रानी परज से ओतप्रोत होकर हिल मिल जायँगी? अगर आप यह न कर सकें तो क्या फिर भी स्वराज्य की आशा करते हैं? क्या आप का यह ख्याल है कि स्वराज्य मिलने पर जो-जो लोग हठ करेंगे, सिर उठावेंगे उन्हें ठोक-पीट कर आप सीधा कर देंगे?

विजय का सच्चा उपयोग

“अगर आप इस विजय का उपयोग सारे देश को मुक्त करने के लिए करना चाहे तो इन तथा इन जैसी समस्त समस्याओं को आपको हल करना होगा। अगर आप यह न करना चाहे और दूसरा कोई रचनात्मक काम जानते हो तो वह कीजिए। लड़ाई तो थोड़ी देर के लिए होनी है। वह हमेशा की अवस्था नहीं है। हाँ, लोगों में लड़ने की शक्ति जरूर बढ़वाने के समान सुषुप्तावस्था में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। हमें अनेक काम करने हैं क्योंकि समाज में गन्दगी कम नहीं है। मिस मेयो को गालियाँ देना आसान है। उसने जो कुछ लिखा द्वेष-भाव से लिखा यह भी ठीक है। पर अगर

कोई यह कहे कि उसने जो कुछ लिखा है उसमें कोई सत्य ही नहीं तो मैं इस बात को कबूल नहीं कर सकता । उसकी लिखी कितनी ही बातें सच्ची हैं, परन्तु उन पर से जो अनुमान उसने निकाले हैं, वे झूठ हैं । हमारे अन्दर बाल-विवाह है वृद्ध-विवाह है, विधवाओं के प्रति अमानुष व्यवहार किया जाता है, उसके लिए हमारे पास क्या जवाब है ?

“यह अच्छा हुआ कि बारडोली के इस युद्ध में हिन्दू, मुसलमान, पारसी आदि सब एक साथ रह सके । पर क्या इससे हम यह मान सकते हैं कि हम सब हमेशा के लिए एक-दिल हो गये ? एकता का कारण सरदार का प्रेम तो था ही पर उनके साथ अक्बास साहब, इमाम साहब जैसे थे इसलिए भी वह कायम रह सकी । पर भारत में अन्यत्र चाहे जैसे कोमी मगड़े होते रहें तो भी बारडोली में कोई उपद्रव नहीं होगा, यह मान लेने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है ।

“इन सारी बातों का निवटारा किये बिना स्वराज्य नहीं मिल सकेगा । इंग्लैण्ड से कानून की दो किताबें लिख कर आजायेंगी तो उनसे स्वराज्य की स्थापना न होगी । अगर हुई भी तो उससे किसानों पर क्या असर पड़ेगा ? जनता को क्या लाभ होगा ? वह तो जब हम यह सब खुद

करने लग जायँ और अपनी समस्याओं को खुद ही हल भी करना सीखलें तब सच्चा लाभ होगा। और इसी का नाम स्वराज्य है।

“सार्वजनिक कोष का उपयोग कैसे हो ?

यहाँ जो स्वयं-सेवक हैं, वे जनता के धन का उपयोग कृपण की तरह करते हैं या खुले हाँथों ? अपने प्रति उदार होना तो बहुत भारी दूषण है। उदार तो दूसरे के प्रति होना चाहिए। जब हम अपने प्रति कृपण और दूसरे के प्रति उदार होना सीखेंगे तभी अपने और दूसरे के बीच का सम्बन्ध सुव्यस्थित होगा। मैं मानता हूँ कि आपने जो खर्च किया, उसमें अपव्यय नहीं हुआ। तथापि मैं बहुत खुश हूँगा यदि हम यह सिद्ध कर सकें कि जो कुछ खर्च किया गया है पूरी कृपणता-पूर्वक किया गया है। देश के अन्य भागों में ऐसे प्रसंग पर स्वयं-सेवक किस तरह बरतते हैं, उससे अगर आपको मैं बढ़कर पाऊँगा तो मुझे प्रसन्नता होगी।

हमारा नाप

“एक तो संसार में हमारा देश सबसे अधिक दरिद्र है। फिर हमारी सरकार ऐसी है जो अमेरिका को छोड़कर संसार में सब से अधिक अपव्ययी है। अगर हमें यहाँ के शफाखाने देखें तो उन में इंग्लैण्ड के समान खर्च

होता है। स्कॉट्लैण्ड के अस्पताल भी हमारे जितना खर्च नहीं करेंगे। स्वयं कर्नल मेडोक ने ही मुझसे कहा कि यहाँ जिस तरह एक बार काम में लाये गये पट्टे फेंक दिये जाते हैं, उस तरह हम इंग्लैण्ड में नहीं कर सकते वहाँ तो हम इन्हें धोकर फिर काम में ले लेते हैं। पर इंग्लैण्ड यहाँ यह सब कर सकता है। उसके लोग घर छोड़ कर बाहर निकल पड़े हैं। फिर उन्हें हिन्दुस्तान जैसा क्षेत्र लूटने को मिल गया है। पर हमारा सच्चा नाप तो भारत की अवस्था है। यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ सकते हैं यह देख कर और उसी के अनुसार हमारे लिए कितना जरूरी है इसका विचार करके अपने खर्च का नाप आप बना सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अन्त में हार जायेंगे।

लोक-प्रेम का थरमामोटर

“जिस में धीरज और श्रद्धा होगी वह तो यह सब काम करता ही रहेगा। मुझ जैसे जो अब मृत्यु की गोद में सोने को हैं और जिन्हें एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने की इच्छा है वे चाहे सफल न भी हो, पर आप तो अपने जीवन में प्रत्यक्ष स्वराज्य देखने की अवश्य ही इच्छा करेंगे। यदि यह सच है, तो अपने अन्तःकरण को टटोल कर देखिए कि जिस समुदाय को आप सुधारना चाहते

हैं, उसके प्रति सच्चा प्रेम और सहानुभूति आप के दिल में है या नहीं ? अगर उनमें से किसी का सर दर्द करता है तो आप को अपना सिर दुखने के समान दर्द होता है या नहीं ? अगर उनके पाखाने गन्दे हैं तो उन्हें साफ करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं ?

स्वराज्य लेना आसान है ।

“इन सारे रचनात्मक कामों के लिए इतने से स्वयं-सेवक काफी न होंगे । हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सरदार ने कहा कि फलों काम होना चाहिए कि वह उसी वक्त हो जाय । फिर वह काम कैसा भी हो, बर्तन साफ करना हो, पाखाने साफ करना हो अथवा मोटर में बैठना हो । ये सब उसी प्रेम और प्रामाणिकता से हम करें । अगर यह योग्यता हमारे अन्दर हो तो इस लगान सम्बन्धी युद्ध में जितनी आसानी से हमने विजय प्राप्त करली उतनी ही आसानी से हम स्वराज्य भी प्राप्त कर सकते हैं; इस सम्बन्ध में मेरे दिल में जरा भी सन्देह नहीं है ।”

(१७)

विजयोत्सव (२)

स्वयं-सेवको की परिषद् के बाद ही विजयोत्सव की सभा थी । वारहोली के स्वराज्य-आश्रम पर शायद ही कभी इतनी बड़ी सभा हुई हो । दस हजार स्त्री-पुरुष थे । उस विशाल आँगन में आदमी ही आदमी नज़र आते थे । सब से पहले श्री महादेवभाई देसाई ने मधुर स्वरों में मंगला-चरण किया :—

भाज मिल सब गीत गाओ

उस प्रभु के धन्यवाद ।

मन्दिरों में कंदरों में पर्वतों के

शिखर पर ।

गाते हैं लगातार सौ-सौ वार

मुनिवर धन्यवाद ।

सभा का कार्य प्रारम्भ हुआ । श्री कल्याणजी चिट्ठल-भाई ने विजय के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वारहोली की सेवा के लिए आये हुए सैनिकों और विभाग-पतियों के अति कृतज्ञता प्रकट की और आगे भी सहायता देने को उनसे प्रार्थना की ।

इसके बाद पू० महात्माजी ने कहा—

विजयी बारडोली

“आज के कार्य-क्रम का आरम्भ हमने ईश्वर-भजन से किया है। हमें इस बात की सूचना मिल चुकी है कि विजय पर हम फूलें नहीं। पर विजय पर हम फूलें नहीं यही काफी नहीं। यह कहना भी काफी नहीं कि बारडोली के भाई-बहनों ने अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की है। यद्यपि यह सच है कि वल्लभभाई जैसे सेनानायक के अथक प्रयत्नों से विजय मिली, तथापि इतना कह देना भी पर्याप्त न होगा। उनको वफादार, परिश्रमी और सच्चे साथी नहीं मिले होते तो विजय कदापि नहीं मिल सकती थी। पर यह कह देने भर से भी काम नहीं चलेगा।

“सत्याग्रह का यह नियम है कि हम किसी को दुश्मन न समझें। पर संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं, जिन्हें यद्यपि हम तो अपना दुश्मन नहीं समझते, तथापि हमें वे अपना दुश्मन समझते हैं और हमें यह मानने के लिए मजबूर करने की चेष्टा करते हैं कि उन्हें हम अपना दुश्मन समझें। हम ऐसे मनुष्यों का नाश नहीं, हृदय पलटना चाहते हैं।

“सरदार ने आपको तथा सरकार को अनेक बार सुनाया होगा कि जबतक सरकारी अधिकारियों का हृदय पलट नहीं जायगा, तबतक समझौता नहीं हो सकता। अब समझौता तो हो गया इसलिए कहीं न कहीं हृदय तो पलटा ही होगा। सत्याग्रही तो कभी स्वप्न में भी यह अभिमान

नहीं करेगा कि उसने अपने बल से कुछ किया। सत्याग्रही के मानी हैं शून्य, सत्याग्रही का बल तो ईश्वर का बल है। वह तो सदा गाता रहता है “निर्वल के बल राम।” सत्याग्रही जब अपने बल का अभिमान छोड़ देता है, वही ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। जहाँ कहीं हृदय पलट गया हो, हमें उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। पर यह धन्यवाद दे देना भी पर्याप्त नहीं है।

“हमें मानना चाहिए कि यह पलटा गवर्नर साहब के हृदय में हुआ है। अगर उनका हृदय न पलटा होता, तो क्या होता? जो कुछ भी होता, हमें तो इस पर कोई दुःख नहीं था। हम तो प्रतिज्ञा ले चुके थे। सरकार यदि तोप भी लाती, तो हमें इसकी चिन्ता न थी। आज हम विजयोत्सव मना रहे हैं, हर्ष मना रहे हैं, यह सन्तव्य है। पर मैं आपके दिल पर यह जमा देना चाहता हूँ कि इसका श्रेय गवर्नर को है। अपने धारा-सभा वाले भाषण में उन्होंने जो कठोरता दिखाई थी, यदि वही कायम रहती, ज़रा भी न मुकते, और यदि वे चाहते कि बरडोली के लोगों को तोप के मुँह उड़ा दिया जाय तो वे हमें मार सकते थे। आपने तो प्रतिज्ञा ही ले ली थी कि वे मारने आँवें तो भी आप नहीं मारेंगे। न मारेंगे और न पीठ दिखायेंगे। उनकी गोली के जवाब में लड़ो तो क्या पर

उँगली तक नहीं उठायेंगे। 'यही आपकी प्रतिज्ञा थी। अर्थात् यदि गवर्नर चाहते तो बारडोली को ज़मीनदोस्त कर सकते थे। यदि वे ऐसा करते तो भी बारडोली की तो विजय ही होती। पर वह विजय भिन्न प्रकार की होती। उस विजय का उत्सव मनाने के लिए हम जिन्दे नहीं बचते। पर इससे क्या? सारा हिन्दुस्तान, समस्त संसार उस विजय पर उत्सव मनाता। पर हम नहीं चाहते कि ऐसा कठिन हृदय किसी का—अधिकारियों का भी हो

“बारडोली ताल्लुके की इस विराट सभा में कि जहाँ १९२१ की महान प्रतिज्ञा लेने वाले एकत्र हुए हम इस बात को न भूले। हमारे अन्दर यदि कहीं अभिमान छिपा हुआ हो तो उसे निकाल बाहर करने के लिए मैंने यह प्रस्तावना की है।

“मैं तो दूर बैठकर आपकी विजय की कामना किया करता था। यह भी सच है कि मैं आपके बीच आकर काम करने वाला नहीं हूँ। यद्यपि मैं वल्लभभाई के वश में था, जब वे चाहते मुझे यहाँ बुला सकते थे, पर आपकी इस विजय के श्रेय को मैं तो नहीं ले सकता। यह विजय तो आपकी और आपके सरदार की है। उसमें गवर्नर का भी हिस्सा है और यदि गवर्नर का हिस्सा है तो उसके



महात्माजी वालेकों में

विजया चारडोली

४१



अधिकारियों तथा धारा-सभा के सभ्यों का भी हिस्सा है । जिन-जिन लोगों ने इस समझौते के लिए सच्चे दिल से कोशिश की उन सबका इसमें हिस्सा है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए । इस विजय के लिए ईश्वर को तो अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिए । पर वह तो स्वयं अलिप्त रह कर मिट्टी के चित्रों को निमित्त बनाकर उनसे काम लेता रहता है । इसलिए जिन-जिन को इस यश का हिस्सा हमें देना चाहिए, उन सब को दे । ऐसा करने पर अन्त में हमारे लिए बहुत कम बचा रहेगा और यह अच्छा भी है ।

“यह तो आपकी प्रतिज्ञा के पूर्वार्ध का पालन हुआ है । उसके उत्तरार्ध पर अभी अमल करना बाकी है । सरकार से जो लेना था, वह तां मिल गया । इसलिए आपको अब पुराना लगान फौरन अदा कर देना चाहिए । जिन्होंने हमारा विरोध किया हो, उन्हें फिर मित्र बना लीजिएगा । इस ताल्लुके में जो पुराने अधिकारी हों उनसे भी मित्रता कर लांजिए । नहीं तो कहा जायगा कि आपने अपनी प्रतिज्ञा का भंग कर दिया । हमारी प्रतिज्ञा के पहले भाग के लिए हमे सरकार के पास जाना था । पर यह दूसरा भाग तो हमें ही सिद्ध करके दिखा देना है । हृदय में किसी के प्रति क्रोध न रहे, दुर्भाव न रहे ।

“अब आगे बढ़ें । यह प्रतिज्ञा तो नई और एक छोटी-

सी प्रतिज्ञा है ? यह उस सिन्धु का बिन्दु है। सन् १९२२ में इस ताल्लुके में जो प्रतिज्ञा ली गई थी, वह भीषण प्रतिज्ञा थी। वह प्रतिज्ञा अभी अचूरी है। यह तो आपने उसके पालन के लिए तालीम प्राप्त की है। अब मैं आप से और ईश्वर से चाहता हूँ कि आप इस महाप्रतिज्ञा का भी पालन करें।

“जिस सरदार के सेनापतित्व में आपने इस प्रतिज्ञा का इतना सुन्दर पालन किया, उसीके सेनापतित्व में आप यह भी करे। ऐसा स्वार्थ-त्यागी सरदार आपको और नहीं मिलेगा। यह मेरे सगे भाई के समान हैं। तथापि इतना प्रमाण-पत्र उन्हें देते हुए मुझे ज़रा भी संकोच नहीं होता।

“छाती में गोली मेलने को मैं इतना कठिन नहीं समझता। पर प्रतिदिन काम करना, प्रतिक्षण अपने आपसे झगड़ना, अपनी आत्मशुद्धि करना मुझे बड़ा कठिन मालूम होता है। गोली तो दो आदमी दो तरह से खा सकते हैं। एक तो अपराधी अपराध करके खाता है, पर इससे कहीं स्वराज्य मिल सकता है ? आत्मशुद्धि करके जो गोली खाई जाती है उसीमें स्वराज्य लाने की शक्ति है। और यह काम सरल नहीं है। जिसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, ओढ़ने-पहनने के लिए जिसके पास कपड़े नहीं

हैं, उसे खाने-पीने को देना, उसकी रोटा का प्रबन्ध कर देना, उसे उद्यमी बना देना, उसके ओढ़ने की व्यवस्था कर देना कठिन है। उत्कल-वासियों की जो दीन अवस्था है, शायद उमे आप भाई-बहन नहीं जानते होंगे। वहाँ के नर-कंकालों का हाल मैंने खासकर बहनों को कई बार सुनाया है। अगर फिर वह कहानी मैं कहने लगूँ तो मैं और आप भी रोने लग जायँ। यह आपको शायद अल्युक्ति मालूम होती हो पर अगर वहाँ आपको मैं ले जाऊँ तो आप उनकी दशा अपनी आँखों देख सकते हैं। कंकानों में मांस और चरबी भरना तो कठिन है, पर यही हमारी प्रतिज्ञा है।

“जबतक आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर डालते यह समझिएगा कि आपके सिर पर कर्ज है। इस कर्ज अदा करने की शक्ति और सुबुद्धि परमात्मा हम सबको दे।”

इसके बाद सरदार बल्लभभाई किसानों के सामने भावी कार्यक्रम पेश करने हुए बोले—

“सरकार के साथ लड़ने में मजा तो जरूर आता है, पर याद रखिए कि मुझे तो आपमें भी लड़ना पड़ेगा। किसान अपनी ही गलतियों के कारण तकलीफें उठा रहे हैं ? मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं उसमें आपका

साथ चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ कि बारडोली ताल्लुके की बहनें जिन्होंने मुझे अपने भाई के समान समझा है, वे इस काम में मेरी सहायता करें । उनकी सहायता के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा ।

“मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि यदि सरकार सारा लगान माफ भी कर दे, फिर भी अगर आप खुद न चाहें तो आप सुखी नहीं हो सकते । सत्ता के जुल्मों के विरोध में आपका लड़ना तो मुझे पसन्द है । पर हमें जान लेना चाहिए कि हमें अपनी मूर्खता के कारण भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयों में पड़ना पड़ता है । अपने दुःखों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं ।

“इसलिए अब मैं बारडोली ताल्लुके के तमाम जातीय संगठनों से कहूँगा कि अपनी-अपनी पंचायतों को पुनर्जीवित कीजिए, पुरानी हड्डियों में नवचेतन भरिए । पंचायतें तो ऐसी हो, जिनसे गरीबों की रक्षा हो । जिनके द्वारा समस्त जाति का पुनरुद्धार हो जाय ।

“क्या छोटे-छोटे बच्चों का विवाह करके उन्हें मार डालने से किसी जाति का भला हो सकता है ? जो लोग अपनी छाती पर गोली भेलने की तैयारी करने का दावा कर रहे हो क्या वे कभी अपने नन्हे-नन्हे बालकों का विवाह करेंगे ? क्या यह उन्हें शोभा देता है कि उनके

विजयोत्सव (२)

लिए सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़ें कि वे अपने बालको का विवाह अमुक वय से पहले न करें। अगर हमें सुधारने के लिए सरकार को कानून बनाने पड़ें तब तो हम उससे कैसे लड़ सकेंगे ?

“जिस प्रकार हम चाहते थे कि सरकार का हृदय पलट जाय उसी तरह हमें अपना हृदय भी पलटना होगा ।

“परमात्मा को साक्षी रखकर हमने जो प्रतिज्ञा ली थी, उसका पालन हम कर चुके । आज हम अपनी विजय मनाने के लिए एकत्र हुए हैं । इसमें भाग लेने का सबको अधिकार है । परन्तु इस विजयोत्सव के बाद हमारे सिर पर कितनी भारी जिम्मेदारी है, इसका खयाल बना रहना जरूरी है । अब हमें स्थायी काम उठाने चाहिए, जिनसे ऐसे सत्याग्रह करने की जरूरत ही न रह जाय ।

“स्वयं मैं तो, जितना आप चाहें, आपके बीच रहने के लिए तैयार हूँ । गाँव-गाँव घूमकर मैं आपको समझाऊँगा । बहनों से तथा बच्चों से मिलूँगा । पंचों को एकत्र करके समझाऊँगा कि मोक्ष की चाबी तो हमारे ही हाथ में है । उसके लिए कहीं तोप-बन्दूकों के सामने जूमने को आवश्यकता नहीं है । थोड़ा संयम सीख लेने की जरूरत है, कुछ पाप धो डालने हैं, कुछ मिथ्याभिमान छोड़ देना है, एक

समय जिसने तोप के गोले तक जाने की तैयारी कर ली है, उसके लिए यह सब जरा भी मुश्किल नहीं है। अगर मेरे साथी मेरी बात मान जायें तो वारडोली में हम ऐसा काम करके दिखा देंगे, जो भारत में आदर्श रूप हो जायगा। यह काम तो आपको तब प्यारा लगेगा जब आप स्वयं उसे करेंगे। हमने सत्याग्रह शुरू किया था, तब हमें यह कल्पना भी नहीं थी कि इसका परिणाम कैसा होगा। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों हमें इसमें आनन्द आने लगा और आपके अन्दर नवीन चैतन्य संचार करता गया। यही बात उस स्थिर और स्थायी रचनात्मक काम के विषय में भी चरितार्थ होगी, जिसे अब हम करने जा रहे हैं वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जायगा, यद्यपि वह है तो कठिन, त्यों-त्यों आपको उसके फल भीठे लगेंगे।

“इसलिए मुझे आशा है कि जिस प्रकार इस युद्ध में आप सबने मेरा साथ दिया, उसी प्रकार अब आगे जो काम होनेवाला है उसमें भी आप मेरा साथ देंगे। ईश्वर आपको ऐसी बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। परमात्मा आप का कल्याण करें।”

सरदार साँहव का भाषण जब समाप्त हुआ तब सभा में विलक्षण गम्भीरता छाई हुई थी। उस गम्भीरता में से शनैः-शनैः नीचे लिखी ध्वनि सुनाई देने लगी—

विजयोत्सव (२)

सुने री-मैने निर्वल के बल राम,
पिछली साख भई सन्तन की;
आठे सँवारे काम—सुने री०

जब लग गत्र बल अपनो बरल्यो
नेक सरो नहिं काम;
निर्वल भई बल राम पुकार्यो
आये आधे नाम—सुने री०

द्रपद-सुता निर्वल भई ता दिन
गह लाये निज धाम,
दुःशासन की भुजा थकित भई
वसन रूप भये श्याम—सुने री०

अपबल तपबल और बाहुबल
चौथा बल है दाम,
सूर किशोर कृपा से सब बल
हारे को हर नाम—सुने री०

भजन के बाद इमाम साहब अब्दुलकादिर वावज़ीर
ने कुरानेशरीफ से प्रार्थना की, और छन्द में वन्दे मातरम्
स्तोत्र का गान करके बारडोली का विजयमहोत्सव समाप्त
हो गया ।

बारडोलों की समा समाप्त होते ही यह सारा जन-
समुदाय स्टेशन की ओर जाने लगा । स्वयं-सेवकों के अपने-

विजयी बारडोली

अपने विभागानुसार दल बनाये गये और सब श्रेणी-बद्ध हो सूरत जाने के लिए स्टेशन की ओर चले ।

गाड़ी आई । स्वयं-सेवकों के लिए दो बड़े-बड़े डिब्बे रिजर्व करा लिये गये थे । पर जानेवालों मेंकेवल स्वयं-सेवक तो थे नहीं । विजयी सैनिकों का सूरत में नगर-प्रवेश देखने को सब लालायित थे । स्वयं-सेवकों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए आये-हुए जन-समुदाय में से भी सैकड़ों लोग गाड़ी पर चढ़ गये । राष्ट्रीय झण्डे तथा तोरणों से गाड़ी को खूब सजाया गया था । समय हुआ । और जयध्वनि, गायन आदि के बीच गाड़ी बारडोली से चली । प्रत्येक डिब्बे से वन्देमातरम्, महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभभाई की जय, 'हाक वागी वल्लभनी विश्वमां रे' आदि के जयवाद सुनाई दे रहे थे । जन-समुदाय विजयोन्माद में मस्त था । सूरत-स्टेशन पर व्योंही गाड़ी पहुँची, सारा स्टेशन जयध्वनि से काँपने लगा ।

तब यह हुआ था कि स्वयं-सेवक स्टेशन से तामी-तीर तक एक जुलूस में श्रेणी-बद्ध हो कर जायँ । वहाँ सभा होने वाली थी । स्टेशन के अन्दर तथा बाहर नागरिकों की भारी भीड़ थी । स्वयं-सेवक अपने-अपने दल बना कर खड़े हो गये । प्रत्येक दल के साथ अपने नाम का परिचायक साइनबोर्ड भी था ।

विजयोत्सव (२)

सबसे पहले पू० महात्माजी, सरदार साहब, अन्वास तैयबजी और इमाम साहब की गाड़ी रक्खी गई थी। उसके बाद स्वयं-सेवकों को लिवालाने के लिए ठेठ धारडोली तक जो रजाक बैण्ड गया था, वह था।

शाम का समय था। शहर रोशनी से जग-मगा रहा था। नागरिकों ने अपने मकानों को तथा दूकानों को सजाने में मानो अपने सारे कौशल और सम्पत्ति का प्रदर्शन कर दिया था। छतों पर, अटारियों पर, खिड़कियों में, गैलरियों में, पेड़ों पर, जहाँ कहीं भी मनुष्य बैठ सकते थे, रास्ते के दोनों तरफ हज़ारों स्त्री-पुरुष विजयी-सैनिकों के स्वागत और बधाई के लिए उपस्थित थे। सैरुडों तोरण तथा प्रेरक मुद्रालेख सड़क पर लटक रहे थे। दरवाजों की गिन्तों नहीं थीं। सारे शहर ने अनुपम शोभा और तेजधारण कर लिया था। ऐसी धन-वैभव से जगमगाती हुई सड़कों पर से वीर सत्याग्रहियों का जुलूस निकला। स्थान-स्थान पर उसे बधाइयाँ मिलनी जाती थीं। कहीं करतल-ध्वनि से तो कहीं जयनाद से। सैनिक “हांक वागी वल्लभनी” ललकारते थे।

डेढ़ दो घण्टे में जुलूस तामी के तीर पर पहुँचा। सभा-स्थान विशाल था। रात के समय जितनी दूर तक नजर पहुँचती थी गैम के प्रखर प्रकाश में आदमी ही आदमी

दिखाई देते थे । ताम्री के तीर पर सदियों से भारत के वीर सैनिकों के पुनीत चरण नहीं पड़े थे । 'इन्होंने उसका हृदय अभिमान से मानों फूट रहा था । और अंग्रेजों की वह प्राचीन कोठी ? वह निशीत अन्धकार में न जाने कहाँ दूर छिपी हुई थी । इससे मालूम होता था कि सभापति के मंच के पास भाषणों की रिपोर्ट लेने के लिए बैठे हुए सी० आई० डी० के उन निस्तेज मुख वाले हिन्दुस्तानी आदमियों की अपेक्षा उस कोठी के जड़ पत्थरों और ईंटों में कहीं अधिक ह्या थी ।

सभापति सूरत के विख्यात नेता श्री दयालजी भाई थे । अरे, आज तो धारा-सभा के सभ्य राव बहादुर श्री भीमभाई नाईक के सिर पर भी गांधी टोपी चमकने लग गई । सभापति के आसन ग्रहण करने पर पू० महात्माजी ने नीचे लिखा भाषण दिया । यद्यपि भाषण के बीच में कई बार जोरो से बारिश हुई । परन्तु सभा निश्चल थी ।

“आज सूरत के नागरिक इतनी असुविधा सह कर भी यहाँ बैठे हैं, वह मुझे सन् १९२३ की याद दिला रही है । इसी मैदान में मैंने आपके सम्मुख जो भाषण दिया था, वह आज भी मेरे कानों में गूँज रहा है । शायद आपके कानों में भी गूँजता हो । उस समय के कार्यक्रम में आपने जो नहीं किया, उसकी याद मैं आपको दिला देना

चाहता हूँ । वारडोलो की विजय पर आप और वारडोलो शान्त हो कर न बैठ जायँ । सह-भोजन करके और अपने आपको कृतार्थ मान कर यदि आप बैठे रहेंगे, तो समझ लेना कि आप वारडोलो का रहस्य ही नहीं समझे, उस विजय से जितना लाभ उठाना चाहिए, आपने नहीं उठाया ।

मैं तो वरनभभाई के साथ चार-पाँच दिन रहा, उतने ही मैं मैंने उनके मुँह से सुन लिया कि सरकार से लड़ना आसान है, पर लोगों से लड़ना मुश्किल है । सरकार के साथ लड़ना आसान इसलिए है कि सरकार का तिल भर अन्याय, हो तो हम उसका ताड़ बनाना जानते हैं । उसका छोटा-सा अन्याय भी हमें भारी मालूम होता है और मालूम होना भी चाहिए—जिसे ऐसा न मालूम हो, समझ लेना कि वह जाति मूर्च्छित है । पर जब हमें खुद अपने अन्दर कोई सुधार करना होता है, तब हम कर्त्तव्य से विमुख हो जाते हैं । इसीलिए मैंने वारडोलो के लोगों से पहले कहा था—“आपने अपनी प्रतिज्ञा के पूर्वार्द्ध का पालन किया है। अब उत्तरार्द्ध का पालन कीजिए । वह है, पुराना लगान अदा कर देना । पर इस उत्तरार्द्ध के गर्भ में रचनात्मक काम की अधूरी प्रतिज्ञा भी छिपी हुई है ।

“वारडोलो में मैं असीम जागृति देखकर आया हूँ । उन वदनों की सेवा हम किम तरह करेंगे ? उनके दुःख

त्रिजयी बारडोली

किस तरह मिटावेंगे ? इसमें आप नागरिक क्या सहायता करेंगे ? बताइए, जवाब आपको देना है। सन् १९२१ में आपके पास से जाकर मैंने वाइसराय को एक लम्बी चिट्ठी लिखी थी, यह समझकर क्या आप और बारडोली मेरी प्रतिज्ञा में शामिल रहेंगे ? पर उस समय हमें जो करना था, वह आज तक नहीं किया। सत्याग्रह में सविनय भंग शामिल है, अन्धी-सत्ता का सदा विरोध करना भी उसमें समाविष्ट होता है। पर इस विरोध का आधार तो आत्म-निरीक्षण, आत्मशुद्धि और रचनात्मक कार्य है। यह आपने कितना किया ? इसका हिसाब यदि आपसे मैं मागूँ तो मेरा खयाल है, आपकी और मेरी आँखों से भी आँसू बहने लग जायँ।

सन् १९२१ में जो था वही आज भी हूँ

“मैं तो जो सन् १९२१ में था, वही आज भी हूँ। उस समय जो कठिन शर्तें मैंने आपके सामने रखी थी, वहीं आज भी रखूँगा। मेरा तो खयाल है कि उन शर्तों का पालन किये बिना भारत को वह सुख, शान्ति, वैभव, स्वराज्य, राम-राज्य कदापि नहीं मिल सकता, जिसकी उसे जरूरत है। जबतक इस अलबेनी नगरी के हिन्दू-मुसलमान पागल बनकर, खुदा की निन्दा करके, धर्म के भूटे नाम पर लाठियाँ चलाते रहेंगे और अदालत में जाकर इन्सफ

माँगते रहेंगे, तबतक तो अपनी जवान पर स्वराज्य का नाम लेने का भी उन्हें अधिकार नहीं है। मैंने तो उस समय भी कह दिया था कि अगर आप सच्चे बहादुर हों, तो आपको एक दूसरे के साथ लड़ने का भी अधिकार है, पर अदालत में जाने का अधिकार नहीं। आजतक संसार में ऐसे लड़वैये नहीं देखे गये जो लड़करके अदालत में गये हों। अंग्रेज और जर्मन तोप-बंदूकों से लडे, पर अदालत में न्याय माँगने के लिए फिर नहीं गये। इसमें कुछ अशों में बहादुरी है। हिन्दू-मुसलमान ऐसा करें तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। अगर वे युद्ध की नीति और मर्यादा की रक्षा करके लड़ेंगे तो उनके नाम इतिहास में लिखे जायेंगे। जबतक वे वकील की सहायता न लगे, धन की मदद नहीं लेंगे, तलवार का ही आधार रखेंगे, उसीसे जूझेंगे, तभी तक वे शूरवीर कहलावेंगे, पर आज जिस ढंग से हम काम ले रहे हैं, उसमें तो नामर्द बनेंगे। इसमें धर्म नहीं। धर्म तो नम्रता में है। दूसरे के साथ रियायत, उदारता करने में है, मरने में अथवा लडते-लडते मारकर मरने में है। लड़करके अदालत में जाने में धर्म नहीं।

“आज सारे हिन्दुस्तान में दीन-हीन स्थिति फैली हुई है इममें से निकलने का मार्ग हम चारडोली में सीखे हैं। क्या चारडोली में हमने वीरता दिखा दी इससे ढोल पीट

कर नाचने गाने का अधिकार हमें मिल गया ? (इस समय जोरों से वर्षा होने लग गई । पर लोग अपने स्थान-से ज़रा भी विचलित नहीं हुए । वर्षा कुछ शान्त होने पर महात्माजी ने फिर भाषण शुरू किया ।) मैंने तो आपको सत्याग्रही की हैसियत से आत्मशुद्धि का धर्म समझाया । हम हिन्दुस्तान में रहने वाले, एक ही मिट्टी के बने हैं, उसी हिन्द-माता की गोद में पैदा हुए हैं । फिर हमारे धर्म भिन्न-भिन्न होने पर भी हम सगे-भाई की तरह क्यों नहीं रह सकते ?

“और एक कार्यक्रम तो है ही । क्या हिन्दुओं की हैसियत से हम हिन्दू-जाति का सुधार कर चुके ? हमारी पतित अवस्था के लिए हम कितने जिम्मेवार हैं ? खुद आप ही अपना हिसाब करेंगे तो देखेंगे कि बिना आत्म-शुद्धि के स्वराज्य नहीं मिल सकता । और किसी तरह स्वराज्य लेना मैं जानता ही नहीं । यही मेरी मर्यादा है । यही सत्याग्रह की भी मर्यादा है । जो स्वराज्य और किमी मार्ग से मिलता होगा, वह स्वराज्य नहीं और ही कुछ होगा ।

“जिस प्रकार हिन्दू-धर्म के अन्दर फैली हुई गंदगी हमें निकालना है, उसी तरह एक और कर्तव्य भी है । हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म वाले तथा दूसरे धर्म को माननेवाले जो

नर-कंकाल हैं, उनके प्रति आपका क्या धर्म है ? भारत के इन नर-कंकालों में आप चर्खे और मांस डालना चाहते हों, तो उसके लिए सिवा चर्खे के और कोई उपाय नहीं है। इसका छोटा-सा कारण हाल ही मे मेरे देखने में आया है। वह आपको सुना दूँ। कृषि-कमीशन की सैकड़ों पृष्ठों की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है। उस पर सर लल्लुभाई शामलदास की टीका मैंने पढ़ी। टीका में उन्होंने लिखा है कि कमिश्नर के सभ्यो ने बहुत भारी गलती की है। गृह-उद्योग वाले अध्याय में चर्खे का नाम तक लेना उन्हें उचित नहीं मालूम हुआ। जैसा कि सर लल्लुभाई ने कहा है, वे तो उसके नाम से भी चौंक गये। उसे अस्पृश्य समझकर दूर भाग गये। उसका उच्चारण तक करने में उन्हें लाज आती थी। इसका कारण क्या है ? जिस चर्खे के पीछे कितने ही लोग पागल हो रहे हैं, उसका नाम निशान तक नहीं ? अरे, उसकी निन्दा, या टीका भी नहीं। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि उसकी शक्ति से वे चौंक गये हैं। और इसमें मुझे चर्खे का एक ज़बर्दस्त समर्थन दिखाई देता है। (फिरवर्षा। इसके बाद शायद वह अंग्रेज़ी माल के बहिष्कार पर आनेवाले थे। पर भाषण यहीं समाप्त हो गया।) जो कुछ मुझे कहना था, मैंने कह दिया। अब मुझे कुछ कहना नहीं है। ”

रात के दस बज चुके थे। इसी बीच जब वर्षा हो रही थी, सूरत के व्यवहार-कुशल 'नागरिको ने शरदार साहब को मानपत्र देने का काम करके उस समय का उपयोग कर लिया। पू० महात्माजी का भाषण समाप्त हुआ और सभा विसर्जित हुई। पर अभी तो आज के कार्यक्रम का एक भाग और बचा था।

सार्वजनिक मिडल-स्कूल के मैदान में एक मनोहर कार्यक्रम की रचना हो रही थी। सूरत की बहनों ने विजयी सत्याग्रही भाइयों को बधाई देने के लिए निमन्त्रित किया था। वहाँ गरबे गाये जाने वाले थे। गरबा गुजरात की एक खास चीज है। बहने एकत्र होती और एक गोल बनाकर घूमती हैं एवं तालियों से ताल दे देकर गरबे गाती हैं। इनका राग बड़ा मनोहर होता है। मुझे पता नहीं कि उत्तर भारत में जहाँ पर्दे का अटल साम्राज्य है, कोई ऐसी वस्तु है भी या नहीं, जिसमें कुलीन महिलाये एकत्र होकर इस तरह गाती-बजाती और नाचती हो और पुरुष भी निर्दोष-निःसंकोच भाव से यह मनोहर वस्तु देख सकते हों।

पर आज का यह कार्यक्रम तो मुझे असाधारणतया रमणीय दिखाई दिया। क्षण-क्षण पर स्वर्ग की उपमा याद आती थी। पर भोगविलास-मय स्वर्ग में ऐसे पावन दृश्य कहाँ होंगे ? देवेन्द्र की सभा के विषय-लोलुप

विजयोत्सव (२)

देवों और वेश्योपम अप्सराओं के नाच-रंग इस दिव्य अलौकिक पावन दृश्य की तुलना में मुझे फीके ही नहीं घृणित दिखाई दिये। मुझे तो देवलोक से यह मर्त्यलोक ही अधिक पवित्र मालूम हुआ और हमेशा मालूम होता रहा है। पता नहीं लोग क्यों स्वर्गीय सुखों के पीछे इतने पागल से रहते हैं ? अरे, वहाँ कोई आदर्श है ? प्रेरक जीवनोद्देश भी है ? तपस्या है ? वह तो एक लम्बा-सा नाटक है, प्रदर्शनी है। टके खत्म हुए कि निकलो बाहर। “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति।”

इस स्कूल के मैदान में वहनों ने जो गरवे गाये, उनमें से कुछ चुन-चुन कर मैं अबतक प्रत्येक अध्याय के अन्त में देता आया हूँ।

गरवे खत्म होने पर किसी धनिक वहिन ने गाने-वाली प्रत्येक वहन को एक-एक बड़ी कटोरी भेंट दी। (गरवे गाने के लिए आने वाली वहनों को इस तरह कुछ देने की इधर प्रथा है।) पर उन सबने अपनी-अपनी कटोरी सत्याग्रह की भेंट में सरदार साहब के सामने लाकर रख दीं। इसके बाद सरदार साहब का एक वीर-संपूर्ण हृदय-स्पर्शी भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने वहनों को उनके इस प्रेम के लिए धन्यवाद दिया। स्त्री-शक्ति की महत्ता का वर्णन किया, देश में आनेवाली इस नई क्रान्ति में अपने

विजयी बारडोली

भाइयों की सहायता के लिए दौड़ पड़ने की भिन्ना माँगी, और बिदा चाही। बहनो ने अभ्यागतों को एक अत्यन्त हृदय-स्पर्शी भजन गाकर बिदा दी।

उस समय रात का एक बज चुका था, जब हम लोग दूर, सूरत के स्वराज्य-आश्रम पर विश्रान्ति के लिए पहुँचे।

इसके बाद स्थान-स्थान पर गुजरात के इस अप्रतिम सेनापति का जो सम्मान हुआ, उसका वर्णन करना कठिन है। आज यहाँ तो कल वहाँ इस तरह मानपत्रों का ताँता लग गया। ता० १६, १७ और १८ को अहमदाबाद ने सरदार साहब का जो सन्मान किया, वह अपूर्व था। स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए जो भीड़ थी, वह सन् १९२१ के जमाने की याद दिलाती थी। श्रीमती सरला-देवी ने स्टेशन पर उनको फूल-आरती लेकर बधाया, मित्रों ने उन्हें सुनहरे हार अर्पण किये, किसी ने मोती न्यौछावर किये, किसी ने लाखों रुपये के मोती लगाकर उनके स्वागत के लिए तोरण बनवाये। और इस खतरनाक राजनीति से दूर रहनेवाले सेठ मंगलदास ने जब सभा में अपने भाषण में बार-बार सत्याग्रह का उल्लेख किया, तब तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो कहीं युग तो नहीं पलट गया? अहमदाबाद के नागरिकों की ओर से दिये गये मान-पत्र के जवाब में सरदार साहब ने कहा—

“आज सुबह जत्र से मैंने इस शहर में पदार्पण किया है, अहमदाबाद के नागरिकों ने मुझ पर असीम प्रेम बरसाया है। उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से मैं इतना दब गया हूँ कि मैं किन शब्दों में अपने इस भाव को प्रकट करूँ, मुझे कुछ सूझता ही नहीं। इस समय तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं कुछ भी न कहूँ। चुपचाप बैठा रहूँ। तथापि आपने जो मान-पत्र दिये हैं, उनका कुछ तो जवाब मुझे देना ही चाहिए। इसलिए संक्षेप में दो शब्द कहता हूँ।

“आपने अहमदाबाद के नागरिकों की तरफ से जो मान-पत्र दिया है, उसमें मुझे गांधीजी का पट्टशिष्य कहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में वह योग्यता आवे। पर मैं जानता हूँ, मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि मुझ में वह योग्यता नहीं है। वह योग्यता प्राप्त करने के लिए मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे मैं नहीं जानता। मैं सच कहता हूँ कि आपने प्रेमावश में मेरे सम्बन्ध में जिन अनेक अत्युक्ति भरी बातों का उल्लेख किया है, उन्हें अगर कड़वी घूँट समझकर मैं पी जाऊ तो काम चल सकता है। पर यह बात ऐसी है जिसे मैं नहीं निगल सकता। आप सब जानते होंगे कि महाभारत में द्रोणाचार्य का एक भील-शिष्य था। उसने द्रोणाचार्य से एक भी बात भी नहीं

सुनी थी। वह तो अपने गुरु की मृणमय मूर्ति बनाकर उसीकी पूजा करता था। और उसीसे द्रोणाचार्य की विद्या सीखता था। और इस तरह जितनी विद्या उसने प्राप्त की थी, उतनी उनके और किसी शिष्य ने नहीं। इसका कारण यह था कि उसमें गुरु के प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी, उसका दिल स्वच्छ था, उसमें योग्यता थी। आप मुझे जिसका शिष्य कह रहे हैं वह गुरु तो रोज मेरे पास रहता है। उनका पट्ट शिष्य तो क्या, मुझमें तो इतनी भी योग्यता नहीं कि उनके अनेक शिष्यों में से एक मामूली शिष्य भी मैं हो सकूँ। इस सम्बन्ध में मेरे दिल में जरा भी सन्देह नहीं है। अगर वह योग्यता मुझमें होती तो आपने मुझसे भविष्य में जो आशाएँ की हैं उन्हें मैं आज ही सफल करके दिखा देता। मुझे आशा है कि भारत में उनके ऐसे अनेक शिष्य जायेंगे, जिन्होंने उनका दर्शन भी न किया होगा। जिन्होंने उनके शरीर की नहीं उनके मन्त्र की उपासना की होगी। इस पवित्र भूमि में कोई तो ऐसा ज़रूर होगा। कितने ही लोग पूछते हैं कि गांधीजी जब चले जावेंगे तब क्या होगा? मैं इस विषय में निर्भय हूँ। उन्हें स्वयं जो कुछ करना था वह कर चुके। अब जो शेष है वह तो आपको और मुझे करना है। उन्हें जो कुछ देना था वह दे चुके। अब तो हमारा काम रह गया है।

विजयोत्सव (२)

“धारडोली की विजय के लिए आप मेरा जो इतना सम्मान कर रहे हैं, उसका मैं पात्र नहीं हूँ। जैसे किसी असाध्य रोग से पीड़ित को जो इस लोक तथा परलोक के बीच झोले खाता है, एक सन्यासी मिन जाय और वह उसे एक जड़ी दे दे, जिसे घिसकर पिलाने से उसका रोग मिट जाय, वैसी ही हालत भारत के किसानों की है। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो सन्यासी को दी हुई जड़ी घिसकर रोगी को पिला देता है। यहाँ अगर बघाई का कोई पात्र है तो वह सन्यासी जिनने जड़ी दी है। वह मरीज भी कुछ सम्मान का पात्र है, जिसने वह दवा ले ली, संयम और पथ्य का पालन किया, जिनने हिन्दुस्तान के प्रेम को प्राप्त किया और जिसके प्रतिनिधि की हैसियत से आप मेरा यह सम्मान कर रहे हैं। यदि इस सम्मान का पात्र और कोई हो तो वे हैं, मेरे मार्थी, जिन्होंने आश्चर्यजनक अनुशासन का पालन किया, जिन्होंने मुझे यह भी न पूछा कि “कन आप कौन-ना हुक्म जारी करने वाले हैं ? कल क्या करेंगे ? गवर्नर से मिनने के लिए जानेवाले शिष्ट-मण्डल में किसे-किसे ले जायेंगे। पूना जाकर क्या करेंगे ?” मुझे ऐसे साथी मिले हैं, जिन्होंने मुझ पर जरा भी अविश्वास नहीं किया। सम्पूर्ण नियम-निष्ठा के साथ सारी बातों का पालन किया। गुजरात को ऐसे सेवकों पर

अभिमान है। यह उनका काम है। इस तरह यह प्रशंसा और अभिनन्दन सबको यथा-योग्य बाँटा जाय, तो मेरे हिस्से तो यह कोरा कागज ही बच रहेगा।

“युवक-संघ का मानपत्र देखकर मेरा दिल भावों से भर गया है। अगर अहमदाबाद के युवकों को मैं समझा सकूँ तो मैं उनसे कहूँगा कि आज तो गंगा का प्रवाह आपके दरवाजे पर आया है। परन्तु गंगा के तीर पर बसने-वाले गंगा के महत्त्व को नहीं जानते। हजारों मील से लोग उसमें नहाकर पवित्र होने को आते हैं। आज यदि संसार में कोई पवित्र-से-पवित्र स्थान है, तो इस अनेक हल-चलो वाले शहर में, साबरमती के उस पार है, जहाँ पर समस्त संसार के स्त्री-पुरुष पवित्र होने के लिए आते हैं। युवकों के लिए पवित्र होने का बड़ा अच्छा अवसर है। अगर वे इसकी महत्ता को जान लें तो वे इस गंगा से कभी बाहर निकलना ही न चाहे।

“किसानों के लिए मैंने जो किया उसके लिए मुझे मानपत्र देने की क्या जरूरत थी? मैं तो स्वयं किसान हूँ। मेरी नस नस में किसान का खून बहता है। जहाँ कहीं भी मुझे किसान दुःखी नज़र आते हैं मेरा दिल टूक-टूक होता है। भारत में, जहाँ ८० फी सैकड़ किसान हैं, वहाँ युवकों के लिए और क्या धर्म हो सकता है? यदि आप

किसानों की सेवा करना चाहें, दरिद्रनारायण के दर्शन करना चाहें, तो किसानों के झोंपड़ों में चले जायें। बारडोली के युद्ध में युवकसंघाने काफी भाग लिया है। बम्बई के युवक-संघ ने आरम्भ किया था। वहाँ की बहनें आई और किसानों के कष्ट देखकर उनका दिल रो पडा। उन्होंने बम्बई शहर को जगा दिया। इसके बाद सूरत और अहमदाबाद के युवकों में चैतन्य का संचार हुआ। यदि यह चैतन्य क्षणिक न हो, यदि यह प्रकाश दीपक के समान नहीं, बल्कि सूर्य के समान स्थायी हो तो, उसमें देश का कुछ कल्याण होगा। देश का कल्याण मेरे अथवा गांधीजी के हाथों में नहीं है, आप युवकों के हाथों में है। प्रत्येक देश में स्वतन्त्रता युवकों ने प्राप्त की है और उन्होंने उसे पचा कर भविष्य के युवकों के हाथों में सौंपी है। इस मान-पत्र के मानी तो ये हैं कि यह काम आपको पसन्द है। आपका दिल पसीजा है। मैं आशा करता हूँ कि अभी जो 'महाभारत' काम शेष रहा है, उसे हम सब मिलकर करेंगे।”

पू० महात्माजी ने अहमदाबाद की इस सभा में जो भाषण दिया वह समस्त सत्याग्रह और विजयात्सव का उपसंहार रूप है। इसलिए उसे यहाँ देकर मैं इस छोटो-सो पुस्तक को समाप्त करता हूँ—

विजयी बारडोली

“आज के इस प्रसंग पर न तो मेरे आने की जरूरत थी और न मेरे एक शब्द भी बोलने की। वल्लभभाई जैसे को मानपत्र दिया जाय, उसमें मेरे जैसे की जरूरत होना और मुझे कुछ बोलने के लिए कहा जाना, इसके तो मानी ये हुए कि हम दोनों मिलकर आपके सामने और आपकी सम्मति से “परस्पर स्तुतिकारक मण्डल” बना लें और हम दोनों उसके सभ्य बन जायें। अहमदाबाद के चतुर नागरिकों को यह घड़ी भर भी बरदाश्त नहीं करना चाहिए।

“वल्लभभाई जैसे नाम के पटेल हैं, वैसी ही उनकी साख भी है। बारडोली की विजय प्राप्त कर उन्होंने अपनी साख को कायम रक्खा। जो मालक या व्यापारी अपनी साख कायम रखता है उसे मान-पत्र देते हुए कही देखा या सुना नहीं गया है। मंगलदास सेठ अपने यहाँ आने वाली हुण्डियों को स्वीकार करते हैं इसलिए हमने उन्हें कितने मान-पत्र दिये हैं। यदि वे हुण्डी स्वीकार न करे तो, मैं नहीं जानता कि आप उनका क्या करे।

“आप विजय के लिए जो धन्यवाद देना या लेना चाहते हैं, सो उसका रहस्य अच्छी तरह समझ लें और उसका अनुकरण करे। यदि सच्ची बात पूछें तो आप जितना हज़म कर सके उतना ही खावे। पर अनुकरण ही

सफलता नहीं है, न अक्षरशः अनुकरण करना आसान ही है । घटना-घटना में साम्य भले ही दिखाई दे, पर जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न होता है, उसी प्रकार घटनाओं में भी अपनी विशेषता या व्यक्तित्व होता ही है । इसलिए सफलता तो उसी को मिलेगी जो सत्याग्रह के प्रसंगों को समझकर, सिद्धान्तों के रहस्य को जानकर, उन्हें हृद्ग्रम कर लेगा और फिर अनुकरण करेगा ।

“असहयोग, सत्याग्रह, सविनय भंग जैसे शब्दों का करोड़ों बार नामोच्चारण होता है । इनके नाम पर जिस तरह अच्छे काम होते हैं उसी तरह कई बार भूठे काम भी होते हैं । लोग इनका नाम इसलिए लेते हैं कि प्रत्येक प्रकार के कार्यकर्ता के अन्दर स्वराज्य की इच्छा होती है । पर केवल इच्छा कर लेने भरसे कोई काम नहीं हो जाता । प्यासे की प्यास पानी-पानी की चिल्लाहट मचाने से शान्त नहीं होती । वह तो तब शान्त होगी जब वह तलाब या कूँ पर जाय या वहाँ से कोई पानी लावे । अर्थान् प्यास बुझाने का उद्योग करने ही से वह शान्त होती है । इसी प्रकार यदि आप यहाँ सत्याग्रह की तारीफ के पुल बाँधकर अपने आपको कृतार्थ समझने लग जायँगे तो भूल करँगे ।

“इसलिए आपसे मेरी यह विनय है कि आप सत्याग्रह

विजयी बारडोली

के अर्थ को समझ लें । बारडोली में वल्लभभाई पटेल की विजय नहीं हुई । विजय तो सत्य और अहिंसा की हुई है । अगर आप इस बात को ठीक-ठीक समझ गये हों तो अपने प्रत्येक काम में इसका प्रयोग कीजिए । यह तो मैं नहीं कह सकता कि इस प्रयोग से आपको सफलता अवश्य ही मिल जायगी । ईश्वर ने हमें त्रिकालदर्शी नहीं बनाया । इसलिए हम नहीं जान सकते कि सच्ची सफलता हमें मिल रही है या नहीं । फलों आदमी सफल हुआ या नहीं यह अन्त तक कोई नहीं कह सकता । इसीलिए तो मणिलाल अपना अमर वाक्य कह गये हैं—

“कई लाखो निराशा मां,
अमर आशा छुपाई छे ।”

इसलिए निराश्रित और निष्काम भाव से यदि आप वल्लभभाई की भाँति सत्य और अहिंसा की पूरी आराधना करेंगे तो आपको भी जयमाल पहनाने वाले कोई-न-कोई मिल ही जायेंगे ।”

सत्यमेव जयते

विजय के बाद

❀ समझौते के अन्तरंग को जानने वाले सभी सज्जनों का यह मत है कि बम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने इसमें शुद्ध हृदय से साथ दिया। परन्तु मालूम होता है दूसरे छोटे-मोटे अंग्रेज अधिकारियों को इस समझौते से सन्तोष न हुआ। स्वयं महात्माजी ने भी यंग इण्डिया में लिखा था—“कहा जाता है, और यह देखने में भी आया है कि इन्डियन सिविल-सर्विस को समझौते से सन्तोष नहीं है। अगर वह सन्तुष्ट हो जाती तो सरदार और उसके कार्यों की जो बराबर निन्दा की जा रही है वह रुक जाती।” इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह था कि उपर्युक्त कथन के दो महीने बाद भी बम्बई के ‘टाइम्स’ के विशेष संवाददाता ने “वारडोली का संकट” आदि-आदि सनसनी पैदा करने वाले शीर्षक देकर एक लेख में, बिना वारडोली गये, लिखा था कि सरदार वल्लभभाई ने अपने सत्याग्रह संगठन को

* इस अध्याय का यह पहला हिस्सा श्री महादेवभाई देसाई की अप्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक से लिया गया है।

तोड़ा नहीं है। वह उसी प्रकार मजबूत है। सरदार इस बात को नहीं मानते कि सुलह हो गई है। वह और उनके साथी सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और वह बहुत से किसानों को जाँच के लिए उपस्थित नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके मुँह से परस्पर विरोधी बातें न निकल जायँ। यह सब झूठ था, जैसा कि श्री वल्लभभाई ने, जो इन दिनों कहीं गये हुए थे, बाहर से आने पर बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया। सरदार वल्लभभाई के प्रत्युत्तर को उस पत्र ने छाप दिया पर माफी का एक शब्द भी मुँह से न निकाला। बल्कि वही झूठी बातें तार से लन्दन भी भेज दी गईं; सो भी जाँच-समिति के सभ्यों के नामों की घोषणा करने के कुछ ही पहले।

सरदार वल्लभभाई ने देखा कि जाँच शुरू करने के पहले जनता का मत दूषित किया जा रहा है। अतः उन्होंने सरकार के रेवेन्यू मेम्बर से कमिटि के सभ्यों के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार शुरू किया। उन्होंने लिखा कि जिन दिनों समझौता हो रहा था, उन्हें शुरू से आखिर तक यह कहा जा रहा था और समझौते में भाग लेनेवाले सज्जनों ने इस बात को पुष्ट किया था कि ब्युडिशियल सर्विस के मि० डेविस समिति के सभ्य होंगे। और इस बात को

उन्होंने (वल्लभभाई ने) मंजूर भी कर लिया था । पर सरकार ने इसके जवाब में यह लिखा कि उसकी ओर से कभी यह निश्चित वचन नहीं दिया गया था कि श्री० डेविस ही जाँच-समिति में होंगे । इस पत्र के साथ ही सरकार ने मि० ब्रूमफील्ड और मि० मैक्स्वेल के नाम घोषित कर दिये । पर रेवेन्यू मेम्बर ने श्री वल्लभभाई को इस आशय का तार दिया कि यदि वह पूना चले जायँ तो रेवेन्यू मेम्बर उन्हें समझा सकेंगे कि मि० डेविस का नाम धर्यों वापस लेना पड़ा । श्री वल्लभभाई पूना गये, इसमें सरकार की परिस्थिति को समझने का खयाल उतना प्रधान नहीं था जितना समझौते के मार्ग में विघ्न पैदा करने वाली बात को दूर करके अपना सन्तोष कर लेने की इच्छा थी ।

समझौता होते समय कई बातें सर चुन्नीलाल महेता और सरदार वल्लभभाई के बीच तय हो चुकी थीं और कुछ बातें समझौते के फलितार्थ के ढंग पर निकलती थीं । पहले वर्ग की बातों में मि० डेविस की नियुक्ति वाली बात थी और दूसरे वर्ग की बातों में कर न लेने के कारण सत्याग्रहियों से दरुद-स्वरूप ली गई सब रकमों का लौटाना था । कैदियों को तो छोड़ दिया गया था, जव्त किये गये परवाने भी लौटा दिये गये थे, तथापि जिनकी जंगम सम्पत्ति जव्त की गई थी उन किसानों से वसूल किया

गया चौथाई दण्ड वापस नहीं किया गया था। और यह तो स्पष्ट ही था कि जिन सत्याग्रहियों की जंगम सम्पत्ति जब्त नहीं की गई थी, उन्हें यदि केवल पुराना लगान अंदा करना था तो जो जव्तियों के शिकार हो चुके थे उन पर चौथाई का दण्ड तो नहीं लादा जाना चाहिए। दुःख की बात तो यह थी कि जो सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे, जो सीमा-भूमि पर बैठे थे और जिन्होंने लगान देर से दिया था उन पर भी दण्ड लादा गया था। सरदार वल्लभभाई शुरू से ही रा० ब० भीमभाई नाईक से कहते आये हैं कि वह इन दण्डों को लौटा देने का प्रयत्न करें। राव बहादुर कलेक्टर और रेवेन्यू मेम्बर के पास गये भी थे, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरदार वल्लभभाई तो चाहे एक बार जॉच-समिति के सभ्यो वाली शर्त को छोड़ सकते थे, पर इस बात को कदापि नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए जब रेवेन्यू मेम्बर ने उन्हें समझाया कि सरकार मि० डेविस की नियुक्ति करने में क्यो असमर्थ है तब सरदार साहब ने कहा कि इस बात को वह भी अब खीचना नहीं चाहते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उन्हें सरकार की दलील जॉच गई, बल्कि इसलिए कि वह जानते थे कि एक बार इस मामले में घोषणा कर देने पर फिर उसी विषय पर पीछे हटने में

विजय के बाद

सरकार की शान में ज़रा ठीक नहीं मालूम होता था। पर चौथाई दण्ड अगर वापस नहीं किया गया तब तो इसमें सरकार की बड़ी बुराई होगी। अगर सरकार दण्ड वापस करने से इन्कार कर देगी तो उसके हेतु में ही लोगों को शंका होने लग जायगी। ऐसी हालत में जाँच-समिति से सत्याग्रही सहयोग नहीं करेंगे यदि समझौते से निपजने वाले फलितार्थों का पालन करने में सरकार आनाकानी करेगी। पर रेवेन्यू मेम्बर टस से मस न हुए। मालूम होता था, उन्हें इससे होने वाले बुरे से बुरे परिणाम की परवा न थी। तब श्री बल्लभभाई ने उनसे विदा ली और पूना छोड़ने ही वाले थे कि रेवेन्यू मेम्बर मोटर में दौड़े-दौड़े श्री बल्लभभाई के पास माननीय मि० प्रधान के बँगले पर आये और कहने लगे कि 'अभी गवर्नर साहब से बातचीत हुई थी; उन्होंने कहा कि दण्डों को लौटा देना तो एक गौण बात है। यदि बल्लभभाई कमिटी के सभ्यों को स्वीकार करते हो तो इस छोटी-सी बात पर अड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।' एक बार और इस बात का प्रमाण मिल गया कि जब गवर्नर शान्ति के लिए उत्सुक थे, उनके सलाहकार महज न्याय को मानने को भी तैयार न थे और युद्ध को निमन्त्रण देने में कोई बुराई नहीं समझते थे।

विजयी बारडोली

अगर यह भाव इसी तरह आगे भी बना रहा तो कोई यह नहीं कह सकता कि सत्याग्रह के अन्त के साथ-साथ किसानों और नौकरशाही के बीच के युद्ध का भी अन्त हो गया । किसान पुनः जाँच कराने के लिए लड़े और उन्हें विजय मिली । अब यह सरकार का काम है कि वह उनसे अपनी विजय का फल न छीने । जहाँ तक किसानों से सम्बन्ध है उनके सेना-नायक को तो रेवेन्यू मेम्बर को लिखे अपने अन्तिम पत्र में इस बात का चिन्ता-पूर्वक उल्लेख कर ही देना पड़ा कि—

“मैं समिति के सभ्यों को साफ-साफ इसी शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि यदि जाँच के बीच किसी समय मुझे यह मालूम हुआ कि न्याय का अनुसरण नहीं हो रहा है, अथवा जाँच के बाद मुझे दिखाई दिया कि समिति का निर्णय अन्याय-पूर्ण और अनुचित है, तो मुझे फिर युद्ध छेड़ देने का अधिकार है ।”

स्वयं बारडोली में इस समय समाज सुधार का काम बड़े जोरो से चल रहा है । प्रत्येक जाति का अपना संगठन बन गया है । वह जाति को एकत्र करके बाल-विवाह वृद्ध-विवाह आदि रोकने की प्रतिज्ञा उससे कराता है और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले के लिए बहिष्कार जैसे कड़े उपायो पर अमल किया जा रहा है । विवाह की मर्यादा



सत्याग्रह के मन्त्रद्रष्टा
महर्षि डॉल्स्टॉय

सर्दी भोतालाजी मास्तर

॥ ४३ ॥



स्वर्गीय लालाजी वारडोली सत्याग्रह से शुरू से दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने सरदार साहब को कई बार इस महान संग्राम के लिए अपनी सेवाएं भी अर्पण की थीं।

वजयी वारडोली

लड़के और लड़की के लिए कम-से-कम क्रमशः १८ और १४ रक्खी गई है। पर सिफारिश यह है कि २० और १६ वर्ष की आयु के पहले कोई विवाह न करे। कम-से-कम १६ वर्ष से पहले लड़की को पति-गृह पर न भेजे। खर्चीले रिवाजों पर भी इसी तरह के प्रतिबन्ध हो रहे हैं। सबसे अधिक जागृति तो रानीपरज और दुबलाओं में दिखाई देती है। सैकड़ों की संख्या में वे शराब-ताड़ी छोड़ते जा रहे हैं। इस जागृति को देख कर अंग्रेज तथा देशी राज्यों के अधिकारियों में बड़ी खलवली मच गई है। शायद उन्हें भय हो गया है कि कहीं सब लोग शराब छोड़ दें तो हमारा आवकारी विभाग ही बन्द न हो जाय। इसलिए इस आन्दोलन को रोकने की गरज से सरकारी अधिकारी अपनी भेद कला का प्रयोग कर रहे हैं। नमूने के लिए सूरत के जिला मॅजिस्ट्रेट का यह घोषणा पत्र देखिए—

“कलेक्टर का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट हुआ है कि कई लोग ताड़ी पीने और खजूर के पेड़ों के छोड़ने के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं, यह जाहिर किया गया है कि जो लोग (शराब या ताड़ी की) दूकानें करेंगे अथवा पेड़ रक्खेंगे, शराब या ताड़ी पीयेंगे, उनसे जुर्माना लिया जायगा, और ऐसे लोगों को पकड़ने वाले को इनाम दिया जायगा। इसलिए इस घोषणा पत्र द्वारा सब को सूचित

किया जाता है कि इस तरह जुर्माना वसूल करना गैर-कानूनन है। कोई ऐसे जुर्माने न दे। अगर कोई जबर-दस्ती जुर्माना माँगेगा या धमकी देकर उसे वसूल करेगा तो उस पर अदालत में मामला चलाया जायगा। इस आन्दोलन के संचालको को भी इस पत्र द्वारा सचेत किया जाता है कि वे ऐसे गैर-कानून कार्य बन्द कर दे। नहीं तो उनके विरुद्ध फर्याद मिलते ही अथवा अधिकारियों की नज़र में उपर्युक्त रीति के उदाहरण आते ही उन पर केस चलाया जायगा। शराब की दूकान करना अथवा खजूर के पेड़ रखना या बेचना अथवा उनमें से किसी को ताड़ी निकालने देना या नहीं; इस काम पर नौकरी करना या न करना एवं शराब पीना या न पीना यह सब प्रत्येक मनुष्य के अधिकार की बात है।”

धन्यवाद है इस राजधर्म को। यह तो 'विनाश काले विपरीत बुद्धि:' वाला हाल है। सरकार इधर तो सारे देश की स्वाधीनता को निगले बैठी है, नागरिकों के जन्म-सिद्ध अधिकार—स्वतंत्रता—के लिए यत्न करने वालों को राजद्रोही बताकर जेल, काले-पानी और फाँसी की सजायें देती है और उधर मानव-समाज को पशु बनाकर नष्ट करने वाली शराब पीने की सुविधायें अज्ञान लोगों के लिए करती है, उसके सेवन को मनुष्य का व्यक्तिगत अधिकार बताती है !

ये घोषणायें तो ऐसी हैं ! जिन्हें पढ़कर खून खौलने लगेता है। पर बारडोली में जो लोग काम कर रहे हैं वे अत्यंत संयमी हैं। वहाँ तो भलाई के लिए भी जोरो-जुल्म नहीं होता। हाँ, जातियों ने अपने संगठन करके अपने सदस्यों को व्यसनों वचाने के लिए कुछ नियम वगैरा धनाये हैं। इस तरह सुधार के नियम बना करके अपनी रक्षा करना तो प्रत्येक समाज का धर्म है। खासकर भारत जैसे देश में तो यह और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ की शासन-व्यवस्था में प्रजा के हित का खयाल तो ऐसा ही रक्खा जाता है जैसा कि उपर्युक्त घोषणा-पत्र से प्रकट होता है। ऐसी हालत में अगर समाज अपने नियमों का भंग करने वाले व्यक्ति से असहयोग न करे, व्यवहार बन्द न कर दे तो, वह अपनी रक्षा और किस तरह करेगा ? इसमें जो लोग जुर्माना देते हैं उनपर क्या ज़बर्दस्ती। क्या होती है ? जो समाज में रहना चाहते हैं वे उसे संतुष्ट करने के लिए, उसके नियमों का पालन करने के लिए निश्चित रकम समाज को अर्पण कर देते हैं। जो समाज में न रहना चाहें, न दें। इसे सरकार ज़बर्दस्ती कहती है। और उसकी कैद, काला-पानी उसकी कृपा है, बरदान है।

पर यदि सचमुच कोई जुल्म होता तो सरकार कभी चुपचाप न बैठती। इसके विपरीत शराब छोड़ने वालों को

विजयी बारडोली

सरकारी अधिकारी तो प्रत्यक्ष मारते हैं और उनसे जब-र्दस्ती न मालूम किन कागजों पर अँगूठा लगवाते हैं । इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मे उन्हीं गरीब लोगो के हलफिया बयान यहाँ दिये जा सकते थे । पर स्थानाभाव के कारण हम उन्हें यहाँ नहीं दे सकते ।

सरकारी जाँच-कमिटी में जैसा कि ऊपर कहा गया है, मि० मैक्स्वेल और मि० ब्रूमफील्ड नियुक्त किये गये हैं । उन्होने ता० १५ नवम्बर से बारडोली में अपना काम प्रारम्भ कर दिया है । किसानों की तरफ से बम्बई के प्रसिद्ध एडवोकेट श्री बालुभाई देसाई पैरवी कर रहे हैं । कमिटी गाँव-गाँव घूमती है और खूब तहकीकात कर रही है । इस जाँच मे कई ऐसी बातें प्रकट हो रही हैं, जिन्हें सुन कर दोनो सभ्य चकित हो जाते हैं । इस जाँच का विस्तृत हाल प्रकाशित होने पर वह भी पाठको की सेवा मे उपस्थित किया जायगा । तबतक हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह उस मंगल शक्ति का विजय करे जिसने संसार मे इस नये युग का प्रारम्भ किया है ।



परिशिष्ट

परिशिष्ट—(१)

तीन पत्र

[सत्याग्रह शुरू होने से पहले सरदार वल्लभभाई ने ता० ६ फरवरी को गवर्नर के नाम एक पत्र भेजा था। उसके उत्तर में उन्हें यह जवाब मिला था कि उनका पत्र रेवेन्यू विभाग को भेज दिया गया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी मि. जे. डब्ल्यू. स्मिथ ने उसका जो उत्तर दिया, और उसके बाद जो दो पत्र सरदार साहब की तरफ से मि० स्मिथ को और मि० स्मिथ की ओर से सरदार साहब को भेजे गये, उनका सार यहाँ दिया गया है—लेखक]

(१)

नं० ७२५९।२४-३१८६

रेवेन्यू डिपार्टमेंट

बम्बई किला १६-२-२८

जे. डब्ल्यू. स्मिथ, आई सी एस.

सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बम्बई सरकार की तरफ से

श्री० वल्लभभाई क्षेवरभाई पटेल को

विषय—बारडोली ताल्लुके का नया बन्दोबस्त

महाराज,

(१) ज़िला सूरत के बारडोली ताल्लुके के नये बन्दोबस्त के सम्बन्ध में माननीय गवर्नर साहब के नाम ता० ६-२-२८ को

विजयी बारडोली

आपने जो पत्र भेजा, उसका नीचे लिखे अनुसार जवाब देने की सूचना मुझे गवर्नर और उनकी कौंसिल की तरफ़ से प्राप्त हुई है।

(२) तारीख़ १३ फरवरी के टाइम्स से ज्ञात होता है कि आपने ता० १२ को बारडोली की सभा में भाषण करते हुए गवर्नर साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी के पत्र का यह अर्थ लगाया कि "नये बन्दोबस्त के विषय में किये गये अपने निर्णय पर सरकार पुनः विचार करने से इन्कार करती है। इसलिए आपने लगान न देने का आन्दोलन शुरू करने की सलाह लोगों को दी।" पर गवर्नर साहब ने आपका पत्र रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की तरफ़ उचित कार्यवाही के लिए भेजकर सरकारी कार्य-पद्धति का पालन किया था। इसलिए आपका उपर्युक्त अनुमान ग़लत है। इस हालत में आपने जो यह कहा है कि मैं अपने अनुयायियों को रोके हुए हूँ, उसका इस पत्र के जवाब से क्या सम्बन्ध है, सो गवर्नर साहब समझ नहीं सके हैं।

(३) गवर्नर तथा उनकी कौन्सिल इस बात को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकते कि गुजरात की सरकार की लगान-नीति के कारण बड़ा दुःख उठाना पड़ा है। इस बन्दोबस्त की मंजूरी देते समय उन्होंने जो यह कहा था कि यह ताल्लुका आने वाले तीस वर्षों में दिन-ब-दिन आबाद ही होता जायगा, इस पर वे अब भी दृढ़ हैं। बारडोली और चोर्यासी ताल्लुके का पिछले तीस वर्षों का इतिहास इस भविष्य-कथन का सम्पूर्णतया समर्थन करता है।

परिशिष्ट (१)

(४) आप लिखते हैं कि सेटलमेण्ट अफसर ने बन्दोबस्त नियमानुकूल नहीं किया, उन्होंने उन लोगों को बुलाकर बातचीत तथा तहकीकात नहीं की, जिनका इस मामले में प्रत्यक्ष हित-सम्बन्ध है। आपका यह कथन ठीक नहीं। मि० एम० एस० जयकर रेवेन्यू-विभाग के एक अनुभवी अधिकारी हैं और वह चरामर इन्स महीने तक गाँव-गाँव व खेत-खेत घूमे हैं, उन्होंने किसानों से बातचीत की है और पूर्ण दक्षता के साथ लगान कायम किया है। इस विभाग में लगान कायम करने को जो प्रयास चली आई है, उसके अनुसार ही उन्होंने लगान कायम किया है। इसलिए यह कथन सच नहीं कि लोगों को अपने उजू पेश करने का मौका नहीं मिला।

(५) आप लिखते हैं, (१) इस इलाके में इस बार पहले-पहल ही शिकमी लगान (Rental) को लगान कायम करने का प्रधान आधार बनाया गया है। (२) सेटलमेण्ट अफसर ने गाँवों का वर्गीकरण भी बदल दिया।

आपके दोनों कथन सत्य हैं, पर उनमें कोई नवीनता नहीं। शिकमी लगान (अर्थात् ज़मीन के किराये को) पहली बार ही लगान कायम करने का आधार नहीं बनाया है। लैण्ड रेवेन्यू कोड की धारा १०७ में यह उल्लेख किया गया है कि ज़मीन की कीमत के साथ-साथ किराया तथा रहन के अंकों को भी लगान कायम करते समय महत्व दिया जाय। और यह क़ानून आज ४५ वर्ष से प्रचलित है।

वर्गीकरण में ज़रूर फेर-फार किया गया। पर ३० से २२

विजयी बारडोली

और २९ से २१०९७ तक लगान घटाकर सरकार ने बड़ी दया से काम लिया है और अन्याय होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहने दी है। आपका कहना है कि किसानों की शिकायतें, चाहे वे कितनी ही गम्भीर और उनका परिणाम चाहे कितना ही व्यापक हो, सरकार तो उनको ठुकराकर लगान बढ़ाने पर तुरत गई है। किसानों की स्थिति पर बिना विचार किये तथा उनकी स्थिति की जाँच करने के लिए जितने साधन उपलब्ध हैं उन पर बिना पूर्ण विचार किये ही नया बन्दोबस्त जारी कर दिया गया है। आपके इस कथन का गवर्नर और उनकी कौंसिल दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं।

आपने लिखा है कि ३१ गाँवों का लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में ता० १८ जुलाई सन् १९२७ को जो सरकारी प्रस्ताव हुआ, जिसके अनुसार किसानों को अपने उज्र दो महीने के अन्दर पेश करने की नोटिस जुलाई के आखिरी सप्ताह में दी गई थी, वह गैरकानूनन है। इसका खुलासा यह है कि ऐसी नोटिसें उन्हीं गाँवों में लगाई जाती हैं, जहाँ सेटलमेण्ट अफसर द्वारा सिफारिश किये गये लगान से भी अधिक लगान बढ़ाया जाता है। कानून के अनुसार ऐसी नोटिसें जारी करने के लिए सरकार बँधी हुई नहीं है। फिर भी यह प्रथा तो इसलिए पड़ गई है कि उसके जुर्य जनता को सूचना दे दी जाय, कि सेटलमेण्ट अफसर द्वारा सूचित किये गये लगान में सरकार ने कुछ वृद्धि कर दी है। इसमें कौन-सी बात गैरकानूनन हो गई? यह तो किसानों के साथ एक प्रकार की रिआयत ही हुई।

परिशिष्ट (१)

आप लिखते हैं कि आग्निरी हुक्म ज़ाहिर करने से पहले किसानों की सभी शिकायतों का जवाब देना सरकार के लिए लाजिमी है और आग्निरी हुक्म की नोटिस छ महीने पहले से दिये बिना यदाहुआ लगान सरकार वसूल नहीं कर सकती। गवर्नर और उनकी कौंसिल को ऐसे किसी क़ानून या प्रथा का पता नहीं, जिसमें इन तरह छ महीने पहले नोटिस देने की बात हो।

अन्त में मैं आपको लिख देना चाहता हूँ कि सरकार ने तो अपने अधिकारियों द्वारा सूचित की गई दरों की अपेक्षा भी कम दरें निश्चित की हैं। सरकार ने इस बात का विशेष रूप से ख़याल रखते हुए यह निर्णय किया है कि जिसमें किसानों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अब सरकार बढ़ाये हुए लगान को वसूल करना मुलतगी नहीं कर सकती। न वह नये बन्दोबस्त पर किसी प्रकार पुनः विचार करना या और कोई रिआयत करने हो के लिए तैयार है। यह घोषित कर देने पर भी यदि चारडोली के लोग अपनी बुद्धि के अनुसार अथवा बाहर के लोगों की सीख में आकर लगान भरने में कोई गफ़रत करेंगे तो लेण्ड रेवेन्यू कोड के अनुसार जो क़ानूनन उपाय किये जाने चाहिएँ, उनका अवलम्बन करने में गवर्नर तथा उनकी कौंसिल को किसी प्रकार का संकोच न होगा। और इसके फलस्वरूप लगान जमा न करने वालों को जो कुछ भी सहना पड़ेगा, उसके लिए सरकार जिम्मेवार न होगी।

आपका सेवक—

जे० डब्ल्यू० स्मिथ,
रेवेन्यू सेक्रेटरी।

विजयी बारडोली

सरदार साहव का जवाब

अहमदाबाद ता० २३-२-१९२८

महोदय,

(तारीख १२ को बारडोली में दिये गये भाषण का सम्प्रमाण खुलासा करने के बाद आपने लिखा था—)

अपने पत्र के तीसरे पैरे में आपने जो लिखा है उसके उत्तर में मेरा यह निवेदन है:—

(अ) गुजरात ससस्त बम्बई इलाके में सबसे अधिक लगान भरनेवाला प्रान्त है, इस बात को सब ने एक स्वर से कबूल किया है ।

(आ) खेड़ा ज़िले के कितने ही ताल्लुकों में हाल ही पुराने बन्दोबस्त की अवधि समाप्त हुई है, उसमें भी नया बन्दोबस्त हुआ है पर उसके कारण लोगों की जो दुर्दशा हुई, उसे देखकर सरकार को भी दया आगई और उसने कितने ही गाँवों में प्रतिशत १६ की रिआयत कर दी । पर जब स्थिति इतने पर भी न सम्हली तब दो ताल्लुकों में तो फिर से सेटलमेण्ट करना पड़ा ।

(इ) इलाके में जो अच्छे से अच्छे ज़िले हैं उनकी जन-सख्या व पशु-धन के अंक देखने पर यही निश्चय होगा कि दिन-ब-दिन इन ज़िलों की दशा बिगडती ही गई है । नीचे लिखे अंक मनुष्य गणना तथा कृषि-विभाग के विवरण से लिये गये हैं ।

परिशिष्ट (१)

जिला	आवादी		खेती के लिए उपयोगी जानवर	
	१८९१	१९२१	१८८५-८६	१९२४-२५
अहमदाबाद	९,२१,५०७	८९०,९११	१५९,३९०	११७,९२५
भद्राच	३,४१,४९०	३०७,७४५	६७,६३१	५६,९९५
खेडा	८,७१,७९४	७,१०,४८२	१,५७,७४४	१,०४,२६३
सुरत	६,४९,९८९	६,७४,३५७	१,४६,५२०	१,१२,६०३

इन में सुरत की जन-संख्या अवश्य कुछ बढ़ी हुई दिखाई देनी है, पर इन अंकों को पढ़ते हुए पाठकों के दिल में यह खयाल आए बिना नहीं रहता कि कहीं इस जिले की भी अन्य निःसर्व जिलों की पंक्ति में बैठाने की गरज से तो यह लगान नहीं बढ़ाया गया है ?

(ई) किसानों के सिर पर दिन-ब-दिन कर्ज बढ़ना जा रहा है, इस दलील को तो सरकारी प्रस्ताव में ताक पर ही रख दिया गया है। गौर सरकारी जाँच से पता चला है कि पिछली लगान-वृद्धि के समय बारडोली पर ३२ लाख का कर्ज था। आज वह एक करोड़ हो गया है।

(उ) सेटलमेण्ट अफसर ने ठीक कानून के अनुसार ही जाँच की है; इसके उत्तर में फिर मुझे कहना पड़ता है कि मैंने प्रत्यक्ष किसानों से खूब पूछ ताछ को है और मैं अब कह सकता हूँ कि सेटलमेण्ट अफसर ने नियमानुसूल जाँच नहीं की है। पटेल और पटवारियों के पास के दागलों पर ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट की रचना की है। मैं उनकी चुनौती देता हूँ कि वे सिद्ध कर के दिखा

विजयी बारडोली

दें कि उन के 'जी' और 'एच' कोष्टक सच्चे हैं। उनकी रिपोर्ट तो 'रेकार्ड ऑफ़ राइट्स' से प्राप्त की गई अनिश्चित हकीकत तथा असाधारण वर्षों में चढ़े हुए भावों के आधार पर लिखी गई है।

(ऊ) आपके पत्र के पाँचवें पैरे का उत्तर कुछ विस्तार-पूर्वक देना पड़ेगा। लगान-वृद्धि का विचार करते समय ज़मीन के किराये को इसी बार आधार-भूत माना गया है, यह मेरा कथन है। आप लिखते हैं, गवर्नर साहब इस बात को संमत् नहीं पाये हैं कि यह मैं किस आधार पर कह रहा हूँ। बम्बई की सेटलमेण्ट कमिटी द्वारा प्रकाशित प्रश्न-पत्र के उत्तरों को ज़रा आप गवर्नर साहब के सम्मुख रख दें। ज़िला अहमदनगर के तत्कालीन कलेक्टर और उत्तर विभाग के वर्तमान कमिश्नर मि० डब्ल्यू० डब्ल्यू० स्मार्ट के भेजे एक अनुभवी रेवेन्यू अफ़सर की तरफ से गया हुआ नीचे लिखा जवाब ज़रा गवर्नर साहब को पढ़कर सुना देने का कष्ट कीजिएगा:—

“आज तक कभी केवल ज़मीन के किराये के आधार पर लगाने निश्चय नहीं किया गया।”

भड़ौच के तत्कालीन कार्यवाहक कलेक्टर श्री मर्देकर ने लिखा था—

“अब तक सिर्फ़ ज़मीन के किराये को लगान बढ़ाने या न बढ़ाने का आधार नहीं बनाया गया था।

स्वर्य आपने भी लिखा था कि लगान का निश्चय करने के लिए ज़मीनो के किराये की दर ही पर्याप्त नहीं है। कम से कम भारत के

परिशिष्ट (१)

इस भाग में तो केवल इन आर्थिक कारणों से ज़मीनों किराये पर नहीं उठाई जातीं । जहाँ आयाती घनी होती है, वहाँ ज़मीनों के लिए चढा-ऊपरी होती है । इस चढा-ऊपरी में किसान कई बार ज़मीन की हैसियत से भी अधिक किराया देता है, तब यह सवाल उठता है कि वह अपनी गुनर किम तरह करता है ? इसका उत्तर यह है कि खेती का मौसिम बीतने पर फुर्सत के समय में किमान कुछ उद्योग करते हैं । कई बैलगाड़ी किराये पर चलाना है, तो कोई गाय-भैंस रख कर दूध-बी बेचता है । किमान कई बार भावुकता के कारण अपना बेची हुई ज़मीन को अधिक किराए पर ले लेता है ।

पर ये सब कागज़ात सरकारी दफ्तरों में पड़े हुए हैं, तथापि सेटल-मेण्ट कमिश्नर ने यह नवीन रीति हन्लिफ अख्यार की है कि सरकार आगे चलकर ज़मीन के किराये को लगान निश्चय करने का एक मात्र आधार स्वीकार करेगी । फिर आप इस के विषय में अज्ञान प्रकट कर रहे हैं, यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है । पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेटलमेण्ट कमिश्नर ने जिन Rental Values के आधार पर लगान का निर्णय किया है, उनमें से अधिकांश, जिस तरह के उदाहरण ऊपर बताये गये हैं, वैसे ही किराये के अनुसार हैं, इसलिये लगान निश्चय करते समय उनका उपयोग नहीं होना चाहिए ।

(५) सेटलमेण्ट अफसर तथा सेटलमेण्ट कमिश्नर की तिफारिशों को सरकार ने जो नामज़ूर किया है, उसमें किसानों के प्रनिन्याय करने की चिन्ता प्रकट नहीं होती । उससे तो इन दोनों

विजयी बाराडोली

ने जिन ग़लत अंकों और अनुचित आधारों पर अपनी सिफ़ारिशें की हैं, उससे होनेवाले घोर अन्याय की संकोच वंश की गई स्वीकृति ही व्यक्त होती है। इससे तो यही प्रकट होता है कि सरकार हर बहाने किसानों पर लगान बढ़ाने के लिए तुल गई है।

(ए) इसलिए मेरा तो यही नम्र निवेदन है कि इस मामले की फिर एक बार निष्पक्ष जाँच हो। इस ताल्लुके में जिन अनेक गाँवों को ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिया है, उनकी देशों उन से कम लगान वाले गाँवों की अपेक्षा बुरी होने पर भी उन पर इस परिवर्तन के कारण ६६ प्रतिशत लगान बढ़ गया है। साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि वालोड पेटा के (इन्हीं गाँवों के) पड़ोसी गाँवों का लगान इनकी तिहाई से भी कम है।

(ओ) छः महीने की नोटिस के सम्बन्ध में 'सरवे एण्ड सेटलमेण्ट मैन्यूअल' के पृष्ठ ३९९ पर जो सरकारी प्रस्ताव है, उसे कृपया आप पढ़ें। लैण्ड रेवेन्यू कोड की १०४ धारा भी आप देख जायें।

(औ) आपके पत्र के सातवें पैरे में जो कुछ भी आपने लिखा है, उसके लिए मैं आपको एहसानमन्द हूँ। मुझे दुःख! केवल इसी बात का है कि उसे लिखते समय आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह सरकार के एक जिम्मेवार अधिकारी की शोभा नहीं देती। मालूम होता है, आप मुझे और मेरे साथियों को बाहर के लोग समझते हैं। मैं अपने ही आदमियों की सहायता कर रहा हूँ, इस पर आपको रोष है और उस रोष में आप इस

परिशिष्ट (१)

घात को भूल रहे हैं कि जिस सरकार की तरफ से आप बोलते हैं, उसके शासन-यन्त्र में मुख्य-मुख्य स्थानों पर तमाम "बाहर के लोग" भरे पड़े हैं। यद्यपि मैं अपने आपको भारत के किसी भी हिस्से के समान चारडोली का भी निवासी मानता हूँ, तथापि आपसे मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मैं वहाँ उनके निमन्त्रण पर ही गया हूँ और मुझे किसी भी समय विदा देना उनके अधीन और इच्छा की बात है। पर मैं चाहता हूँ कि उनके प्राणों को दिन-रात चूसने वाले, बाहर से भाये हुए, और तोप-बन्दूक के जोर पर लदे हुए राज्य-तन्त्र को भी इतनी ही आसानी से विदा देने की ताकत उनके अन्दर होती, तो क्या ही अच्छा होता ?

(अ) मैं एक बार फिर अपनी निष्पक्ष जाँच वाली सूचना को रखता हूँ। यदि गवर्नर साहब को मेरी सूचना मंजूर होगी, तो उसी समय मैं ताल्लुके के लोगो को पुराना लगान जमा कराने की सलाह दे दूँगा।

(आ) यदि गवर्नर साहब की आज्ञा हो, तो मैं इस पत्र-व्यवहार को प्रकाशित कर देना चाहता हूँ।

आपका विश्वस्त

वल्लभभाई क्षवेरभाई पटेल

परिशिष्ट (१)

- (१) रिपोर्ट 'रेकार्ड भाव् राइट्स' की अविश्वसनीय हकीकतों के आधार पर, और
- (२) असाधारण वर्षों में बड़े हुए भावों के आधार पर लिखी गई है ।

पहले कारण का उत्तर यह है कि 'रेकार्ड भाव् राइट्स' तो किसानों के बीच होनेवाले प्रत्यक्ष व्यवहार का रजिस्टर है । पता नहीं था उसमें लिखी हकीकतों को किस कारण से अविश्वसनीय मानते हैं । सरकार तो उन अंकों को अविश्वसनीय नहीं मानती ।

दूसरी दलील को पेश करते हुए मेटलमेण्ट का विरोध करने वाले यह कहना चाहते हैं कि १९१४ के बाद सारे सप्ताह की जो परिस्थिति हो गई थी, वह असाधारण और क्षणिक है, और शीघ्र ही महायुद्ध के पहले जैसे दिन लौट आयेंगे । पर आज दस वर्ष होने पर भी जिस वस्तु का प्रभाव अब तक टिका हुआ है उसे देखते हुए सरकार उपर्युक्त दृष्टि बिन्दु को स्वीकार नहीं कर सकती ।

इसके बाद आपने इस बात के प्रमाण में कई अधिकाधिकियों के मत उद्धृत किये हैं कि भवनक ज़मीन के क्रिगये की दरें लगान निश्चय करने की एक मात्र आधार नहीं मानी गई थीं । पर ऐसे अंक और सबूत तो अभी-अभी ही मिलने लगे हैं, जिन पर विश्वास किया जा सके । यह नहीं कहा जा सकता कि इस बात के महत्व को उपर्युक्त अधिकारी ठीक ठीक समझ पाये होंगे । ऐसे अंक अब 'रेकार्ड भाव् राइट्स' से मिलने लगे हैं । और उनका उपयोग कुछ वर्षों से किया जाने लगा है । सरकार ने जिस पद्धत का अय-व्ययन किया है वह ता० १७ मार्च १९२७ को धारा सभा में

विजयी बारडोली

माननीय रेवेन्यू मेम्बर साहब ने जो भाषण दिया था, उसमें प्रकट कर दी गई है। गवर्नर और उनकी कौन्सिल अक्षरशः उसी का पालन अब भी करते आ रहे हैं।

लगान घटाने के सम्बन्ध में सरकार के हेतुओं का आपने बड़ा ही विपरीत अर्थ लगाया है। सरकार के हेतु और कार्य का किन्हीं सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं ने ऐसा विपरीत अर्थ लगाया हो, इसका एक भी उदाहरण गवर्नर अथवा उसकी कौंसिल को याद नहीं पड़ता।

आपने 'सरवे सेटलमेण्ट मेन्युअल' की जिस प्रति का उल्लेख किया है, वह पुरानी है। बाद में जो फेर-फारं हुए, उनका उसमें समावेश नहीं हो पाया है। नये क़ानूनों के अनुसार सरकार की कार्यवाही बिल्कुल उचित है।

आपके पत्र ने तो नहीं, पर वम्बई के 'क्रानिकल' पत्र ने यह मत प्रकाशित किया है कि इगतपुरी कन्सेशन नामक रिभायत देने के लिए सरकार लोकमत के सामने झुकी है, मज़बूर हुई है। यह बिल्कुल अनुचित है। यह लिखने वाले को शायद पता नहीं कि यह रिभायत तो सरकार प्रजा के साथ सन् १८८५ से करती आई है, दक्षिण-गुजरात और दक्षिण-मराठा ज़िलों में की जाती है। जहाँ कहीं भी उसमें बंताई शर्तों का पालन किया जाता है, वहाँ-वहाँ यह रिभायत बराबर की जाती है। सरकार आशा करती है कि आप अपने लोगों को यह बात ठीक तरह समझा देंगे।

आपके पत्र के नवें पैसे से यह ध्वनि निकलती है कि ता० १६ फरवरी १९२८ के पत्र में प्रकट किये गये विचार सरकार के केवल एक सेक्रेटरी के हैं। पर इस पत्र द्वारा मैं यह भ्रम दूर करते हुए

कह देना चाहता हूँ कि हम पत्र के समान ही पिछले पत्र में प्रकट किये गये विचार भी गवर्नर साहय और उनकी कौंसिल के परिणत और निश्चित विचार हैं ।

आपके पत्र के दसवें पारे में लिखी सूचना स्वीकार करने के लिए गवर्नर साहय और उनकी कौंसिल तैयार नहीं हैं । सरकार ने जो नीति ग्रहण की है, वह आखिरी चार सम्पूर्णतया आपके सामने रख दी गई है । अब यदि इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार करना चाहें तो कृपया मार्फत ज़िला कलेक्टर के कीजिएगा ।

हमारे बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसे यदि समाचारपत्रों में प्रकाशित करा दिया जाय तो सरकार को ज़रा भी आपत्ति नहीं होगी ।

आपका नम्र सेवक

जे० डवट्यू० स्मिथ,

रेवेन्यू सेक्रेटरी, बंगलौर सरकार

इस पर सरदार वल्लभभाई ने एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित करके सरकारी पक्ष की तमाम दलीलों का खण्डन करते हुए अन्त में अपना उसी निष्पक्ष जॉच वाली शर्त को पेश किया था। दलीलें वही थीं । इसलिए स्थानाभाव के कारण वे यहाँ उद्धृत नहीं की जा सकतीं ।

परिशिष्ट (२)

लगान-नीति

टाइम्स को इण्डियन इयरबुक में भारत सरकार की प्रचलित लगान-नीति पर जो लेख है उसका सार नीचे दिया जाता है:—

सरकार की ज़मीन के लगान-सम्बन्धी नीति यही है कि ज़मीन की मालिक सरकार है और ज़मीन का लगान एक तरह से उसे मिलने वाला किराया है। सरकार इस बात को महसूस करती है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से इस व्याख्या पर आपत्ति की जा सकता है पर वह कहती है कि सरकार और किसान के बीच अभी जो सम्बन्ध है उसको स्पष्ट करने के लिए यही शब्द उपयुक्त है। किसान अपनी ज़मीन की हैसियत के अनुसार सरकार को लगान देता है। लगान पर समय-समय पर पुनः विचार करने के लिए जो सरकारी कार्यवाही होती है उसे सेटलमेण्ट या बन्दोबस्त कहा जाता है। भारत में तरह के बन्दोबस्त हैं: स्थायी और अस्थायी। स्थायी बन्दोबस्त में तो लगान हमेशा के लिए स्थिर कर दिया गया है, जो किसान या काबूदार से नहीं बल्कि ज़मींदार से वसूल किया जाता है। लार्ड कान्वालिस ने सन् १७९५ में स्थायी बन्दोबस्त कर दिया; अवध और मद्रास के प्रान्तों के कुछ हिस्सों में भी स्थायी लगान निश्चित कर दिया गया था (१८५९)।

अस्थायी बन्दोबस्त

शेष सारे देश में अस्थायी बन्दोबस्त की प्रथा जारी है। सरकार के सरवे विभाग द्वारा की गई सरवे के आधार पर तीस-तीस वर्ष में प्रत्येक जिले की ज़मीन की पूरी आर्थिक जाँच होती है। प्रत्येक गाँव की जमीन नापी जाती है। नये बनते हैं। हर एक किसान के खेत को उसमें पृथक्-पृथक् बंटाया जाता है, और उनके मन्व तथा अधिकारों का रजिस्टर रक्खा जाता है, जिसमें ज़मीनों का लेन-देन आदि लिखलिया जाता है। इन पुस्तक को "रेज़र्ड ऑफ़ राइट्स" भी कहते हैं। यह सब जाँच कर उसके अनुसार लगान कायम करने का काम भारत-सरकार की सत्रिल सर्विस के रास तौर पर नियुक्त सभ्यों द्वारा होता है, जिन्हें सेटलमेण्ट अफ़सर कहा जाता है। मि० स्टेची अपनी पुस्तक (इण्डिया के संशोधित संस्करण १९११) में सेटलमेण्ट अफ़सर के कार्यों का नीचे लिखे अनुसार दिग्दर्शन कराते हैं।

सेटलमेण्ट अफ़सर का काम

"सेटलमेण्ट अफ़सर को सरकार की माँग निश्चिन करना पडती है और जमीन-मन्वन्धी तन्नाम अधिकारों, हकों और जिम्मेवारियों को रजिस्टर कर लेना पडता है। उसकी सहायता के लिए हम काम के अनुभगी सहायक भी दिये जाते हैं, जो प्रायः सब देशी ही होते हैं। एक जिले का बन्दोबस्त करना एक बडी जिम्मेवारी का और भारी काम है, जसमें पहले दिन-रात काम में लगे रहने पर भी बरसों लग जाते थे। खेती-विभाग की स्थापना तथा अन्य सुधारों के कारण अब तो सेटलमेण्ट अफ़सर का काम बहुत कुछ

विजयी बारडोली

आसान हो गया है। और वह पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जितना भी काम सेटलमेण्ट अफसर द्वारा होता है उसकी उच्चाधिकारियों द्वारा जाँच होती है और लगान-निर्णय-सम्बन्धी उसकी सिफारिशें तभी अन्तिम समझी जाती हैं। उसके व्याय-सम्बन्धी निर्णयों की जाँच टीवानी अदालतों में हो सकती है। सेटलमेण्ट अफसर का यह कर्तव्य है कि वह जमीन-सम्बन्धी-उत्त तसाम अधिकारों और हकूकत को नोट कर ले, जिन पर आगे चलकर सरकार या किसानों के बीच आपस में झगड़ा होने की सम्भावना हो। मतलब यह कि वह किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो कुछ भी बात हो उसीको वह ठीक-ठीक लिख ले।”

दो प्रणालियाँ

अस्थायी बन्दोबस्त में भी लगान दो प्रणालियों से वसूल किया जाता है, एक रैयतवारी और दूसरी जमींदारी। जहाँ तक लगान से सम्बन्ध है दोनों से स्थूल रूप से यह भेद है कि रैयतवारी प्रणाली से जिन प्रदेशों में लगान वसूल किया जाता है वहाँ काइतकार सीधा सरकार को लगान देता है, जहाँ जमींदारी प्रणाली है, वहाँ जमींदार अपने प्रदेश का लगान खुद वसूल करके देता है। स्पष्ट ही इसमें उसे भी कुछ हिस्सा मिलता है।

रैयतवारी प्रणाली भी दो तरह की है। एक तो वही जिसमें किसान स्वयं सरकार को लगान देता है और दूसरी वह, जिसमें गाँव या जाति का मुखिया गाँव से लगान वसूल करके देता है। सरकार के प्रति जिम्मेदार तो मुखिया ही होता है। इस तरह की

परिशिष्ट (२)

प्रणाली उत्तर भारत में अधिक है और पहले प्रकार की रैयतवारी प्रणाली मद्रास, बम्बई, प्रहारा और आसाम में प्रचलित है ।

पहले की अपेक्षा आजकल की लगान-नीति, सब प्रकार की ज़मीनों पर, किसान के लिए अधिक अनुकूल है । पहले तो आगामी सेटलमेण्ट की अवधि में ज़मीन की जो औसत उपज कृती जाती थी और उसी पर लगान लगा दिया जाता था, अब तो लगान कृतते समय ज़मीन की जो प्रत्यक्ष उपज पाई जाती है, उसी के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता है । इसलिए यदि किसान अपने परिश्रम से या अनायास ज़मीन की पैदावार को कुछ बढ़ा लेता है तो, उसका सारा फ़ायदा उसीको मिलता है । हाँ, नये बन्दोबस्त के समय इस ज़मीन को किस वर्ग में रक्खा जाय इस पर पुनः विचार करके, यदि किसान का लाभ नहर, रेल जैसी-सार्वजनिक लाभ की वस्तु के कारण अथवा बाज़ार भावों में वृद्धि होने के कारण बढ़ गया हो, तो उस ज़मीन को नये वर्ग में ढाला जा सकता है । पर सरकार ने इस सिद्धान्त को अब क़बूल कर लिया है कि ब्यक्तिगत परिश्रम से यदि किसान अपनी ज़मीन की उपज बढ़ा लेता है तो उस पर लगान न बढ़ाया जाय । इस विषय में उसने कुछ नियम भी बना लिये हैं ।

लगात की तादाद

भारत में ज़मीन पर जो लगान लिया जाता है उसकी एक निश्चित दर नहीं है; वह स्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में एक प्रकार का है तो, अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में दूसरे प्रकार का । फिर ज़र्मादारी तथा रैयतवारी प्रदेशों में और भी अलग-

चिजयी वारडोलो

अलग । रैयतवारी में भी वह ज़मीन की किस्म, उसके अधिकार आदि के अनुसार न्यूनाधिक है । बंगाल में लगभग १२,०००,००० पौण्ड ज़मींदार लोग अपनी रैयत से वसूल करते हैं । परन्तु चूँकि वहाँ स्थायी बन्दोबस्त हो गया है इसलिए सरकार उसमें से केवल ३,०००००० पौण्ड लेती है । अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में ज़मींदारों से अधिक से अधिक लगान का फ़ी सैकड़ा ५० सरकार वसूल करती है । कहीं-कहीं तो उसे फ़ी सैकड़ा ३५ बल्कि २५ ही पडता है । पर यह निश्चित है कि वह फ़ी सैकड़ा ५० से कभी अधिक नहीं होता । रैयतवारी प्रणाली में सरकार का हिस्सा कितना होता है यह ठीक-ठीक बताना ज़रा कठिन ही है । पर ज़मीन की पैदावार का अधिक से अधिक पाँचवाँ हिस्सा सरकार का भाग समझ लिया जाय । इससे कम तो कई प्रकार के रेट मिलेंगे पर इससे अधिक तो कहीं नहीं हैं ।

लगभग सोलह-सत्रह वर्ष पहले भारत के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने भारत-सरकार को अपने दस्तख़त से इस आशय की एक दरखास्त (Memorial) भेजी थी कि ज़मीन की उपज के पाँचवें हिस्से से अधिक लगान वह कभी न ले । उस समय लार्ड कर्जन चाइसराय थे । उन्होंने इस 'मेमोरियल' तथा अन्य 'रिप्रेजेन्टेशन्स' के जवाब में अपनी लगान-नीति के वचाव में एक प्रस्ताव प्रकाशित किया था । उसमें लिखा था कि "सरकार को जितना लगान लेने के लिए अभी कहा जा रहा है उससे तो इस समय वह बहुत कम ले रही है । प्रत्येक प्रान्त में औसतन लगान इससे कम ही है ।" यह प्रस्ताव तथा उन प्रान्तीय सरकारों के बयान भी, जिन

परिशिष्ट (२)

पर यह कथन आधार रखता था, याद में पुस्तकाकार छपा दिये गये थे। आज भी सरकार की लगान-नीति के नियामक सिद्धांतों को प्रकट करने वाली वही सबसे अधिक प्रामाणिक पुस्तक समझी जाती है। उपर्युक्त प्रस्ताव में कई सिद्धान्त प्रस्थापित किये गये हैं। उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं।

लगान-नीति

(१) जमींदारी प्रदेशों में सरकार की नीति की कुंजी यही है कि शनैः शनैः लगान कम किया जाय। अधिक से अधिक फ़ी सैकड़ा ५० मालगुजारी ली जाय। इस समय तो यदि ग़लती होती है तो लगान कम वसूल किया जाता है, अधिक नहीं।

(२) इन प्रदेशों में जमींदारों के अन्याचारों से काइतकारों को बचाने के लिए क़ानून बनाकर या अन्य तरह से हस्तक्षेप करने में सरकार कभी हिचकिचाती नहीं।

(३) रयतवारी प्रदेशों में चन्दोबस्त की मीयाद दिन ब दिन अधिकाधिक बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नये चन्दोबस्त के समय जो जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनको अधिक सरल और सस्ती बनाने की नीति है।

(४) ज़मीन-सम्यन्धी स्थानीय कर बहुत ज्यादा और भारी नहीं हैं।

(५) जैसा कि कहा जा रहा रहा है जमीन से इनना कर वसूल नहीं किया जाता कि उसके कारण लोग दरिद्र और कंगाल हो रहे हों। उसी तरह अकालों का कारण भी लगान-नीति नहीं है।

विजयी बारडोली

तथापि सरकार ने आगे के कार्य को सुविधा के लिए कुछ सिद्धान्त कायम कर लिये हैं ।

(अ) अंगर लगान में वृद्धि करना है तो वह क्रमशः और बहुत धीरे-धीरे की जाय; एकाएक बहुत सा कर न बढ़ा दिया जाय ।

(ब) लगान वसूल करने में कुछ उदारता से काम लिया जाय । मौसिम तथा किसानों की दशा को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी लगान वसूल करने की तारीख बढ़ा दी जाय और लगान माफ़ भी कर दिया जाय ।

(इ) स्थानीय कठिनाई के समय लगान बढ़े पैमाने पर घटाया भी जा सकता है ।

परिशिष्ट (३)

किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न

(१) ज़मीन पर से किसान का स्वामित्व उठा दिया गया है ।

(२) लगान का निर्णय करते समय प्रजा की राय नहीं ली जाती ।

(३) आर्थिक जाँच तो होती है पर वह कितनी प्रामाणिक होती है इसमें सन्देह है । किसानों के हित की अपेक्षा सरकार के लगान में वृद्धि कैसे हो यह उद्देश प्रधान रहता है ।

(४) अनुचित रीति से लगान बढ़ने पर भी किसान की पुकार पर ध्यान नहीं दिया जाता ।

(५) लगान अदा करने से इन्कार करने पर किसान पर पारिविक अत्याचार किये जाते हैं ।

अब तक ज़मीन के स्वामित्व सम्बन्धी प्रश्न पर देश के अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं गया था । लगान निश्चय करने की प्रणाली का ऊपर जो वर्णन किया गया है उसने भी इस बात को संदिग्ध ही रक्खा है । अर्थात् लगान ज़मीन का किराया है या नर यह संदिग्ध है ।

अन्य देश में यह प्रश्न बहुत पहले से दृढ़ हो गया है पर हमारे देश की बात जुदाई है । यहाँ तो है, विदेशी सरकार । उसके हित भिन्न, हमारे हित भिन्न । वह चाहे, जितने अंतःकरण पूर्वक

विजयी वारडोली

प्रजा के हित की बातें करे, उन पर वह अमल नहीं कर सकती। वह विवश है। इस अस्वाभाविक परिस्थिति से हम उसे और अपने आप को जितनी जल्दी मुक्त कर देंगे उतना ही हमारा और उसका कल्याण होगा।

इसके पहले हम स्थायी बन्दोबस्त का जिक्र कर चुके हैं। दोनों प्रकार के बन्दोबस्त में ज़मीन का लगान किसानों से नहीं बल्कि ज़मींदारों से लिया जाता है। ऊपर कहा गया है कि इसमें सरकार ज़मींदारों से बहुत कम जमा लेती है। स्थायी बन्दोबस्त में वह लगान के फ़ी सैकड़ा ५० से अधिक नहीं लेती। पर इसके अलावा इन लोगों के पीछे कितने अप्रत्यक्ष अडंगे लगे रहते हैं क्या सरकार यह देखने की कृपा करेगी? सरकारी अधिकारियों की सेवा-शुश्रूषा में इन लोगों का कितना पैसा बरबाद होता है? ज़मींदार यह सब कहाँ से लाते हैं? ग़रीब किसानों से ही वसूल करते हैं। उन पर अतिरिक्त कर लादते हैं। जो नहीं दे सकते उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। फिर सरकारी अधिकारी या चपरासी वगैरा समय-बे-समय स्वयं गाँवों में जाकर किसानों को मनमाना दबोचते हैं। इस कारण युक्त प्रान्त, बंगाल, बिहार उड़ीसा आदि उत्तर-भारत के किसान अत्यन्त दीन और निष्प्राण-से हो गये हैं। वहाँ मध्यम वर्ग का तो मानों अस्तित्व ही नहीं रहा। या तो मुफ्तोखर ज़मींदार हैं या उनकी एड़ियों के नीचे दब कर अपनी आयु की साँसें गिनने वाले ग़रीब किसान हैं।

प्रजानाशक लगान-नीति

और जहाँ रैयतवारी प्रथा है वहाँ का हाल? निःसन्देह कुछ

परिशिष्ट (३)

अच्छा है। लेकिन ज़ादरों के शिकार तथा सरकार के शिकार में उतना ही अंतर है जो एक मूर्च्छित घायल और छटपटाने हुए घायल में होता है। एक जीवन से निराश हो गया है तो दूसरा दिन गिन रहा है। प्रसिद्ध इतिहास लेखक सर विलियम इण्टर जो सन् १८८३ में वाइसराय की कौन्सिल में थे लिखते हैं—“भारतीय सरकार इतना लगान बसूल कर रही है कि किसान के पास उतना अन्न अथवा द्रव्य भी नहीं रह पाता, जिससे वह साल भर अपना तथा अपने परिवार का पोषण कर सके।”

एक दूसरे सज्जन मि० एडवर्ड काम्टर ‘भारत में जीवन’ नामक अपनी पुस्तक में जो सन् १९०४ में छपी थी, लिखते हैं—“समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय किन्नान के जैसी करुणा और दुःख की प्रतिमा दूसरी न दिखाई देगी। उनके शासक सदा से उसके प्रति अन्याय करते आये हैं। उसे चूसते-चूसते यहाँ तक चूसा जाता है कि शरीर में मुट्टी भर हड्डियाँ और उनमें धुङ्-धुङ् करने वाले प्राण-मात्र मुश्किल से रह पाते हैं।” शायद ये भी इस दूर-दर्शिता के ख्याल से रहने दिये जाते हैं, जिमसे वे शासकों के पीने के लिए एक यन्त्र की तरह ताजा खून बनाते रहें!

सरकार का सनातन धर्म

यह कार्य केवल दस बीस वर्षों से ही शुरू नहीं हुआ है। भारत में जब से अंग्रेजी राज्य आया है तब से उसकी यह सनातन कार्य-प्रणाली ही रही है।

पार्लमेण्ट के भूत-पूर्व सदस्य और ‘संसार का प्रभुत्व’ (Lordship of the World) नामक पुस्तक के रचयिता मि० सी०

विजयी बारडोली

जे० ओढानेल उपर्युक्त पुस्तक में अंग्रेज सरकारकी भारतीय लगान-नीति के विषय में लिखते हैं—

“सचमुच एक विजेता राष्ट्र द्वारा प्रस्थापित संसार की सबसे अधिक न्यायपूर्ण शासन-संस्था को उसके कर वसूल करनेवालों की मूर्खता ने मिट्टी में मिला दिया ।”

क्या कारण है ?

सर जार्ज विन्सेण्ट ने जो बम्बई के उच्च-अधिकारी थे, वहाँ के सन् १८७७ के कृषि सम्बन्धी भयानक दंगे की रिपोर्ट में लिखा था “जरा उस भयंकर स्थिति की कल्पना तो कीजिए जिसके कारण भारत के किसानों को, जो स्वभावतः अत्यन्त धीर व-सहनशील हैं और सदा से अन्याय तथा अनुचित व्यवहार को चुपचाप सहते आये हैं, कुत्ते की मौत मरना स्वीकार करके भी अपने साथ किये गये अन्याय का दूर करने के लिए खून-ख़ूबकर करने पर विवश होना पड़ा । जरा सोचिए तो, उनकी न्यायवृत्ति को कितनी गहरी चोट पहुँची होगी ? उनका धीर और शांति-शील हृदय ऐसे कुकृत्य करने पर उतारू हुआ, उसके पहले उन्हें सरकार और उसके क़ानूनों की तरफ़ से कितनी निराशा हुई होगी !”

माननीय मि० ए० रॉजर्स आइ० सी० एस० और बम्बई की कौन्सिल के भूतपूर्व सभ्य ने भारत-सचिव को सन् १८९३ में लिखा था—

यह न्याय है !

“सन् १८८० से लेकर १८९० तक के ११ वर्षों में ज़मीन का लगान वसूल करने के लिए ८,४०,७१३ किसान परिवारों की

परिशिष्ट (३)

२९,६५,०८१) रुपये कीमत की जंगम-सम्पत्ति कुर्क कर लो गई । परन्तु जब उतने से भी काम न चला तब उनकी १९,६३,३६४ एकड़ ज़मीन की काश्त करने का हक बँच दिया । पर सरकार को इसके खरीददार ही नहीं मिल सके । तब उस १९,६३,३६४ एकड़ ज़मीन में से ११,७४,१४३ एकड़ ज़मीन स्वयं सरकार को ही रख लेनी पड़ी । इसके मानी यह हुए कि जहाँ यह कहा जाता था कि लगान न्याय-पूर्वक बढ़ाया गया है तहाँ वही लगान पर ६० प्रतिशत ज़मीन को खरीदने वाले ही नहीं मिले । 'बम्बई इलाक़े की लगान प्रणाली का इतिहास' नामक अपने ग्रंथ में मैंने इजारे की पद्धति की बुराइयों का दिग्दर्शन कराया है । पर यदि वह दुरे से दुरे रूप में भी प्रचलित हो, फिर भी उसमें यह स्थिति शायद ही कभी उपस्थित हो कि ८,५०,००० काश्तकारों को लगान न दे सकने के कारण, अपनी १९,००,००० एकड़ ज़मीन से हाथ धोना पड़े ।"

राज्य है या लुटेरापन !

अब मद्रास का हाल सुनिए ।

मद्रास प्रान्त की खेतों पर निर्वाह करनेवाली आबादी का लगभग ८वाँ हिस्सा दस-बारह वर्ष में राह का भित्तारी बना दिया गया । लगान के न दे सकने के कारण उसकी ज़मीन और घर भी छिन गये । केवल खेत ही नीलाम पर नहीं घड़ाये गये बल्कि पहनने के फटे-पुराने कपड़ों को छोड़ कर माल, असबाब, खाना पकाने के बर्तन, ओढने पिछाने के कपड़े आदि जो हाथ आया वह सब शाही खर्च की पूर्ति करने के लिए कुर्क कर लिया गया । पर

विजयी बारडोली

इसके साथ ही अगर एक बात और न कह दी जाय तो चित्र अधूरा ही रह जायगा। “विचछी-करण” अथवा सर्वस्वापहरण की यह क्रिया १८७७-७८ के उस महाभयंकर अकाल के ठीक बाद ही की गई थी, जिसमें मद्रास की ३०,००,००० जनता अन्नाभाव के कारण छटपटाती हुई इस लोफ़ को छोड़ कर चल बसी थी ! और यह शासन-व्यवस्था विषयक भयंकर अपराध किनकी मूर्खता का फल था ? वे थे नौकर शाही के सच्चे दयालु अंग्रेज कर्मचारी जो दो-दो वर्ष में यहाँ से वहाँ घूमते-फिरते थे। जो पैसा इकट्ठा करनेवाली मशीन के जड़ पुर्जे थे जो काम तो रगड़ कर करते हैं मगर दिमाग़ से काम नहीं लेते।”

किसान की जान की गाहक

भारत का परम सुसम्पादित और अनुदार अख़बार पायोनियर एक लगान सम्बन्धी जाँच-समिति पर उसी ज़माने में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखता है :—

“किसान के हृदय को भग्न करने वाली आखिरी वस्तु हाल ही में बढ़ा हुआ लगान है यों चाहे किसी भी नाप से आप उसको तौल कर देखिए, वह सचमुच बहुत ज्यादा है; असह्य है। और यदि उन किसानों की स्थिति पर विचार करते हुए देखा जाय, जिन पर वह लादा गया है, तो कहना पड़ेगा कि वह उन्हें पीस डालने वाला है—नाशकारी है। कई गाँवों पर तो वह दूना कर दिया गया है और बहुतेरे किसानों पर दूने से भी ज्यादा लगान चढ़ा दिया गया है। स्वयं लगान-वृद्धि की रिपोर्ट का यह कहना है कि लगान में प्रति शत ३८ वृद्धि की गई है.

परिशिष्ट (३)

और सो भी ऐसे समय जब कि वर्ष खराब था। स्थानीय अधिकारियों की बात मानी जाय तब तो वह ७७ प्रति शत तक पहुँचता है। एक सभ्य सरकार को संसार की नजर में गिराने वाला, उसका धिक्कार करने वाला, इससे अधिक घृणित अपराध इतिहास में पहले कभी नहीं लिखा गया था।' पंजाब और उत्तर भारत की हकीकतें भी इसी प्रकार की मूर्खता प्रकट करती हैं।

“अंग्रेजों का राज्य डूब जायगा”

पचास वर्ष पूर्व लॉर्ड लारेन्स ने 'साधारण सभा' की एक कमिटी के सामने गवाही देते हुए कहा था “अगर खेती पर आजीविका चलाने वाली जनता कहीं अंग्रेज सरकार की दुश्मन हो गई तो भारत में अंग्रेजों का राज्य डूबा ही सम्झिए।”

ऊपर लॉर्ड कर्जन की जिस नीति का वर्णन किया गया है, उस में किसानों के जन्म-सिद्ध और स्वाभाविक अधिकारों को स्थान नहीं दिया गया है। फिर भी यदि हम उसे क्षण भर अच्छी मान लें तो उसके परिणाम अच्छे होने चाहिए थे। स्वयं अंग्रेज पदाधिकारी तथा पार्लेमेण्ट के सभ्यों के शब्दों में हमने सरकार की लगान-नीति का परिणाम बता दिया है। सचमुच यह है तो दुर्दैव कि हमारे देश की स्थिति का वास्तविक दर्शन कराने के लिए हमें विदेशी विद्वानों द्वारा प्रकट किये गये मतों का आश्रय लेना पडा। यदि भारतीय जनता के कष्टों की पाठकों को सम्पूर्ण कल्पना न हुई हो तो इन सौ-डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास

विजयी बारडोली

को पाठक देख जायँ । हाँ, अंग्रेज और उनके स्तुतिपाठक इतिहास लेखकों से वे सावधान रहें ।

यह सौ-डेढ़ सौ वर्षों का इतिहास हमारे आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सर्वाङ्गीण पतन का इतिहास है । और सब बातों का विचार करने के लिए यहाँ न स्थान है न प्रयोजन ही है । प्रत्यक्ष किसानों से सम्बन्ध रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, अकाल । अकालों से देश की समृद्धि का पता चलता है । लोग कह सकते हैं कि अकाल तो दैवी कारणों से आते हैं । आगे चल कर हम बतायेंगे कि उनका कारण बहुत भारी हद तक मनुष्य भी है ।

अकालों का दौरा

इतिहास कहता है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ बहुत कम अकाल पड़ते थे । जहाँ तक पता लगाया गया है उससे ज्ञात होता है कि ११ वीं शताब्दी में दो, तेरहवीं शताब्दी में एक, चौदहवीं में तीन, पन्द्रहवीं में दो, सोलहवीं में तीन, सत्रहवीं में तीन और सन् १७०० से लेकर १७४५ तक चार अकाल पड़े थे ।

ढाई करोड़ आदमी भूख से मर गये ।

जहाँ समस्त १७ वीं सदी में इस सप्ताह में जितने भी युद्ध हुए उन में कुल ५० लाख मनुष्य मरे तहाँ इस अभागे देश में उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में ही, अर्थात् १८७६ से लेकर १७०० तक ही, केवल अकालों से (बीमारी के कारण नहीं)

परिशिष्ट (३)

२,६०,००,००० मनुष्य मरे ! स्मरण रहे कि १७ वीं सदी में संसार में सबसे अधिक युद्ध हुए हैं ।

नये युग के वैज्ञानिक अकाल

बीसवीं सदी में १९०६, १९१८, १९२१, १९२५, में अकाल पड़े थे । पर वे इतने भयंकर नहीं प्रतीत हुए, क्योंकि यह तो सभ्यता और विज्ञान की सदी है, अर्थात् अकाल भी वैज्ञानिक रीति से सूक्ष्म रूप धारण करके अधिक से अधिक मानव हत्या करते हैं । अकालों ने बीमारियों का रूप धारण कर लिया है । इस बीसवीं सदी के इन २०-२५ वर्षों में प्लेग, हैजा, इन्फ्ल्यू-एन्जा और क्षय आदि बीमारियों के कारण जितनी मनुष्य-जाति का नाश इस देश में हुआ है वह उन्नीसवीं सदी के अकालों से कहीं अधिक है । केवल १९१८ के इन्फ्ल्यूएन्जा में ही इस देश के ८० लाख स्त्री-पुरुष मृत्युके शिकार हुए थे । प्लेग और हैजा तो मामूली रोग से हो गये हैं । भारत में क्षय भी दिन ब दिन बढ़ा भयंकर रूप धारण करता जा रहा है । काफी पोषक भोजन न मिलने तथा शक्ति से अधिक परिश्रम करने से वह होता है ।

जॉइएट कमिटी की सूचना

ज्यों-ज्यों देश के नेताओं का ध्यान इस तरफ जाने लगा, उनको इन सारी बुराईयों का कारण यहाँ विदेशी सत्ता का राज्य होना ही दिखाई दिया । तब उसके लिए प्रयत्न प्रारम्भ हुआ । स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी ने अपने इंग्लैण्ड में दिये भाषणों में इन अकालों को सरकार की इसी लूट-पूरे नीति का फल बताया था ।

विजयी बारडोली

जिसका सार पाठक पहले पढ़ ही चुके हैं। स्व० दादाभाई के बाद स्वर्गीय लोकमान्य, स्वर्गीय गोखले आदि ने स्वराज्य का आन्दोलन शुरू रक्खा। सुधारों की भनक सुनाई दी। भारत को उत्तरदायी शासन-तन्त्र देने के लिए सन् १९१९ में विचार प्रारम्भ हुआ। उस समय एक जॉइण्ट कमिटी की स्थापन भी हुई। लगान-वृद्धि करते समय सरकार को किस नीति से काम लेना चाहिए इस विषय पर कमिटी ने अपने विचार यों प्रकट किये हैं—

“जब कोई नवीन कर बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हो तब इस प्रश्न को धारा-सभा में विचारार्थ पेश करने की प्रथा शुरू होनी चाहिए। ज़मीनों का लगान केवल एक किराया है या कर है, इस विषय पर बिना अपनी राय प्रकट किये हम यह सलाह तो अवश्य देना चाहते हैं कि ज़मीन पर कर बढ़ाने का अधिकार जितनी जल्दी हो सके धारा-सभा के अधीन होना ज़रूरी है। कमिटी अब इस बात को अनुभव करने लगी है कि ज़मीन का लगान निश्चय करने के खास-खास सिद्धान्त, जमीन की कीमत आँकने की रीति, ज़मीन का किराया, बन्दोबस्त की मीयाद और लगान किन-किन अवस्थाओं में और किन शर्तों पर बढ़ाया जाय आदि बातों के विषय में अब क़ानून बन जाना ज़रूरी है।”

परन्तु अबतक इन विचारों पर अमल नहीं हुआ। दूसरे प्रान्तों ने इन पर कहाँ तक अमल किया, सो तो हम नहीं जानते। परन्तु बम्बई इलाक़े में इस सिफ़ारिश की जो गति हुई है, उसे सुना देना आवश्यक है।

१९२४ ई० तक ये वचन कोरे ही रहे। बम्बई की धारा-सभा

परिशिष्ट (३)

के एक सभ्य को कहीं यह इच्छा हुई कि देखें यदि इन वचनों पर अमल कराया जा सके तो क्यों न कोशिश की जाय ? अतः उन्होंने धारा-सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि जॉइण्ट कमिटी की उपयुक्त सिफारिशों पर अमल करने, तथा उसके लिए क़ानून बनाने की गरज़ से धारा-सभा को अपने सरकारी और लोक-नियुक्त सभ्यों की एक कमिटी बना लेनी चाहिए, जिसमें लोक-नियुक्त सभ्यों की संख्या अधिक हो । और जबतक जॉइण्ट कमिटी की सिफारिश के अनुसार कोई क़ानून नहीं बन जाता तबतक न तो नया रिविज़न शुरू किया जाय और न नये बन्दोबस्त पर अमल किया जाय । पर भला, सरकार को यह प्रस्ताव कैसे पसन्द हो सकता था ? सरकारी सभ्यों ने उसका विरोध किया । परन्तु बहुमत से वह आग़िर स्वीकृत तो हो ही गया । तब सरकार को 'लैण्ड रेवेन्यू असेसमेण्ट कमिटी' नामक एक कमिटी बनानी पड़ी । परन्तु इन प्रस्ताव के महत्त्वपूर्ण अंश का (जो गहरे मोटे टाइप में छपा है) सरकार ने पालन नहीं किया ।

इस बात को भी तीन वर्ष हो गये । जॉइण्ट कमिटी की सिफारिशों का मूल हेतु तो यों ही रक्खा रह गया । कमिटी नियुक्त हुई, परन्तु एक के बाद एक ताल्लुके का बन्दोबस्त तो होता ही रहा और सरकार ने इस तरह अपना यत्न जारी रक्खा, मानों इस विषय में धारा-सभा में कोई प्रस्ताव ही स्वीकृत न हुआ हो । तब सन् १९२७ में सरकार को जागृत करने के लिए फिर एक प्रस्ताव पेश किया गया । इस प्रस्ताव

विजयी बारदोली

द्वारा धारा-समा ने गवर्नर और उनकी कौन्सिल से सिफारिश की कि लगान के सम्बन्ध में नियुक्त की गई कमिटी की सिफारिशों पर खयाल किया जाय और उन पर अमल करने के लिये क़ानून बनाया जाय। और, चूँकि १९२४ में धारा समा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के होते हुए भी इतनी जगह लगान-वृद्धि हुई और नये बन्दोबस्त हुए इस लिए इस क़ानून पर सन् १९२४ के मार्च से अमल किया जाय। साथ ही इन नये बन्दोबस्तों में जो लगान निश्चित किया गया है उसकी वसूली तबतक मुलतवी रक्खी जाय जबतक कि यह क़ानून नहीं बन जाता।”

इस बीच एक वर्ष और बीत गया। इसी अवधि में लैण्ड रेवेन्यू कमिटी की रिपोर्ट पर जो रेज़ोल्यूशन पास किया है, उसने आशालु भारतीय हृदय को और भी बुरी ठेंस लगाई है। पाठकों को शायद, पता न होगा कि उक्त कमिटी में २२ सदस्य थे। उनमें से केवल सात सदस्यों ने कमिटी की रिपोर्ट पर विला किसी जर्त और निषेध के दस्तखत किये थे। सरकारी और ग़ैर सरकारी सदस्यों के बीच ख़ासा युद्ध हुआ। सात सरकारी सदस्यों ने और छः ग़ैर सरकारी सदस्यों ने भी अपने अपने भिन्न मत वाले नोट पृथक् पृथक् दिये हैं। और जरा संज़ा तो देखिए। कमिटी की जितनी भी महावपूर्ण सिफारिश हैं, उनको सरकार ने ताक़ पर रख दिया है। और लगान-निर्णय के आधार के सम्बन्ध में हमें कहा गया कि पूर्ण विचार करने पर सरकार सरकारी सदस्यों के इस दृष्टि दोष को स्वीकार करने पर मजबूर हुई है कि ज़मीन का किराया

परिशिष्ट (१)

(Rental value) ही जमीन के लगान का नर्णय करने का एकमात्र आधार हो।

अब इस बात को देखिए कि सरकार इस किराये का कितना अंश लगान के रूप में ले। कमिटी ने बहुमत से यह फैसला किया कि सरकार इस किराये का २५ प्रति शत से अधिक अंश लगान के रूप में न लें। पर यहाँ पर भी गवर्नर जनरल इन कौन्सिल का खयाल है कि सरकार वर्तमान रिवाज को ही कायम रखे, अर्थात् किराये के प्रतिशत ५० हिस्से को अपने लगान को चरम-सीमा समझे तो अनुचित न होगा।

कमिटी के गैर सरकारी सभ्यों ने इस बात की सिफारिश की थी कि यदि किसान कुछ वगैरा खोद कर अपनी ज़मीन सींचे, कमावे और उसकी उपज को बढ़ावे तो सरकार उस पर सिंचाई की जमीन का लगान न लगावे, पर इम सम्बन्ध में भी सरकार ने कहा- 'सरकारी सभ्यों ने इसके विरोध में जो दलीलें पेश की हैं, उनका गैर सरकारी सभ्यों से ठीक-ठीक उत्तर नहीं बन पड़ा है। इसलिए सरकार गैर सरकारी सभ्यों की सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ है।'

पर कमिटी के गैर सरकारी सभ्यों की एक सिफारिश तो ऐसी थी, जिस में सरकार की तनिक भी हानि नहीं थी। सिफारिश यह थी कि सेटलमेण्ट अफ़सर की सहायता के लिए ताल्लुका लोकलबोर्ड द्वारा चुने हुए किसानों के दो प्रतिनिधि यन्दोबस्त के लिए दिये जायें। पर यहाँ भी वही बात। कहा जाता है "सरकारी सदस्यों ने इस बात के विरोध में जो दलीलें पेश की

विज्ञयी बारडोली

हैं; उनसे सरकार सहमत है, इसलिए वह गैर सरकारी सभ्यों की सिफारिशों को मंजूर नहीं कर सकती।”

इस तरह इस प्रस्ताव ने तो पार्लेमेण्टरी कमिटी के उद्देश्य पर ही कुठाराघात कर दिया और उस-दुष्ट-प्रणाली को 'आयुष्यमती-भव' का आशीर्वाद दे दिया। उपर्युक्त प्रस्ताव पर भाषण करते हुए बम्बई के रेवेन्यू मेम्बर ने कहा था:— 'मैं यह बता देना चाहता हूँ कि-जिन पच्चीस ताल्लुकों का नया बन्दोबस्त हुआ है उनसे सरकारी आय १०॥ लाख रुपये बढ़ जाती है। और यदि ऐसे आर्थिक कष्ट के समय कोई माननीय सभ्य सरकार को इतनी भारी रकम का त्याग करने की सलाह देना उचित समझेंगे तो मुझे सचमुच आश्चर्य ही होगा।”

बम्बई के वर्तमान रेवेन्यू मेम्बर के इस कथन से मि० फ्रेजर टायलर के १८४१ ई० में कहे गये इन शब्दों की ज़रा तुलना कीजिएगा—“लगान का निर्णय करते समय हमारे सामने रैयत की भलाई का-सचाल प्रधान रहता है। उस समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे सरकार को अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि सरकार उनके साथ अधिक से अधिक कितनी रिश्तायत कर सकती है।”

अथवा सर बार्टल फ्रेजर का जो सन् १८६४ में बम्बई के गवर्नर थे,—यह वक्तव्य देखिए।

“सरकार का तो यह साफ़-साफ़ कानून है कि आर्थिक बातें उसकी नज़र में गौण हैं। वह तो बजाय लगान बढ़ाने के इस बात की ओर ध्यान दे कि मौरूसी हक़ और सौस्थ लगाम का

परिशिष्ट (३)

(Fixity of Tenure and Moderation of Assessment) का जनता पर क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और उससे जनता की हालत सुधरती है या नहीं।”

कहाँ प्रारम्भिक अधिमारियों के ये शब्द और कहीं आज-कल की यह निर्लज्ज लोभ-वृत्ति ! इसका असर किमान पर जितना भयंकर हो रहा है, उसकी कल्पना शहरों में बैठे-बैठे नहीं की जा सकती। वह तो उनके नर-कंकालों को तथा टूटी-फूटी शॉपिङियों को देखकर ही होगी।

सरकार की इस प्रजा-नाशक लगान-नीति के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए वम्यर्ड धारा-सभा के सम्माननीय सम्य राव साहेब दादूभाई देसाई लिखते हैं—

“यह देश अंग्रेजों के आने से पहले आथाद क्यों था ? और उसके बाद लगभग सौ वर्षों में महायुद्ध के पहले-पहल तक, अंग्रेजी राज्य से मिलनेवाली सारी बाहरी सुविधाओं के मिलने पर भी वह इस तरह पामाल क्यों होता गया !

“मालूम होता है, सेटलमेंट कमिश्नर ने अथवा कलेक्टर ने इन प्रश्नों पर कोई विचार ही नहीं किया। इन सब बातों पर यदि विचार-किया जाय तो वे देखेंगे कि—

(१) लगान सम्बन्धी मौजूदा कानून तथा उसपर जिस तरह अमल होता है वे दोनों सदोष हैं, इकतर्फा हैं। फलतः उन के कारण जनता को जो लाभ मिल सकते हैं वे भी कभी-कभी मिल नहीं पाते। कानून पर अमल तो उसे तोड़ने के लिए ही होता है।

विजयी बारडोली

(२) एक समय किसान अपने छोटे-से-छोटे खेत पर जिस एकान्त सत्ता का उपभोग करता था उससे वह अब छीन ली गई है। वह बेचारा अब सरकार का गुलाम बन गया है।

(३) किसान शिथिल, निराश और कर्जदार हो गये है।

(४) लगभग सवा सौ वर्ष के शान्त शासन के बाद भी किसानों की दशा पहले की अपेक्षा बिगड़ गई है।

(५) ज़मीन की उत्पादक शक्ति घट गई और घटती जा रही है। अमेरिका के मुकाबले में यहाँ फ़ी एकड़ एक तिहाई पैदावार होती है। इसका कारण यह है कि लोगों के पास गिने-गिनाये साधन होने के कारण ज़मीन में अब सत्व नहीं रहा।

(६) उच्चवर्ग के किसान घटते जा रहे हैं।

(७) दूसरे देशों की समानता में हमारे देश को खड़ा करने के लिए जिस बल और पूँजी का ज़रूरत है वह हमारे पास नहीं है। इस लगान-नीति के कारण वह अनुकूलता हमें नहीं मिल पाती। मौजूदा परिस्थिति में नीचे लिखे अनुसार परिवर्तन होना ज़रूरी है।

(अ) अपनी ज़मीन पर किसान की संपूर्ण सत्ता होनी चाहिए।

(आ) लोकलबोर्ड के कर को छोड़ कर किसान पर कोई ऐसा कर न लगाया जाय, जिसमें सरकार को प्रत्यक्ष कुछ खर्च न करना पड़ता हो। ज़मीन के लगान के साथ-साथ और दूसरी तरह जो बहुतेरे दूसरे कर किसान को देने पड़ते हैं वे उठा दिये जायँ,

परिशिष्ट (३)

इसका मतलब यही है कि ज़मीन का लगान मामूली (सूखी ज़मीन का) ही लिया जाय। यदि किसान अपनी ज़मीन को सुधार के तो उस पर कर न बढ़ाया जाय। यदि हम क्षण भर के लिए सरकार को ज़मीन की मालिक मान भी लें तो सुधरी हुई ज़मीन पर कर बढ़ाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकार तो परती की ऊजड़ ज़मीन की ही मालिक थी। इसलिए वह सुधरी हुई ज़मीन पर अधिक लगान नहीं ले सकती।

(इ) इस विषय में दीवानी अदालतों की सत्ता की पुनः स्थापना होना ज़रूरी है। अगर किसान को यह प्रतीत हो कि उसकी ज़मीन पर लगान का निर्णय करने में उनके साथ अन्याय हुआ है तो उसे अपनी फर्याद दीवानी अदालत में करने का सुविधा होनी चाहिए।


(ई) सरकार को स्थायी बन्दोबस्त एक बार कर देना चाहिए।

(उ) जो जमीन खेती के काम में नहीं आ रही है उस पर से सब कर उठा लिये जायें।

(ऊ) जमीन का लगान केवल उन्हीं किसानों में वसूल किया जाय जिनकी वार्षिक आय ५००) से अधिक हो। इस से कम आय वाले किसानों के लिए जमीन का लगान माफ़ होना चाहिए। आय-कर में यह हद २,०००) रखी गई है। यदि कुछ नहीं तो अपने पेट भरने इतनी रकम तो एक किसान को बिना किसी प्रकार के कर के मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र के अनुसार भी बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन वाले किसानों का वर्ग

विजयी बारडोली

साहुकार तथा सरकार की चक्की के बीच पिस जाता है। इस लिए उसे अपनी फ़सल साहुकारों के हाथ बड़े सस्ते दाम पर बेचनी पड़ती है। कई बार तो फ़सल को बिना काट ही उसे बेच देना पड़ती है।”



परिशिष्ट (४)

(१)

कानून के विद्यार्थी

मुन्शी-कमिटी का निर्णय

बारडोली के किसानों पर जो अत्याचार हुए थे उनकी जाँच करने के लिए श्री कन्हैयालाल मुन्शी के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हो गई है। मैंने उसकी एक प्रति मँगवाई थी। पर अभी तक उसके न मिलने के कारण इलाहाबाद के पायोनियर अखबार में कमिटी के निर्णय का जो सार आया है उसी को यहाँ उद्धृत कर देता हूँ।

“कमिटी में नीचे लिखे सात सभ्य थे, जो धारा-सभा के भी सभ्य हैं।

श्री कन्हैयालाल मुन्शी (अध्यक्ष)	रावबहादुर भीमभाई नाईक
डा० एम० डी० गिल्डर	श्री चन्द्रचूड
मि० हुसेनभाई लालजी	श्री शिवदासानी
और, श्री खरे (मन्त्री)	

कमिटी ने अपनी बीस बैठकों में २०० गवाहों से मयून इकट्ठे किये। जिन लोगों को क़ैद या अन्य प्रकार की सजायें हुई थीं, उनके बदलाती फैसले भी कमिटी ने पढ लिये हैं। और उनके आधार पर अपनी सूचनायें बनाई हैं।

विजयी बारडोली

गौर सरकारी

यह स्मरण रहे कि सरकार का इस कमिटी से अथवा उसकी जाँच से कोई सम्बन्ध नहीं था इसलिए इसके निर्णय इकतर्फा हैं ।

‘अच्छी तरह’ जाँच करने के बाद कमिटी नीचे लिखे निर्णयों पर पहुँची है—

खालसा की नोटिसें क़ानून के अनुसार न बनाई गई थीं और न चिपकाई गई थीं । यह सिद्ध करने के लिए कमिटी के पास काफ़ी सबूत हैं कि जो नोटिसें जारी की गई थीं वे नियम के प्रतिकूल थीं । उनमें से बहुतेरी ग़लत जगहों पर लगाई गई थीं और कई उनमें निर्दिष्ट तारीख़ के बहुत समय बाद ।

खालसा का समर्थन नहीं हो सकता

जो ज़मीनें खालसा की गईं उनका न नैतिक दृष्टि से समर्थन किया जा सकता है, न सुशासन की दृष्टि से । कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आवश्यकता से कहीं अधिक क़ीमत की स्थावर संपत्ति खालसा कर ली गई है । कार्यवाहक (Executive) विभाग को ज़मीनों का फ़ौसला करने के लिए बहुत सख़्त अधिकार दे दिये गये थे । ३,००,००० रुपये क़ीमत की ज़मीनें ११,००० रु० में बँच दी गई थीं ।

जब्तियाँ और जंगम संपत्ति के नीलाम जिस तरह हुए वे ग़ैरक़ानूनन थे । दरवाजे तोड़ कर मकानों के अन्दर घुसने की तो रेवेन्यू अधिकारियों ने अपनी मामूली नाति बना ली थी ।

जिन लोगों में पास कोई ज़मीन न थी और फलतः जिन्हें ख़गान नहीं देना था उनकी भी सम्पत्ति ज़ब्त और नीलाम की गई है। नीलाम में सरकारी अधिकारी, पुलिस, और रेवेन्यू-विभाग के चपरासियों तक को बोली लगाने और नीलाम की चीज़ें ख़रीदने दिया जाता था। प्रायः तमाम नीलामों में ये चीज़ें अज़हद कम कीमत में बेची गई थीं।

जानवरों के साथ निर्दयता

नीलाम के लिए पकड़े गये बहुत से जानवरों को बड़ी निर्दय-से पीटा गया। उन्हें घास या पानी भी ठीक तरह नहीं दिया गया। पठानों की नियुक्ति का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। उनका व्यवहार अत्यन्त लज्जाजनक था और एक घटना तो ऐसी भी हुई जिस में एक स्त्री के सतीत्व पर आक्रमण किया गया था।

सत्याग्रही कार्यकर्त्ताओं का दमन करने तथा चारडोली के आन्दोलन को विगाढ़ने के लिए सरकार ने क़ानून फ़ौजदारी का उपयोग करने में अत्यन्त ग़ैर क़ानूनन और द्वेष-पूर्ण उपायों का अवलम्बन किया। एक मातहत रेवेन्यू अफ़सर को मुक़दमों की निगरानी करने और उनका फ़ैसला देने के मजिस्ट्रेटी अधिकार देकर सरकार ने बहुत अनुचित काम किया। सरकार जिन मामलों में मुहर्ई थी उनमें उसने ठीक-ठीक सबूत नहीं लिये। अपराधी बताये गये लोगों को पहचानने का तरीक़ा विश्वसनीय नहीं था। जिस सबूत पर सत्याग्रहियों को सजायें दी गईं वह इकतफ़ा

विजयी बारडोली

था और विश्वास के पात्र नहीं था। जिन अभियोगों पर सजायें दी गई थीं वे तुच्छ और केवल नाम-मात्र के थे।

सूचनार्थ

बारडोली जैसी परिस्थिति फिर कही पैदा न हो इसलिए कमिटी नीचे लिखी सूचनार्थें पेश करती है—

(१) ज़मीन की लगान नीति को बिल्कुल बदल देना चाहिए।

(२) सरकार और किसानों के बीच के सम्बन्ध को निश्चित शब्दों में प्रकट कर देना चाहिए।

(३) पश्चिम के सुधरे हुए देशों में लगान निश्चित या क़ायम करने एवं बढ़ाने के जो नियम हैं भारत में भी वही अथवा उन्हीं के समान नियम हो जाने चाहिए।

(४) यदि लगान-वृद्धि असंतोष-प्रद हो तो दीवानों अदालतों में न्याय प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए।

(५) सरकार के एग्ज़िक्यूटिव् विभाग को नियम बनाने एवं निर्णय (Resolution) करने का जो अधिकार है वह उसके हाथ से निकाल लिया जाय और क़ानून में ऐसे नियमों का समावेश किया जाय, जिससे किसानों की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रहे।

परिशिष्ट (४)

(२)

क्या मिला ?

वालोट प्रेता महाल का हिसाब ।

साधन—२ जून्ती हाकिम	}	दिनरात चार महिने तक दौड़ धूप करते रहे । और उन्होंने
८ पठान		
८ पुलिस के जवान		
२ मोटरें		
१४ तलाटी और चंपरासी		

रु० } ६६ भैसे (जिनकी असली कीमत कम से कम
६४१-२-० } ७६१० रु० थी)

रु० ६४१-२-० में कसाइयों के हाथ बेचीं ।

८१०-१४०	}	६ घोड़े; १ गाड़ी कपास १ बड़ा पाट २ सवारी की गाड़ियाँ
		१५ पलंग २ झले १ अलमारी १ रस्ता
		६ कुर्सी २५ मन जुवार १ घड़ी १ कोट
}	}	७ पटिण्ड २ बेंच १ तकिया १ स्टूल
		१ टांगा १ चाँदी का गहना

और छोटे-मोटे ४५ पीतल के बर्तन
४ कोटियाँ

४६५ मैलन शराब जून्त की;

१४,५१-०-० और लोगों को भगणित कष्ट दिये
रुपये नक़्द पैदा किये तथा तीन आदमियों को जेल भेजा । और जिस शान के लिए यह सब किया गया वह तो जनता के सामने फ़ीकी पड़ गई ।

केशवभाई गरौशजी

वारडोली के विभागपति

गुजराती 'प्रताप' से

परिशिष्ट (५)

बारडोली-सत्याग्रह

गाँव का दैनिक निवेदन

(विभाग पति को चाहिए कि वे यह निवेदन प्रति दिन प्रत्येक गाँव से स्थानीय स्वयं-सेवक द्वारा अथवा खास स्वयं-सेवक भेजकर प्राप्त करें । और इसमें से आवश्यक खबरें अपने विभाग के दैनिक निवेदन में लिख दें ।)

गाँव	विभाग	तारीख
१—इससे पहले किस तारीख को निवेदन भेजा था ?		
२—विभाग-पति पिछली बार कब आये थे ?		
३—आज किस नम्बर की और कितनी पत्रिकायें गाँव में बाँटीं ? इससे कम या ज्यादा की जरूरत हो तो लिखो ?		C. 10

परिशिष्ट (५)

<p>४—इस गाँव में यदि किसी ने कगान भदा कर दिया हो तो उसका नाम और रुपये की तादाद बताओ ।</p>	
<p>५—सरकारी हलचल कुछ हो तो लिखो ।</p>	
<p>६—चौथाई, खालसा, अथवा बूती की नोटिस इस गाँव में किसी को मिली हो तो उसकी तफ़सील दो, (नोटिस की असली नकल भेज दो, ।</p>	
<p>७—गाँव में किसी नेता की ज़रूरत है ? अगर है तो, क्यों ? कारण बताओ ।</p>	
<p>८—कोई विशेष जानने योग्य यात हो तो, लिखो ।</p>	

मु०

तारीख

दस्तावेज़ स्वयं-सेवक के

वारडोली-सत्याग्रह

विभाग का दैनिक निवेदन

विभाग का	ता०	- - १९२८	वार का निवेदन
(१) अधिक खबर-पत्र की जरूरत है।	(६)	स्वयं सेवकों की जरूरत।	
(२) गाँवों के निवेदन नियमित रूप से आते हैं ?	(७)	छावनी के लिए जिन चीजों की जरूरत हो।	
(३) आज किस गाँव को गये थे ?	(८)	हिसाब — भावक — जावक।	
(४) नीचे लिखे गाँवों की व्यवस्था कैसी है ?	(९)	सरकारी हलचल	
(५) नेता की जरूरत	(१०)	विशेष खानगी समाचार।	
(११) साधारण समाचार।			

सु० ता० १९२८ दस्तखत विभाग-पति
सूचना—जो भी समाचार भेजे जायँ पूरी जाँच और तहकी-
कात के बाद भेजे जायँ।

नं० ४ में—स्थानीय स्वयंसेवकों से काम लेने की योजना ठीक तरह चल रही है या नहीं यह बतावें।

नं० ५ में—लिखिए कि किस नेता की कहाँ, क्यों और कब जरूरत है।

नं० ८ में—उन रकमों को लिखिए जो सत्याग्रह-चन्दे में वहीं

परिमिष्ट (५)

से मिली हों या प्रधान कार्यालय से आपको मिली हों, वे रकमें भी लिखें जो आपने भेजी हों ।

नं० ९ में—जन्तो, खालसा वर्ग के समाचार लिखें ।

नं० १० के जवाब में सुनी हुई अफवाहें, सरकारी अधिकारियों की हलचलों के समाचार और जनता में कोई फूट या भेद हो तो लिखें ।

नं० ११ के उत्तर में समाजों के विवरण, लोगों की रचना तथा बहादुरी के उदाहरण, छावनी का काम-काज, अधिकारियों की हलचलों के तथा उनके द्वारा किये गये अत्याचारों के ताजे समाचार संक्षेप में लिखें ।



निम्न लिखित पुस्तकें अभी छपी हैं

राष्ट्र-निर्माण-माला—तृतीय ग्रन्थ

समाज-विज्ञान

लेखक—श्री चन्द्रराज मण्डारी 'विशारद'

समाज-शास्त्र का सर्वाङ्ग सुन्दर ग्रंथ । पृष्ठ संख्या ५८० मूल्य १॥)

राष्ट्र-जागृति-माला—पुस्तक ५

उजाला

महात्मा टालस्टाय के एक नाटक का अनुवाद

अनुवादक—श्री क्षेमानन्द 'राहत'

पृष्ठ संख्या १६० मूल्य ॥३)

राष्ट्र-जागृति-माला—पुस्तक ६

जब अंग्रेज़ नहीं आये थे !

झदाभाई नौरोजी के 'Poverty and Unbritish rule in India' के एक अंश का अनुवाद

अनुवादक—श्री शिवचरणलाल शर्मा

पृष्ठ संख्या १०० मूल्य ।)

'नीति नाश के मार्ग पर' (म० गांधी)

'महान् मातृत्व की ओर' (तैयार हो रहे हैं)

पता—सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर

लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवाली

सेठ घनश्यामदासजी बिटला, सेठ जमनालालजी बजाज द्वारा स्थापित

भारतवर्ष क ' एक मात्र सार्वजनिक संस्था

सस्ता-साहित्य-मण्डल

ग्रन्थमेरु की

पुस्तकों का सूचीपत्र

मण्डल के स्थाई ग्राहक बनकर सब पुस्तकें

पाने मूल्य में मंगा सकते हैं

पूज्य मालवीयजी का

हिन्दी प्रेमियों से अनुरोध

हिन्दी में 'त्याग-भूमि' जैसी सुन्दर, सुसम्पादित सात्विक राजस-प्रधान पत्रिका देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। इसके लेख और टिप्पणियाँ विचारपूर्ण होती हैं। स्त्रियों और युवकों को उपदेश और उत्साह देने की सामग्री इसमें खूब रहती है। अभी पत्रिका

आठ दस हजार वार्षिक घटी सहकर

इतनी सस्ती दी जा रही है। पर यदि इसके दस वारह हजार ग्राहक हो गए तो फिर घटी न रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि देशभक्त हिन्दी के प्रेमी इसके प्रचार में सहायक होंगे।

'सस्ता-मण्डल अजमेर' ने उच्च-कोटि की पुस्तकें सस्ता निकालकर हिन्दी की बड़ी सेवा की है। सर्व साधारण को इस संस्था की पुस्तकें लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए।

मदनमोहन मालवीय

क्या आप मंडल व त्यागभूमि के ग्राहक बन कर

या अपने एक दो मित्रों को बनाकर

इस साहित्य सेवा और देशसेवा के यज्ञ में

सहायता न करेंगे ?

सस्ते-साहित्य-मंडल, अजमेर

उद्देश्य

यह मंडल शुद्ध सेवा भाव से हिन्दी की उत्तमोत्तम पुस्तकें व परिष्कारपुस्तकें से सस्ते मूल्य में प्रकाशित करने के लिए स्थापित हुआ है। इस मंडल से ऐसी ही पुस्तकें प्रकाशित होनी हैं, जो भाषा, भाव, शुद्धता, छपाई सफाई सभी दृष्टियों में उच्च-कोटि की हों। साहित्य ऐसा दिया जाता है जो ज्ञानवर्द्धक, ठसाह्रद और देश सेवा प्रेरक हो। स्त्रियों और बालकों के उपयोग को भी पुस्तकें निकलती हैं।

स्थाई ग्राहक बनने के नियम

- (१) एक रुपया प्रवेश फीस भेजकर कोई भी सज्जन इस मण्डल के स्थाई ग्राहक बन सकते हैं। यह प्रवेश फीस मनीआर्डर द्वारा पेशगी भेजनी चाहिए। यह प्रवेश फीस वापस नहीं लौटाई जाती।
- (२) स्थायी ग्राहक मंडल द्वारा प्रकाशित सब पुस्तकों की एक एक प्रति पौनी कीमत में मंगा सकते हैं। यदि एक से अधिक प्रतियां मंगाना हों तो, दो आना फी रुपया कमिशन काट कर भेजी जाती हैं।
- (३) ग्राहक बनने के समय से पहले प्रकाशित हुए ग्रन्थों का लेना न लेना ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर है। पर आगे प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में से वर्ष भर में कम से कम साठे चाण रुपयों के मूल्य (कमिशन काट कर अर्थात् छैं रुपियों की पूरी कीमत से) की पुस्तकें अपनी मन चाही चुन कर अवश्य लेनी होती हैं। मण्डल से हर वर्ष प्राय. आठ दस रुपयों के मूल्य की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं।
- (४) यदि स्थाई ग्राहक की लापरवाही से या भूल में चो०पी० का पार्सल वारस लौट आयेगा तो डाक ग्यचें उन्हीं के जुम्मे होगा। यदि एक मास के भीतर भीतर वे पोस्टेज हानि न भेजें हों तो उनका नाम स्थाई ग्राहकों में से काट दिया जायगा और फिर से एक रुपया भेजने पर ही उनका नाम स्थाई ग्राहकों में लिखा जायगा।

ॐ प्रचार के लिए आत्म-वधा का मूल्य लागत से भी कम रखा गया है इसलिए यह पुस्तक पूरे मूल्य में ही ग्राहकों को भी दी जाती है।

(५) नई पुस्तकों प्रकाशित होने पर उन्हें भेजने के पंद्रह दिन पहले ग्राहकों के पास पुस्तकों के नाम विवरण, मूल्य, आदि की सूचना भेज दी जाती है। पंद्रह दिन बाद पोती कोमत से वी० पी० द्वारा पुस्तकों ग्राहकों के पास भेज दी जाती है।

(६) मण्डल से ग्राहक नम्बर की सूचना मिलते ही अपने यहां नोट बुक में या पुस्तकों पर नम्बर जरूर लिख लेना चाहिए। पत्र व्यवहार करते समय, यह नम्बर जरूर लिख भेजना चाहिए। बिना ग्राहक नंबर लिखे यदि कोई सज्जन पुस्तकों का आर्डर भेज देंगे और हमारे यहां से पूरे मूल्य में पुस्तकें चली जावेंगी तो उसके जिम्मेवार हम न होंगे।

आवश्यक सूचनाएँ-

(१) वी० पी० द्वारा पुस्तकें मँगाकर लौटा देने से हमारी बढी हानि होती है। एक तो पुस्तकें वापस आने में खराब हो जाती हैं, दूसरे पोस्टेज हानि अर्थ में होती है। इसलिए कृपा कर पहले से ही सोच समझ कर पुस्तकें मँगाइए। देशभाई के नाते इस सस्था की हानि आप ही की हानि है।

(२) ग्राहकों को अपना नाम, गाँव, पोस्ट, और ज़िला तथा अधिक माल मँगानेवालों को अपने स्टेशन का नाम तथा रेलवे लाइन का नाम खूब साफ साफ लिख भेजना चाहिए।

(३) रेल द्वारा पुस्तकें मँगानी हों तो आर्डर के मूल्य के चौथाई रुपये पेशगी भेजना चाहिए। अन्यथा पुस्तकें नहीं भेजी जावेंगी। इसी तरह दस या इससे अधिक मूल्य की पुस्तकें मँगानेवालों को कुछ रुपये पेशगी भेजना चाहिए।

(४) किसी वी० पी० में हिसाब संबंधी या और किसी तरह की कोई भूल जान पड़े, तो उसे लौटाना न चाहिए। वी० पी० छुड़ा कर हमें लिख भेजें। भूल तुरन्त ठीक कर दी जावेगी।

निवेदक—जीतमल लूणिया मन्त्री, सस्ता-मंडल, अजमेर।

❀ नई पुस्तकों में से यदि कोई एक दो पुस्तक न लेनी हो अथवा और कोई पुस्तक साथ में मगानी हो तो सूचना-पत्र मिलते ही हमें लिख देना चाहिए। पंद्रह दिन के अन्दर कोई सूचना न मिलने पर सब नई पुस्तकें वी० पी० द्वारा भेज दी जाती है।

सस्ता-मंडल अजमेर को सस्ती और उपयोगी पुस्तकें
पुस्तकों का विषय, उनकी पृष्ठ संख्या और उनके मूल्य पर विचार,

कीजिए । कितनी उपयोगी और साथ ही कितनी सस्ती हैं ।

अन्य प्रकाशक १०० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य ॥) या ॥=) ग्यते हैं

पर मण्डल केवल १) रघुता है, इतने पर भी

१) भेजकर स्थाई ग्राहक बनने से सब पुस्तकों पाने मूल्य में मिलनी हैं।

(१) ब्रह्मचर्य-विज्ञान—(लेखक पं० जगन्नाथरायणदेवशर्मा साहित्यशास्त्री)
पं० लक्ष्मणनारायण गठे इसकी भूमिकामें लिखते हैं "लेखक ने पुस्तकमें ब्रह्मचर्य-
रक्षा संबंधि सभी विचारणीय बातों का समावेश किया है। प्राचीन ग्रन्थों से
जो अवतरण दिये हैं, वे बहुत ही स्फूर्तिदायक हैं। भारतीय युवकों को इस
पुस्तक का धर्मग्रन्थ की तरह पाठ करना चाहिए।" पृष्ठ संख्या ३०४ मू० ॥-)

(२) कर्मयोग—(ले० श्री अश्विनीकुमारदत्त) गीता के मुख्य विषय का
प्रतिपादन बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। पृष्ठ १५२ मू० ॥=) दूसरी बार छपी है।

(३) यथार्थ आदर्श-जीवन—वास्तव में मानव जीवन का आदर्श क्या
होना चाहिए ? यह पुस्तक आपको अपना रास्ता ढूँढने में बहुत सहायक होगी ।
पृष्ठ २६४ मूल्य ॥-)

(४) दिव्य जीवन—संसार के प्रसिद्ध विचारक स्विट् मास्टर्न के
'The miracles of Right Thoughts' का हिन्दी अनुवाद । पुस्तक
दिव्य विचारों की खान है । पृष्ठ १३६ मू० ॥=) चौथी बार छपी है ।

(५) व्यवहारिक सभ्यता—छोटे बड़े सब के लिए उपयोगी व्यवहारिक
शिक्षाएँ । बालकों के लिये तो यह बड़ी ही उपयोगी पुस्तक है। पृष्ठ १२८ मू० ॥=)

(६) आत्मोपदेश—महात्मा एस्तिफ के आध्यात्मिक विचार । पृष्ठ
१०४ मूल्य १) यह भी दूसरी बार छपी है ।

(७) जीवन-साहित्य—(ले० आचार्य काका कान्हेलकर) धर्म, नीति,
समाज-सुधार, शिक्षा और राजनीति सम्बन्धी सजीव और मनोहर लेखों का
संग्रह । काका साहब के प्रत्येक लेख में पाठक असाधारण प्रतिभा का दर्शन
करेंगे । प्रार्थना और नवीनता का समझौता आप जिस कुशलना के साथ
करते हैं वह देखते ही बनता है । प्रथम भाग पृष्ठ २१८ मूल्य ॥) दूसरा भाग
२ छ २०० म० ॥) इसकी भूमिका श्री वाचू राजेन्द्रप्रसादजी ने लिखी है ।

(८) तामिल-वेद—(ले० अद्भुतसंत ऋषि तिरुवल्लुवर) भू० ले० श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचार्य—अनु० श्री क्षेमानन्द राहत

“दक्षिण में इस ग्रन्थ का भादर वेदों के समान है। वहाँ यह पांचवां वेद कहलाता है। इसमें धर्म और नीति के ऐसे मूल सिद्धान्तों का उपदेश किया गया है जिससे मनुष्य के जीवन का दिन रात काम पड़ता है। पुस्तक की रचनाशैली बड़ी सरल और बोधगम्य है” (संरस्वती) पृष्ठ २४८ मूल्य ॥=)

(९) शैतान की लकड़ी—(अर्थात् भारत में व्यसन और व्यभिचार का दौरादोरा) सारा समाज व्यसन और व्यभिचार में भाकण्ठ फंसा हुआ है। समाज की हालत देखकर आपका दिल दहल जायगा। व्यसनों में हम करोड़ों रुपये बरबाद कर रहे हैं और व्यभिचार तो हमारे जोवन-सत्व को ही नष्ट कर रहा है। इसे मंगाकर पढ़िए और अपने आपको तथा बालकों को इन बुराइयों से बचाने की कोशिश कीजिए। पृष्ठ ३६५ मूल्य ॥=)

इसके लेखक हैं श्री वैजनाथ महोदय वी० ए०। पुस्तक में कई चित्र भी हैं।

(१०) अन्धेरे में उजाला—(टाल्सटाय का उत्कृष्ट नाटक) सर्वस्व त्यागकर देशसेवा व आत्मोन्नति करना ही जीवन का सार है, यही इस नाटक का विषय है। पृष्ठ लगभग १६० मूल्य ॥=)

(११) सामाजिक कुरीतियाँ—(ले० महात्मा टाल्सटॉय) टाल्सटॉय के लेखों ने और ग्रन्थों ने रूस और यूरोप के पड़े-लिखे लोगों में महान् क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। भारतीय पाठकों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। पृष्ठ २८० मूल्य ॥=)

(१२) तरंगित हृदय—[ले० पं० देवशर्मा विद्यालंकार] भू० ले० पं० पद्मसिंह शर्मा—एक प्रतिभाशाली हृदय संसार का अवलोकन करता है और उसमें विचारों की अद्भुत और स्फूर्तिजनक तरंगें—विचारों की तरंगें—उठती हैं, यह उन्हीं का संग्रह है। पृष्ठ १७६ मू० ॥) हिंदी संसार ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है

(१३) भारत के खीरत्न—(दो भाग) प्राचीन भारत के प्रायः सब धर्मों और सभी जातियों की आदर्श-पतिव्रता, वीर, विदुषी और भक्त लगभग ९० महिलाओं के ओजस्विनी भाषा में लिखे गये जीवन चरित्र। प्रथम भाग पृष्ठ ४१० मूल्य १) दूसरा भाग पृष्ठ ३२८ मूल्य ॥=)

(१४) कन्याशिक्षा—बालिकाओं के लिए। पृष्ठ ९४ मू० १) द्वितीयावृत्ति

(१५) सीताजी की अग्निपरिचा—यह एक मनगलंत काव्य कल्पना नहीं ऐतिहासिक सत्य है। दलीलें बड़ी विचारणीय हैं। पृष्ठ १२४ मू० १-)

(१६) स्त्री और पुरुष—(म० टाटल्टाय) स्त्री और पुत्रों के भाद्रां सम्बन्ध पर बड़े ही अद्भुत विचार हैं। पृष्ठ १५४ मू० १=)

(१७) घरों की सफाई—प्रत्येक स्त्री, पुरुष व बालक को यह पुस्तक पढ़ना चाहिए। पृष्ठ ९२ मू० १)

(१८) आश्रम-हरिणि—(श्री वामन महार जोषी एम० ए० लिखित सामाजिक उपन्यास) पृष्ठ ९२ मूल्य १)

(१९) क्या करें ?—(टॉल्स्टाय) 'Who touches this book, touches a man' (Wall Whitman) यह पुस्तक नहीं, मानव-हृदय के कोमल और पवित्रतम विचारों का खोत है। टॉल्स्टाय के ग्रन्थों ने संसार के साहित्य और रूस के सामाजिक जीवन में एक अद्भुत क्रान्ति कर डाली है। यह पुस्तक उन्हीं विचारों का एक सुन्दर संग्रह है। जीवन की गम्भीरतम समस्याओं "क्या करें" का उत्तर है। प्रथम भाग पृष्ठ २६६ मू० ॥=)

(२०) गंगा गोविन्दसिंह—ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों और उनके कारिन्दों की काली करतूतों और देश की विनाशोन्मुख स्वाधीनता को बचाने के लिए लड़ने वाली आत्माओं की वीर गायानों का उपन्यास के रूप में वर्णन। पृष्ठ २८८ मूल्य ॥=)

(२१) अनोखा—फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार विकटर ह्यूगो के 'The Laughing man' का हिन्दी अनुवाद। सत्ता और वैभव में सद्गुण नहीं पनप सकते। यह तो गरीबी की उपज है यही बात लेखक ने विनोद में एक पागल के मुँह से कहलाई है। अनुवादक हैं डा. कुर लक्ष्मणसिंह बी० ए० एल० एल० बी०। पृष्ठ ४७४ मू० १=)

(२२) कलवार की करतूत—(महात्मा टॉल्स्टाय) एक ग़ोटासा अत्यन्त मनोरंजक और शिक्षापूर्ण प्रहसन नाटक रूप में। ए० ४० म० -) ॥

(२३) श्री राम चरित्र (२४) श्री कृष्ण-चरित्र। दोनों पुस्तकों के लेखक हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रा० ब० श्री चिन्तामणि त्रिनायक वैद्य एम० ए०। दोनों ही पुस्तकें बड़ी ग़ोतके साथ लिखी गई हैं। श्री राम चरित्र की पृष्ठ संख्या ४४० और मूल्य १।) है। श्री कृष्णचरित्र की भी पृष्ठ संख्या लगभग ४०० होगी और मूल्य भी लगभग १।) होगा। श्री कृष्ण-चरित्र सन् २९ के अंत तक छप जायगा।

(२५) आत्म-कथा—[म० गांधीजी के 'सत्य के प्रयोगों' अथवा 'आत्म-कथा' का हिन्दी अनुवाद] अनुवादक पं० हरिभाऊ उपाध्याय । इस ग्रन्थ-रत्न का परिचय देना व्यर्थ है । पृष्ठ ४१६ प्रचार के लिये मूल्य केवल ॥=) रखा गया है । अंग्रेजी में इस पुस्तक का मूल्य ५) है । यह प्रथम खण्ड है ।

(२६) स्वामीजी (श्रद्धानन्द) का वलिदान और हमारा कर्तव्य अर्थात् हिन्दू-मुस्लिम समस्या—ले० पंडित हरिभाऊ उपाध्याय—आज इस समस्या ने देश को जितना परेशान कर रखा है उतना और किसी ने नहीं इस पुस्तक में निष्पक्ष भाव से सभी पहलुओं पर विचार किया गया है । पृष्ठ १२५ मूल्य १-) दूसरी बार छपी है ।

(२७) शिवाजी की योग्यता—(ले० गोपालदामोदरतामस्कर एम. ए.) भारत में स्वराज्य स्थापना करने वाले इस वीर महापुरुष के जीवन रहस्य को बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है । पृष्ठ १३२ मूल्य १-) तीसरी बार छपी है ।

(२८) यूरोप का सम्पूर्ण इतिहास—(तीन भागों में) यूरोप का इतिहास स्वाधीनता का तथा जागृत जातियों की प्रगति का इतिहास है । राज्यों की उथल पुथल के वर्णन के साथ ही इस पुस्तक में यह भी दिखलाया गया है कि भारतीय लोगों को उन घटनाओं से क्या शिक्षा लेनी चाहिए और अपने देश को किस तरह स्वतंत्र करना चाहिए । पृष्ठ ८३० मू० २)

(२९) समाज-विज्ञान—शुरु से लेकर अबतक मानव-समाज किस तरह प्रगति करता गया उसका यह इतिहास है । धर्म, राजसत्ता, नीति, सामाजिक रीतिरिवाज, वैवाहिक पद्धतिया आदि विषयों पर भारतीय और पश्चिमी लेखकों और विचारकों के विचार लखकर लेखक ने अपने विचार भी प्रकट किये हैं । हिन्दी में इस विषय की यह पहलीही मौलिक पुस्तक है । पृष्ठ ५८० मूल्य १॥)

(३०) हमारे ज़माने की गुलामी—(टाब्सटाय) इसमें आधुनिक सभ्यता, सरकारों और यन्त्रयुग की भयंकर टीका और समाज को उसकी गुलामी से बचाने के उपाय बताये गये हैं । पृष्ठ १०० मूल्य १)

(३१) खड्डर का सम्पत्ति शास्त्र—(श्री रिचार्ड ग्रेग की "Economics of Khaddar" का हिन्दी अनुवाद) अनु० श्रीरामदास गौड एम० ए० यह वही पुस्तक है जिसकी महात्मा गांधी जी ने, लाजपतराय जी ने व देश के अन्य विचारशील लोगों ने प्रत्येक भारतवासी को पढ़ने की सिफारिश की है । पृष्ठ संख्या लगभग २२४ मूल्य ॥=)

(३२) गोरों का प्रभुत्व—(लेखक बाबू गमचन्द्र वर्मा) संसार में गोरों के प्रभुत्व का अंतिम घंटा बज चुका । अब संसार की अन्य जातियाँ किस तरह राजनैतिक रंगभूमि पर आ रही हैं और उसमें गोरी जातियाँ किस तरह भयभीत हो रही हैं, यही इस पुस्तक का मुख्य विषय है ! पृष्ठ ७७१ मूल्य ॥२७)

(३३) हाथ की कताई-धुनाई—(अनु० श्री रामदास गौड़ एम० ए०) “इसमें वेदकाल से लेकर आजतक के समय तक का हाथ से कातने और धुनने का इतिहास, उसकी उन्नति तथा अंग्रेजों ने भारत के इस रोजगार का किस तरह सर्वनाश किया विदेशी वस्त्रों की बाढ़ कैसे बढ़ी, वर्तमान समय में हाथ की कताई धुनाई में भारत को क्या लाभ पहुँच सकता है, आदि बातों पर विद्वत्-पूर्ण विचार किया गया है । पृष्ठ २६७ मूल्य ॥२८)” प्रताप (कानपुर) इस विषय पर आई हुई ६६ पुस्तकों में से इसको पसन्द कर महात्मा गांधीजी ने इसके लेखकों को १०००) का पुरस्कार दिया है ।

(३४) चीन की आवाज़—चीन की वर्तमान क्रांति को ठीक तौर से समझने के लिए इस ग्रन्थ का पढ़ना बहुत जरूरी है । कैसी सेद की यात है कि चीन हमारा पड़ोसी और भारत में उत्पन्न होने वाले एक महान धर्म का अनुयायी होने पर भी हमें उसके विषय में बहुत कम ज्ञान है । पृष्ठ १३० मू० १—)

(३५) दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह—(दो भाग) महापुरुष कैंने निर्माण होते हैं यह इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होगा । यह पुस्तक पू० महात्माजी की जीवनी का एक महत्वपूर्ण अंश भी है । स्वयं महात्माजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस इतिहास के पढ़े बिना उनकी आत्मकथा अधूरी रह जाती है । प्रथम भाग पृष्ठ २७२ मूल्य ॥११) दूसरा भाग पृष्ठ २२८ मूल्य ॥११)

(३६) विजयी वारडोली (साठ चित्र) वारडोली ने भारत की लाज रक्ष ली । किसानों की एकता, स्वयंसेवकों का अपूर्व संगठन, सरदार बल्लभ भाई पटेल का युद्ध कौशल, तथा वारडोली का वीरांगनाओं की आत्माजनक कथाओं आदि से परिपूर्ण यह वारडोली सत्याग्रह का शुरु में अन्त तक क्रमबद्ध इतिहास है । स्वराज्य का उपाय है देश में अनेकानेक वारडोली का उत्पन्न करना अतः प्रत्येक भारतवासी को यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए । पृष्ठ ५०० मू० ०)

(३७) अनीति की राह पर—महात्मा गांधी के Self-restrain V . Self-Indulgence नामक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद । आत्म-संयम सन्तति-निग्रह, ब्रह्मचर्य और चरित्र संगठन पर बड़ी ही उत्तम पुस्तक है । प्रत्येक देशवासी को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या नौजवान इस अवश्य पढ़ना चाहिए । पृष्ठ लगभग १५० मूल्य ॥)

(३८) स्वाधीनता के सिद्धान्त—(ले० टिरेन्स मेकस्विनी) प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी के पास यह पुस्तक होनी चाहिए। संसार में इस पुस्तक का बड़ा आदर है। पृष्ठ २०८ मूल्य ॥)

(३९) जब अंगरेज़ नहीं आये थे?—उस समय भारतवर्ष की कैसी उत्तम दशा थी यह अंग्रेजी शासन की ओर से बिठाई हुई कमेटी की ही रिपोर्ट है। प्रत्येक भारतवासी के जानने की चीज़ है। पृष्ठ १०० मूल्य १)

(४०) महान् मातृत्व की ओर—स्त्री-जीवन के प्रारम्भिक कठिनाइयों का दिग्दर्शन कराती हुई, गार्हस्थ्य जीवन की जिम्मेदारियों को दिखलाती हुई, अपने जीवन को पवित्र सौंदर्य सुखमय बनाने वाली स्त्रियों के लिए बड़ी ही सुन्दर पुस्तक है। पृष्ठ २८० मूल्य ॥=)

(४१) हिन्दी मराठी-कोष—(रचयिता श्री पुंडलीक) राष्ट्र-भाषा प्रचार के कार्यक्रम में इस कोष का एक विशेष स्थान है। हिन्दी पढ़ने वाले प्रत्येक महाराष्ट्रीय भाई के लिए यह बड़े काम की चीज़ है। मराठी भाषा के थोड़े बहुत जानकार हिन्दी भाषी भी इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। इस कोष में हिन्दी भाषा के मुहावरों का भी एक छोटासा कोष है। पृष्ठ ३७२ (बड़े साइज़ के) मू० २

अन्य उपयोगी पुस्तकें

(१) भारत के हिन्दू सम्राट् (भू० लेखक रा० ब० गौरीशंकर हीराचंद ओझा) प्राचीन काल में सम्पूर्ण भारत पर शासन करने वाले सम्राट् चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त हर्षवर्द्धन आदि अनेकों सम्राटों का प्रमाणपूर्ण इतिहास है। मूल्य १॥) राजसंस्करण का २॥)

(२) भगवान महावीर—महात्मा बुद्ध के समकालीन भगवान महावीर का यह सबसे बड़ा, उत्तम और प्रामाणिक जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ है। इसे पढ़ने से चित्त में पवित्रता का भरना बहने लगता है। बड़ी ही सुन्दर पुस्तक है। सजिल्द मूल्य ४॥) आर्ट पेपर पर छपा हुआ राजसंस्करण का मूल्य १०)

(३) सूर्य-ग्रहण—शिवाजी के समय का ऐतिहासिक उपन्यास—अनु० बाबू रामचन्द्र वर्मा मूल्य २॥) मूल लेखक पं० हरिनारायण आपटे एम० ए०

(४) पौराणिक कथाएँ—इसमें भिन्न भिन्न पुराणों से संकलित प्राचीन भारत के महापुरुषों तथा सती देवियों के जीवन की विशेष विशेष घटनाओं का वर्णन है। बढिया कागज पर छपी हुई ८२५ पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥=) एक तरफ मूल संस्कृत है। दूसरी तरफ सामने उसका अनुवाद है।

“त्यागभूमि”

प्रत्येक हिन्दी पाठक को क्यों पढ़नी चाहिए !

इसलिए कि

- (१) यह हिन्दी की एक मात्र राष्ट्रीय-सामाजिक मासिक पत्रिका है और भारत में सब से सस्ती है। इसका आदर्श है “आध्यात्मिक राष्ट्रवाद”।
- (२) इसके लेख सान्त्विक, प्रीठ और जीवन-प्रद होते हैं।
- (३) इसके चित्र अश्लील या कामुकता बढ़ाने वाले नहीं होते वरन् जीवन के महान् आदर्शों के नमूने होते हैं। स्त्रियों और बालकों के लिए महान् उपदेशक का काम करते हैं।
- (४) यह शरीरों की विनम्र सेविका तथा किसान, मजूर और स्त्रियों के नवोत्थान के लिए प्राणपण से उद्योग करने वाली है।
- (५) देश के कोने कोने में और समाज के अंग अंग में गहरी और सृहणीय उथल पुथल मचाने की धुन इसे सवार है।
- (६) यह भारतवर्ष में सब से सस्ती मासिक पत्रिका है।

प्रतिमास १२० पृष्ठ, रंगीन व कई सादे चित्र होते हुए भी
वार्षिक मूल्य केवल ४)

इसे देख कर आपके नयनों की सुख हांगा, पढ़ कर हृदय प्रमन्न होगा और इसके विचारों पर मनन करने पर आप की आत्मा का विकास होगा।

अपने बल, बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने के लिए

क्या आप सिर्फ़ दो पाई रोज़ या

सवा पांच आने प्रति मास, या ४) वार्षिक

अपने बीसों प्रकार के खर्च में से बचाकर

इसके आहक नहीं बन सकते ?

ज़रूर बन सकते हैं !

‘त्यागभूमि’ के ग्राहक क्यों होना चाहिए ?

ज़रा खयाल कीजिए

(१) सबसे पहिले और केवल मूल्य ही को देखा जाय तो और पत्रिकाओं के हिसाब से ‘त्यागभूमि’ का मूल्य कम से कम ६) ६॥) रखा जाना चाहिए था जैसा कि इतने ही पृष्ठों की अन्य पत्रिकाओं का है। पर त्यागभूमि का मूल्य तो ढाक व्यय सहित केवल ४) वार्षिक ही है।

(२) त्यागभूमि गंदे और लुभावने विज्ञापनों में आपको नहीं लुभाती। एक मासिक पत्रिका के लिए विज्ञापनों की आमदनी कम नहीं होती। फिर भी पाठकों के हित के खयाल से त्यागभूमि अपने आपको इस दूषित भाय से अछूती रखना चाहती है। इससे पाठक और उनका धन भी धूर्त विज्ञापन वाज़ा के चंगुल से बच जाता है और वे अपनी शक्ति, समय और द्रव्य कहीं अच्छे कामों में लगा सकते हैं।

सिर्फ़ ४) वार्षिक खर्च करने पर आपको

घर बैठे, ज्ञान, नवजीवन और देशभक्ति से परिपूर्ण

१४४० पृष्ठ पढ़ने को, अनेक उच्चादर्श के

रंगीन व सादे चित्र देखने को मिलेंगे

आप के घर के लोग अडोसी, पडोसी व मित्रगण भी

इससे कितना लाभ उठावेंगे !

क्या ४) में यह सौदा महँगा रहेगा ?

अब आपकी चारी है

'त्यागभूमि' का उद्देश्य शुद्ध सेवाभाव है इसीलिए तो विज्ञापनों की हजारों रुपियों की वार्षिक आय को छोड़ कर, अश्लील और गंदे चित्रों से मुँह मोड़ कर लागत मूल्य से भी कम मूल्य रखकर यह पत्रिका निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य तो है

सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्रों में ग्रामूल क्रान्ति कर देना पर यह महान् उद्देश्य तभी सफल हो सकता जब इसका प्रचार घर-घर में हो। कोई गाँव ऐसा न हो जहाँ इसकी एक प्रति न जाति हो, कोई क्लब, सोसाइटी, पुस्तकालय और शिक्षित घर ऐसा न हो जहाँ इसका प्रवेश न होता हो।

अभी पत्रिका के तीन हजार ग्राहक हैं। अभी उसका मूल्य ७) प्रति ग्राहक पीछे पड़ता है इस प्रकार

तीन रुपये प्रति ग्राहक घटी सहकर

यह पत्रिका निकाली जा रही है। पर यदि देश-भक्त हिन्दी प्रेमियों की सहायता से इसके चारह हजार ग्राहक हो जाय तो यह अपना सर्वा आप संभाल लेगी।

यदि इस अपील को पढ़नेवाले

प्रत्येक पाठक केवल एक एक दो दो ग्राहक बना देने का संकल्प कर लें तो एक ही वर्ष में चारह हजार ग्राहक हो सकते हैं।

धनिकों से

कई विद्यार्थी, बालिका और पुस्तकालयवाले हम से एक दो रुपये कम मूल्य पर और कभी कभी बिना मूल्य ही 'त्यागभूमि' माँगा करते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार रुपये हमारे पास भेजकर ऐसे लोगों के लिए रिभायती मूल्य पर या मुफ्त में 'त्यागभूमि' मिलने की सुविधा कर सकते हैं। आपकी ओर से 'त्यागभूमि' में सूचना प्रकाशित हो जायगी।

देश भर में प्रचारकों की आवश्यकता

इस पवित्र कार्य के लिए जो भाई प्रचारक बनना चाहें, हमसे पत्र व्यवहार करें। कालेज के विद्यार्थी व स्कूलों के मास्टर तथा गाँवों के पोस्ट मास्टर व पटवारी, अपने अपने गाँव व कस्बे में चार छः ग्राहक बना कर भी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं।

पाठक, बताइए आप क्या कर सकते हैं ?

जो कर सकें वह तुरन्त ही शुरू कर दीजिए

कम से कम आप तो ग्राहक बनही जाइए

त्यागभूमि के प्रधान स्तम्भ

आधी दुनिया (बियों के लिए)	} ४० पृष्ठ सुरक्षित
उगता राष्ट्र (बालकों के लिए)	
ज्ञानांजन	युगनिर्माण
पहला सुख	जनता का स्वराज्य
विश्वदर्शन	अछूत भाई
ऋद्धि सिद्धि	साहित्य संगीतकला
खोज मे	भगनावशेष (दिशी राज्य)

त्यागभूमि का मूल्य

वार्षिक मूल्य ५) है, छः मास का २॥)

एक अंक का मूल्य ॥)

पर नमूने के केवल एक अंक के लिए ।=) के टिकट भेजिए

पुस्तकें खरीदने का अमूल्य अवसर

अन्य प्रकाशकों की कुछ पुस्तकें हमारे यहां पड़ी हुई हैं उन्हें हम चौथाई, आधी और पोने मूल्य में बेच रहे हैं आजही कार्ड लिखकर उनका सूचीपत्र मंगालें।

पता—सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर

त्यागभूमि के ग्राहक बनने के नियम

(१) त्यागभूमि का वर्ष आश्विन मास से शुरु होता है । यह ग्राहक की इच्छापर निर्भर है कि वह आश्विन मास के अंक से ही ग्राहक बने या ग्राहक बनते समय जो महीना चल रहा हो उस मास से । अक्सर लोग शुरु के अंक से ही ग्राहक बनते हैं ताकि उनके पास वर्ष भर की पूरी फाइल रहे और इसमें दोर्ता और सुभीता भी रहता है। ग्राहक बनने का आर्डर भेजते समय स्पष्ट लिख देना चाहिए कि किस अंक से आप ग्राहक बनना चाहते हैं ।

(२) नमूने की कापी बिना मूल्य भेजने का नियम नहीं है । नमूना देखने वालों को ॥) के टिकट भेजना चाहिए । पर ऐसे लोगों के लिए जो नमूना देखने के इच्छुक हैं, हमने ३ मास तक ग्राहक बनने का नियम रखा है । तीन मास के लिए उन्हें १।) मनीआर्डर द्वारा भेज देना चाहिए या वी० पी० द्वारा मंगा लेना चाहिए । जब तीन अंक वे देखें और उन्हें संतोष हो जाय तब वे वार्षिक ग्राहक बन सकते हैं ।

(३) जहां तक हो सपया मनीआर्डर से ही भेजना चाहिए । क्योंकि वी० पी० का सपया कभी कभी पोस्ट ऑफिस से महीनों में जाकर मिलना है । जब तक हमें सपया नहीं मिलता हम ग्राहकों में नाम नहीं लिख सकते । इधर ग्राहकों को इसके लिए काफ़ी दिन इन्तज़ारी में रहना पड़ता है । मनीआर्डर से भेजा सपया फौरन ही मिल जाया करता है ।

'त्यागभूमि' के सम्बन्ध में हमारे पास देश और निदेश से सैकड़ों प्रशंसा पत्र आए हुए हैं

उनमें से कुछ यहां देते हैं—

प्रताप (कानपुर)

त्यागभूमि के 'हर हर बरक में शरहे तमचा' रहनी है । लेख इतने सुन्दर और विद्वत्ता पूर्ण होते हैं कि उनका पढ़ना ज्ञानप्रद और हृदय को ऊंचा उठाने वाला होता है । शुद्ध साहित्य एवं देश दशा का यथार्थ दिग्दर्शन अन्यत्र मिलना कठिन है । इसलिए हम हिन्दी भाषा-भाषी भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि वे 'त्यागभूमि' के अवश्य ग्राहक बनें ।

पत्रिका सर्वाङ्ग सुन्दर है, सौन्दर्य में सर्वत्र सादगी की शोभा, सब आदर्श की ज्योति तथा त्याग का तेज दृश्यमान है । —आज (काशी)

तरुण राजस्थान (अजमेर)

लेखों में प्रवाह है, ओज है, मौलिकता है और कविताएँ प्रसाद गुण-
पूरित । साराश यह है कि पत्रिका सब तरह से सुन्दर और उपयोगी है ।
अभ्युदय (प्रयाग)

पत्रिका सब प्रकार से गृहणीय है और हम इस का अधिकाधिक प्र-
चाहते हैं ।

देश (पटना)

'व्यागभूमि' का उद्देश्य बड़ा ही पवित्र और राष्ट्रीय भावों से पूर्ण है ।
पत्रिका सारे देश के लिए गौरव की चीज होगी ।

श्री मातादीन शुक्ल साहित्य शास्त्री स० सम्पादक 'सुधा'

व्यागभूमि केवल ४) वार्षिक मूल्य में और फिर भी ६) ६॥)
की पत्रिका का सा ठाठ-चाट साज-सामान । इतना व्याग कर
साहस, शक्ति और भावना 'व्यागभूमि' के सिवा और किसको है ? 'व्याग'
के लेखों का चुनाव, विषय-विभाग और चित्रादि सभी उच्च कोटि के हैं,
पं० रामदास गौड़, एम० ए० काशी

'व्यागभूमि' के लेख उच्च कोटि के और अत्यन्त उपयोगी दीखते हैं ।
से सस्ता सर्वाङ्ग भूषित हिन्दी मासिक पत्र तो मैं कोई और नहीं जान
पं० बनारसीदास चतुर्वेदी सम्पादक 'विशाल भारत' (कलकत्ता
'व्यागभूमि' में अच्छी से अच्छी चीज कम से कम दामों में देने
प्रवृत्ति है । शुद्ध रात्विक भोजन से शरीर को जो लाभ होता है, वही
भूमि' के लेखों से उसके पाठकों को होगा ।

श्री वियोगी हरि, पन्ना

'व्यागभूमि' व्यागभूमि ही है । 'प्रभा' के बाद भाज कहीं ऐसी विशुद्ध
पत्रिका का दर्शन हुआ है । सम्पादन की दृष्टि से तो सचमुच 'व्यागभूमि' ही
है । इसके आदर्शों पर क्या लिखूँ ? बड़े ही खरे, ऊँचे और दिव्य हैं
पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बनारस

थोड़े मूल्य में ऐसी सुसम्पादित और सुन्दर पत्रिका मिलना दुर्लभ
सम्पादन बड़ी योग्यता से हो रहा है ।

मार्च सन् १९२९ में मुद्रित ।

कराल खड्ग

“बल्लिए नाथ । मैं तो आ रही हूँ । मेरी चिन्ता न कीजिए । अत्याचार और अन्धकार के ये काले-काले बादल हमारा क्या निगाड़ेगे ? हमारा विश्वास हमारी शक्ति है । हम उस अदृश्य काले कलूटे हृदय को बदल देंगे, जो दूर बैठकर इन हाथों को हम पर यह खड्ग चलाने की प्रेरणा कर रहा है । वह, बेचारा निष्प्राण निर्जीव खड्ग ! अरे, जो अटल ईश्वर श्रद्धा का कवच पहने बैठे हैं और निर्मल सत्य का शस्त्र धारण किये हुए हैं, उनका यह बेचारा क्या निगाड़ेगा । बल्लिए, आगे बढ़िए, इस प्रचण्ड उत्ताप के बाद भुवन मनोहासिणी वर्षा होगी । उसके लिए हम अपनी जमीन तैयार कर लें ।”

सयबल से प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र इस पुस्तक के अन्त में दिया हुआ है जो अचर्य पढ़ लें ।

